राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 10 वां दिवस [संख्या 8

बुधवार,

दिनांक 26 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न

(सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, जन सम्पर्क, अकाल सहायता, कारागृह, गृह, उद्योग, समाज कल्याण, निर्वाचन, यातायात पंचायत, विधि, नगर आयोजना, आयुर्वेद एवं राजस्थान नहर परियोजना विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री ओंकारलाल चौहान, चेतराम, वृद्धिचन्द्र, हरिकिशन, रामचन्द्र, रमेशचन्द्र सैनिक, लालाराम, अलखाराम, रामगोपाल एवं श्री भूराराम।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

152. श्री **ओंकारलाल चौहान** (डग), श्री चेतराम (टोडाभीम), श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर), श्री हरीकिशन (राजगढ़), श्री रामचन्द्र (चौरासी), श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली), श्री लालाराम (फलासिया), श्री अलखाराम (गोगुन्दा), श्री रामगोपाल (किशनगंज) एवं श्री भूराराम (आबू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति बन्द कर दी है ?

2. यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त एवं मेरिट-कम-नीड छात्रवृतियां चालू हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : हार्दिक धन्यवाद आपको।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : इतने माननीय सदस्यों ने स्टेट स्कालरशिप के लिए·······

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जिलावाइज सूची भेज दी है क्या आपने ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सब जगह इत्तला कर दी गई है।

②

श्री रघुनाथ विश्नोई : इत्तला तो कर दी गई है लेकिन वास्तव में कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे ? जल्दी से रकम बांटकर निपटारा कब तक करेंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन लोगों की डिसकन्टीन्यू हुई थी उनकी है तो उन पर इसका असर नहीं पड़ता है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : सारे प्रदेश के बनवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग यहां पर प्रदर्शन करने आये थे । वह कह रहे थे कि 5–8 महीनों से नहीं मिल रही है । नियम तो आपने पास कर दिया लेकिन उसका बिल तक नहीं बना है । यदि आपने पास भी कर दिये आर्डर्स तो इम्पलीमेंन्टेशन उनका आर्डर्स का तत्काल करें ताकि उनको मिले ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : आर्डर्स निकल गये हैं और बंटवारा हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।

थाना पदमपुर में पिटाई का मामला

153. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (श्री करणपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सच है कि श्री जोगेन्द्र सिंह मण्डी पदमपुर के साथ थाना पुलिस पदमपुर में दिनांक 28-9-74 को श्री बदलूराम ए. एस. आई. आदि द्वारा मार पिटाई की गई और उसकी बांई बाजू की हड्डी तोड़ दी गई ?

2. क्या यह सच है कि श्री जोगिन्द्रसिंह जो एक गरीब व्यक्ति है, जयपुर में गृह राज्य मंत्री, आई. जी. पी., राजस्थान व डी. आई. जी. पी., बीकानेर से मिला और उन्हें दरख्वास्तें पेश की मगर आज तक कार्यवाही नहीं की गई ?

3. क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जांच से यह मालूम हुआ कि लालसिंह एवं जौहरीमल कान्स्टेबल द्वारा मारपीट की गई । बाबू की हड्डी के बारे में यह निश्चय नहीं हो सका कि क्या पुलिस की मारपीट से हड्डी टूटी क्योंकि इस घटना के पूर्व में श्री जोगिन्द्रसिंह एवं अन्य व्यक्तियों के बीच भी झगड़ा हुआ था ।

(2) जी हां । इन दरख्वास्तों पर ए. एस. पी. करनपुर द्वारा जांच करवाई गई है । दोषी पुलिस कर्मचारियों को उसी दिन ही थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया व इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

(3) दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है । अत: पुन: जांच करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरा एक प्रश्न है कि जिस वक्त वह झगड़ा था बाहर और थाने में हाजिर हुआ उस वक्त उसका डाक्टरी मुआयना कराया गया और उसके अन्दर कोई फ्रेक्चर या चोट होना नहीं पाया गया । जब वह थाने में हाजिर हुआ उसके

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

बाद उसकी बायें हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और उसका मुआयना उसी डाक्टर ने दुबारा किया और दूसरा सर्टिफिकेट दिया तो क्या यह इससे साबित नहीं होता है कि पुलिस द्वारा पीटा गया है ?

दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी जांच लोकल अधिकारियों से नहीं कराई जाय। सी. आई. डी., गुप्तचर विभाग के सुपुर्द आपके आर्डर से ही केस सुपुर्द हुआ तो वह जांच क्यों नहीं करते हैं ?

वह दोनों बातें हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब जोगिन्द्रसिंह पुलिस स्टेशन पर आया था और उसको मेडिकल के लिए भेजा गया था तो उस वक्त डाक्टर ने जो चोटें थीं उसका मुआयना करने से मना कर दिया, क्योंकि रात का वक्त था और यह कहा कि कल पेश किया जाय। जब वह दूसरे दिन पेश हुआ तब चोटों का मुआयना किया गया। यह सही है कि जो चोट उन्होंने नं. 2 पर बताई है उसके बारे में डाक्टर ने अपनी मुआयना रिपोर्ट में लिखा है कि एक्स-रे कराने की आवश्यकता है क्योंकि हड्डी टूटने का खतरा लगता है। यह बात सही है, लेकिन यह सही नहीं है कि जिस वक्त वह थाने में आया था उस वक्त जो पहले झगड़ा हुआ था उसका डाक्टरी मुआयना कर लिया गया था।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यह जानकारी भी आपको देना चाहता हूं और आपसे यह रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल दुरुस्त है कि रात को उसका मुआयना कराया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो बार मुआयना कराया गया या एक ही बार ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक ही बार मुआयना कराया गया।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : दो बार मुआयना हुआ है। रात को मुआयना हुआ उसमें डाक्टर ने रिपोर्ट दी है कि इसने शराब पी हुई है। कहीं और चोट नहीं थी। अगर डाक्टर एक रिपोर्ट यह देता है तो इससे यह साबित होता है कि वह चोट बाद में लगी है और वह जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें फ्रेक्चर का कहा गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : एक प्रश्न इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, यह है कि वह थाने में आया और लड़ाई की इत्तला आकर इसने दी, केस रजिस्टर हुआ और उसके बाद तफतीश आरम्भ हुई। क्या तफतीश चली है इस सम्बन्ध में ? चोट के सम्बन्ध में खास तौर से जब उसने कहा है कि हड्डी टूटने का अन्देशा है तो इस किस्म की तफतीश आपके थाने में आरम्भ है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: श्री जोगिन्द्रसिंह को डाक्टरी मुआयने के लिए भेजा गया था उसमें डाक्टर साहब ने यह लिखा है कि यह नशे में होना पाया गया और उन्होंने यह लिखा है कि चूंकि इसके शरीर में चोटें हैं उसका मुआयना करने हेतु उसे सुबह पेश किया जाय। इसलिये जो पहले मुआयना डाक्टर साहब ने किया उसमें केवल शराब पीने के बारे में लिखा है, और जो उसके शरीर पर चोटें थीं उसके सम्बन्ध में उसको सुबह पेश करने का उसमें लिखा है। उसके दूसरे दिन सुबह उसको पेश किया गया। डाक्टर साहब ने उसको देखा, और डाक्टर साहब ने जो

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चोटें उसके शरीर पर थीं, उससे चोट नं 2 पर हड्डी टूटने का अन्देशा होने की वजह से उन्होंने रेफर किया कि एक्स-रे करवा ली जाय। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि पहले वाले मुआयने में चोट होने का लिखा वह बात सत्य नहीं है।

इस तरह से जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया और उसके साथ मारपीट हुई थी उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है और इसकी जांच एडिशनल एस० पी० गंगानगर से करवाई गई है, और उन्होंने जो वहां के कर्मचारी थे उनको दोषी पाया है। वहां पर जो सब-इन्सपेक्टर था, वहां पर जो हैड कान्स्टेबल था, वहां पर जो कान्सटेबल थे इन चार व्यक्तियों को दोषी पाया है, और उनको दोषी पाने की वजह से हमने इनके खिलाफ विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी तक आपने सवाल को नहीं समझा है मेरा। मेरा मतलब यह है कि जनता का एक आदमी पुलिस थाने में गया और उसने इत्तिला अव्वल दी, और इत्तिला अव्वल देने के बाद क्या उसका केस रजिस्टर हुआ? उसने कहा हड्डी टूटने का और उसको डाक्टरी मुआयने के लिए भेजा गया तो क्या यह वाकिआई इस केस को रजिस्टर करने के लिए काफी नहीं थे? क्या यह वाकेआत तफतीश आरम्भ करने के लिए काफी नहीं थे? क्या एस.पी. ने जिनको दोषी पाया तो क्या इनका निलम्बित किया जाना आवश्यक नहीं था? मैं जानना चाहूंगा कि तफतीश क्यों नहीं आरंभ की गई और आपने खानगी कार्यवाही क्यों की? और खानगी कार्यवाही की तो वापिस तफतीश क्यों नहीं आरम्भ की और उनको निलम्बित क्यों नहीं किया?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खानगी कार्यवाही नहीं की गई। एडिशनल एस.पी. को जांच के लिए नियुक्त किया गया था। उसकी जांच रिपोर्ट में जो अधिकारी दोषी पाये गये हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर ही तथा दोषी पाये जाने पर केस रजिस्टर की कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अधिकारी दोषी पाये गये तो क्या मुकद्मा दर्ज करना उचित समझा गया?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर अधिकारी दोषी पाये गये और दोष इस प्रकार से सिद्ध हुआ तो उनके खिलाफ मुकद्में जरूर दायर करने की कार्यवाही की जायगी।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : जब आप यह मान चुके हैं कि इसमें वे लोग गुनाहगार, दोषी पाये गये हैं तो दो तरह की कार्यवाही उनके खिलाफ आवश्यक है और आप विभागीय कार्यवाही करें तो उनको सस्पेंड करें, लेकिन जो मारपीट की है उनके खिलाफ फौजदारी करने की क्या कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक प्रश्न रह जाता है सस्पेन्शन का। डाक्टरी कर ली गई तो केस तो रजिस्टर कर दिया लेकिन सस्पेन्ड करने की कार्यवाही कर दी या नहीं?

प्रश्न संख्या 154

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरसिंह।

Page No 5

(5)

मांगलियावास में बुकिंग आफिस की व्यवस्था

155. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नसीराबाद, ब्यावर अजमेर, पीसांगन के मार्गों का मांगलियावास सेण्टर है फिर भी वहां बुकिंग आफिस नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : जी हां । किसी स्थान पर बुकिंग आफिस खोलने का निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड 500/–रुपये प्रति दिन किराये की आय होना है । मांगलियावास में दैनिक आय निर्धारित मापदण्ड से कम है । अतः वहां वर्तमान में बुकिंग आफिस खोलना सम्भव नहीं है ।

श्री शंकरसिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मांगलियावास एक ऐसा स्टेशन है जहां से पीसांगन ब्यावर और नसीराबाद के लिए मुसाफिर जाते हैं । इसका अर्थ यह है कि आप वहां की जनता को सुविधा देना नहीं चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, 500/रु० रोजाना की आमदनी हो तो खोलेंगे । अन्यथा एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी व्यय हो जाता है । जिस दिन 500 रु० की आमदनी होने लगेगी । उस दिन खुल जायेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 500/– रु० की आमदनी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे ?

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : जब तक बुकिंग आफिस नहीं खोलेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : रोज आदमी चढ़ते हैं । जैसा कि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, अगर स्पेशली कराना चाहते हैं तो वह अलग बात है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खोलना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपको बस में टिकट तो मिल जाते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप आफिस क्यों नहीं खोलना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरे राजस्थान में यही स्थिति है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं.........

एक माननीय सदस्य : आप नाराज हो कर जवाब नहीं दें ।

श्री शंकरसिंह रावत : वहां गांवों के लोग होते हैं रुकते नहीं हैं । मैं विश्वास दिलता हूं कि 500 रु० की आमदनी होती है या नहीं यह एक्सपेरीमेण्ट के आधार पर खोल कर देख लें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मांगलियावास पर बसें ठहरती हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री लूणाराम ।

Page No 6

(6)

ग्राम लखासर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों का भुगतान

166. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ग्राम लखासर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू का जोहड़ सोमाला 72-73 व 73-74 में अकाल राहत के अन्तर्गत खुदवाया गया था ? यदि हां, तो कार्यारम्भ तिथि से कार्य समापन तिथि तक कुल कितने रुपयों के मस्टररोल बनाये गये तथा कितना भुगतान हो गया व कितना भुगतान शेष है ?

2. क्या यह सही है कि इसकी जांच सहायता विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो कितने समय बाद तथा उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त आयुक्त की जांच के पश्चात् सहायता विभाग द्वारा मजदूरों को भुगतान के लिए धनराशि स्वीकृत करके कलेक्टर चूरू को भेजी गई ?

4. यदि हां, तो कितनी राशि किस किस दिनांक को स्वीकृत करके कलेक्टर चूरू को सूचना भेजी गई तथा कलेक्टर चूरू द्वारा उक्त राशि का मजदूरों को भुगतान किया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब ? और नहीं तो क्यों ? तथा आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां, कार्य समाप्ति तक कुल 49808.25 रु० के मस्टरोल इस कार्य के बनाये गये थे। कुल 19,209.35 रु० का भुगतान हो चुका है। तथा कुल 30,598.90 रु० का भुगतान होना शेष है। यह कार्य दिनांक 16-10-72 से 15-2-73 तक हुआ है। इसके पश्चात् दिनांक 5-5-73 से 15-5-73 तक बिना स्वीकृति के इस जोहड़ पर कार्य हुआ है। जिसके लिए जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां, जांच 10-4-74 को कार्य बन्द होने के एक वर्ष बाद हुई है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, जांच प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसार मजदूरी के भुगतान के लिये जिलाधीश को 6,322.36 रु० के बजट आवंटन की स्वाकृति भेज दी गई है।

(4) दिनांक 20-2-74 को 6,322/36 रु० मजदूरी के भुगतान हेतु बजट आवंटन की स्वीकृति भेजी गई है। जिलाधीश को मजदूरी के तुरन्त भुगतान हेतु पुनः निर्देश भिजवाया गया है।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है, उस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है, कैसे भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के खुदवाना बताया। अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश चूरू ने गांव के रुबरु यह आदेश दिये थे कि 25 हजार से अधिक का काम हो गया है। परन्तु इसकी कोई चिन्ता नहीं है, काम जारी रखो। उसके ऊपर काम को जारी रखा गया और नतीजा यह है

(श्री लूणाराम)

कि उन लोगों को किसी प्रकार की मजदूरी नहीं है। मजदूरों को नतीजा भुगतना पड़ रहा है। एक साल के बाद जांच होती है, फिर भी उनका भुगतान जिलाधीश चूरू को भेज दिया गया है और वह भुगतान भी अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि यह किसकी गलती है? जिलाधीश ने मौके पर क्यों कहा था कि काम जारी रखा जाये। मजदूरों को काम पर से नहीं हटाया जाये। जिलाधीश चूरू को जो भुगतान भेज दिया गया है वह अभी तक नहीं कराया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र भुगतान करायें।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना समय बीत गया है। अभी तक भुगतान क्यों नहीं दिया गया है?

श्री दीपंकर : यह एक बड़ा वाइड प्रश्न है। सारे राजस्थान में इस प्रकार से हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे, चूरू के अलावा भी इस प्रकार का लेखा जोखा बताया गया है। अगर ऐसा है तो उस पैसे का बंटवारा करने का कौन सा तरीका अपनाया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य। एक सवाल यह भी है कि एक तो यह बिना स्वीकृति के प्रारम्भ किया गया है। अगर बिना स्वीकृति के किया गया है तो कब स्वीकृति ली गई है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने अभी बताया है। 25 हजार के लिए जिलाधीश सक्षम थे। उन्होंने अपने अधिकार से आरम्भ कराया था और उसके बाद मस्टररोल बनाया गया तो 50,828 रु० का बन गया। जिलाधीश के यह अधिकार में नही था। उन्होंने स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को रिकमेण्डेशन नहीं भेजी। जब भुगतान नहीं होने की शिकायत आई तो राज्य सरकार ने उसकी जांच अतिरिक्त कमिश्नर अकाल राहत से करवाई। मौके पर जाकर उन्होंने जांच की। जो कार्य करवाया गया था और जो कार्य बिना स्वीकृति के करवाया गया दोनों कार्यों की जांच ले जाकर करवाई गई। 2,506 घनफुट खुदाई का काम हुआ है और उसके जो रेट निर्धारित किये गये हैं, उनमें भिन्नता है। उस काम को रेग्युलराइज करने की स्वीकृति दे दी गई है। भुगतान में देरी हुई है। जिलाधीश को रकम भेजी गई है, वह शीघ्र से शीघ्र वितरण कर दें।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : जो दूसरे जिलों में भुगतान बकाया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर। यह गरीब मजदूरों का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य बोलते हैं तो अध्यक्ष की तरफ मुंह करके बोलते हैं। सब के सब एक साथ बोलने लग जायें तो यह परम्परा के विरुद्ध है। मेरी तरफ देखें। मेरे कहने का इन्तजार करें।

श्री दीपंकर : आपकी तरफ देख कर आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाह रहा हूं.........

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने कहा और अभी आपने जवाब दे दिया ।

श्री दीपंकर : आपकी आज्ञा हो तो कहूंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से जनता से काम करवाने के बाद पेमेन्ट में दो साल का विलम्ब हुआ तो जिलाधीश के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? अगर सरकार की रकम इस प्रकार रह जाती तो अमानत में खयानत का मुकदमा बन जाता और लोगों के खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज हो जाता । गरीब मजदूरों से काम ले लेते हैं और उनको पैसा देने में सरकार डिले करती है; इसके लिए बतायें कि आपने क्या एक्शन मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ किया ?

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, इसे प्रश्न के नाम पर टाला नहीं जाय । बारह महीने हो चुके हैं, गरीब लोग भूल चुके हैं कि उनको मजदूरी मिलेगी या नहीं । कई जिले ऐसे हैं । मैं नागौर जिले के लिए निवेदन कर रहा हूं, हजारों रुपया बिना पेमेन्ट का मजदूरों का पड़ा है और उस मामले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है । यह जीवन मरण का प्रश्न है क्योंकि फिर अकाल आ गया है । क्या इसकी जांच करके पेमेन्ट की व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री केशरी मल ।

श्री केशरी मल : मेरा निवेदन करना है कि यह मंत्रीजी कह रहे हैं कि उनका कहना ठीक है कि अलग से प्रश्न है । यह प्रश्न अलग से होते हुए भी राजस्थान के उन लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राहत कार्यों पर काम किया, जिनका पैसा बकाया है । 1972 में काम किया था, 1973-74 में प्रश्न किया था तब यह बताया गया कि अजमेर जिले में हजारों रुपया बकाया है उसे देने की बात माननीय मंत्री महोदय ने कही कि जल्दी दे रहे हैं । लेकिन अभी तक एक पाई नहीं दी गई । दूसरी तरफ अकाल पड़ गया, काम उनको नहीं दे रहे हैं, उनको भूखा मार रहे हैं, यह उनका कमाया हुआ है । किसी कारखानेदार ने, व्यवस्थापक ने मजदूरों का पैसा रख लिया होता तो पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट के अन्दर, धाराओं में कार्यवाही होती । सरकार बकाया पैसा मजदूरों को देवे नहीं और कानून से बचने की कोशिश करे और दूसरी तरह से लेने का रास्ता बन्द हो जाय । यह अलग से प्रश्न होते हुए बहुत अहम् मसला है । उस पैसे को देने की व्यवस्था करनी चाहिए, तुरन्त करनी चाहिए । अकाल का पैसा है, यह काम का पैसा है, यह तुरन्त देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि 25 हजार की ज्यादा कलेक्टर को मंजूरी लेनी चाहिए थी । यह फर्माना सही है । आपने बताया कि जो

(श्री रावतराम)

खुदाया गया, उस खुदाई की जांच करवाई है कि कितने लोगों से काम करवाया और जांच से इस नतीजे पर आप पहुंचे कि पच्चीस हजार रुपये का काम हुआ है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यह है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जांच आपने चार महीने बाद कराई है, यह मिट्टी में खड्डे की प्रोग्रेस की जांच नहीं है। वहां काम ज्यादा हुआ है लेकिन बहुत अर्से के बाद खुदाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट में ओवरसियर को भेज कर माप करवायी है, उस समय के खड्डे की प्रोग्रेस आयी है। इसमें जो खड्डे की खुदाई हुई है और मस्टर रोल पर जिन मजदूरों ने काम किया है, उनको पेमेन्ट होना चाहिए।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने फर्माया, अलग से प्रश्न है। लेकिन यह अलग से प्रश्न जो है यह मामूली नहीं है। इसमें पर्टीक्यूलर चीज के बारे में, मजदूरी के बारे में पूछा है, यह जानकारी की बात है, यह सारा राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित मामला है, जो मालूम नहीं होती है. इसलिए अलग से प्रश्न पूछा है। जहां तक कहा है, यह मालूम नहीं होता है कि रुपया जिन का रोका हुआ है, जिन लोगों का अकाल राहत कार्य का बकाया है, वह कितने महीने में किसी तरह से केस का सुलझा कर दे दिया जायगा। यह सरकारी नीति की घोषणा करें.... ...

श्री अध्यक्ष : घोषणा की बात कह दी।

श्री मीठालाल : इसलिए अलग से प्रश्न का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि इस जिलाधीश को यह आदेश था, यह मालूम था कि इतनी राशि का अधिक काम नहीं कराना है, अगर कराता है तो उसका अधिकार था कि राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करे। मंत्री महोदय को स्पष्ट मालूम है कि जिलाधीश ने मनमाने ढंग से काम करवाया है और उसकी स्वीकृति आज तक नहीं ली है। राज्य सरकार ने काम कराया है, या तो परवरिश समझिये या रहम समझिये उसको रेगुलराइज करके आगे धनराशि की स्वीकृति दे और ऐसे जिलाधीश, जिन्होंने स्वीकृति प्राप्त नहीं की और अधिकार का दुरुपयोग किया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मुझे यह कहना है, अध्यक्ष महोदय, 1972 के पश्चात् 1975 आने के बाद प्रश्न अब पटल पर आ चुका है, उसके बाद मंत्री महोदय कहेंगे, शीघ्रातिशीघ्र करवा देंगे तो यह बता दें, एक महीने में, पन्द्रह दिन में, दो महीने कोई निश्चित तिथि तक दे रही है, पैसा चुका रही है?

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेन्ट्री यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जो सूची सदन की मेज पर रखी है, वह मुझे अभी मिली है इसलिए पढ़ नहीं पाया हूं। प्रश्न यह है कि जो मंजूरी सरकार ने 25 हजार की दी थी, उसमें से 19 हजार का भुगतान कर दिया, छः हजार की मंजूरी कर दी है, सरकार पहली मंजूरी से एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहती है और जो काम हुआ है, उसमें बाकी काम को यों का यों नजरअन्दाज करना चाहती है। जो

(10)

(श्री लूणाराम)

काम हुआ है, वह राजस्व अधिकारियों की देखरेख में हुआ है और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक द्वारा उसका मौके पर मेजरमेंट लिया गया है, उसके बाद मस्टर रोल को आगे बढ़ाया गया है और बिना मंजूरी हुए कार्य हुआ यह कह कर टाल दिया गया है। एक साल के बाद जो जांच यहां से जाकर आयुक्त ने की है और जो मौके पर नहीं पहुंच पाये हैं, यह लिखा है, सं. 2029 में इसकी खुदाई हुई थी-ऐसा मालूम हुआ है, राज्य सरकार ने खुदवाया था। दूसरी बात ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में पूछिये सवाल।

श्री लूणाराम : थोड़े में निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इतनी खुदाई है इसलिए इतना बनता है। इस प्रकार बहानेबाजी करना, तय किये हुए काम को नजरअन्दाज करना कतई उचित नहीं है। मैं चाहूंगा, राज्य सरकार बाकी काम के लिए मंजूरी करें। एक साल के काम का जो पैसा है उसको पाने के वे अधिकारी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे पैसे का भुगतान करवाया जाय और जिन्होंने मौके पर जाकर मेजरमेंट कम लिया है, उन गलत मेजरमेंट लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या मंत्री महोदय ......

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा था, आम तौर से सप्लीमेन्ट्री आये हैं वह इस मुद्दे पर आये हैं, इस प्रकार लेना-देना हमारे जिले में बाकी हैं, यह अनियमितायें हैं और और जगह पेमेन्ट कराने के बारे में सरकार की क्या नीति है। आम सवाल यह है। इनका जवाब आने दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस पर मेरा सप्लीमेन्ट्री है कि वहां जो जिला एडवाइजरी कमेटी है, 25 हजार के काम की एडवाइज कलेक्टर ने दी थी और उसके बाद कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव सेंक्शन लेने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार ने हां ना में जवाब नहीं दिया है। इतने अर्से के बाद मेजरमेंट करा कर एडजस्ट करना कहां तक उचित है। मेजरमेंट जिस आफिसर ने गलत किया है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है और गलत दर्ज किया है उस सम्बन्ध में एक्शन लेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक राजस्थान के अन्य जिलों में अकाल राहत कार्यों के तहत भुगतान के बकाये का प्रश्न है, वैसे स्पेसिफिक सवाल मेरे पास नहीं। होना चाहिए यह। मैं कैसे कहूं कि गंगानगर जिले में कितना भुगतान बकाया है—इसका उत्तर देना सम्भव नहीं। इसलिए कहा कि अलग सवाल है.....

श्री केदारनाथ : जनरल घोषणा कर दें, 30 मार्च तक भुगतान हो जायगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान के अलग अलग जिलों में अकाल राहत कार्यों के तहत बकाया रकम चुकाने में यदि विवाद नहीं है .....

श्री मीठालाल : विवाद नहीं, सुलझाने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : सुनें थोड़ा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुनने की कोशिश करें ।

श्री दीपंकर : विवाद आपके विभाग ने सारा खड़ा किया है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किसी में विवाद नहीं है, कोई इन्वेस्टीगेशन के तहत पेंडिंग मामला नहीं हैं— ऐसे मामलों के अलावा अन्य सारा भुगतान तीन महीने में कर दिया जायगा । जो केसेज हैं उनको देख कर तीन महीने में कर दिया जायेगा — यह विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह पेंडिंग तो सारे ही हैं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : मीठालालजी, घोटाले वालों को भी पेंडिंग करना चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक शुरू का सवाल है, मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने स्वीकृति 20·8·74 को दे दी और उसके बाद भी जिलाधीश ने मजदूरों का चुकारा नहीं किया है । यह निश्चितरूप से जिलाधीश के स्तर पर लैप्स है, इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

मेजरमेंट्स का जहां तक प्रश्न है, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, जहां काम किया गया था, चाहे वह कलेक्टर द्वारा स्वीकृत था अथवा नहीं, उसका चुकारा करना राज्य सरकार ने उचित समझा और मौके पर अतिरिक्त सहायता आयुक्त गये और मेजरमेंट्स कर भुगतान करने के आदेश राज्य सरकार ने दे दिये हैं । इसलिये उसका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

जिन कामों में वहां के पटवारी और तहसीलदार की गलती पाई गई थी वहां पर कार्यवाही करने का सरकार ने निश्चय किया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री भानु कुमार शास्त्री

अजमेर जेल से फरार कैदी

157. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सन् 1971 में अजमेर जेल से एक पाक नेशनल श्री अब्दुल अजीज नाम का कैदी भाग कर पाकिस्तान चला गया ?

2. क्या यह सही है कि उक्त पाक नेशनल के साथ डाकू व हत्यारा श्री प्रताप सिंह कैदी भी अजमेर जेल से भाग गया था?

3. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मन्त्री, कारागृह (श्री बनवारी लाल) : (1) दिनांक 31-10-70 और दिनांक 1-11-70 की दरम्यानी रात को आदर्श कारागृह अजमेर से श्री अब्दुल अजीज उर्फ मोहम्मद बशीर पुत्र श्री अब्दुल रहमान उर्फ इस्माइल, पाक नेशनल फरार हो गया । वह कहां गया, इसकी जानकारी नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) अतिरिक्त जिला दण्डनायक, अजमेर द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । सी. आइ. डी. की जांच तथा विभागीय जांच चल रही है ।

(श्री बनवारीलाल)

(जांच रिपोर्ट बिस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई है)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह जो कैदी फरार हो गया, इसके बारे में आपने जांच करवाकर इसका दायित्व फिक्स किया है ?

एक माननीय सदस्य : जनसंघ पर ।

श्री बनवारी लाल : जांच करवा रहे हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सन् 1970 में कैदी भाग गया और आपकी जांच अभी चल ही रही है ? कब तक जांच चलवाकर आखिर इसको लेप्स करेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह भागा कि नहीं, इसकी भी कोई जांच हो रही है क्या?

श्री चिम्मन सिंह भाटी : दोनों में से कोई बाद में पकड़ा गया क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : पाकिस्तान का नेशनल, जिसे इन्डियन पासपोर्ट एक्ट के दफा 3/6 और फारिनर्स एक्ट के दफा 3/4 के अन्तर्गत 14 माह और 2 माह की सजा हुई थी, वह यहां से भाग गये । वह औजार अपने साथ में ले आये, जिससे अपनी बेड़ियां काटी, और जेल के दरवाजे की सींखचें और कड़े काटे, फिर रस्सी का फन्दा बनाकर दीवार पर चढ़े और फिर नीचे आने के लिये साधन जुटाए । आपके जांच अधिकारी का डिसीजन है कि यह सारा काम करने में कम से कम दो घंटे लगे होंगे और यह सारा काम जेल ग्रोथॉरिटीज की कनाइवन्स साबित करता है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है सारे कांड में जेल ग्रोथॉरिटीज की साजिश साबित है वर्ना वह पकड़ लेते। यह राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है । एक पाकिस्तानी नेशनल यहां आने के बाद बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया और फिर सजा आई, फिर काल कोटड़ी में वह बन्द हुआ, वहां से जेल ग्रोथॉरिटीज की कनाइवन्स द्वारा भाग गये । ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साफ लिखा है कि हर दस मिनट में वार्डन का वहां गश्त होता है, उसकी नजर में सारी बात आनी चाहिये । इसके अलावा जेलर और जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट का सुपरविजन होता है, वह भी नहीं हुआ ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत: भाषण हो रहा है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : Please put a supplementary question.

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे माननीय सदस्य मौके पर मौजूद थे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कोई पाकिस्तानी नेशनल भागकर चला जाये कांग्रेस की जेल से, जेल ग्रोथॉरिटीज की कनाइवन्स से और उसका यहां पर मजाक उड़ाया जाये......

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जेल से माननीय सदस्य का क्या मतलब है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसलिये माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जांच रिपोर्ट को आये इतना समय हो गया, और

(श्री गुमानमल लोढा)

आप कहते हैं कि जांच चल रही है। जेल ओथॉरिटीज के खिलाफ अबेटमेंट का मुकदमा क्यों नहीं चला रहे ?

ऐडीशनल कलेक्टर की रिपोर्ट से प्राइमाफेसी केस जेल ओथॉरिटीज के खिलाफ साबित होता है कि उनकी कनाइवन्स थी, उसके बाद जेल ओथॉरिटीज को सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? रिपोर्ट के आने के बाद में आज सन् 1970 से 1975 हो गया, आज तक जेल ओथॉरिटीज को अबेटमेंट के आफेन्स के लिये क्यों नहीं प्रोसीक्युट किया गया? इसमें क्या कोई बहुत बड़ा राज है ? कोई बड़े बड़े व्यक्ति इसमें शामिल हैं क्या जिन्होंने पाक नेशनल को भागने में सहायता की और इसलिये उन्हें बचाया जा रहा है ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : मैं एक बात कहना चाहती हूं। जेल ओथॉरिटिज की नेग्लीजैंन्स हो सकती है लेकिन यहां जो कनाइवन्स की बात कही जा रही है वह गलत चीज है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो रिपोर्ट में है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : This is in the report, यह आरोप नहीं है। यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में है।

श्री शंकरसिंह रावत : मेरे ख्याल से आपको जो रिपोर्ट मिली है वह गलत है। इसमें दो वार्डन्स को सस्पेन्ड किया गया था, और इन दो कैदियों में से एक कैदी पकड़ा भी गया था। इसलिये जो रिपोर्ट आपको दी गई है, वह गलत है।

श्री बनवारीलाल : रिपोर्ट कोई भी गलत नहीं दी गई है, रिपोर्ट सही दी गई है। एक पाक नेशनल, जिसको सजा हुई, वह जेल में था, लेकिन जिस तरीके से वह वहां से निकल कर भाग गया यह सब के लिये चिन्ताजनक बात है। इसलिये इस मामले को सी. आइ. डी. को दिया गया ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : कब ?

श्री बनवारीलाल : उसके तुरन्त बाद।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तारीख क्या है ?

श्री बनवारी लाल : मैं बता दूंगा। जहां तक इससे सम्बन्धित अधिकारियों का प्रश्न है, उनको 1-11-70 को सस्पेन्ड किया गया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : किस किस को सस्पेंड किया वह बता दें।

श्री बनवारी लाल : श्री जगदीश भार्गव, असिस्टेन्ट जेलर, श्री सच्चा सिंह, श्री चन्द्र सिंह, श्री रामचन्द्र, श्री भूरा, श्री गुमान सिंह (सब वार्डन्स)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री जयकिशन लाल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें जिन्होंने अबेटमेंट किया है उनको प्रोसीक्युट क्यों नहीं किया जा रहा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : इसकी जांच हो रही है सी. आइ. डी. में।

(शोरगुल, : अश्रव्य)

Page No 14

१४

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह सारा जब रिपोर्ट में है.......

प्रश्न संख्या 158

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीमल ।

ब्यावर में सीमेंट की फैक्ट्री

159. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ब्यावर के आसपास चूने का पत्थर बढ़िया किस्म का सीमेंट बनाने के लिये भारी तादाद में उपलब्ध है ?

2. क्या यह सही है कि ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री बनाने की योजना राज्य सरकार के समक्ष एक लम्बे समय से विचाराधीन भी चल रही है ? यदि हां, तो फैक्ट्री का निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

3. क्या यह सही है कि 10 वर्ष से विचाराधीन स्थान पर फैक्ट्री नहीं लगी है और अन्य जगह इसके बाद में निर्णय लेने के बावजूद भी फैक्ट्रियां लगवाई ?

4. क्या राज्य सरकार शीघ्र ही ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री का कार्य शुरू करा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) :

(1) जी हां।

(2) यह इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(4) निजी क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है। फैक्ट्री की स्थापना में कितना समय लगेगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भारत सरकार के विचाराधीन क्यों है ? आपकी मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन को जो सीमेंट फैक्ट्री का लाइसेन्स मिला था वह ब्यावर के लिये था ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ब्यावर का लाइसेन्स पहले सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये जयपुर उद्योग को दिया गया था। क्योंकि उस अवधि में जयपुर उद्योग ने सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगाई, इसलिये उसका लाइसेन्स केन्सिल करने का राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया और उसकी जगह मैसोर सीमेंट वर्क्स को नया लाइसेन्स देने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की। यह मामला भारत सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह लाइसेन्स कौनसी तारीख को दिया गया और नया रिकमेंडेशन कब किया गया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गत वर्ष ही केन्सिल किया गया है और उसी दरमियान में मैसोर सीमेंट वर्क्स को लाइसेन्स देने के लिये भारत सरकार को सिफारिश कर दी गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैसोर सीमेंट वर्क्स भी कहीं साहू जैन कन्सर्न तो नहीं है? कहीं वह भी आगे जाकर कैन्सिल न करना पड़े। यह राजस्थान के मिनरल्स का सवाल है। इसको जिस प्रकार सरकार लाइटली ले रही है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कन्सर्न किसका है ?

श्री केशरीमल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साहू जैन को इतने सालों तक लाइसेन्स दिया हुआ रखा और उसके बाद कैसे समाप्त हो गया ? फिर दूसरा मैसोर सीमेंट वर्क्स आ गया। आपकी मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन को जब लाइसेन्स मिल गया तो उनकी ही फैक्ट्री लगाना जायज होगा। ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री के लिये प्राइवेट पार्टी की क्यों सिफारिश की जा रही है ? वह पैसे खाते हैं, चोरियां करवाते हैं, ब्यावर में दस साल आफिस रखा और वहां पर कई नंगे नाच नचाए। जब मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन को लाइसेन्स मिला हुआ है तो ब्यावर में उनकी ही फैक्ट्री लगनी चाहिये, इसकी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की भू-सम्पदा का प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने इतनी सीमेंट फैक्ट्रीज का लाइसेन्स दिया और बून्दी में भी एक सीमेंट फैक्ट्री लगनी थी। वह कब कैन्सिल किया ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सीमेंट भू-सम्पदा कैसे हो गई ? यह तो बताएं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : लाइमस्टोन से ही तो निकलती है।

श्री केदारनाथ : अभी यह बच्चा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जयपुर उद्योग का लाइसेन्स 28-1-74 को कैन्सिल कर दिया गया और उसके बाद मैसोर सीमेंट वर्क्स के प्रार्थना-पत्र को राज्य सरकार ने 25-6-74 को भारत सरकार के पास लाइसेन्स देने के लिये सिफारिश करके भेज दिया। मैसोर सीमेंट वर्क्स का प्रोप्राइटर कौन है, उसकी मुझे नालेज इस वक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट, श्री मूलचन्द सामरिया।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस काम को गवर्नमेंट क्यों नहीं अन्डरटेक करती ? ब्यावर पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां मैटीरियल मौजूद है, तो सरकार को खुद अन्डरटेक करना चाहिए।

श्री केशरीमल : दस साल से मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन को लाइसेन्स है, तो क्यों नहीं चलाते ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मिनरल डवलपमेंट का नाम बदनाम हो रहा है। इसलिये मंत्री महोदय को क्लीअर आश्वासन देना चाहिये कि धरती की जो सम्पदा है उसको एक्सप्लाइट करने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : और सप्लीमेन्टरी पूछ लीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मिनरल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन का बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसकी आर्थिक स्थिति आज के दिन अच्छी नहीं है, कारखाना लगाने की स्थिति में नहीं हैं। हम राजस्थान में निजी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ज्वाइन्ट क्षेत्र में कारखाना लगाने की बात सोच रहे हैं ताकि दोनों मिल कर कारखाना स्थापित करें। राजस्थान में जो मिनरल्स हैं उनको एक्स्प्लोर करके निजी क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर जल्दी कारखाने लगाये जा सकें उस पर निगम विचार कर रहा है।

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष..... ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री केशरीमल : उत्तर दिया नहीं है अभी पूरा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कुछ तो आगे बढ़ने दीजिये। मैं रियायत देता हूं तो आप कहते हैं कि सवाल हमारे पूरे नहीं होते। नहीं लेता हूं तो कहते हैं कि वक्त नहीं देते।

दौसा में न्यायालय भवन का कार्य

160. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. दौसा में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुन्सिफ एवं न्यायिक-दण्डनायक की अदालतों के लिये जो भवन बनवाये जा रहे हैं उनमें से एक न्यायालय के अपूर्ण भवन को कब तक पूरा करवा दिया जाएगा ?

2. उक्त भवन की कुल लागत कितनी है व इसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और अब कितनी राशि की आवश्यकता है ?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) दौसा में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों के लिये जो भवन बनाये जा रहे हैं, उनमें एक न्यायालय भवन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है व अदालत भी आरम्भ हो गई है।

(2) उक्त भवनों के लिये अब तक 1 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसके तहत जनवरी, 1975 तक 1,04,196.00 रुपये खर्च किये जा चुके हैं और अब बाकी बचे काम को पूर्ण करने के लिये 45000.00 रुपये की और आवश्यकता है। यह धनराशि स्वीकृत होने पर शेष काम को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : पट्टियां डालनी बाकी हैं वहां पर मंत्री महोदय, 50 परसेन्ट खर्चा और आवश्यक है। याद

Page No 17

(17)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

यह जल्दी ही स्वीकृत हो जाय तो दूसरा भवन भी इस हालत में चल सकता है ।

श्री खेतसिंह : विश्वास रखिये, विपक्ष के माननीय सदस्य को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्ष में यह धनराशि मंजूर कर दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

जयपुर के लिये विकास अधिकरण

161. श्री जनार्दसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

1. जयपुर के लिये विकास अधिकरण की स्थापना कब तक कर दी जावेगी ? इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य निहित है ?

2, क्या राज्य सरकार यह मानती है कि जयपुर नगर का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है ?

नगर आयोजन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी):(1) जयपुर शहर के विकास के लिये विकास अधिकरण की स्थापना का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है । प्रभावशाली ढंग से जयपुर का सुनियोजित विकास हो यही इसका उद्देश्य है ।

(2) जी नहीं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह विकास पूरा हो गया है क्या ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि जयपुर में विकास अधिकरण बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । राजस्थान पत्रिका में यह प्रकाशन हुआ है कि विकास अधिकरण बनाने का फैसला कर लिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसको कब तक बना देंगे ? क्या वे यह महसूस करते हैं कि जयपुर के अन्दर दोहरी व्यवस्था है । नगरपालिका, नगर विकास न्यास और पुनर्वास विभाग । ये क्या कर रही हैं ? ये जयपुर में विकास के लिये आवश्यक नहीं है ?

श्री पी. के. चौधरी : माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग 2 में माननीय मंत्रीजी ने 'जी नहीं' कहा है । तो क्या जयपुर का डेवलपमेंट कम्प्लीट हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अधिकरण बनाने जा रहे हैं । इसमें माननीय सदस्य ने पत्रिका का हवाला दिया । यू. आइ. टी. के फन्कशन्स बन्द हो जावेंगे, नगर परिषद् के क्षेत्रों पर कब्जा होगा और हाउसिंग बोर्ड काम कर रहा है उस पर भी इस का प्रभाव होगा । क्या आगे आने वाले सत्र में विधेयक प्रस्तुत कर दिया जावेगा, वह आवेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : एनी अदर सप्लीमेंटरी?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या सरकार यह मानती है कि जयपुर नगर का जितना विकास होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है, यह प्रश्न है मेरा जो बिलकुल साफ है । सरकार ने जी नहीं कहा है तो क्या सरकार की निगाह में जयपुर का विकास हो चुका पूरा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

Page No 18

(18)

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर विकास अधिकरण बनाने से जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल के काम पर, उसकी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकरण की स्थापना होने से यू.आइ.टी. पर उसका असर पड़ेगा, उसका स्थान अधिकरण लेगा।

पिछले वर्ष से राज्य सरकार जयपुर विकास अधिकरण की स्थापना करने का विचार कर रही है। अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकार ने इस पर विचार किया है और एक बिल बना कर 27-12-74 को विधि विभाग को भेज दिया है। वहां से आने के बाद मंत्रिमंडल के सामने विचारार्थ जावेगा और फिर आगे कार्यवाही हो सकेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जयपुर का विकास होना चाहिये, तो क्या जयपुर का विकास पूरा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : That is a general question.

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के विकास अधिकरण अन्य नगरों, जैसे जोधपुर नगर के लिये भी बनाये जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इतना सा आश्वासन दे दीजिये क्या इसी सत्र में प्रयास करेंगे जयपुर के विकास के लिये कि वह बिल इस सत्र में ही आ जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर विकास अधिकरण के बारे में चालू सत्र में ही कोई बिल नहीं आ सकेगा। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पूछा है कि जयपुर के अलावा किन किन सिटीज में विकास अधिकरण का सोचा जा रहा है तो, मैं निवेदन करूंगा कि अभी फिलहाल जयपुर में ही विकास अधिकरण स्थापित करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : निरंजननाथ आचार्य।

श्रम आयुक्त द्वारा मजदूर संघों के हिसाब की जांच

162. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उदयपुर की जावर माइन्स मजदूर संघ, जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ एवं सीमेंट माइन्स मजदूर संघ के सन् 1969 और सन् 1970 की आमद और खर्च के हिसाबात में व्याप्त अनियमितताओं की जांच श्रम आयुक्त द्वारा की गई है ? यदि हां, तो ऐसे घोटालों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? कृपया उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्रीमती कमला बेनीवाल) : श्रम आयुक्त ने माइन्स मजदूर संघ, जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ तथा सीमेंट माइन्स मजदूर संघ के सन् 1969 और 1970 के आमद खर्च के हिसाबात के जो रिटर्न्स पेश किये गये थे उनकी जांच कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत "जनरल फण्ड" एवं वर्कमैन इन जनरल शब्दों को परिभाषित नहीं किया

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

गया है। अतः जनरल फण्ड के तहत किस प्रकार के चन्दे एकत्रित किये जा सकते हैं व अन्य यूनियनों के श्रमिक सदस्यों के हितार्थ कन्ट्रीब्युशन दिए जा सकते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स संबंधित यूनियनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं अतः उत्तर प्राप्त होने के पश्चात ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस पर दूसरे माननीय सदस्यों को समय मिले इसलिये कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अभी मेरे आंख नहीं होती, कान नहीं होते।

श्री केशरीमल : क्या श्रम आयुक्त को यह अधिकार है कि किसी यूनियन के हिसाब की वह जांच कर सके ? ऐसा अधिकार है तो किस कानून के अन्तर्गत ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं मंत्री महोदय कि क्या यह गलत परम्परा नहीं पड़ने जा रही है कि कानून के तहत श्रम आयुक्त को इस प्रकार किसी यूनियन के अकाउन्ट्स को चैक करने का अधिकार नहीं है। क्या इन्हीं यूनियन की जांच की है या अन्य की भी ? माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि जिस प्रकार से किसी पोलिटिकल ओर्गेनाइजेशन के अकाउन्ट्स की किसी सरकार के अधिकारी के द्वारा जांच नहीं की जाती है उसी प्रकार ट्रेड यूनियन के हिसाब को भी जांच नहीं की जा सकती और जांच की जायगी तो क्या यह गलत परम्परा नहीं पड़ेगी ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 750 सदस्यों की सदस्यता की संख्या होती है जिस यूनियन की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार का प्रश्न प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है 750 के नीचे संख्या होते हुए भी स्टेटमेंट सरकार को भेज दिया है उसके बाद जांच का प्रश्न कहां रह जाता है। दूसरा यह है कि इस यूनियन को शो-कॉज नोटिस नहीं दिया गया, मंत्री महोदय ने कहा कि शो-कॉज नोटिस दिया जा रहा है, कितनी यूनियनों को नोटिस दिया जाता रहा है ? सदन को जानकारी होनी चाहिए ताकि सदन की परम्परा का निर्वाह हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया शो-कॉज नोटिस जारी किये जा रहे हैं। आज जो प्रचलित लेबर लॉज हैं किस कानून के अन्तर्गत शो-कॉज नोटिस जारी किये गये हैं? क्या राज्य सरकार को अधिकार है ? क्या इस प्रकार से अकाउन्ट्स को देख सकती है? चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या अकाउन्ट्स आफिसर से अकाउन्ट जांच करने के बाद ही तो जाते हैं। सरकार को गोलमाल नहीं करना चाहिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): 1969-70 में सीमेन्ट माइन्स मजदूर संघ के आमद खर्च के हिसाबात की जांच की तो मैं पूछना चाहूंगी जब 1969-70 में सीमेंट माइन्स मजदूर संघ नाम की कोई यूनियन नहीं थी तो घोटाले का प्रश्न ही है। यूनियन ही नहीं है तो ऑडिट का प्रश्न ही नहीं उठता। ऑडिट किया है तो शो-कॉज नोटिस नहीं दिया तो कैसे कहते हैं ?

Page No 20

(20)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या श्रम आयुक्त द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की जांच की गई है ? क्या केवल इसी संगठन के हिसाब की जांच की गयी है ? क्या इस संगठन पर ही विशेष कृपा है ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगानी) : कोई प्रश्न तो उठना नहीं चाहिये क्योंकि इन्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अन्तर्गत कार्यवाही जो भी करते हैं वह की जाती हैं। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं पढ़ देता हूं।

"There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st of March next preceding such date and all the assets and liabilities of the trade union existing on such 31st day of March.

The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed".

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर दिया कहां है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर दिया कहां है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अब क्वश्चन उठता है इस यूनियन का या किसी ट्रेड यूनियन का। वे क्वश्चन सेक्शन 16 के आधार पर हैं। आया जो ट्रेड यूनियन कलेक्ट करती है उस फण्ड को किस तरह से डिस्बर्स किया जाय। मेन क्वश्चन है जनरल फन्ड। उसकी सारी की सारी पद्धति रेगुलेट होती है उस ढंग से रेगुलेट नहीं होती हैं जिस ढंग से होनी चाहिये और उसकी शिकायत मिलती हैं तो लेबर डिपार्टमेंट को पूरे के पूरे अधिकार हैं, उनके खिलाफ जांच हो सकती है। जांच की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 15 है :

"Objects on which general fund may spent" This is very clear.

अध्यक्ष महोदय, इसके आधार पर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जिसको हर सालाना अकाउन्ट देने पड़ते हैं प्रेस्क्राइब मैनर में अगर उनके हिसाब इस तरह के नहीं हैं तो लेबर डिपार्टमेंट को पूरे अधिकार है, जांच की जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह कहां है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : शान्ति रखिये।

"The general funds of a registered trade union shall

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

not be spent on any other objects than the following, namely :—

(a) on payment of salaries and allowances and expenses on officers of the trade union,

(b) on payment of expenses for the administration of the trade union, including audit of accounts of the general fund of the trade union,"

"(c) the prosecution or defence of any legal proceedings to which a trade union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the trade union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs...."

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप यह तो बता दीजिये कि किस सेक्शन के अन्तर्गत आप जांच करने के अधिकारी हैं।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री पी. के. चौधरी : इस सेक्शन में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आप जांच करेंगे। आपकी जांच करने की कोई परमिशन नहीं है, क्या ऑथोरिटी है आपको ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो रजिस्ट्रार करेंगे।

श्री केशरीमल: (श्री छंगाणी के बोलने पर) आप यह क्या कह रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी, यह गलत है सर्टिफिकेट आप रजिस्ट्रेशन ......

श्री मोहनलाल छंगाणी : 28 (4):-- "For the purposes of examining the documents referred to in sub-sections (1), (2) and (3), the Registrar, or any officer authorised by him, by general or special order, may at all reasonable times inspect the certificate of registration, account books, registers and other documents relating to a trade union ... "

मेरा कहना यह है, अध्यक्ष महोदय कि इस सम्बन्ध में एक दिन यह साफ हो जायगा कि........

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : यह बताइये कि आप कर क्या सकते हैं ?

श्री केशरीमल : हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके बैठिये। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि यदि आप किसी प्रश्न के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हैं तो ऐसे कई तरीके हैं संसदीय प्रणाली में जिनके द्वारा आप स्पष्टीकरण चाह सकते हैं।

(22)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दें, यह जरूरी इसलिए है कि.... ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर।

बामनवास पट्टी खुर्द के मतदाता

154. श्री भरतलाल (शाहपुरा): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि अभी अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बामनवास पट्टी खुर्द के 64 मतदाताओं को जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, हटाकर बामनवास कलां में जोड़ने के आदेश एस. डी. ओ. गंगापुर सिटी को दिये हैं ? यदि हां, तो इन्हें किस कारण से बामनवास खुर्द से हटाकर बामनवास कलां में जोड़ा जा रहा है ?

2. क्या यह सही हैं कि वे मतदाता प्रारम्भ से ही खुर्द के रहने वाले हैं व जनगणना 71 में वे मतदाता सूची 71 में भी वे बामनवास खुर्द में ही रहने वाले बताये हैं ? यदि ये मतदाता बामनवास खुर्द में ही बहुत बड़े अर्से से चलें आ रहे हैं तो क्या मंत्री महोदय इन्हें पुनः बामनवास खुर्द में ही रखने के आदेश प्रसारित करेंगे ?

उत्तर

(1) बामनवास पट्टी खुर्द गांव की निर्वाचन सूची 1971 (भाग संख्या 79) में क्रम संख्या 75 से 114 पर पंजीकृत सभी मतदाताओं को बामनवास पट्टी खुर्द से हटाकर बामनवास पट्टी कलां में जोड़ने के आदेश इसलिए दिये गये क्योंकि उक्त व्यक्ति बामन पट्टीकलां गांव के साधारण रहवासी पाये गये।

(2) अब तक भ्रमवश उपरोक्त मतदाताओं को बामनवास पट्टी खुर्द गांव का साधारण निवासी समझा जाकर उनके नाम इसी गांव यानि खुर्द की निर्वाचन सूची में लिखे जा रहे थे। अब यह गलती ठीक कर दी गई है।

ग्राम पंचायत बगरू कलां के निलम्बित सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

158. श्री जय किशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. ग्राम पंचायत बगरू कलां पंचायत समिति सांगानेर के द्वारा जिलाधीश जयपुर (पंचायत) व उप-जिलाधीश, जयपुर के पास निलम्बित सरपंच श्री जगदीशप्रसाद नन्दवाना के विरुद्ध सन् 1960 से 1974 तक कितनी शिकायतें की गईं व कितनी सही पाई गई ?

2. इनमें से कितनी शिकायतें पेण्डिग हैं तथा कितने मसलों पर जांच चल रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बगरू कलां, पंचायत समिति के द्वारा सांगानेर जिलाधीश जयपुर (पं०) व उप-जिलाधीश, जयपुर के पास निलम्बित सरपंच श्री जगदीश प्रसाद नन्दवाना के विरुद्ध सन्, 1960 से 1974 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) कोई प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर नगर में राजकीय बंगला सी–23 का बेचान

71. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने जोधपुर नगर में स्थित राजकीय बंगला सी-23 जिसमें जस्टिस गट्टानी रहते थे, कृषि उपज मंडी समिति जोधपुर को आधुनिक फल एवं सब्जी के मार्केट के निर्माण के लिये लगभग रु. 6,15,000 में माह जून, 1974 में बेचा ?

2 क्या यह सत्य है कि कैबिनेट सेक्रेटेरियेट डिपार्टमेंट के पत्र संख्या एफ. 30 (52) के ब,/73 दिनांक 5-2-74 के अनुसार उपरोक्त विक्रय राशि राजकीय कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिये व्यय की जायेगी ?

3. यदि हां, तो अब तक उपरोक्त पत्रानुसार यह राशि क्यों नहीं व्यय की गई और कब तक व्यय कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उपरोक्त राशि को व्यय करने हेतु विभागीय कार्यवाहियां पूरी करनी आवश्यक थीं, जो अब पूरी करली गई हैं और उक्त राशि को राजकीय कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिये निम्न प्रकार से व्यय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है :—

प्रस्तावित व्यय की राशि

वर्ष	
1974-75	रु. 1,00,000/-
1975-76	रु. 5,14,831/-
योग—	रु. 6,14,831/-

राज्य में प्रदर्शन एवं उन पर पुलिस का बल प्रयोग

72. श्री मूलचन्द डामरिया (दौसा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. सन् 1973 व 1974 में राज्य में कितने प्रदर्शन आयोजित हुए ? मय स्थान व तारीखों के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. उक्त प्रदर्शनी में से कितनों में पुलिस को बल-प्रयोग करना पड़ा ? इसका क्या स्वरूप था ?

3. उक्त बल-प्रयोग से कितने लोग मरे अथवा हताहत हुए ?

Page No 24

(२५)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

4. सन् 1973 व सन् 1974 में से किस वर्ष अधिक प्रदर्शन व बल-प्रयोग किया गया तथा दोनों वर्षों में से किस वर्ष अधिक व्यक्ति घायल व हताहत हुए ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले के लघु उद्योग

73. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. बीकानेर जिले में किस-किस नामों से कौन-कौन से लघु उद्योग विभाग के रिकार्ड में दर्ज है उनमें से कितने तथा किस-किस के लघु उद्योग चालू हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

2. बीकानेर जिले में उद्योगों हेतु किस-किस को कौन-कौन से उद्योग के लिए क्या क्या और कितनी-कितनी सामग्री कब-कब राज्य के कोटे से दी गई ? गत 5 वर्षों की सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

3. क्या यह सही है कि कोटे में दी गयी समस्त सामग्री का उपयोग सभी मालिकों ने उद्योगों में किया है ? यदि नहीं तो जो फर्म डिफाल्टर है उनके नाम प्रोप्राइटर के पूरे पते, कोटे की सामग्री आदि की सूची सदन की मेज पर रखी जाये ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति कोलायत क्षेत्र में कुण्डों एवं बावड़ियों का निर्माण

74. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि कोलायत पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु पीने के पानी के कई कुण्डों एवं बावड़ियों का गत दस वर्षों के अर्से में निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कब-कब किस-किस के द्वारा और प्रत्येक पर कुल कितनी लागत आई ? समस्त विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

2. क्या यह सही है कि ऐसे काफी कुण्ड जो रेकार्ड में बनाये हुए दर्ज हैं, वास्तव में अब तक बनाये भी नहीं गये हैं ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? समस्त विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

3. क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए निर्मित इन कुण्डों पर सवर्ण लोग आज भी छुआछूत के आधार पर इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो समस्त कुण्डों पर वर्तमान में काबिज लोगों संस्थाओं या हरिजन कमेटियों के नाम तथा प्रत्येक कुण्ड से पानी वितरण प्रणाली का विवरण देते हुए अलग अलग कुण्ड वाइज सूची प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

4. क्या यह भी सही है कि कोलायत तहसील क्षेत्र के सार्वजनिक कुओं, कुण्डों एवं प्राथमिक पाठशालाओं में भी,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

छुआछूत का बोलबाला है ? यदि नहीं, तो समस्त ग्रामों के कुओं, कुण्डों एवं पाठशालाओं की व्यवस्था का स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। रिकार्ड में वेही निर्माण कार्य (कुण्ड) पूर्ण माना जाता है जिसका कि अधिदर्शक द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र दे दिया जाना है। जो कार्य पूर्ण नहीं करते हैं उनकी वस्तुस्थिति इस कार्यालय को अवगत कराने के लिये नोटिस दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। सूची में यह भी दर्शाया गया है।

(4) जी नहीं। सब विद्यार्थी एक साथ पठन करते हैं। कुओं व कुण्डों पर कोई छुआछूत व भेदभाव नहीं है। पंचायत समिति में ऐसी कोई छुआछूत की शिकायत नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर का राज्य भूमि विकास बैंक में प्रतिनिधित्व

75. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे,

1. क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष कैप्टिन जयसिंह केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर का प्रतिनिधित्व राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक में कर रहे हैं जब कि उनकी सदस्यता दिनांक 25-8-74 को नए संचालक मण्डल के चुनाव होने के पश्चात समाप्त हो चुकी है ?

2. क्या यह भी सही है कि अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मण्डल ने दिनांक 10-9-74 की बैठक में श्री रमजान खां संचालक को राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक में प्रतिनिधित्व हेतु प्रस्ताव पारित किया है ?

3. क्या यह भी सही है कि श्री जय सिंह अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधि नहीं होने के उपरान्त भी राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्हे हटाने की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। कैप्टिन जयसिंह, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, अजमेर बैंक के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, के संचालक मण्डल में न चुने जाने के कारण राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, में कर रहे प्रतिनिधित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है।

(2) दिनांक 10-9-74 की तथाकथित बैठक अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के उपनियमों के अनुसार नहीं बुलाई जाने के कारण नियमित नहीं थी। अतः उसकी कार्यवाही को मान्यता नहीं दी गई।

उत्तर

(3) श्री कैप्टिन जयसिंह अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, के अभी भी प्रतिनिधि हैं इसलिये उनको हटाने की कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ।

राज्य की पंचायत समितियों एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं में बकाया राशि

76. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य की कुल पंचायत समितियां एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं में 31 दिसम्बर, 1974 तक कितनी राशि बकाया थी प्रत्येक के अलग से विभिन्न जिलों के आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

पंचायत समितियों में दिनांक 31-3-74 तक 2354-27 लाख रुपये तथा स्वायत्त शासन संस्थाओं में 31-12-74 तक 97-12 लाख रुपये की राशि बकाया थी। पंचायत समितियों में बकाया की सूचना केवल 31-3-74 तक की तैयार है।

पंचायत समितियों की जिलेवार बकाया सूची परिशिष्ट 'क' पर तथा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सरपंच ग्राम पंचायत गोहाना (अजमेर) के विरुद्ध की गई जांच

77. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

1. श्री विजयसिंह सरपंच ग्राम पंचायत गोहाना, पंचायत समिति अबाजा, जिला अजमेर के विरुद्ध जो जांच चल रही थी उसमें श्री विजयसिंह के विरुद्ध क्या 2 आरोप सिद्ध हुए ?

2. क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच सम्पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध जो आरोप सिद्ध हुए हैं, के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह जांच कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) श्री विजयसिंह सरपंच पंचायत गोहाना के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से जांच अधिकारी द्वारा आरोप नं० 3,4,6 व 7 सिद्ध पाये गये हैं।

(आरोप-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है)

(2) जी हां, जांच से सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने से राज्य सरकार द्वारा उनको नियमानुसार अन्तिम सुनवाई का अवसर दिनांक 27-2-75 दिया गया है। यह जांच 19-9-73 को शुरू की गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 26-10-74 को प्राप्त हुई है। सरपंच द्वारा जांच से सम्बन्धित रेकार्ड पेश न करना एवं जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित न होने से जांच में विलम्ब हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

Page No 27

(27)

प्रिन्सिपल के विरुद्ध शिकायतें

78. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि डीडवाना व बाड़मेर में जब श्री गोपीकृष्ण व्यास, प्रिंसिपल थे तब उनके विरुद्ध स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मन्त्री ने आरोप पत्र सचिव, शिक्षा विभाग को भेजा था तथा साथ हीं स्थानीय लोगों ने भी शिक्षा बिभाग को भ्रष्टाचार के आरोप-पत्र भेजे थे ?

2. क्या यह सही है कि तात्कालिक शिक्षा सचिव ने श्री व्यास को कम्पलसरी रिटायरमेंट देने का नोट बनाया था ? यदि हां, तो उनसे पुनः क्यों सेवायें ली जा रही हैं।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री व्यास के सम्बन्ध में कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का नोट कोई तैयार किया गया हो ऐसी कोई सूचना नहीं है। वैसे भी सचिव द्वारा ऐसे नोट की आवश्यकता नहीं थी चूंकि कम्पलसरी रिटायरमेण्ट की कार्यवाही तो सेवा नियम के नियम 244 (2) के अन्तर्गत की जाती है। जिसके लिये नियमों के अन्तर्गत, कमेटी बैठती है और उसका चेयरमैन लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है और उनकी सिफारिश पर, किसी भी व्यक्ति को जो 25 साल पूरे कर चुका हो कम्पलसरी रिटायरमेन्ट देने हेतु राज्य सरकार निर्णय लेती है। ऐसी कोई सिफारिश निर्णय श्री व्यास के बारे में नहीं की गयी प्रतीत होती है। श्री व्यास को, अधिवार्षिक प्राप्त होने पर 30-11-74 से राज्य सेवा निवृत्त किया जा चुका है। इनका विशद् अनुभव और विशेष योग्यता को ध्यान में रखते हुए इन्हें पुनर्नियुक्ति दी गयी है।

राज्य में सेकेण्डरी व हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या

79. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

1. राज्य में सेकेण्डरी व हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या कितनी कितनी है ?

2. क्या राज्य सरकार इस वर्ष सेकेण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में 827 सेकेण्डरी व 446 हायर सेकेन्डरी स्कूलें हैं।

(2) जी नहीं। अभी निर्णय नहीं लिया है।

विद्यालय वरिष्ठ उप निरीक्षक ब्यावर द्वारा किये गये स्थानान्तरण

श्री चिमनसिंह भाटी (भीम): क्या शिक्षामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि विद्यालय वरिष्ठ उप निरीक्षक ब्यावर जिला अजमेर द्वारा निम्न स्थानांतरण दो वर्ष की अवधि से पूर्व एक ही सत्र में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना ही कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री चिमनसिंह भाटी)

1. लज्जाकुमारी कौशिक, नरसिंहपुरा से चम्पानगर।

2. शैला भटनागर, पुरानी मेवाड़ी गेट से अशोक नगर

3. श्री मोतीसिंह, उ. प्रा. वि. नून्द्री मेहन्दीतान से मिल क्षेत्र।

4. श्री गोपालकृष्ण मंगल, उ.प्रा. वि. खोडमाल से चम्पानगर।

5. श्री रामपालसिंह, नरसिंहपुरा से नून्द्री मेहन्दीतान।

6. श्री धोकलसिंह उ. प्रा. वि. कोटडा से 10 दिन में वापस ब्यावर।

7. श्री आनन्द प्रकाश इनाणी, उ. प्रा. वि. गोहाना से कुमारानन्द पार्क ब्यावर।

8. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा सिंहावल-भिनाय से मेवाडीगेट ब्यावर।

9. श्री देवीसिंह किराप, मसूदा से उ. प्रा. वि. देलवाड़ा

2. क्या यह सही है कि (1) श्री विजयपाल पाण्डे (2) ओमेन्द्रगुप्ता (3) श्री लक्ष्मीनारायण आर्य, इन तीनों अध्यापकों की नियुक्ति क्रमशः(1) रंगमहल ब्यावर (2) बालाजी की खिड़की ब्यावर (3) खोमपुरा (मसूदा) दिखाई गई है। जबकि ये तीनों अध्यापक विद्यालय वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री लालचन्द डोसी के कार्यालय में काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

3. क्या यह सही है कि श्रीलालचन्द डोसी वरिष्ठ उप निरीक्षक विद्यालय, ब्यावर ही के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध स्थानीय अखबार 'सिंधी टक्कर' व अन्य अखबारों में भ्रष्टआचरण व भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं यदि हां तो शिकायतों के बावजूद इनका ब्यावर से स्थानान्तर न किये जाने का क्या कारण है ?

4. श्री लालचन्द डोसी वरिष्ठ उप-निरीक्षक विद्यालय ब्यावर के पद पर कब से नियुक्त है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण किये गये। स्थानीय परिवर्तनों में राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वरिष्ठ उप-निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

(2) जी हां। दो अध्यापक श्री विजयपाल एवं श्री ओमेन्द्रकुमार गुप्ता विद्यालय समय के पूर्व व पश्चात कार्यालय के कार्य में सहयोग देते हैं। कार्यालयों में कार्याधिकता होने तथा लिपिकवर्ग के अभाव में कार्य समय पर निपटाने हेतु इस प्रकार का सहयोग आवश्यक हो जाता है।

(3) जी हां। श्री डोसी के विरुद्ध आरोपों की जांच की जा रही है।

(4) दिनांक 5-12-1970 से।

विभिन्न श्रमिक संघों के वार्षिक सम्मेलनों पर हुए खर्च का ब्यौरा

81. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 29

(29)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दिसम्बर, 66 से दिसम्बर, 74 को समाप्त होने वाले वर्षों की अवधि में निम्नलिखित प्रत्येक श्रमिक संघ के वार्षिक सम्मेलन पर उक्त संघों द्वारा प्रस्तुत किये गये आमद खर्च के हिसाब में कितना खर्चा दिखाया गया है:—

1. जावर माइन्स, मजदूर संघ, उदयपुर

2. जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर

3. उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ, उदयपुर

4. सीमेंट माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर

5. पेस्टीसाइड्स मजदूर संघ, उदयपुर

6. सीमेंट फैक्टरी मजदूर संघ, उदयपुर

7. मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा।

कृपया प्रत्येक श्रमिक संघ के खर्च की विगत एवं उसके सपोर्टिंग वाउचर्स सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूचना यूनियनवार जिन वर्षों की उपलब्ध है, संलग्न की जा रही है। सपोर्टिंग वाउचर्स रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को नहीं भेजे जाते।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राष्ट्रीयकृत मार्ग

82. श्री जनार्दनसिंह (गांधीनगर, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य में सम्पूर्ण यातायात का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

2. राज्य में अभी तक राष्ट्रीयकृत कितने मार्ग हैं तथा यह राज्य के सम्पूर्ण मार्गों का कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निर्धारित है।

(2) राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अभी तक राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत लगभग 26 प्रतिशत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वर्कमैन कम्पेनसेशन कमिश्नर की अदालतों में विचाराधीन केसेज

83. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान में वर्कमैन कम्पेनसेशन कमिश्नर की कितनी अदालतें हैं जिनमें कामगारों के कम्पेनसेशन के मामले सुने जाते हैं तथा इनमें से किस-किस अदालत में कितने कितने केस कब-कब से विचाराधीन हैं ?

Page No 30

(30)

2. उन सभी अदालतों में वर्कमैन कम्पेनसेशन के कितने ऐसे केस हैं जिनके फैसले हो चुके हैं किन्तु रिकवरी नहीं हो सकी ? इन केसों के फैसलों की तारीख क्या है और रिकवरी की कार्यवाही किस स्टेज पर कहां-कहां हो रही है ? पूर्ण विवरण सहित पत्रावली सदन के पटल पर रखावें ?

3. रिकवरी कराई जाकर भुगतान शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देरी के क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

भाखरा नहर क्षेत्र के डी. पी. एन. माइनर पर पानी की कमी

84. श्री गुरदयालसिंह संधु (श्री करणपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. भाखड़ा नहर क्षेत्र के डी.पी.एन. माइनर पर कुल कितने मोगे (आउटलेट्स) हैं ? पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक मोगा कितने-कितने दिन व माइनर कितने-कितने दिन और कब-कब चला ?

2. क्या यह सत्य है कि उपरोक्त माइनर पर हमेशा पानी की कमी रहती है और प्रत्येक फसल में (182 दिनों में) 30 दिन से अधिक समय के लिए नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ी हानि हो रही है और टेलों तक पानी बहुत कम पहुंच रहा है ?

3. इस कमी का क्या कारण है ? सरकार इस कमी को कब तक पूरा करेगी ?

उत्तर

(1) भाखरा नहर की डी. पी. एन. वितरिका में कुल 25 मोगे हैं जब 2 वितरिका में पानी चला है उसी अनुसार मोगों में भी पानी चलता रहा है। गत पांच वर्षों में पानी चलाने की तालिका संलग्न है।

(2) यह सत्य नहीं है कि नहर में सदैव ही पानी कम चला है। फसल में 182 दिनों में 47 से 108 दिन पानी नहर में चलता रहा है। जिसकी सूची संलग्न है। अन्येरियां व नहर में पानी की अधिक क्षति (Losses) तथा ऊपर से उतार चढाव (Fluctuation) आदि के कारण टेल में कुछ मात्रा में कमी रही है।

(3) भाखरा बांध से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रान्त को भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा उनके हिस्से के अनुसार पानी मिलता है बांध में पूरा पानी होने पर पूरा पानी मिलता है और पानी की कमी होने पर पानी कम मिलता है। उसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से चण्डीगढ़ में वाटर कन्ट्रोलर कार्यालय कायम किया हुआ है, जो पानी की कमी बेशी का ध्यान रखता है और पानी राजस्थान के हिस्से का पूरा पूरा दिलाने का प्रयत्न करता रहता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोलायत से नोखा सड़क का निर्माण कार्य

85. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

1. क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के अन्तर्गत श्री कोलायतजी से झज्झू, जैतलदेसर, मगरा, जांगलू, देसलसर, अमरसर तक सड़क बनाई जाने से दो तहसील हैडक्वार्टर्स का संबंध जुड़ जाता है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण रोड को कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

2. क्या यह भी सही है कि सरकार कोलायत से नोखा तक सड़क का इसी वर्ष अकाल सहायता व अन्य कार्य के लिए जिले हेतु आवंटित धनराशि को इस सड़क पर खर्च करके पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कोलायत से नोखा सड़क वाया झज्झू, जयसिहदेसर, मगरा, जांगलू, देसलसर भामटसर निर्माण से नोखा तथा कोलायत तहसील सड़क से जुड़ सकती है, किन्तु यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(2) कोलायत से नोखा सड़क का निर्माण कार्य सहायता विभाग द्वारा इस वर्ष स्वीकृत नहीं किया है तथा जिले में सहायता विभाग द्वारा अन्य कार्यों पर आवंटित धनराशि का उपयोग अन्यत्र सड़कों पर करने का अधिकार इस विभाग को नहीं है ।

कोटपूतली में विश्राम गृह का निर्माण

86. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कोटपूतली में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई विश्राम गृह नहीं है ?

2. क्या यह सही है कि जयपुर-देहली के मध्य में स्थित होने के कारण व कोटपूतली के महत्व को देखते हुए विश्राम गृह की काफी आवश्यकता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई विश्राम गृह नहीं है ।

(2) इस सड़क पर शाहपुरा-बहरोड़ व शाहजहांपुर पर विश्राम-गृह है । कोटपूतली में भी विश्राम-गृह होना चाहिये, किन्तु अर्थाभाव के कारण निकट भविष्य में इसका बनाना संभव नहीं है ।

गत अकाल वर्षों में बनाई गई सड़कों की मरम्मत

87. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सत्य है कि गत अकाल वर्षों में दांता से पांचला—दुआवा, गोलासण से सिलू (गुजरात सरहद तक) करडां से झाब, सिवडा से झाब व नरसाण्य से झाब सड़कों के कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में करवाए गए थे ? अगर हां, तो किन वर्षों में उक्त सड़कों पर कितनी रकम खर्च की गई थी ?

Page No 32

(32)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

2. क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़क कार्य अभी तक अपूर्ण है एवं ग्राम भाब की उक्त सड़कों द्वारा आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों के कार्य अपूर्ण कार्यों के रूप में प्राथमिकता के आधार पर इस अकाल वर्ष में दुबारा मंजूर कर पूर्ण करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

3. क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़कों के कार्यों के अलावा उक्त क्षेत्रों में कोई अन्य अकाल राहत कार्य सम्भव नहीं हैं ? अगर हां, तो उपरोक्त सड़क कार्य कब तक मंजूर कर कार्य शुरू करवाए जावेंगे ?

4. क्या यह भी सत्य है कि इस अकाल वर्ष में सरकार पिछले अकाल वर्ष की अपूर्ण सड़क आम्बली से जाखल-हरियाली चोहरा, चोहरा से बीजरोल व खारा से बीजरोल को मंजूर कर पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

5. क्या यह सत्य है कि सरकार पिछले अकाल वर्ष में बनी सड़क माकूपुरा पीरकीजाल नैनावा सड़क, चीतलवाना से होती गांव गरडाली से गोलासण की मरम्मत इस अकाल वर्ष में करवाना उचित समझेगी? अगर हां, तो मरम्मत में कितना कितना खर्चा लगेगा एवं मरम्मत कब तक करवादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, इन सड़कों के कार्य को पूर्व में उनके सामने अंकित वर्षों में अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया गया था।

	सड़क का नाम	खर्च की गई राशि	कार्य का वर्ष
1.	दांता से पांचला दुआवा	1,10,993.00	1969-70 1970-71 1971-72
2.	गालासण से सिलू सड़क	1,98,291.00	1972-73
3.	करड़ा से भाब	2,21,364.00	,,
4.	सिवाड़ा से भाब	57,561.00	,,
5.	जी/आर-नरसायण से भाब	22,509.00	,,

(2) जी हां, यह सभी सड़कें अकाल राहत कार्यों की समाप्ति पर बन्द कर दी गई थी या अपूर्ण है। यद्यपि इस वर्ष अकाल कार्यों के रूप में केवल चालू योजना कार्यों को ही

लिया जा रहा है। फिर भी इस वर्ष निम्न सड़क कार्यों को प्रारंभ करने का विचार है:—

1. काजवें जेतपुरा के पास
2. रानीपुरा मंडावर सड़क
3. जसवंतपुरा मलवाडा सड़क कार्य
4. कूडा से खुर्दा सड़क कार्य

निम्न सिंचाई कार्य भी प्रारंभ करने की योजना है:—

1. मुरथासिली तालाब
2. लाखा बास तालाब
3. रेसिंग ग्रॉफ बीठन बंध तालाब
4. रिदध्य तालाब

(3) संभावित सहायता कार्यों के बारे में जिले की कन्टीन्जेन्सी प्लान भी मंगवाई गई है। जिस पर राज्य सरकार विचार करके आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लेगी।

(4) जी, नहीं सीमित आर्थिक साधनों के कारण इन अधूरे कार्य को इस वर्ष हाथ में लेना संभव नहीं होगा।

(5) इस वर्ष मरम्मत करवाना संभव नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य व केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर के विद्यार्थियों, अध्यापकों के आन्दोलनों के फलःस्वरूप विद्या भवन सोसायटी कार्यकारिणी समिति द्वारा इस संस्थान को बन्द कर देने के निर्णय के विषय में,

2. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 24 फरवरी को जोखम बांध पर कार्यरत श्रमिकों की पुलिसमैन तथा थानेदार द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में,

3. श्री गोपालसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से नीमकाथाना कालेज के छात्रों की गत 22 फरवरी का पुलिस द्वारा की गई पिटाई के विषय में,

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

4. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 24 फरवरी को थानेदार, टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर द्वारा किसानों पर फायर किये जाने के विषय में,

5. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 25 फरवरी को कमानी इण्डस्ट्रीज, झोटवाड़ा में कुछ मजदूरों पर किये गये सशस्त्र हमले के विषय में,

6. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा गत एक वर्ष से गंगानगर जिले के लोगों को हथियारों के लाइसेन्स न देने अथवा वर्तमान लाइसेन्स को कैंसिल करने के विषय में,

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से कच्ची बस्तियों के निवासियों को बे-दखल किये जाने के विषय में,

8. श्री मीठालाल मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर गत कई माह से माल लादने के लिए रेलवे वैगन उपलब्ध न होने के विषय में,

ये सब प्रश्न अविलम्बनीय लोक-महत्व के नहीं हैं और इनमें से कुछ का सम्बन्ध किसी घटना विशेष से अथवा राज्य सरकार से भी नहीं है।

9. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 25 फरवरी से जोधपुर विश्वविद्यालय की इन्जीनियरिंग संकाय में प्राध्यापकों के बहिष्कार के कारण परीक्षाएं न हो सकने के विषय में।

राज्य के विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को यू. जी. सी. ग्रेड न दिये जाने के प्रश्न पर 28 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिये जाने के लिये मैंने कहा है।

10. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से देवपुरा समिति की सिफारिशों का लागू न करने के विषय में।

इसी प्रश्न पर 24 फरवरी को प्राप्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार से तथ्य मंगाये गये हैं।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नीमकाथाना कालेज के छात्रों की गत 22 फरवरी को रात के 11 बजे कान्स्टेबलों के द्वारा कालेज के छात्रावास में जाकरके मारपीट करने और उन्हें गिरफ्तार करने के विषय में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है उदयपुर के छात्रों को पुलिस ने मारा पीटा था और उस घटना के कुछ ही समय बाद नीमकाथाना में घरों के दरवाजों पर जाकर, उनके निवास-स्थान पर जाकर दरवाजों को तोड़ना चाहा और जब दरवाजे नहीं तोड़ सके तो रस्सियां बांधकर उन पर चढ़कर पुलिस अधिकारी अन्दर चले गये और छात्रों को पकड़ कर मारा और पीटा और उनको थाने में बन्द कर दिया। इस प्रकार की दुर्घटना नीमकाथाना में अध्यक्ष महोदय हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि माननीय मन्त्री महोदय को इस सारी घटना की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि गत 22 फरवरी को कालेज में कोई कल्चरल फंक्शन होने वाला था और उस कालेज के फंक्शन में जैसा कि

(श्री गोपालसिंह)

होता आया है सभी कालेज के छात्रों को वहां जाना था, वे वहां जा रहे थे और जब लड़के कालेज के नजदीक पहुंचे वहां के ए. एस. आइ. और कुछ कान्स्टेबलों ने उनको रोका और इस बात को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ और उनमें कहा-सुनी हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामूली सी कहासुनी को उन्होंने अपना तिरस्कार माना और लेक्चरार आर. एस. मीना और पुलिस अधिकारियों के मनों में बदले की भावना पैदा हुई और इस बदले की भावना से उन्होंने अचानक बिना कारण रात को जब सारा गांव सो रहा था और सारे छात्र सो रहे थे…

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही कहें।

श्री गोपालसिंह : थोड़े में ही कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सारा गांव सोया हुआ था और सारे छात्र सोये हुए थे यह हैड कान्स्टेबल और कुछ गुण्डे छात्रों के होस्टल में घुस गये और उनको उन्होंने बुरी तरह से मारा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि कोई 22 या 23 छात्रों को संगीन चोटें आई और उनके पट्टी और टांके लगवाये गये और आज भी उनकी हालत खराब है। सारे गांव का और सारे कालेज का वातावरण खराब है और कालेज बन्द पड़ा है ऐसी स्थिति में पुलिस ने वहां पर मनमानी की और लेक्चरार आर० एस० मीना जो अपने आपको तिरस्कृत मानते हैं और वहां के यूनियन और राजनैतिक मामलों में आगे आये हुए हैं और छात्रों पर पुलिस ने हमला करके मारा और पीटा-यह बरदाश्त करने वाली बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी तक स्थानीय पुलिस ने जिन छात्रों को पीटा है अभी तक उनके मामले दर्ज नहीं किये गये हैं और उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गयी है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र जिन छात्रों को पुलिस ने मारा है उनके मुकदमे दर्ज करें और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि स्थानीय पुलिस के ऊपर भी जब कि मारने का, पीटने का और शांति भंग करने का आरोप है तो उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हो और यदि इसकी जांच वहीं के पुलिस अधिकारियों से कराई जाती है तो वह न्याय नहीं कर पायेंगे इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और लोकल पुलिस से जांच नहीं होनी चाहिए.........

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव है कोई डिबेट नहीं है। मैंने इस राइट को दिया है तो आपको स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए।

श्री गोपालसिंह : मैं अभी समाप्त करता हूं।

मैं यह चाहता था कि श्री आर० एस० मीना जो कि सारी चीजों की जड़ है और जिनका कि पहले भी ट्रान्सफर हो गया था इन परिस्थितियों में उनका ट्रान्सफर किया जाकर पुलिस के कर्मचारियों ने जिन्होंने छात्रों पर मार पीट की कार्यवाही की है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। इसी से वहां का वातावरण साफ होगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय ....

Page No 36

(36)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल थोड़ी सी सिद्धान्त की बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य .

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे नीम का थाना वाली बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले आचार्य जी को काल कर लिया।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव किया। विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट को अब चलाने में विद्या भवन सोसाइटी दिलचस्पी नहीं रखती और इसी के विरुद्ध वहां के अध्यापकों ने दिसम्बर और जनवरी में ड़ेढ़, दो माह तक बराबर आन्दोलन किया और अध्यापकों के आन्दोलन के साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी आन्दोलन शुरू हुआ और यह कोशिश की गयी कि विद्या भवन सोसाइटी इस रूरल इन्स्टीट्यूट को आरम्भ करे और चलाये और सशक्त करे लेकिन ऐसा लगता है कि विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट को अब विद्या भवन सोसाइटी चलाने की स्थिति में नहीं है और न चलाना ही चाहती है। इस संदर्भ में जब कि यह नीति राज्य सरकार की रही है कि जॉब ओरियन्टेड इन्स्टीट्यूट कायम किये जायें और उस सन्दर्भ में इस विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट को नहीं चलाने की स्थिति पैदा करना उदयपुर नगर के लिए अशांति का प्रश्न बनेगा-विद्यार्थियों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी।

अध्यक्ष महोदय, इस पर आपने जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और जैसी मेरी उनसे बातचीत भी हुई है कि विद्या भवन सोसाइटी इस इन्स्टीट्यूट को नहीं चलाना चाहती है तो वहां के अध्यापकों ने यह निवेदन किया है कि शिक्षा मंत्रीजी यदि हमको यह इन्स्टीट्यूट दे दिया जाये और जो इन्स्टीट्यूट के पास 10 लाख के असेट्स हैं वह भी उनको ट्रान्सफर कर दिये जायें तो हम इसको चला सकेंगे। और इस आशय का एक पत्र उन्होंने शिक्षा मंत्रीजी की सेवा में प्रस्तुत किया है। चूंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह विश्वास दिया था कि यदि वहां के टीचर्स यह चाहते हैं कि इस इन्स्टीट्यूट को चलाने की जिम्मेदारी वह लेते हैं तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो उनका वह पत्र मेरे पास है जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा और मेरा विश्वास है कि जिस इन्स्टीट्यूट में 200 अध्यापक और कर्मचारी हैं और जो पिछले दस साल से चल रही है और जिस इन्स्टीट्यूट में 10 साल के प्रावीडेण्ट फण्ड गायब हैं और उसमें भ्रष्टाचार है उसको शुद्ध करना आपका कर्त्तव्य है और उसे शुद्ध करने की दिशा में पहले तो उसको अपने हाथ में ले लें और यदि आप अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं तो यह अध्यापक इस इन्स्टीट्यूट का दायित्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आप कृपया उनको प्रेरणा दें और शक्ति दें और आप स्वयं उसके प्रेसीडेन्ट हो जायें तो यह इन्स्टीट्यूट निष्क्रिय होने से बच जायेगा। मैं आपकी सेवा में उनका पत्र प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन और पुलिस में एक नई प्रवृत्ति कुछ अरसे से देखने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में आई है कि विद्यार्थियों को भी साधारण अपराधियों की तरह माना जाये और उनको कानून से और बलपूर्वक दबाया जाये। साधारण अपराधी में यह बात होती है कि वह चोरी करता है, कत्ल करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है और उस कारण से वह उस काम को करता है। दूसरी तरफ विद्यार्थियों का दिमाग कच्चा होता है लेकिन उसके पीछे यह दिमाग नहीं होता है वह डकैती करे या कत्ल जैसा काम करें। उनके अपने आपस के झगड़े होते हैं या फिर यूनियन के झगड़े होते हैं या फिर कोई खेल-कूद के झगड़े होते हैं और कुछ अपराध इन बातों को लेकर हो जाते हैं। तो इन दोनों तरह के अपराधियों में फर्क है क्योंकि इसने चांटा मारा और एक साधारण आदमी ने चांटा मारा तो दोनों में फर्क है लेकिन क्योंकि एक तो कच्चे दिमाग का है और दूसरा समझदार व्यक्ति है इसलिए उसमें फर्क करके चलना पड़ेगा। आप और हम अच्छी तरह से विद्यार्थियों को जानते हैं। विद्यार्थियों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह चाहे कितना ही नाराज हो और अगर उनसे शिक्षा मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी अच्छी बात कर लेंगे और उनके साथ सहानुभूति दिखायेंगे और उनकी मांगें मन्जूर कर लेंगे तो वह उनकी जय बोल कर रवाना हो जायेंगे और यदि कुछ कटु बातें कह दी जायें तो वह फिर गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी नीमकाथाना वाला मामला है मैं समझता हूं कि पुलिस ने और वहां के शिक्षक ने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया इसी कारण यहां तक स्थिति बिगड़ गयी.......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनको चाहिए था कि आपस में रजामन्दी से बातचीत कर लेते और मामले को निपटा लेते। मैं समझता हूं कि 100 में से 99 मामले इस तरह से हल हो जायेंगे और कानून और व्यवस्था का प्रश्न लेकर क्योंकि कोई हार गया और कोई जीत गया इस भावना से करेंगे तो समाज के अन्दर विद्यार्थियों का आक्रोश चल रहा है यह और बढ़ेगा घटेगा नहीं। मैं निश्चितरूप से कहता हूं कि विद्यार्थियों को शामिल करके और बैठा कर और उनका सहयोग लें तो बहुत से मामले हल हो जायेंगे। हमारा नम्र निवेदन है कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी जांच के आदेश दिलायेगी और जैसा कि कहा गया है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिए।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नीम का थाना का मामला है ..

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उदयपुर में भी इसी प्रकार की घटना हुई और पुलिस एक पार्टी बन कर विद्यार्थियों के साथ इस तरह का सलूक करती है। हर जगह हम देखते हैं और रोज सदन में चर्चा होती है और मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी पुलिस को कमिटेड रखें जैसा कि मुझ से पूर्ववक्ता ने कहा कि दोनों के बीच में फर्क होना चाहिए और किस तरह से क्रिमिनल्स के साथ डील करना चाहिए और किस तरह से विद्यार्थियों के

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

साथ डील करना चाहिए। पुलिस एक पार्टी बन कर और विद्यार्थियों की राजनीति में पड़ कर एक पक्ष के साथ इस तरह की बात करती है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान में शान्ति के लिहाज से हमें इन वर्गों में भेद करके चलना पड़ेगा और जो शान्ति भंग करने की बात करते हैं कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं– इसको सहिष्णुता के साथ पुलिस को कमिटेड बनाने की बात करनी चाहिए और इन्सपेक्टर जसवंतसिंह और दो सिपाही थे उनको अब तक सरकार को निलम्बित कर देना चाहिए था और ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह की घटनायें होती हैं उनको एन्करेजमेन्ट मिलता है और हम रोज इस बात को कहते हैं फिर भी यह होती है।

श्री मालाराम (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री मालाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नीमकेथानें का मामला है यह बहुत खतरनाक मामला है। मैं मन्त्री महोदय से भी मिल लिया था और शिक्षा मन्त्री जी से। जो वहां पर लेक्चरार हैं वही सारी घटना कराता है इसलिए शिक्षा मन्त्री ने इसका आदेश भी निकाल दिया था किन्तु किसी राजनैतिक दबाव से शिक्षा मन्त्री ने उसको वापस लौटा दिया और गई साल भी इसी तरह का मामला आया था। यही लेक्चरार आर. एन. मीणा कालेज में झगड़े की जड़ है। यही आर. एन. मीणा ऐसा बदमाश है कि इस कालेज की गुंडागर्दी इसी के पीछे चलती है।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, जिस नीम का थाना का प्रश्न आया है यह स्टुडेन्ट में कास्ट बेसिस पर डिविजन किया जाना चाहिए और लेक्चरार और पुलिस का उसमें साथ देना यह राज्य सरकार के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। राज्य सरकार को इस बारे में इन्तजाम करना पड़ेगा और निश्चितरूप से इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मेरा स्थगन प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के बन्द होने से सम्बन्धित है। इस इंस्टीट्यूट को फिफ्टी परसेन्ट एड केन्द्र से मिलती थी और फिफ्टी परसेन्ट राज्य सरकार देती है और अब गत तीन वर्ष से केन्द्र ने एड देना बन्द कर दिया और अब इन्स्टीट्यूट बन्द कर रहे हैं। वहां के टीचर्स और स्टुडेन्ट वहां पर हैं, एक बहुत बड़ी सेवा का काम इस इन्स्टीट्यूशन ने उस एरिया में किया है और इसके बन्द होने से बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको टीचर्स कहते हैं कि पहले तो आप टेकओवर कर लें। इसमें दस लाख का अमाउण्ट और दो ढाई सौ एकड़ का फार्म है। इसका सही तरीके से मैनेजमेन्ट करके और दस लाख के व्याज से, इसकी आमदनी से आप अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। आप जो एड देते हैं वह बन्द न कीजिए तो यह तीनों को मिला कर आप इस संस्था को चला सकते हैं। जो, अध्यक्ष महोदय, अगर आप टेकओवर नहीं करें और टीचर्स ने जो आफर दिया है कि हम अपने आप एक कमेटी बना कर, अपनी गवर्निंग बोडी बना कर इसका इन्तजाम कर लेंगे, यह

(श्री केदारनाथ)

बहुत अच्छा एटेम्प्ट राजस्थान में शुरू होने जा रहा है। टीचर्स और स्टुडेन्ट्स, वहां की पब्लिक के लोग इकट्ठे होकर अपनी संस्था का इन्तजाम करें, उसको चलावें, मैनेजमेन्ट करें तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा ग्रोफर नहीं हो सकता है और मेरा ख्याल है कि टीचर्स के इस आफर को मान लें, इस संस्था को भली प्रकार चलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मेरा स्थगन प्रस्ताव तो इस बारे में नहीं है लेकिन यह उदयपुर से सम्बन्धित होने से इसमें दो मिनिट कहना चाहूंगा, अधिक नहीं।

श्री अध्यक्ष : कोई आपत्ति, नहीं कह दीजिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट को बन्द करने के पीछे जो प्रबन्धकों का एटीट्यूड चल रहा है, केवल अपने मनमाने ढंग से अयोग्य और जो योग्यता न रखते हुए, नियमों के विपरीत, किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार लाकर प्रिंसिपल बैठा देते हैं। फिर किसी अध्यापक ने विरोध किया तो उसको बाहर निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया निलम्बित कर दिया। वहां पर हड़ताल चल रही है और इतनी एक हठधर्मिता की बात है कि जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात मैं राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कभी राज्य सरकार अगर इसको टेकग्रोवर करे तो राज्य सरकार ने इसको जो सौ एकड़ जमीन जो केवल रूरल इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए दी है उसमें से आधी जमीन उन्होंने विद्या भवन उदयपुर को ट्रांसफर कर दी है गलत तरीके से। आधी जमीन ट्रांसफर हो गई है इसलिए कि अगर राज्य सरकार टेक ओवर करे तो भी जमीन हाथ में नहीं लेंगे, यह भी कार्यवाही करली है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्या भवन का कार्यभार यदि वह अपने हाथ में लेना चाहे तो कम से कम इस प्रकार का जो अंधेर, घोर अनियमिततायें हुई हैं उनको रोक दें और आज वहां का विद्यार्थी, जन-जीवन और अध्यापक तीनों अशांत हैं। उदयपुर भी अशांत है इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको टेक ओवर कर ले।

अब मैं मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था अपना उसके बारे में कहना चाहता हूं कि 24 तारीख को जाखम बांध पर मजदूरों के साथ प्रतापगढ़ के थानेदार ने लाठी चार्ज किया, लगभग 12 व्यक्ति जेल में हैं जिनमें महिलायें भी सम्मिलित हैं। चार घण्टे तक बेहोश पड़े रहे। कारण यह था कि वह थानेदार हमेशा से मजदूरों से कुछ न कुछ पैसा ऐंठता रहता है और जब मजदूरों ने पैसा देने के लिए मनाई की तो अकस्मात शराब पीकर और उन्होंने उन मजदूरों के ऊपर ऐसी बेरहमी के साथ पिटाई की कि जिसके कारण आज 15 या 16 व्यक्ति, मुझे टेलीफोन से मैसेज मिला है, बुरी तरह से घायल हैं और 12 मजदूरों को उन्होंने जेल में बन्द कर दिया है। और आज वहां पर हड़ताल है। तो मेरा राज्य सरकार से कहना है कि अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि पुलिस और जनता

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

का सद्व्यवहार बढ़े, पुलिस इस प्रकार की कार्यवाही न करे इसके लिए स्पेशल निर्देश दिये जा रहे हैं लेकिन जाखम बांध पर ऐसा लगता है कि जैसे सारी पुलिस को उच्छृंखल रूप में छोड़ दिया गया है, जैसा चाहे कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज मजदूरों की पिटाई होती रहे और कोई पूछने वाला न हो, कोई फरियाद सुनने वाला न हो और बारह लोग जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, कारागार में बंद हैं और वहां हड़ताल है, काम बन्द होने से राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है, मजदूरों के घरों में भी अंधेरा है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे थानेदार को जो वहां का इन्चार्ज है उसको निलम्बित किया जावे और जांच इंस्टीट्यूट की जावे ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं दो मिनिट कुछ कहना चाहूंगा।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है·······।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका मिलेगा। मैं यह कह रहा था कि स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अव्वल तो बोलना आवश्यक नहीं है फिर भी मैं आपको बोलने का समय देता हूं और समय भी काफी देता हूं, कम नहीं देता हूं। लेकिन नॉर्मली इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए वह भी देता हूं और भी लोगों को अकोमोडेट करता हूं लेकिन वह इतना अकोमोडेशन पूरा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका समय आगे का चला जाएगा। मुझे तो ठहरना पड़ता ही है लेकिन आपका समय का जो आगे उपयोग होना है वह कम हो जाएगा। तो इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें मेरी सलाह मान लें, इस तरह से चलेगा नहीं।

श्री केशरीमल।

श्री बेगाराम : अधिक नहीं सिर्फ दो मिनिट बोलना चाहता हूं······

श्री अध्यक्ष : आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मैं समय दे दूंगा।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : एक अधिकारी द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई इस सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है······

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर फैसला नहीं सुनाया है।

श्री केशरीमल : मैंने पहले ही दे दिया है कोई कारण नहीं रह जाने का।

श्री अध्यक्ष : वह किसलिए रह गया है इसकी अगर आपको जानकारी करनी है तो मेरे चेम्बर में जानकारी ले लें।

श्री बेगाराम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर जिला गंगानगर में मेरे खुद के क्षेत्र में 285 गांव हैं······

श्री अध्यक्ष : जिसका निर्णय नहीं सुनाया है, उसको समय नहीं दूंगा।

श्री बेगाराम : दो मिनिट बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : जिस पर निर्णय नहीं दिया है उस पर समय नहीं दूंगा । यह नई परम्परा शुरू हो जाएगी ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था फरमाई है कि विश्वविद्यालय में जो वेतनमानों का प्रश्न है उस पर राज्य सरकार 28 तारीख को यहां पर वक्तव्य देगी । अध्यक्ष महोदय, कल जोधपुर में इंजीनियरिंग संकाय के ......

श्री अध्यक्ष : उसके अलावा भी तो हैं आपके ।

श्री गुमानमल लोढा : इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आज सारे राजस्थान के विद्यार्थियों के दिमाग में यह स्थिति बन रही है कि इस बार परीक्षायें नहीं होंगी और कल जोधपुर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग फैकल्टी में, जिस समय परीक्षायें प्रारम्भ हुई, विद्यार्थी अपनी अपनी डेस्कों पर बैठ गए और प्रश्न-पत्रों की इन्तजार कर रहे थे, कापियां लेकर बैठ गए, लेकिन उस समय वहां पर प्राध्यापकों के न आने के कारण वहां सारी की सारी परीक्षायें न हो सकीं और उनको वापिस जाना पड़ा ।

यह जोधपुर विश्वविद्यालय की इन्जीनियरिंग फैकल्टी का ही प्रश्न नहीं है, इसके कारण सारे राजस्थान में आन्दोलन होगा । जब तक नये वेतनमान का प्रश्न हल नहीं किया जायगा तब तक राजस्थान में इस वर्ष कोई परीक्षाएं नहीं होंगी । इससे लगभग 7–8 लाख विद्यार्थी राजस्थान के प्रभावित होंगे जिनको कि प्रिपरेशन लीव मिल चुकी हैं और गति के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं । तो मेरा यह निवेदन है कि नये वेतनमान की घोषणा पार्लियामेंट में जनवरी, 1974 में की गई थी । युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जब घोषणा की थी तो केन्द्रीय सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था और केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि इन नये वेतनमानों को 1973 की जनवरी से लागू करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का तो यह बहुत ही लाभप्रद प्रश्न था । केवल इसमें 20 पर्सेन्ट रकम राज्य सरकार को देनी पड़ती है । 80 पर्सेन्ट....

श्री अध्यक्ष : यह आने वाला तो है ही ।

श्री गुमानमल लोढा : 28 तारीख को घोषणा होगी लेकिन आज परीक्षाएं नहीं होंगी, कल परीक्षाएं नहीं होंगी ।

श्री अध्यक्ष : परीक्षाओं के बारे में कहें ।

श्री गुमानमल लोढा : डे टू डे परीक्षाएं चल रही हैं । या तो वे जोधपुर विश्वविद्यालय की इन्जीनियरिंग संकाय के जो डीन हैं, वाइस-चान्सलर हैं उनको इस बात की सूचना भेज दें कि इस बारे में 28 तारीख को हम घोषणा करने वाले हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी से सारे राजस्थान के हजारों शिक्षक, प्राध्यापक यहां पर मिलकर आये थे और उनकी उनसे बातचीत भी हुई है और बातचीत होने के बाद यहां पर किसी प्रकार की घोषणा न होने के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है । केन्द्र ने मान लिया है 73 से, महाराष्ट्र ने मान लिया है, यू. पी. ने मान लिया है, और

(श्री गुमानमल लोढा)

बिहार में सैद्धान्तिक रूप से इसको मान लिया गया है और उसके बाद केवल इस बात की आवश्यकता है कि राज्य सरकार इसकी विधिवत् घोषणा करदें जिसमें राज्य सरकार को 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष केन्द्र से मिलेंगे और केवल 1 लाख अपने पास से देने पड़ेंगे और वह भी उनको देने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि जो अध्यापक एक्जामिनेशन्स के अंदर इन्वीजिलेशन करेंगे और कापियां जांचेंगे उनको उसका जो पैसा मिलता है वह उसमें से बाद कर दिया जायगा। तो राज्य सरकार के लिए तो लाभ ही लाभ का प्रश्न है।

मुझे इस बात का खेद है कि नई वेतन-शृंखला लेक्चरार के लिए 700 से और रीडर के लिए 1200 से 1900 और प्रोफेसर के लिए 2000 से रखी गयी है, और केन्द्र इसको स्वीकार कर चुका है और अन्य प्रदेशों में भी इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन आपको इसमें से 5 वर्ष तक 80 पर्सेन्ट रकम देगा। तो मैं नहीं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान के प्राध्यापकों को न देकर राजस्थान के विद्यार्थियों को इस प्रकार से सस्पेन्स में रखा जाय। मेरा तो यही निवेदन करना है माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि जोधपुर विश्वविद्यालय में यह जो परिस्थिति पैदा हो गई है तो आज ही वहां के वाइस चांसलर से कान्टेक्ट करें और उनको बतायें कि राजस्थान का शिक्षा विभाग राज्य सरकार की ओर से 28 तारीख को घोषणा होने वाली है इस-लिए परीक्षाएं वापिस चालू कर दी जायं और वहां पर ऐसी स्थिति बन गई है उसको समाप्त कर दिया जाय, वर्ना इससे राजस्थान में बड़ा भारी आन्दोलन पैदा हो जायगा इसके कारण, तो इसमें शीघ्रता की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। माननीय जनसंघ के नेता ने जो मुद्दा उठाया है वह मेरे खयाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें हमारे अध्यापकों, एक्जामिनर्स का प्रश्न है और लाखों स्टूडेन्ट्स का प्रश्न है। यह समस्या युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से हल हो चुकी है और अन्य राज्यों ने भी यह वेतनमान स्वीकार कर लिया है, तो यह मामला आगे बढ़े उससे पहले इसका हल निकालना, तत्काल हल निकालना राज्य सरकार के हाथ में है और यह सीधा-सादा मसला है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सजग होगी ही, और इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए और रोकथाम के लिए उचित कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन-प्रस्ताव जिला गंगानगर में जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर हथियारों के नये लाइसेन्स नहीं दिये जाने और वहां पर हथियार जो आलरेडी लोगों के पास हैं उनको कैंसिल करने की जो योजना बना रहे हैं, और जिन लोगों के पास में है लाइसेंस उनका रिन्युअल नहीं करने के सम्बन्ध में है।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के लिए पिछले वर्ष राज्य सरकार का एक आदेश जारी हुआ था कि जिन लोगों के पास में नाजायज हथियार हैं वह दिसम्बर, 1974 तक रजिस्टर करा सकते हैं, उनके लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे नाजायज हथियार लाकर जब सरकार के सामने उनके अधिकारियों के सामने पेश किये तो उसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों पर मुकद्दमें बनाये उसके फलःस्वरूप आगे लोगों ने दर्ज कराने की कोशिश नहीं की और आज तक कोई भी असला दर्ज नहीं हो सका। वहां के कलेक्टर ने वहां के पुलिस अधिकारी एस. पी. साहब को बुलाकर कह दिया है कि यह कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं वह करो, नये लाइसेंस जारी न करो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वह सीमावर्ती क्षेत्र है, बोर्डर एरिया है और राजस्थान की पाकिस्तान से बोर्डर लगती है। यह मैं मानकर चलता हूं कि इन छोटे हथियारों से बोर्डर पर बैठे हुए अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस बात से लोगों की भावनाएं बढ़ती हैं। लोगों के पास यदि हथियार होंगे तो लोग सुरक्षा के समय अपने का बचा सकते हैं।

तो जैसा कि डीलर्स है तो वहां पर चार आलरेडी डीलर्स थे। उनमें से दो काम नहीं कर रहे हैं और दो काम कर रहे हैं। उनके पास एम्युनिशन्स नहीं हैं और दूसरे जो डीलर्स हैं उनके सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं थोड़े में ही कहना चाहता हूं। मुद्दे की बात कह दूं। मेरी अर्ज सुनें कि वहां पर उनको एम्युनिशन्स के लाइसेंस इसलिए नहीं दिए गए कि उन लोगों को जिनके पास में असला है वह एम्युनिशन कहीं से न ले सकें। मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान सरकार को चाहिए कि गंगानगर जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है वहां के लोगों को, वहां के रहने वालों को हथियारों के लाइसेंस देने का वह प्रबन्ध करें। जो लोग लाइसेंस लेने के अधिकारी हैं उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसी रोक नहीं लगाना चाहिए और डीलर्स के पास एम्युनिशन्स पहुंचे यह मेरी आशा है और यह मेरी कामना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो है वह अस्वीकृत कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं उसकी अहमियत को देखकर दो शब्द कहना चाहता हूं। कल 25 तारीख को झोटवाड़े में कामानी इन्डस्ट्रीज के मजदूरों के ऊपर हमला हुआ, और उस हमले के अन्दर चाकू और लाठियां इस्तेमाल की गईं। अध्यक्ष महोदय, कामानीज का सवाल यह है कि वहां पर जो इन्डस्ट्री के मालिक हैं वह जो यूनियन उनको ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है उसको वह समर्थन देते हैं। यह स्वाभाविक है कि जो यूनियन मजदूरों को ज्यादा धोखा दे वह उनके ज्यादा नजदीक हो सकती है, और उसमें ऐतराज नहीं है लेकिन मुझे जो ऐतराज है वह यह है कि हमारे उस इलाके में जो पुलिस के अधिकारी हैं वह झोटवाड़े की कामानी इंडस्ट्री से मिले हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार इस किस्म की घटनाएं घटी हैं और हमारी इंटक के

Page No 44

(४४)

(श्री मोहम्मद गफार अली)

साथियों ने हमले किये हैं हमारी जो यूनियन ऐटक है उसके मेम्बरों पर । रिपोर्ट हुई पुलिस में, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । यहां तक नौबत पहुंची कि एक थानेदार है बलवंतराय, हमारे एक आदमी को सख्त चोटें आई वह उसकी रिपोर्ट देता है उसका कुछ नहीं किया । उसके बाद दूसरी घटना घटी जिसमें राजाराम जो ऐटक यूनियन के चेयरमैन हैं उसके घर पर जाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी चोरी की गई । उसकी रिपोर्ट की गई उसके बावजूद बलवंतराय ने कोई तफतीश नहीं की ओर उसको खत्ते में डाल दिया । तो मेरा ध्यान आकर्षित करने का होम मिनिस्टर साहब का मतलब यह है कि पक्षपात करते हैं सीटू के साथ । वह तो उससे फायदा उठाते हैं, मगर आपकी पुलिस के अधिकारी कारखानेदारों से मिले हुए हैं और कारखानेदार एक बड़ी रकम उसको देता है पुलिस के अधिकारी उसके फलस्वरूप जो घटनाएं घटती हैं और आतंक पैदा होता है उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं राज्य सरकार के ऊपर है ।

श्रममन्त्रीजी को चाहिए कि जो इस किस्म की घटनाएं घट रही हैं इसके ऊपर कार्यवाही करें । लेकिन अफशोस की बात है कि होम डिपार्टमेंट कोई दिलचस्पी नहीं लेता है । कल जब घटना घट गई तो मैं उनको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी दिलचस्पी ली है । लेकिन उनको यह सख्त हिदायत होनी चाहिए कि वह इस तरह से नहीं होने दें । जो अधिकारी हमारी यूनियन के साथियों के साथ में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं ....

श्री अध्यक्ष : खत्म करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जो लेजिटिमेट गतिविधियां उनकी हैं, उनमें यह बाधा नहीं पहुंचाएं । कांग्रेस की भी यूनियन है । उनके लिए भी ये घातक साबित होंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो श्रम मन्त्री जी हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, उनको चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं घटें और जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : क्षेत्र के सवाल की बात तो है लेकिन समय नहीं है ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मोहरसिंह जी, मुझे इजाजत मिल गई । आप बाद में जवाब दे देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो कामानी इन्जीनियरिंग पर घटना घटी। बाल बियरिंग इलाके में भी सीटू की यूनियन है । दूसरी भी मजदूरों की यूनियन है । वहां फैक्टरी में उनके मजदूरों के साथ में मारपीट की जाती है । बार बार पुलिस अधिकारियों को कहा जाता है ? लेकिन पुलिस मौन होकर देखा करती है । इसलिए

(श्री राम गोटेवाला)

यह आशंका पैदा हो रही है। एन. बी. सी. के क्षेत्र में यह होता है। जयपुर इलेक्ट्रिकल्स में होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। जयपुर इलेक्ट्रिकल्स में यह स्थिति आई है। डेढ़ हजार मजदूर आगये। बीच सड़क पर वह हमला करते रहे। पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह बताया है कि सीटू की तरफ के गुण्डे?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। तो निवेदन है कि सीटू के लोगों की गुण्डागिरी को नियन्त्रण में लाकर गुण्डागिरी को समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं रखी गई हैं, मेरी कान्स्टीएंसी की घटनाएं हैं। राज्य सरकार आंखें मूंदे हुए नजर आरही है। कई बार स्टेशन पर और कोटवाड़ा में झगड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। वहां पर गुण्डे पल रहे हैं। पुलिस के उन लोगों पर 10-15 बार केस बन चुके हैं। राज्य सरकार इस बारे में कोई स्टेटमेण्ट दें। एन. बी. सी. में दरवाजा बन्द करके मजदूरों को पीटा जाता है। पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। क्या पुलिस कोई व्यवस्था नहीं करेगी? इस बारे में राज्य सरकार को स्टेटमेण्ट देना चाहिए। वहां पर गुण्डों को पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सीटू के गुण्डे लोग हैं। वह गुण्डागर्दी करते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप कह चुके हैं।

श्री मीठालाल।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव था, यह सही है कि मेरे प्रस्ताव का राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है, केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। लेकिन उद्योग धन्धे और मजदूर उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज राज्य की जो विभिन्न रेलवे लाइनें हैं, चाहे वह उत्तरी रेलवे हो या पश्चिमी रेलवे हो, उनके विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर वैगन नहीं मिल रहे हैं। चाहे वह सवाई माधोपुर के खनिज विभाग का टूटे पत्थरों का मामला हो, सभी स्टेशनों पर 2-3 महीने से वैगन नहीं मिल रहे हैं। इससे कच्चे पक्के माल की क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है। सवाई माधोपुर की खानें इसीलिए बन्द हो रही हैं। स्टेशनों पर भारी पत्थर जमा हो गये हैं। इसलिए खनिज मन्त्री महोदय, केन्द्रीय सरकार से निवेदन करें जिससे कि जल्दी से जल्दी रेलवे वैगन उपलब्ध कराये जावें जिससे कि माल स्थान पर पहुंचाया जावे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोलना चाहते हैं।

श्री मोहरसिंह : गफ्फार साहब ने और गहलोत साहब ने जो आरोप लगाये हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में कह दें।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहकर सी. पी. एम. के मजदूर यूनियन पर हमला किया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह लोगों पर हमला कर रहे है। हमने हमला नहीं किया है।

श्री मोहरसिंह : सीटू की संख्या 25 हजार है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इतनी संख्या नहीं है। आप अपने को करेक्ट कर लें।

श्री मोहरसिंह : सीटू के 25 हजार हैं। आपने जो कहा है, परसों रात की बात है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया है। वह विरोध में बोलते हैं...

श्री अध्यक्ष : अधिकार नहीं, आज्ञा दी है।

श्री मोहरसिंह : आसन को ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक पार्टी का अकेला आदमी हूं। जो गलत आरोप लगाते हैं उनका....

श्री अध्यक्ष : अब ध्यान रखूंगा।

श्री मोहरसिंह : मैं जवाब दूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी यूनियन ने कब्जा किया है। एन. बी. सी. के सामने घटना घटी है।

श्री मोहरसिंह : वह जो घटना हुई, उसमें थोड़ी देर के बाद 3, 4 मजदूर आये जो कि सी. पी. आइ. से सम्बन्धित थे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : नई कांग्रेस ने तो दिल्ली के जन्तर मन्तर पर कब्जा किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज कल सीटू के साथ में आपकी दोस्ती अच्छी निभ रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मफीक साहब ने तो अटलबिहारी जी के घर पर कब्जा किया है।

श्री मोहरसिंह : उन लोगों ने सीटू के लोगों पर हमला किया।

एक माननीय सदस्य : सही बात बोलिये।

श्री मोहरसिंह : हमला किया गया है, उसका जवाब उसी तरह से दे रहा हूं।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी नहीं। आप तो वैसे भी बहुत कम बोलते हैं।

श्री झाबरमल सूंडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया, उसको घटना से सम्बन्धित न होने की टेक्निकल कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया, मैं उसको दुरुस्त कर देता हूं। घटना इस तरह की है, माननीय अध्यक्ष, बिजली कन्ज्यूमर

(श्री झाबरमल सूंडा)

बिजली की चोरी करते हैं यह सही हैं। मैं कहता हूं कि बिजली के कर्मचारी हैं, छोटे लाइनमैन वगैरह, उनकी साजिश से टोडाभीम है, इसमें रंगलाल पुराना वार्ड नम्बर 13 ट्रान्सफार्मर के कर्मचारी ने फीडर की लाइन को बन्द कर दिया रात को पानी पिलाने वालों ने देखा, रात को बिजली चली गई है, तो वह दो घन्टे इन्तजार करने के बाद गये। लाइनमैन को कहा कि फीडर की दो लाइन चल रही हैं, एक का क्यों बन्द कर दिया। उसने जबाब में कहा कि ट्रान्सफार्मर जल गया। उनमें आपस में कहासुनी हो गई। माननीय अध्यक्ष इस पर उन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, टोडाभीम के एस. एच. ओ. को रस्सा ले गये और पिलास को ले कर गये। रस्सा और लाइनमैन के लिए पिलास इम्पार्टेन्ट इक्विपमेंट है, और उसकी चोरी भी खराब है, लेकिन रस्सा और पिलास की चोरी की की घटना के बीस दिन पहले की बात है। आपस में राजीनामे की बात हो गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष, थानेदार ने क्या दिया, 21 तारीख को शुक्रवार की रात को साढे चार बजे, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया, उनके घर पर ऐसा आक्रमण किया जैसे एब्सकोंडिंग आदमी को दबोचा जाता है और उनको उठा कर ले गये। औरतें चिल्लाई, चोर आगये, चोर आ गये। आवाज सुन कर और लोग इकट्ठे हो गये। उनको देख कर थानेदार ने भागने की चेष्टा की। उसको चारों तरफ से घेर लिया गया तब उसने हवाई फायर किये और मुकदमा और दर्ज कर लिया किसानों के खिलाफ। अब किसानों के कुए बन्द पड़े हैं, आप अन्दाज लगायें, इस वक्त वे लोग अपनी फसलों को बिल्कुल पानी नहीं दे सकते हैं। गांव वालों में भगदड़ मची हुई है, छोटी सी बात को लेकर थानेदार ने आतंक खड़ा कर दिया है। मैं चाहूंगा, छोटी सी घटना को बड़ा रूप देकर लोगों में अशांति फैला दी है, फसल की पिलाई रोकी है और बड़ी घटनाओं को नजरअन्दाज करके छोटी घटना को तूल देकर अशांति पैदा करते हैं इसलिए आप इन्टरफियर करके इस पर बिचार करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान के उन गरीब लोगों को सहूलियत दिलाने के लिए है जो राजस्थान की सम्पूर्ण और विभिन्न कच्ची बस्तियों में अपना नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उदाहरण देकर निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर शहर में 110 कच्ची और गन्दी बस्तियां हैं। यह बात सही है कि भारत सरकार ने कच्ची बस्ती के सुधार के लिए अनुदान दिया, राज्य सरकार ने भी अनुदान दिया और कच्ची बस्ती में सड़क निर्माण के लिए, नालियां बनाने के लिए जयपुर शहर में सीवर लाइन और राजस्थान में अन्य नगरों में सीवर लाइन बना देने, लाइट लगा देने, यह पानी के कनेक्शन लगा देने यह अहमियत की आवश्यकता है, वहां रहने के मकान की इन बातों को पिछले समय राजस्थान के मुख्य मन्त्री स्व० श्रीमान बरकतुल्ला जी ने, जिस समय कि हमारे जनसंघ ने आन्दोलन किया था इस प्रश्न को लेकर घोषणा की थी कि 19 अगस्त, 1971 को जो कच्ची बस्ती में आबाद थे, उनको वहां बसाया जायगा, और 30 दिसम्बर, 1971 तक, जहां कच्ची बस्ती में विद्युत का प्रबन्ध

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको करने की व्यवस्था की थी । कच्ची बस्तियों में प्रबन्ध हो गया है लेकिन कई बातें रह गई हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस समय मुख्य मन्त्री जी ने सर्वे भी कराया था, लेकिन सर्वे कराने में भी कई लोगों के नाम सर्वे में जाने से रह गये । सर्वे हुई मकानों की, तो एक एक झोंपडी में चार 2 आदमी रहते थे, सर्वे उनका नहीं हुआ, जो कि किराये में रह रहे थे । इस प्रकार सर्वे हुआ उसमें कई नाम रह गये, कई झोंपड़ियों में रहने वालों के नाम रह गये, किरायेदार उसमें आने से रह गये तो किरायेदारों की भी उसमें वृद्धि की जाय । आखिर किरायेदार कहां जायेंगे । वह कच्ची बस्ती में पड़े थे, उनको कच्ची बस्ती में मकान मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में कहिये । बहुचर्चित और बहुवर्णित विषय है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : थोड़े में ही कहूंगा, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं जाऊंगा । आपकी आज्ञा मानता आया हूं, मानूंगा अक्षरश: ।

मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि हाउसिंग बोर्ड ने जिन मकानों का सर्वे किया हुआ है, उन मकानों को नगर विकास न्यास ने कच्ची बस्ती में तोड़ा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास ने कोर्ट मे हलफनामा पेश किया है । वह आपकी आज्ञा से सदन पटल पर रख सकता हूं, नहीं तो मेरे पास है । उसमें कहा है, 21 अगस्त को मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी, वह मौखिक घोषणा की थी, उसको वह नहीं मानते हैं । मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने, स्व० मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी, उस सम्बन्ध में 19 अगस्त, 1971 तक नियम नहीं निकाले हैं, ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला है । उस कानून के अभाव में स्वर्गीय मुख्य मन्त्री की भावना थी, राजस्थान की कच्ची बस्ती में रहने वालों को बेदखल न करने की, 19 अगस्त, 1971 को आबाद थे, उनके सम्बन्ध में, अब आप उस सम्बन्ध में कार्यवाही करें ।

इसके साथ साथ जो लोगों को सहूलियत देनी है, नल बिजली की वह दी जाय, जिन लोगों का सर्वे में नाम नहीं आया है, उनके नाम को जोड़ा जाय और किरायेदारों को भी सहूलियत दी जाय ।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, 19 अगस्त, 1971 वाली बात के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र में 26 जनवरी, 1975 को जो आबाद हैं, जिनके बाड़े बने हुए हैं, जो भू-खण्ड पर काबिज हैं, उनका नियमन करने की बात की है । मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वाले मुख्य मन्त्री की भावना को ध्यान में रख कर आप राहत दें और आप एक कदम आगे बढ़ें कि 26 जनवरी, 1975 को कच्ची और गन्दी बस्ती में जितने लोग भी रह रहे हैं, उनका सर्वे करा कर उनको कच्ची बस्ती में प्लाट और पट्टे दे दें, जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मुफ्त में दिये गये हैं, उनको भी मिले । शहरों में कच्ची बस्ती में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको मकानों की सुविधा दी जाय, पट्टे भी दिये जायं । राज्य सरकार को यह मांग पूरी करनी चाहिए । जो गरीब कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं, जो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यू. आइ. टी. से पीड़ित हैं, कभी म्यूनिसिपल बोर्ड वाले पहुंच जायं, कभी तहसीलदार पहुंच जायं – उनसे उन्हें राहत दें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : एक मिनिट !

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इससे संबंधित एक मसला और था ••

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

राजस्व मन्त्री !

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4 (4) राज/उप/75, दिनांक 24 फरवरी, 1975

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4 (4) राज/उप/75, दिनांक 24 फरवरी, 1975

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन!

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आदर्श नगर, जयपुर में गन्दे पानी के निकास के लिये नालियां बनाने सम्बन्धी विषय पर हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

विधायी कार्य

वापिस लिया जाने वाला विधेयक

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973 को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973 को वापिस लेता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : विधेयक का पुरःस्थापन।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No 50

(50)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश 74 (अध्यादेश सं. 31 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक !

(1) व्यवस्था का प्रश्न

(2) विधेयक की प्राथमिकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यहां पर मेरी प्रार्थना है कि टेबुल पर जो बिल ला रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : यह बहुत पहले रखा जा चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगला बिजनेस जो आप ले रहे हैं जैसे कल 27 तारीख को बहुत शादियां हैं सबको जाना होगा, 5-5 विधेयक एक एक दिन में रख रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आप प्रोसीजर जानते हैं। कार्य सलाहकार समिति में तय होता है। उसके बाद सदन से पास होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अखबार वालों ने कल निर्णय लिया है कि 6 बजे के पश्चात् वे न तो बैठेंगे चाहे मंत्री महोदय हों चाहे कोई भी हो, कोई भी स्टेटमेंट हो उसको नहीं छापेंगे। आखिरकार विधान सभा में हम बैठकर जो कुछ कार्यवाही करें और यदि माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं यदि समाचार-पत्र हमारी भावनाओं को......

श्री श्रीराम गोटेवाला : अखबार में अपना वक्तव्य छपवाना हो तो पहले बोल लिया करो।

श्री अध्यक्ष : यह बोलने का विषय नहीं है। इस बिल से संबंधित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : या तो शनिवार को काम करें बाकी एक दिन में 6-6 बिल्स पास करना कठिन है।

श्री अध्यक्ष : 5 बजे तक या 6 बजे तक बैठना सदन की मर्जी की बात है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इसका निर्णय तो पहले ले चुके अब यह सवाल उठाने से क्या मतलब है ? अगर 5 बजे के बाद अखबार वाले रिपोर्टिंग नहीं करें तो आप 5 बजे से पहले बोलिए जो कुछ भी आपको कहना है। आप हर चीज को विषय बनाना चाहते हैं।

श्री दीपंकर : ये ही अनावश्यक बोलते हैं, जानबूझकर ये ही समय बढ़वाते हैं फालतू बोलकर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज कोटा वाला बिल है, आप मेरी बात को न मानें, माननीय सदस्यों की भावनायें हैं, फिर कोरम की घंटियां बजती हैं, लोगों की रुचि नहीं रहती है। पहले कोटा वाला बिल आएगा, फिर नगर आयोजन वाला, उसके बाद पंचायत बिल आएगा, फिर नगर आयोजन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वाला, उसके बाद पंचायत बिल आएगा। 5 बज जायेंगे 6 के बाद कोरम की घंटी बजाई जाएगी। इसलिए पंचायत वाले को पहले ले लिया जाए तो मुनासिब होगा आखिरकार विधान सभा में कानून बन रहा हो और कोरम का अभाव हो। आर्डर को बदलना....

श्री अध्यक्ष : यह आर्डर तो कार्य सलाहकार समिति ने तय किया है। अगर पंचायत विधेयक को पहले सदन लेना चाहे तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई और नहीं कह रहा है।

1. विधेयक पर विचार

2. कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपका वक्तव्य तो छप जाएगा।

(1.04 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

परिनियत संकल्प

श्री गिरधारीलाल भार्गव ने निम्न परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया :

"यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित कोटा नगरपालिका सीमा (निरंतर अस्तित्व) विधि मान्यकारी अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।"

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश राज्य सरकार ने जो निकाला है वह भयंकर भूल की है उसको दुरुस्त करने के लिए यह विधेयक लाए हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार रायपुर ग्राम कोटा नगरपालिका की सीमाओं में कभी भी सम्मिलित नहीं था और यद्यपि ग्राम उम्मेदगंज उनमें सम्मिलित तो थे किन्तु तत्पश्चात् उसे इन सीमाओं से अपवर्जित कर दिया गया था। मेरा कहना है कि उसको कोटा नगरपालिका में जोड़ दिया गया था और एक गांव जो उसमें था उसको निकाल दिया गया। यह सरकार का क्या रवैया है? तथापि कोटा नगरपालिका ने सभी आशयों एवं प्रयोजनों के लिए उनको अपनी सीमाओं के भीतर विद्यमान माना था। सन् 1958 से 1974 तक की कालावधि के दौरान, कोटा नगरपालिका की सीमाओं के भीतर विद्यमान होने के नाते इन ग्रामों के संबंध में निर्वाचित कराए गए थे और कर उद्ग्रहीत किए गए थे। उन दोनों को शामिल करके बाकायदा चुनाव हो गए और जो वसूली करनी थी वह बराबर होती रही। इन कार्यों को न्यायालयों में चुनौती दी गई। अत: इन सीमाओं के भीतर इन ग्रामों की निरन्तर विद्यमानता तथा किए गए कार्यों या की गई बातों की तथा जिसके इन सीमाओं के भीतर कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण भी सम्मिलित है कि विधिमान्यता के बारे में शंकायें उत्पन्न हुई। याने हाइकोर्ट में चेलेंज होगा। इसको वेलीडेट करने के लिए जो ग्राम हटा दिया गया गल्ती से और जो गांव जोड़ दिया गया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उसके रेग्यूलराइज करने के लिए सरकार ने अध्यादेश निकाला। टैक्स लेते रहे, चुनाव होते रहे। यह सरकार की अकर्मण्यता का जीता जागता उदाहरण है। सन् 1958 से 1974 तक चुनाव होते रहें, कर ले लिया। इसका मतलब यह सारा इनवेलिड हो गया। इसका मतलब पूरी काउंसिल थी उसने तीन वर्ष कार्य किया होगा उसको चेलेंज कर सकते हैं। जब नगरपालिका डिफेक्टिव थी तो ये सारे काम क्यों हुए? इसके तो दूरगामी परिणाम होंगे। एक गांव बढ़ा दिया एक घटा दिया, आगे भी बनाए रखना चाहते हैं या पिछले वाले कार्यों को रेग्यूलराइज करना चाहते हैं।

राज्य सरकार ने यहां पर ही गल्ती नहीं की, बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ने और पंचायत क्षेत्र से हटाए जाने का नोटिस या वह नहीं निकाले जाने के कारण वह भी कोर्ट का मसला बन गया। वह विवाद भी सरकार की गल्ती के कारण कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने इस प्रकार अन्य नगरपालिकाओं में भूल की होगी। सन् 1963 के पश्चात वांदीकुई नगरपालिका के चुनाव हुए नहीं। 12 साल हो गए, वहां के नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से वंचित हैं। इस प्रकार आपने और कहीं भूल की होगी आप बतायें कि कहां कहां आप चुनाव स्थगित कराना चाहते हैं और उसका क्या आधार है। गजट में अधिसूचना हो जाती है। लालसोट नगरपालिका को हो गया है उसके बाद भी वहां नगरपालिका नहीं। तो मेरा यह निवेदन करना है कि लालसोट वाला उदाहरण इसलिये दिया है कि आर्डिनेन्स बिल इसलिये लाये हैं कि गलती को ठीक किया जाय। 19 आर्डिनेन्स में से 16 ऐसे आर्डिनेन्स हैं जो हाइकोर्ट में हार जाने के कारण निकाले गये हैं। राष्ट्रपतिजी के दस्तखत नहीं हो जावेंगे तब तक आर्डिनेन्स रहेगा इसलिये इसको बिल में परिवर्तित करना चाहते हैं। छोटी 2 भूल के कारण और गलती के कारण ही इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। आप सब को बदनाम करने के लिये इस प्रकार आर्डिनेन्स निकालते हैं, इसमें राजस्थान की प्रतिष्ठा गिर रही है। महाराष्ट्र वाले, पंजाब वाले दिल्ली में बैठे लोग यह सोचते हैं कि राजस्थान विधान सभा को बुलाया नहीं जाता और इस कारण ही आर्डिनेन्स से ही सरकार चलती है। 6 महीने का यदि प्रोविजन न होता तो पूरे वर्ष में 200/300 आर्डिनेन्स आप निकाल देते। यात्री कर टैक्स लगा दिया, आर्डिनेन्स से। गुड्स टैक्स भी लगा दिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपने अपनी भूल को दुरुस्त करने के लिये वह आर्डिनेन्स निकाला। आप आगामी आने वाले चुनावों में इन दोनों गांवों को शामिल करना चाहते हैं। इसलिये मेरा संकल्प है कि इस आर्डिनेन्स को निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन (अनुपस्थित)

प्रा० केदारनाथ (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कोटा के बारे में जो यह आर्डिनेन्स निकाला तो बेसिक, बुनियादी, सैद्धान्तिक ऐतराज है वह यह है कि हर मर्तबा यह चीज तय होती है कि आर्डिनेन्स निकाला नहीं जावेगा और यह

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

तमाम आश्वासन राज्य सरकार के द्वारा दिये जाते हैं कि बिल की शक्ल और एक्ट की शक्ल में लाये जावेंगे लेकिन उनको समाप्त कर दिया जाता है।

वैसे तो कोटा की म्युनिसिपैलिटी के बारे में एक आर्डिनेन्स निकाला गया और इसलिये इसकी जरूरत महसूस हुई कि उसमें दो ऐसे गांव थे जो म्युनिसिपैलिटी यह समझती थी और समझ में वह काम भी वहां करती रही वे गांव हमारे क्षेत्र में हैं। हालांकि वह पंचायत क्षेत्र था। पंचायत वाले यह समझते रहे कि ये हमारे क्षेत्र हैं। पहला सवाल यह है कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी और यह हमारा जो महकमा है लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट वाले क्या किया करते हैं बैठे-बैठे, उन्हें अन्दाज नहीं होता है कि किस म्युनिसिपैलिटी की सीमायें कहां तक फैली हुई हैं और ये गलतियां जो होती हैं उनके अन्दर यह होता था कि आपस में पंचायत किसी गांव को अपना कहती रहती है और म्युनिसिपैलिटी अपना कहती रहती है और इस विवाद में वहां के नागरिक पिसते रहते हैं।

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने टैक्स वसूल किया। उसको वैलिड कर लिया। हाइकोर्ट में एक सवाल हुआ या सिविल कोर्ट से फैसला हुआ वहां पर हारने के बाद आर्डिनेन्स के जरिये यह कह दिया कि इन दोनों गांवों को म्युनिसिपैलिटी में शामिल कर लिया जाय।

आपने टैक्सेज वसूल कर लिये इसलिये आप उनको तो वापिस नहीं करोगे। आपकी सीमा में आ गये। उपकर या लेवी उन नागरिकों से पंचायतों ने ले ली उनका क्या हल होगा। आपके इस प्रकार के वादविवाद होते हैं तो उस वक्त के लिये ऐसी मशीनरी मुस्तकिल तौर पर मुकर्रर कर दें कि ऐसे सवालात आवें, गांव और शहर के बीच में सीमा निर्धारण के मामले आवें उनको एक बार में ही तय कर दें। मैं पूछना चाहता हूं कि उन नागरिकों ने जिन्होंने दो मर्तबा टैक्स दिया, म्युनिसिपैलिटी को दिया और पंचायत को दिया, क्योंकि आपके और उनके आपस में विवाद था, उनका वह पैसा लौटाने को आप क्या कर रहे हैं? अगर म्युनिसिपैलिटी ने ज्यादा पैसा ले लिया है, तब तो आप यह सोचें कि पंचायत को रकम वापिस कर दी जाये और अगर पंचायत ने ज्यादा रकम ली है.......

श्री रामनारायण चौधरी : पंचायतों में किस किस ने लिया है, माननीय सदस्य बतायें?

श्री मोहम्मदगफ्फार अली : मुझे जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले भी आपने टैक्स लगा दिये हैं, यह सभी बातें हैं। मुझे अर्ज करना है कि इस तरह के जो विवाद चलते हैं, उनको इस प्रकार का आर्डिनेन्स निकाल कर तय करने के बजाय इसका परमानेन्ट इलाज करना चाहिये। अगर सीमाओं का निर्धारण हो जाये और गजट में नोटीफिकेशन हो जाये तो कोई वजह नहीं कि आपको उसमें दखलियात करनी पड़े। लेकिन होता यह है कि आपके डिपार्टमेंट की सुस्ती की वजह से वह पब्लिश नहीं होता है और होता है तो वह सम्बन्धित गांवों तक नहीं पहुंचती। इसलिये जिस तरह से इसको रेग्युलराइज किया गया है, उस पर तो मुझे आपत्ति है, लेकिन दूसरी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हालत में गवर्नमेंट को पैसा लौटाना पड़ता, इसलिए कुछ हद तक यह उचित भी हो सकता है। लेकिन इस प्रकार के विवाद पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में उत्पन्न न हों, उनको खत्म करने के लिये और उनका तालमेल बिठाने के लिये आपका जो महकमा है उसमें कुछ ऐसे आफिसर्स मुकर्रर कीजिये जो यह ही काम करें।

इसलिये मैं संकल्प को सपोर्ट करता हूं, और यह जो आपने आर्डिनेन्स के द्वारा किया है वह नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल

श्री मीठालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने इस आर्डिनेन्स के बारे में फरमाया, यह सही है कि यदि राज्य सरकार नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों की सीमाबन्दी निश्चित करते समय राजनैतिक प्रभाव से हटकर उपयुक्त तरीके से करती, तो आगे जाकर कोई समस्या पैदा नहीं होती और इस प्रकार के विधेयक लाने की जरूरत तब ही पड़ती है जब आप राजनैतिक प्रभाव से काम करते हैं।

आज चाहे लालसोट और बान्दीकुई का मामला हो, चाहे कोटा का मामला हो, कोटा में कुछ घटाया बढ़ाया, बान्दीकुई में पंचायत का क्षेत्र ले लिया। लालसोट का मामला हाइकोर्ट में चला गया और आज तक उसको नगरपालिका नहीं बना रहे हैं जबकि दस साल पहले भी वहां पर नगर-पालिका थी। बामनवास के बारे में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बामनवास को नगरपालिका न बनाई जाये, इसके लिये राज्य सरकार ने क्या किया कि एक ही में एक घर छोड़ दिया और दूसरा ले लिया, इस प्रकार एक ही कस्बे की दो ग्राम पंचायतें बना दीं ताकि उस कस्बे वाले नगर-पालिका का दावा न कर सकें। इससे क्या होता है कि सही सुधार नहीं हो पाता और सरकार भी रास्ते चलते चक्कर में पड़ जाती है और फिर आर्डीनेन्स के द्वारा उसको ठीक करना पड़ता है।

बामनवास कस्बे में नगर पालिका होने की सभी बातें मौजूद हैं, जनसंख्या भी है, दूसरी बातें भी हैं लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई कि वहां कब नगर-पालिका बनाई जायेगी और लम्बा खींचे जा रहे हैं। जब किसी को कोई ऐतराज होता है तब ही एक कस्बे की दो पंचायतें बनाई जाती हैं। जब ग्राम पंचायत को हटाकर नगर पालिका बनाई जाती है तो आब्जेक्शन्स

(श्री मीठालाल)

का समय भी दिया जाता है। अब वह भी निकल गया फिर क्यों समय लग रहा है ? आप पर राजनैतिक दवाव पड़ता है और सही रूप से जो बात होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। जो भी चीज आप को उपयुक्त लगे, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगरपालिका हो, उसको निश्चितरूप से करिये, उसमें ढील नहीं बरती जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बामनवास का ही मामला नहीं है, राज्य के सारे इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं उनका और उन कस्बों में जिनमें ऐसे हैं जिनमें आप नगरपालिका बनाने जा रहे हैं इसके बारे में न्यायिक दृष्टि से पहले ही इसके उद्देश्य बनाने के लिये यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आगे चलकर किसी प्रकार की अड़चन न आवे, दिक्कत न आवे और इस तरह की पेचीदगियां नहीं आयें इसलिए राज्य सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में ...

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक के समर्थन में या संकल्प के समर्थन में....

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : संकल्प पर बोलना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संकल्प का विरोध कर रहे हैं ? उनको बोलने दीजिये।

श्री दीपंकर : मेहरवानी करके आप समय बचाइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो मेरी पार्टी के निशान हो, इसलिए....

श्री दीपंकर : वह दीप तो अब बुझ गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह दीया तो बुझ नहीं सकता, उसकी जोत....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज आॅर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी संकल्प का स्वागत ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी,

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, यदि मंत्रीजी हमसे अनुरोध करें तो ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, श्री भुवनेश चतुर्वेदी,

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आर्डिनेन्स का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं और इसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आर्डिनेन्स जो सरकार ने निकाला है वह वहां के जनहित में है और कोटा नगरपरिषद् की जनता के सामान्य हित में है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री रामकिशन, प्रो. केदारनाथ, मोहम्मद गफ्फार अली, श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री गुमानमल लोढ़ा,

Page No 56

(56)

(श्री रामनारायण चौधरी)

श्री अजीतसिंह, श्री मीठालाल सदस्य विधान सभा ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संकल्प को गिरा दिया जाय।

श्री केदारनाथ : हम इसको वापिस ले लेंगे वैसे ही।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्यों ने कहा हैं यह विवाद उम्मेदगंज और रायपुर दो गांवों के बारे में हैं। उम्मेदगंज पहले कोटा नगरपरिषद में थी लेकिन राज्य सरकार ने 1960 के एक नोटिफिकेशन द्वारा उसको नगरपरिषद कोटा से निकाल दिया। इस बात का पता उनको किसी को भी नहीं हुआ और वे ओक्ट्राइ वगैरह उस प्रकार के टैक्स देते रहें। अभी हाल ही में 1974 में उनको इस बात का पता चला है कि हमारा क्षेत्र नगर परिषद् कोटा की सीमा में नहीं हैं तो उन्होंने एकाएक ओक्ट्राइ और दूसरे टैक्सेज देना बन्द कर दिया और अदालत में जाकर आर्डर लें आये कि नगर परिषद कोटा को उनसे ओक्ट्राई और अन्य टैक्स वसूल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारा क्षेत्र कोटा नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर आता हैं। तो उस हालत में राज्य सरकार को बहुत हानि उठानी पड़ी और यह आर्डिनेन्स जिसका कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है लगातार इससे लगता है कोटा नगर परिषद को लाखों रुपयों की हानि उठानी पड़ी और हानि होने वाली थी उसको बचाया गया। और नगर परिषद को अधिकृत किया कि रायपुर और उम्मेदगंज उनकी सीमा के अन्दर ही रहेंगे और उन क्षेत्रों में जो आने वाली इन्डस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं और वहां के निवासियों को उसी प्रकार से नगर परिषद् कोटा का टैक्स देय होगा जिस प्रकार कि कोटा के निवासी देते हैं। इसलिए हमको यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा और कोटा नगर-परिषद् की सीमा को रायपुर और उम्मेद-गंज तक बढ़ा किया गया और इसमें मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और यह उनके और वहां के निवासियों के हित में ही हैं और मैं अनुरोध करता हूं सदन से कि इसको गिरा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम अपनी मर्जी से क्यों वापिस लें, मंत्रीजी अगर कहें तो······

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने नहीं कहा तो आप ही विदड्रा कर लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे संकल्प को वापिस ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मंत्री जी का अनुरोध स्वीकार करता हूं और संकल्प को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लेने दिया जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय,

Page No 57

(57)

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा नगर पालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

["कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि गलती से जोड़ दिया जाय और वह ले लिया जाय, हाइ कोर्ट में जाने से ऐसा हो जाय, इस तरफ में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बांदीकुई सारावास गांव को बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र से हटाया गया, आप अपने इन्टरेस्ट से कभी हटाते हों और कभी जोड़ते हो। मैं पूछना चाहता हूं, कि 1973 से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं तो यह कितनी अहमियत का प्रश्न है वहां पर भी आपने भूल की है। 1963 से कई के चुनावों को आप स्थगित कर रहे हैं इसलिए मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करवाना चाहता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कई उदाहरण इस बारे में दे सकता हूं, लालसोट के बारे में नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी नगरपालिका नहीं बनी कहीं आप कोई गलती करते हैं, और कहते हैं कि वह क्षेत्र नगरपालिका में आता नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन स्पष्ट कन्डक्शन्स हैं मेरे इस प्रकार के। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे और इसका ध्यान रखेंगे वह यह नहीं देखेंगे कि मैं जनसंघ का सदस्य हूं अवश्य लेकिन.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जनसंघ के हैं परन्तु आपका मेरा कोई झगड़ा तो नहीं है।

श्री दीपंकर : अजी आपका दीपक तो बुझने वाला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो कभी नहीं बुझेगा, अगर आप आ जाओगे तो बुझ जायगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी में इस आर्डिनेन्स को पास नहीं किया जाय, जो इसका मकसद था वह तो हाइ कोर्ट से पूरा हो चुका है।

एमेन्डमेन्ट निकालने से जब मकसद पूरा होगया तो जो राजस्थान के लोग तड़प रहे हैं कि कब हमारे यहां पर नगरपालिका बनेगी और कब चुनाव होंगे और मैं तो एक प्रार्थना करना और चाहूंगा कि यह है तो बेशक कोटा नगरपालिका के बारे में विधेयक लेकिन यह जो नगर परिषदें और नगरपालिकायें सरकार के हाथ में बैठा दी और आपने कहा था कि जयपुर, कोटा, जोधपुर अजमेर आदि स्थानों पर जहां जहां एक लाख की म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर आइ. ए. एस. अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जावेगा। अब वह आपके प्रशासक कहां हैं? जो कमिश्नर थे वही प्रशासक बनकर जयपुर जैसी नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठा रहे और उसके बाद वह काम करता रहे और अच्छा काम करता करता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भी न जाने क्या हुआ कि उसे यहां से हटा दिया और आपने भगा दिया और आपने एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी। जयपुर जैसे नगर में, जयपुर में भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हवामहल कान्स्टीटुएन्सी में और वह भी विधान सभा के ठीक नीचे जयपुर नगर परिषद् का कार्यालय याने दीये तले अन्धेरा। दूर की बात नहीं है। कंवर नगर में शापिंग सेन्टर बनेगा, रामलीला मैदान ठंडा पड़ा है, सड़कों पर ट्यूब लाइटें नहीं है। आप भी रात को जब वहां से जाते होंगे तो देखते होंगे कि कितना अन्धेरा रहता है। ऐसी बढ़िया बढ़िया योजनायें हाथ में ली थी लेकिन यहां से प्रशासक को भगा दिया।

श्री दीपंकर : कोटा से कहां जयपुर आगये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमें आशा थी कि आप बढ़िया प्रशासक लायेंगे और आपने आइ.ए.एस. अभी तक आफिसर 'ए' क्लास म्युनिसिपैलिटीज में नहीं लगाये हैं। जैसे आप पंचायतों के चुनाव निरंतर टालते चले जा रहे हैं मेरा आरोप है कि नगर परिषदों के चुनावों को भी अनिश्चितकाल तक टाल कर अपने सरकारी अधिकारियों को बैठाकर आप मनमानी करना चाहते हैं।

चौथा प्रश्न यह है कि आप यह स्पेसिफिकली बतायें कि आप राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव और नगरपरिषदों के चुनाव कब तक करा देंगे? एक लाख की म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर आपने आइ. ए. एस. केडर के आदमियों को प्रशासक बनाने की घोषणा की थी और मैंने आपको विशेषकर जयपुर का उदाहरण दिया इसका आप उत्तर दें और यदि आप इसका उत्तर नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कि आर्डिनेन्स से आपकी मन्शा तो पूरी हो गया। इस बिल को आप जल्दी में पास नहीं करायें और जनमत जानने के लिए इसे प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। (अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा। (अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मूलभूत सिद्धान्तों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री सहृदय हैं और इस मामले में काफी गम्भीरता से रुचि लेते हैं और यहां वह बिल भी ले आये हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की मर्जी पर क्यों रखा है? जब चाहा तब डिजाल्व कर दिया और प्रशासक बैठा दिया। यह स्वायत्त शासन संस्थायें हैं क्या जिनको गवर्नमेन्ट चला रही है। मैं समझता हूं कि इसमें बेसिकली परिवर्तन होना चाहिए और सरकार को कान्स्टीट्यूशनल गारन्टी देनी चाहिए। चुनाव होने ही चाहिए और किसी भी कीमत पर होने चाहिए और यदि राज्य सरकार चाहे तो भी उनको टाल नहीं सकती राजनैतिक कारणों से और खासतौर से कान्स्टीट्यूशनल गारन्टी जैसे विधान सभा के चुनावों के बारे में होती है वैसी ही गारन्टी इन नगरपालिकाओं के बारे में होनी चाहिए। दस दस साल और बीस बीस साल तक चुनाव

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

नहीं हों और वहां पर प्रशासक हों और नाम हो कि नगरपालिका है यह उचित नहीं है और सरकार इस बारे में कान्स्टीट्यूशनल गारन्टी दे। मेरी माननीय मंत्री महोदय से यही मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह। (अनुपस्थित)

श्री मालाराम। (अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह। (अनुपस्थित)

श्री केसरीमल। (अनुपस्थित)

श्री पूनमचंद विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश जारी किये गये हैं उस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में पिछले सत्र में और इस सत्र में भी मैं कहता आया हूं। यह बात निर्विवादित है कि राज्यपाल महोदय को अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में जारी करने का अधिकार है लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में और बदलते हुए समाज में नये नये कानून हम देना चाहें और जो कानून विधान सभा के सत्र तक ठहर सकते हैं आसानी से उन्हीं के संबंध में कानून अध्यादेशों द्वारा बनाना इससे मेरा मानना यह है कि जनता के साथ न्याय के साथ अन्याय होने की बहुत अधिक गुंजाइश है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो समाज है वह काफी जटिल है। उसकी समस्यायें दिनोंदिन जटिल होती जा रही हैं। ज्यादा कानून बनते हैं तो ज्यादा टूटते हैं। विकास के काम होते हैं, शिक्षा फैलती है, बिजली फैलती है, रोड ट्रान्सपोर्ट फैलता है, भूमि का हम विकास करना चाहते हैं। उसके लिए कोई नया संशोधन हम कानून से बनाना चाहते हैं और विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, विद्यार्थियों के आपस में झगड़े और उन पर नियंत्रण, इन सबके ऊपर हम विचार करते हैं। प्राचीन समय में या आज से 30 साल पहले याने आजादी के पूर्व कानूनों का दायरा बहुत सीमित था। धन सम्पत्ति के बारे में, व्यक्ति के खिलाफ कोई जुर्म होता हो, मारपीट होती हो, डकैती हो इसके बारे में और लैण्ड रेवेन्यू, टैनेन्सी के बारे में और आबकारी के बारे में यह चार पांच तरह के कानून हुआ करते थे जिससे जनता का सीधा संबंध रहता था और वह कानून भी भारत के सभी प्रदेशों में होता था और उसके मूल सिद्धान्त करीब करीब एक से ही होते थे। एक विधि रचना अधिकारी होता था वह उसका जवाब आसानी से दे देता था। जैसे नेचुरल जस्टिस एप्लाइ करके कि हम व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहते हैं उसमें नोटिस देने का प्रावधान होना चाहिए इस तरह की मुश्किलें होती थीं और उसका विधि रचना अधिकारी आसानी से उस समस्या का हल कर देता था लेकिन अभी जो विचाराधीन विधेयक अपने सामने आयेगा उसमें मिसाल के तौर पर एक हम यह कर रहे हैं कि आगे कुआ कौन खोद सकेगा, कहां खोद सकेगा। इसके बारे में भी एक विधेयक आ रहा है। भूमि को समतल करने के बारे में, उसमें नालियां बनाने के बारे में, इसके संबंध में भी कानून हैं और तरह तरह की बहुत सी परिस्थितियां हैं उनको मीट करने के लिए कानून बनाये जा रहे हैं। तो आज भी जो विधि रचना अधिकारी है वह आमतौर पर टेबल पर काम करता है। वह सब परिस्थितियों को अपने मन में उतार कर सब परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त कानून

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बना दे यह उसके लिए सम्भव नहीं है। इसके लिए आज जिन प्रशासनिक अधिकारियों का हमने गठन किया या जिनको अपाइन्ट किया उनकी क्या गलती है। ग्राम सेवक क्या गलती करता है, यहां पर बैठा अधिकारी उसको अच्छी तरह से नहीं जान सकता और खासतौर से विधि विभाग का अधिकारी कतई नहीं जान सकता। पटवारी किस तरह से काम करता है, नए नए काम जो उसके जिम्मे आते हैं उसमें किस तरह से शरारत करता है और उसकी सुनवाई कितनी मुश्किल होती है। रिवीजन अपील्स के अन्दर कितना खर्चा करना पड़ता है। कल वाला जो राजस्व मंत्री जी का कानून या उसके अन्दर सुनवाई का एक तरीका बताया गया है, हमारी समझ में यह इतना महंगा है कि उसकी सुनवाई कराने के बजाय बीस रुपये टैक्स अदा करना ज्यादा आसान बात है। एक दिन एक कानून आया था जिसमें आने जाने के लिए और उसके पास टिकट न हो तो उसको सजा दे दी जाय। यह यहां बैठा हुआ विधि रचना अधिकारी नहीं कह सकता कि किस तरह से बस में चढ़ते हैं, कहां पर टिकिट लिया गया है किस तरह से उसकी चैकिंग होती है, कण्डक्टर जो नए नए आये हैं वे क्या गलतियां करते हैं या दूसरों से करवाते हैं यह सब विधि रचना अधिकारी नहीं जान सकता। उसका प्रशिक्षण ऐसा नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं, उसका मानस ऐसा नहीं, न उसकी कल्पना है, न उसका अनुभव है। यह उसकी कल्पना के बाहर है क्योंकि नए समाज में नई समस्यायें आ रही हैं। नई 2 समस्यायें पैदा हो रही हैं तो उसमें तालमेल बैठा करके और समाज का काम विधिपूर्वक चले और समाज विकास की ओर बढ़े इसका कानून बनाना आसान काम नहीं है। यह बड़ा कठिन काम है और इस काम को अधिक अच्छी तरह से वही लोग कर सकते हैं जो रात दिन जनता के बीच में बैठते हैं। जिनके पास अधिकारियों की शिकायतें आती हैं। लोगों से मिलते हैं लोगों की शिकायतें सुनते हैं, कुल मिलाकर किस तरह से आर्डिनेंस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको अटेण्ड कर सके इसके लिये उसमें सरलीकरण होना चाहिए। यह पुराने जो कानून बनाने की पद्धति थी उसमें यह बात नहीं थी। दोषी मन को दंडित करने के लिए कानून थे। इस पर कानून बनाना आसान है। एक आदमी को रास्ते में पड़ा हुआ एक कारतूस मिला और उसको जेब में डाल दिया, यह अपने आप में दोष है कानून के अनुसार लेकिन वैसे कोई दोष नहीं है न अपराध है लेकिन चूंकि कानून में इसको अपराध करार करते हैं इसलिए अपराध है और इसे दोषी मान लेते हैं। इस तरह से बहुत से तरीकों से शंकाएं तजवीज की जाती हैं। पचास बोरी सीमेंट रखना कोई गुनाह नहीं है, कोई कानून मना नहीं करता है लेकिन आज की परिस्थिति में पचास बोरी गेहूं रखना मना है। आज रासायनिक खाद बेचना या उसको संग्रहित करना या उसको मिलाना बुरा है। तो बहुत सी आज की परिस्थितियां हैं जिन्होंने नई परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। उसका तालमेल बैठाना विधि विभाग के लिए आसान बात नहीं है। इसलिए विधि विभाग यह क्या हुआ जो कानून में पूरा न्याय नहीं दे सकता या जनता की कठिनाइयों को बढाता है। इसका एक पहलू

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

यह है कि जो प्रशासनिक विभाग जिस बुराई को दूर करना चाहे जिसके बारे में अध्यादेश लाना चाहता है तो उसके सम्बन्ध में अपने डायरेक्शन्स दे, अपने सुझाव दे क्योंकि प्रशासनिक विभाग अपनी कमजोरियों को जानता है, अपनी अच्छाइयों को जानता है, अपनी कमियों को जानता है और उसके लिए क्या तजबीज है उसकी, उसमें किस तरह से सुधार लाना उचित समझता है उसके पीछे उसका पूरा अनुभव है। उसके बदले सिर्फ विधि विभाग को यह कह देना कि इस सम्बन्ध में आर्डिनेंस निकालो और महीने की सजा का या एक महीने की सजा की तजबीज कर दो और जितना उनका अनुभव होगा उसके अनुसार वे कानून बना देंगे। लेकिन एक दर्जी बहुत बढ़िया है उसको कह दिया कि मेरे नाप का कोट बना दो और कपड़ा भी पकड़ा दिया, दर्जी बहुत कारीगर भी है और अच्छे से अच्छा कोट भी बना देगा लेकिन अगर वह मेरे नाप का नहीं बैठा तो वह किस काम का, वह फिट नहीं होगा। तो यह आज के अध्यादेशों के माध्यम से जितने कानून लाए जा रहे हैं उन के अन्दर यह जो व्यावहारिक चीज है उसकी कमी है और उसके अन्दर कानून की मंशा ठीक होते हुए भी उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। उनके गलत इस्तेमाल

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

होने का डर है। इसलिए अगर अध्यादेशों के माध्यम से कानून नहीं बनाने के बजाय इस विधान सभा के जरिये कानून बनाए जायं तो ज्यादा अच्छी तरह से बन सकते हैं। हमारी क्या दिक्कतें हैं, हम हमारे क्षेत्र से गुजरते हैं, हमारे क्षेत्र की क्या कमजोरियां हैं, वहां की क्या परिस्थितियां हैं और उनके लिए किस प्रकार का कानून होना चाहिए वह जितना जन-प्रतिनिधियों को अनुभव है कोई सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को उतना अनुभव नहीं रहता और विधि विभाग के अधिकारी को तो इसका मौका ही नहीं मिलता है। तो प्रशासनिक विभाग को चाहिए कि जो कोई भी करना चाहते हैं, जहां तक आर्डिनेंस का प्रश्न है, उसको कानूनी रूप देने का सवाल है वह रूप विधि विभाग दे देगा लेकिन प्रशासनिक विभाग अपनी ओर से अपने परिपक्व दिमाग के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर यह सब काम में लेकर करना चाहिए तो उसमें गलतियों की कम गुंजाइश रहेगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कानून जो बनाए जायं उनके लिए विधान सभा के माध्यम के द्वारा हों ताकि कानून जनता के लिए वास्तव में उपयोगी हो और पिछले चार पांच कानून अभी बनाए हैं वे तो वापिस लायेंगे। एक दो तो आ भी रहे हैं बहुत जल्दी। क्योंकि जब उनको एप्लाइ किया तो ठीक बैठे नहीं इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय, जो जिस विभाग से सम्बन्धित हैं वह इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही करें और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अध्यादेश बनायें तो पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, सजा को किस तरह से तजबीज किया जाय, क्या सुनवाई का तरीका हो यह सब विभाग देखे। आज विधि विभाग और जो विधि रचना अधिकारी हैं वह हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। उसके दिमाग में वह बात आना सम्भव भी नहीं है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है, प्रस्तुत है मैं इसका समर्थन करने के लिए कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यह नगर परिषद् का सीमायें जो इस आर्डिनेंस के द्वारा बढ़ाई गई थी, वास्तव में पिछले दस बारह वर्ष से यह सीमायें मानकर चली आई थी। जब नगरपरिषद् में जनसंघ दल का अध्यक्ष था तब भी यह सीमाएं मान कर चली गई थी और जो औद्योगिक संस्थान हैं जिनसे चुंगी वगैरा वसूल की जाती थी। इसी तरह जब नगरपरिषद कांग्रेस के हाथ में थी तब भी यह सीमा उसी तरह मानी जाती थी। सवाल यह उठता है कि आखिर यह सीमा की शंका क्यों हुई, इस सीमा के परिवर्तन के लिए आर्डिनेंस लाने की क्यों आवश्यकता हुई।

उपाध्यक्ष जी, जिस समय नगर परिषद् के वार्डों का पुनर्गठन किया जाने वाला था उस समय यह बात सामने आई और औद्योगिक संस्थान वहां के न्यायालय से स्टे आर्डर लाए और यह घोषणा करानी चाही कि उनका क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, नगर परिषद की सीमा में नहीं आता तथा पिछले दस, बारह, चौदह वर्षों से जो कुछ करों की वसूली की गई, उन करों की वापसी के लिए उन्होंने अदालत में कार्यवाही की अत: यह आर्डिनेंस आया पिछली विधान सभा के सत्र में भी यह सवाल उठाया गया। इसके पश्चात् राज्य सरकार ने यह आर्डिनेंस निकाला। हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन खेद की बात यह है कि राज्य सरकार ने इस आर्डिनेंस को निकालने में लगभग चार महीने लगाए। इससे जन मानस पर अच्छा असर नहीं पड़ता, हम यह उम्मीद करते थे कि कोटा के विकास के लिए और बहुत अधिक विस्तृत और बृहद् क्षेत्र बना दिया जावेगा। कोटा नगर का मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुका है। हम उम्मीद करते थे कि जो कुछ मास्टर प्लान में सीमायें हैं वही इस आर्डिनेंस में व्यक्त की जाती पर वह सीमायें इसमें शामिल नहीं की गई। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कोटा के मास्टर प्लान की जो सीमायें हैं वह कोटा नगर परिषद् की सीमायें मानी जानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वजह से नगर परिषद् की सीमाओं में शंकाए उत्पन्न हुई जिस वजह से नगर परिषद् सीमाओं के सिलसिले में अदालत में कार्यवाही हुई इसकी क्या वजह है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इन सीमाओं का सवाल कैसे उठा, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करें कि यह शंकाए कैसे उठी और किस कारण यह बात सामने आई और औद्योगिक संस्थान अदालत में गए। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि एक औद्योगिक संस्थान ने राजस्थान हाइ कोर्ट में रिट पेश की है और वह एडमिट भी हो गई है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार उस रिट को उस याचिका को खूब गम्भीरता के साथ फेस करे और सीनियर एडवोकेट के हाथ में केस दे कर राजस्थान हाइ कोर्ट में इस केस को लड़ा जावे।

इसके साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि सरकारी जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कौन उन शंकाओं के लिए

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

जिम्मेदार हैं। उसके खिलाफ कार्यवाही करे, उचित कार्यवाही करें। यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (छग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आज प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। कोटा नगर परिषद् की सीमाओं के सम्बन्ध में जो यह बिल के रूप में यहां पर आया है वह वास्तव में एक ऐसा प्रश्न था कि जिससे वहां की जनता में एक भ्रांति पैदा हुई और 10-12 साल पहले इस सम्बन्ध में ऐसा समझा जाने लगा कि जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं वह औद्योगिक संस्थान नगर परिषद् की मार्फत ऑक्ट्राय देते थे उस ऑक्ट्राय से बचने के लिए वह औद्योगिक संस्थान ऐसी कार्यवाही करना चाहते हैं कि जिससे वे ऑक्ट्राय से बच जायं और सरकार और नगर परिषद् को लाभ न मिले, हानि मिले। यह बात जब सामने आयी तो ऐसा महसूस हुआ कि किसी न किसी प्रकार से जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं वे करों की चोरियां करना चाहते हैं, और सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब डिलिमिटेशन का काम शुरू हुआ तो मैं समझता हूं कि यह जानकारी मिली और जो जानकारी मिली तो गये सत्र के अन्दर इस बारे में एक प्रश्न यहां पर उपस्थित किया गया कि इसकी सीमा में ये दो गांव रख देने से उन औद्योगिक संस्थानों को जिनसे नगरपरिषद को ऑक्ट्राय की ड्यूटी मिला करती थी और उसमें नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ बनती थी, वह बदस्तूर चालू रहे। इसलिए इन बातों को सोचकर यह आर्डिनेन्स जारी किया गया है ऐसे समय में जबकि औद्योगिक संस्थान इससे बचना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी विचारणीय प्रश्न है कि जिस प्रकार से यह आर्डिनेन्स निकाला गया है उसके अन्दर जितनी भी सीमा होनी चाहिये थी आज की स्थिति में तो वह बकाया गांव भी उसमें शामिल होने चाहिए, क्योंकि उन सीमाओं के शामिल होने से और जो भी औद्योगिक संस्थान हैं वहां पर और जो कोटा का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है उनसे नगर परिषद की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत बनती है और जितनी भी ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं ताकि वह इन्स्टीट्यूशन्स नगर की सेवा करने में सक्षम बन सकें और नगर में जितनी कठिनाइयां आ सकती हैं वहां की नगर परिषद उन समस्याओं को हल कर सके। यह दुःख की बात है कि ऐसी सीमाओं को इसमें इन्कॉरपोरेट नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि वह भी सीमाएं जो कि इसमें आनी चाहिये थीं इसमें इन्कार्पोरेट की जायं जिससे कि वहां की जनता के हित में काम हो। माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ सीमाएं अभी तक छूटी हुई हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उन सीमाओं को इसके अन्दर शामिल किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह आर्डिनेन्स जो निकाला गया है और जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं, और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि समय में रह कर ऐसा कार्य किया गया कि जिससे कोटा की जनता को लाभ

(श्री ओंकार लाल चौहान)

होगा और नगरपरिषद् को लाभ हो सकेगा। इस प्रकार का बिल बनाने के लिए राज्य-सरकार धन्यवाद की पात्र है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव और दूसरे माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अपने प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्यों ने कोई भी कथन प्रस्तुत नहीं किया मान्यवर कि जिसके बारे में मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता है, फिर भी कुछ बातें मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो........

श्री दीपंकर : यह जनमत जानने वाला नहीं है। यह तो... ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जनमत का ही है। आप देखिये। आप यह आदेश कहां से दे देते हैं मैं समझ नहीं सका।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गोपाल जी के रास्ते की भांग पीकर आये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उद्देश्यों और कारणों का विवरण जो मैंने सदन के सामने रखा है उनको यदि ध्यानपूर्वक, मान्यवर, पढ़ा जाता तो उद्देश्य और कारणों में इतना स्पष्ट है कि यह विधेयक जो सदन के सामने विचारार्थ और पारण के लिए प्रस्तुत है वह इसलिए नगर परिषद कोटा के और वहां के निवासियों के हित के लिए जरूरी था।

मान्यवर, कोटा नगर परिषद के पास में उम्मेदगंज और रायपुर यह दो गांव हैं। जिनमें रायपुर नगर-परिषद की सीमा में कभी नहीं था और उम्मेदगंज था, लेकिन समय के बाद उम्मेदगंज को नगरपरिषद् की सीमाओं से अपवर्जित कर दिया गया था और उस अपवर्जन का पता इस क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जब चला तो उन्होंने उस जानकारी से फायदा उठाना चाहा। इस बहाने से जो लाखों रुपयों का टैक्स नगरपरिषद को दिया था उन्होंने उसको वापिस लेना चाहा, और आगे के लिए भी किसी भी प्रकार का ऑक्ट्राय और म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं देना चाहते थे और न देने के लिए तथा दिया हुआ वापिस लेने के लिए वे कोटा की अदालतों, कोर्ट आफ लाज में गये और वहां से इस बात का स्थगन आदेश लिया कि जब तक इसका निर्णय न हो जाय तब तक कोटा नगर परिषद् किसी भी किस्म का ऑक्ट्राय या टैक्स इनसे न ले। यह ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि वहां की नगरपरिषद् वर्क नहीं कर सकती थी। राज्य सरकार के सामने यह मामला आया और वह लोग हाइ कोर्ट में भी गये, तो यह जरूर हो गया था कि इस प्रकार का एक कानून लाया जाय ताकि कोटा नगर परिषद् का अस्तित्व निरन्तर उम्मेदगंज और रायपुर को शामिल करते हुए समझा जाय। तो यह आर्डिनेन्स लागू किया गया था।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्डिनेन्स के सिद्धान्तों के बारे में अपनी राय बताई, लेकिन जहां तक यह विधेयक जो आपके सामने है इसके बारे में कोई चर्चा व्यक्त नहीं की गई। मगर इसमें जो दिक्कत

(श्री रामनारायण चौधरी)

थो उसको आप मान भी रहे हैं कि इस मामले में जो आपके सामने विधेयक है उसका बिना आर्डिनेन्स के काम नहीं चल सकता था……

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप विधान सभा में कानून बना लेते पहले ही।

श्री रामनारायण चौधरी : पहली विधान सभा के बाद में आया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक है साहब।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं आपके द्वारा सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जनमत जानने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अथवा किये गये हैं वह कोई वजन नहीं रखते हैं और अस्वीकार करने योग्य हैं। इस बारे में उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को उनका प्रस्ताव लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड (2) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड (3) पर निम्नलिखित संशोधन विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं:—

"(1) उपखण्ड (ख) को उप-खण्ड (ग) पुनः संख्यांकित किया जावे, और

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित नया उपखण्ड (ख) अन्तः स्थापित किया जावे—

(ख) वे सभी व्यक्ति जो, कोटा नगरपालिका की सीमा के भीतर, रायपुर और उम्मेदगंज ग्रामों का समावेश न होने के कारण नगरपालिका अधिनियम के अधीन देय किसी कर के दायित्वाधीन नहीं थे, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त सीमाओं के भीतर इन ग्रामों को सम्मिलित

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर लिये जाने पर अथवा उक्त सीमाओं के भीतर इन ग्रामों के निरन्तर अस्तित्व की विधि मान्यता होने पर, नगरपालिका अधिनियम के अधीन देय कर संदाय करने के दायित्वाधीन होंगे तथा सदैव ही दायित्वाधीन रहे समझे जायेंगे और नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनसे ऐसे करों का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा।''

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें कुछ अर्ज करना है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री केदारनाथ : यह अमेण्डमेण्ट मूव कर रहे हैं, वह सरकुलेट हो गया है।

संशोधनों का अग्रिम प्रचारण

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: यह सरकुलेट कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 में है, यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ....

यहां पर प्रश्न यह है कि नियमों के अनुसार सरकुलेशन आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी जनमत जानने के संकल्प के सम्बन्ध में कोटा जिले से आने वाले माननीय सदस्य को सुना है, तो उनकी भावनाओं को देखते हुये मैंने आसन की ओर से अनुमति दी है।

श्री केदारनाथ : अमेण्डमेण्ट तो ठीक है। मिल तो जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह साइक्लोस्टाइल मिल तो जाये। वहां तो आप बनाकर कुछ भी रख देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने पढ़कर सुना दिया है।

विधेयक पर खण्डशः अग्रेतर विचार

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने जो अर्ज किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका सुझाव मान्य करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अभी तक तो यह है कि इसमें क्या किया जाये। मेरा निवेदन यह है कि आप जो भी कानून बनायें, वह पक्का और पुख्ता बनायें। पूरी तैयारी करके बनायें। अध्यादेश या एक व्यक्ति के दिमाग लगाने से नहीं हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : डायनामिक····

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कानून तो खुद ही ऐसा डायनामिक बनाना चाहिए। कानून लॉजिकली होना चाहिए। ब्रिटेन का कानून लिखा हुआ कानून नहीं है। लेकिन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

परम्पराओं ने इस प्रकार का कानून का रूप धारण कर लिया है। जो जरूरी है, उसकी पूर्ति करना जरूरी है। पहले हम अपनी मनःस्थिति को ठीक करें। अपने मन को ठीक कर लें। अब तय कर लिया तो कर लिया।

श्री केदारनाथ : एक कैम्प और लगेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा मतलब यह है, जहां तक मैं सोचता हूं, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें।

श्री केदारनाथ : श्री जोशीजी अब आपका कैम्प चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : कौनसा कैम्प ?

श्री केदारनाथ : पार्टी का।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा नगर पालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड 3 में जो प्रभारी मन्त्री जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा नगर पालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड 4 में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :-

(I) उपखण्ड (ख) में अभिव्यक्ति 'की जा सकेगी' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'की जावेगी' प्रतिस्थापित की जावे।

(II) उप खण्ड (ख) के पश्चात् निम्न नया उपखण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जावे:-

(ग) ऐसे सभी वाद, अपीलें तथा अन्य कार्यवाही जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी न्यायालय में किसी अनुतोष के लिए इस आधार पर लम्बित थे कि रामपुरा और उम्मेदगंज कोटा नगर पालिका की सीमाओं के भीतर विद्यमान नहीं थे, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर वे सभी वाद, तथा अन्य कार्यवाहियां खारिज कर दी जावेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा नगर पालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड 4 में प्रभारी मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कोटा नगर पालिका सीमा (निरन्तर (अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड 4 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

Page No 68

(68)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 4 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और भी कोई संशोधन हो तो पेश कर दो।

एक माननीय सदस्य : एक और है।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अब मेरा कोई संशोधन नहीं है। मैं सदन को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि खण्ड 5 से 8 स्वीकार किया जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड 5 लगायत 8 के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 लगायत 8 के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से, कोटा नगर पालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 पारण हेतु प्रस्ताव करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैंने कई प्रश्न पूछे थे। पर खेद है कि उन्होंने एक का भी उत्तर नहीं दिया है। और बिल को पास करवाने में जल्दी कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य बोलते हैं, परन्तु आपने उत्तर नहीं दिया है और भाई विश्नोईजी ने जो बात कही, उसके लिए भी आपने कहा है कि यह सम्बन्धित नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप राजस्व मन्त्री जी से पूछें, वह जबाव देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मेरा निवेदन है कि कोटा नगरपालिका की सामाग्रों का आपने जोड़ा है। यह पहला बिल है। यह कोटा से माननीय सदस्य आये हैं, उनको निवेदन करूंगा इससे पार नहीं पड़ेगी। हाउस में इसलिये बैठे हैं। हमारी राज्य सरकार है, हमने चुन कर बैठाया है, 77 तक यह सरकार है…

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता ने बैठाया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता ने क्या बैठाया। देखना अबकी बार। अब फिक्र मत करो। चार उप चुनाव हुए हैं, उनसे सबक सीखो।

श्री ओंकारलाल चौहान : गोटेवाला भी मजबूत हैं आपसे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोटा वाली बात कही, बांदीकुई वाली बात नहीं कही। यह अच्छी बात नहीं है। नगरपालिका जो है, मैं गया था-बांदीकुई। मुझे लोगों ने कहा है कि राजस्थान की विधान सभा में इस प्रश्न को उठाऊं ••••••

श्री दीपंकर : अब की बार बांदीकुई से लड़ने का इरादा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इरादे का प्रश्न नहीं। दोनों का एक साथ नोटि-फिकेशन नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान विधान सभा में बोल रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर छोड़ कर वहां जाने का इरादा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका पिण्ड नहीं छोड़ूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप पिण्ड नहीं छोड़ेंगे, मेरा पिण्ड जरूर पकड़ेंगे- ऐसा लग रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोग बही खातों पर श्रीराम लिखते हैं। आपका पिण्ड नहीं छोड़ने वाले हैं। आप गलती से वहां हैं। आपको हमारे साथ होना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका नाम निकाल दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका नाम जीवित करने के लिये गरुड़ पुराण पढ़ा था। आपकी आत्मा भूत हो जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको पता नहीं है, गरुड़ पुराण कब पढ़ा जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब भूत बन जाय और लोगों की मूलभूत आवश्यकता पूरी न करें तो आपकी आत्मा को जगाने के लिए गरुड़ पुराण पढ़ने की आवश्यकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : घर में न पढ़ लें गरुड़ पुराण मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : घर में नहीं, यहां पढ़ा है लोगों की मूलभूत आवश्य-कताओं को पूरा करने के लिए, आपकी आत्मा जगाने के लिए।

आज नगरपालिकाओं की हालत राज-स्थान में क्या है। मैंने माननीय मन्त्री महोदय से यह स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था। मैं घोषणा कराना चाहता हूं इस विधान सभा में कि राजस्थान की इन नगर पालिकाओं के चुनाव कब करायेंगे, कब तक आप प्रशासक महोदय वहां बैठायेंगे, 'ए' क्लास म्यूनिसिपल बोर्ड में कलेक्टर लेवल के प्रशासक को रखने का बिल आना चाहिए था, वह कब तक लायेंगे, कब तक बनायेंगे ? आपने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे बढ़िया और उपयुक्त समय सदन में घोषणा करने का, कि इस तिथि तक चुनाव कराने हैं, हो नहीं सकता। आज नगरपालिका की हालत क्या है, आपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिये। नगरपालिका आज अपनी जमीन बेच नहीं सकती है, एक रुपये की जमीन भी नहीं बेच सकती है। पांच सौ रुपये की जमीन नीलामी में बेचेगी या एक रुपये की जमीन बेचेगी तो आपके कलेक्टर

Page No 70

(70)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की फ़ेस स्वीकृति आवश्यक है। नगरपालिकाओं को इस प्रकार पंगू बना दिया है। फिर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आज हालत यह है कि हाउस टैक्स आज नगरपालिका लेती है, जयपुर शहर की नगरपालिका का उदाहरण मैं देना चाहूंगा दस हजार रुपया राज्य सरकार की इमारतों में बकाया पड़ा हुआ है। सरकार आपकी है, एडमिनिस्ट्रेटर आपका है, चुनी हुई नगरपालिका आज है नहीं, इसलिए जयपुर नगर परिषद् का हाउस टैक्स का रुपया जो राज्य सरकार की इमारतों पर बकाया था, उसको बेबाक कर दिया। इस प्रकार नगरपालिका की जो आय का स्रोत है, उन पर धीरे धीरे कब्जा करते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि अधिकरण आयेगा नहीं। वह आजाय तो मुझे शंका है, जयपुर नगर परिषद् के जो आय के स्रोत हैं, उन पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। आपने पहले भी कब्जा किया है, कब्जा किया है मनोरंजन कर पर। कल बिल ला रहे हैं, सरचार्ज का। 75 लाख की जयपुर में मनोरंजन कर से आय है, यहां पर नो सिनेमा घर हैं, उनसे आप दस रुपया अतिरिक्त सो का लेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जिस समय बिल हो उस समय उस पर बहस हो तो अच्छा है। इस प्रकार वक्त खराब हो जाता है।

श्री केदारनाथ : जो स्पीच कन्ट्रोलर है, उससे कंट्रोल रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि मैं नगर परिषद् की बात कह रहा हूं। म्यूनिसिपल कौंसिल में भेजने के लिए आपको योग्य नहीं समझा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हवाई बात कहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह सुझाव है। क्यों वक्त जाया हो।

श्री दीपंकर : सदन में आपने यह निवेदन किया था कि आज तीन बिल हैं ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लाउड स्पीकर बन्द हो गया।

श्री दीपंकर : वह बन्द नहीं हुआ, जारी है। तीन बिल जायेंगे, उस सम्बन्ध में आपने शादियों की बात कही थी। अब मैं शादियों की बात कह रहा हूं, इसलिए लम्बा मत करें और अप्रासंगिक बात मत कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसमें आपका भला है, गफ्फारजी को चिन्ता इसलिए नहीं है, नगर परिषद् के मेम्बर चुने नहीं गये, गाय की पूंछ पकड़ कर एम. एल. ए. बन गये। इसलिए विधान सभा की बात बोलते हैं। आपके साथ चुन कर आये हैं, म्यूनिसिपल कौंसिल का उन्हें ज्ञान नहीं है। मैं नगर परिषद् का 25 साल से मेम्बर हूं। मैं उस अनुभव के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : पूंछ की फटकार ऐसी लगाने वाली है गाय कि दिया बुझेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह नहीं बुझेगा, आप बुझ जाओगे, यह जलता रहेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बुझते हुए दीये की आखिरी लौ जली है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मर जाओगे तो आपकी छाती पर जलेगा। घर में दीपक के बिना काम नहीं चला सकते। भाभी से पूछ लेना।

श्री दीपंकर : छाती पर वो तब जलता है जब····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेहरबानी करके जयपुर नगर परिषद् को साढ़े चार लाख रुपया दिया, पिछले साल ड्योढ़ा कर दिया। जबकि दस परसेन्ट सरचार्ज बढ़ा दिया मैं निवेदन करना चाहूंगा, नगर परिषद् का जो हिस्सा है, वह बढ़ी हुई दर से, सरचार्ज के हिसाब से, मिलेगा या नहीं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर। मैं गिरधारीलालजी से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे उस वक्त मैं म्युनिसिपल कौंसिल में चुना गया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने नहीं देखा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यू वर नाट बोर्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप पैदा हुए उससे पूर्व की बात कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह नहीं चुने गये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नगरपालिका के अन्दर नहीं चुने गये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जब पहला चुनाव हुआ था उस वक्त चुना गया हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं पैदा कम्युनिस्ट पार्टी को समाप्त करने के लिए हुआ हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पूर्व जन्म में।

श्री दीपंकर : यह सपना पूरा होने वाला है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : छः पुश्तों में भी पूरा होने वाला नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कब पैदा हुए, यह पता लगाया ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कब की पैदाइश है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1932 की।

श्री दीपंकर : आप घर में पैदा हुए या बाग में पैदा हुए ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करने जा रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् की आय है उस पर राज्य सरकार ने एन्क्रोचमेंट कर लिया है।

दूसरी मेरी प्रार्थना है, वह मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, सरकार ने मण्डी टैक्स

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लगाया है, सब्जी और फल पर लगाया है उससे सारे लोग परेशान हैं। मैं प्रेक्टिकल रूप में निवेदन करूंगा, नगर परिषद् द्वारा दोनों सब्जीमण्डी और हठवाड़े का ठेका होता था, उसका सारा पैसा राज्य सरकार ने मण्डी टैक्स के नाम से ले लिया। जयपुर में पुदीना, धनिया आता है उस पर टैक्स लगा दिया, यह कहां की व्यवस्था है। यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया ने घोषणा की थी कि जयपुर में सब्जी पर टैक्स नहीं लगायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर क्राफ्ट इण्डिया 75 लग रही है, उस पर एन्टरटेनमेंट टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि वह लोग प्रभावशाली हैं। वहां पर जुआ खेला जा रहा है, झनक–झनक पायल बज रही है.....

श्री श्रीराम गोटेवाला पायल डांस आपने देखा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह बिल लाये, आखिरकार आपका क्या इन्ट्रेस्ट है। यहां नगर परिषद् जयपुर ने चांदपोल बाहर श्मशान को लेवलिंग करने की योजना बनाई, तीन सौ पड़ियों को पक्का बनाने के बारे में नगर परिषद् ने योजना बनाई, रामलीला ग्राउन्ड की योजना बनाई, स्टेशन के सामने एक रेस्ट हाउस बनाने की योजना बनाई, बाजार में बैठने की व्यवस्था बनाई, बाजारों में ट्यूब लाइट डालने के बारे में योजना बनाई लेकिन इस प्रकार धीरे धीरे नगरपालिका की आय पर कब्जा करते आ रहे हैं। आज नगर परिषद् में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, आज नहीं तो कल नगरपालिकाओं का चुनाव होगा और चुने हुए प्रतिनिधि आयेंगे, कई विधायक चुनाव लड़ेंगे विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी पार्टी के लोग लड़ेंगे, लेकिन सरकार ने नगरपालिकाओं को इस प्रकार पराधीन बना दिया है, इस प्रकार पंगु बना दिया है, एडमिनिस्ट्रेटरों को इनकी छातियों पर लाकर बैठा दिया है। इसलिए उनकी आय पर कब्जा करना अच्छी बात नहीं है। आपने जमीन बेचने पर अंकुश लगा रखा है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब आप मेरी बात को नहीं टाल कर राजस्थान की ए क्लास म्यूनिसिपैलिटी में आइ.ए.एस. प्रशासक लगाने की जो घोषणा की थी, वह कब तक लगायेंगे, नगरपालिकाओं के चुनाव किस तिथि तक करा देंगे ? बांदीकुई बालसोट के बारे में मेरा निवेदन है कि नगरपालिका घोषित करने कब जा रहे हैं ? मेरा निवेदन है कि मेरी बात को नहीं टालेंगे और बिल पास करने के बाद टालू बात न कह कर इन बातों को कब तक लागू कर देंगे ?

श्री दीपंकर : मैं एक बात कह दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं देता श्री गुमान मल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा नगरपालिका सीमा संबंधी जो अध्यादेश अब बिल के रूप में एक्ट बनाने के लिए आया है उस संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार पीसमील एक्ट्स बनाती है जिसके कारण एक एक इश्यू को लेकर अलग अलग कान्ट्रेडिक्टरी लेजिस्लेशन्स

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

होते हैं। अर्थाभाव के कारण नगरपालिकाओं की स्थिति दयनीय होती है। जोधपुर नगर में वहां इंडस्ट्रियल एरिया नगर पालिका क्षेत्र के बाहर है, इस निर्णय के कारण माना हुआ है कि उसके बाद में नगरपालिका को लाखों रुपये की आय जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से हो सकती थी वह नहीं होगी। वे आज एक पैसा भी नगरपालिका को किसी प्रकार से कर के रूप में नहीं देते लेकिन पता नहीं हमारे मंत्रीजी कभी कोटा के लिए वेलिडेटिंग एक्ट अध्यादेश के द्वारा बताते हैं, संविधान की धारा 273 के तहत। जैसे एक रात में पता लग गया कि ऐसी स्थिति बन गई है जो कई सालों से हो रही थी लेकिन जब एक्ट लाते हैं तो दूसरे स्थानों को भूल जाते हैं, यह ठीक नहीं।

पूरे राजस्थान को देखकर हमारे म्यूनिसिपल एक्ट में प्रावधान हैं कि सेक्शन 3,4, 5, 6 व 7 के तहत नोटीफिकेशन निकालकर एरियाज को इनक्लूड या एक्सक्लूड किया जा सकता है, उसके लिए आवश्यक कार्यवाही इतनी करनी होती है कि पहले नोटीफिकेशन गजट में निकाला जाए, आपत्तियां ली जायं उसका निर्णय करके एरिया को इनक्लूड किया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता है। यह तो सरकारी मशीनरी का दोष है या कोटा नगरपालिका में आयुक्त होंगे या अन्य व्यक्ति होंगे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति जैसे डी.सी.एम. या जे.के. हैं उनसे सांठ गांठ करके इस एरिया को बाहर रखने का प्रयास किया होगा जिस कारण से ऊपर से यह बतायें कि हमारे पास एरिया है, टैक्स वसूल करेंगे। दूसरी ओर इस लेकुना के कारण उद्योगपतियों को मौका मिलेगा कि कोर्ट्स में सारे कलेक्शन्स इन्वेलिडेट करवायें। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रकार का कल्यूजन किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करना चाहिए।

राज्य सरकार दुर्भावना के साथ में नगरपालिका क्षेत्र में काम करती है। एक तरफ अध्यादेश लाया जाता है एक एरिया को इनक्लूड करने के लिए इस एक्ट का तो स्वागत है दूसरी ओर 22 तारीख को नोटीफिकेशन निकाला कि एक नगरपालिका जो अपनी आमदनी अप्रैल से ले रही थी उसको अब निरस्त कर दिया। वहां के व्यापारी पैसा इकट्ठा करके लाए और यहां पर आकर चक्कर लगाए और आज्ञा प्रसारित करा दी और जो नोटीफिकेशन दो साल पहले जारी किया था उसको हम वापस लेते हैं। मामला विचाराधीन है लेकिन किसी हाथों में से नगरपालिका के आय के साधन जो लोग हटाना चाहते हैं वे अपने निहित स्वार्थों के लिए करते हैं, उनके हाथ में खेलकर नोटीफिकेशन निकाल दिया जिससे जो चुंगी ली जाती थी उससे वह नगरपालिका वंचित रही। केवल इस कारण से कि उस नगरपालिका में विरोधी दल का बहुमत है, कांग्रेस का अल्पमत है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, यह शासक दल के लिए उचित नहीं। किसी भी अच्छे प्रशासन के लिए अच्छा नहीं क्योंकि वहां विरोधी दल का बहुमत है इस कारण से उनको उचित आय से वंचित कर दिया जाए और कांग्रेस का बहुमत आजाएगा तो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अध्यादेश निकाल देंगे। यह दुर्भावनापूर्ण बात है स्वायत्त शासन विभाग द्वारा और इसमें स्वयं मुख्य मन्त्री सहमति देने वाले व्यक्ति हैं। वह निश्चितरूप से राजस्थान की नगरपालिकाओं में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपने चुनाव का नोटीफिकेशन निकाला उसके बाद में आबू पर्वत की नगरपालिका में चुनाव नहीं कराए वहां से कांग्रेस के लोग डेप्युटेशन लेकर आए, उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे तो जनसंघ जीत जाएगा, अत: नोटीफिकेशन निकालने के बाद भी आपने टाल दिया। इसी प्रकार सीकर जिले में कई स्थानों पर टाल दिया। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया स्वायत्त शासन विभाग में रहता है जिसके लिए रॉयल कमीशन ने कहा था····

श्री श्रीराम गोटेवाला: कौन सी जगह बहुमत लाए हो।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: चुनाव कराओ तब पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने दल के नेता का तो डिस्टर्ब न करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जो मेरे नेता को डिस्टर्ब करेंगे मैं उनको जवाब दूंगा।

श्री गुमान मल लोढ़ा: मुझे इस बात का खेद है कि इस विषय पर सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि नगर पालिका क्षेत्रों में कई स्थानों पर तो चुनाव करा दिए बाकी स्थानों पर क्यों नहीं कराया? जयपुर जोधपुर में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, अन्य स्थानो पर चुनाव परिणाम का इम्पेक्ट पड़े यह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन इन नगरों में चुनाव न कराने का क्या बहाना है? एक तरफ संशोधन लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं, चलते हुए बिल में संशोधन करते हैं जैसे रनिंग कमेंटरी होती है। वह अपनी अकर्मण्यता के कारण सदन को भुलावे में रखते हैं लेकिन कम से कम जो परम्परा है उसमें सब को अवसर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी उसके बाद आपत्ति नहीं। वहां से कागज आते हैं, वे पास हो जाते हैं। नगरपालिका के क्षेत्र में बहुत बड़ा घपला है इसलिए पीसमील लेजिस्लेशन का मैं विरोध करता हूं बिल का तो मैं स्वागत करता हूं। कहीं बहुमत है, कहीं अल्पमत है, अलग 2 तरीके से अनुदान देते हैं, कहीं ज्यादा देते हैं कहीं कम। जोधपुर में सारे बाजारों में खड्डे पड़े हुए हैं वहां एडमिनिस्ट्रेटर है, सारी स्थिति दयनीय है वहां हर व्यक्ति को लगेगा जैसे नगरपालिका है ही नहीं। यहीं पर दो साल पहले स्वर्गीय मुख्यमन्त्री बरकत साहब ने घोषणा की थी कि पहले जयपुर का विकास करेंगे उसके बाद जोधपुर को लेंगे लेकिन आज तक किसी प्रकार का सुधार नहीं। इस बिल को पारित किया जाय लेकिन मन्त्री महोदय इस प्रकार किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे और सारे राजस्थान को सामने रखकर दलबन्दी से ऊपर उठकर राजस्थान के नगर पालिकाओं के विकास की योजना बनायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और उसके साथ साथ दूसरी नगर पालिकाओं के बारे में भी बातें कहीं, सुझाव दिये ।

अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और जनसंघ के नेता महोदय ने भी शिवगंज नगरपालिका की ऑक्ट्रोय के बारे में जिक्र किया । शिवगंज नगरपालिका सिरोही जिले में है । ऑक्ट्रोय नगरपालिका ने प्रपाज की थी और राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दी थी । ऑक्ट्रोय का शिड्यूल स्वीकार हो जाने के बाद में वहां के गणमान्य प्रतिनिधियों ने और व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के समक्ष यह बात रखी कि जो ऑक्ट्राय शिड्यूल आपने मंजूर किया है वह काफी बढा चढ़ा है और शिवगंज के व्यापार का देखते हुए यह चाहेंगे इस पर विचार करें क्योंकि दरें अत्यधिक ज्यादा हैं । राज्य सरकार ने यह मुनासिब समझा कि नगरपालिका, जन-प्रतिनिधि और व्यापार मंडल के सदस्यों से बातचीत करके एक कम्प्रोमाइज फार्मूला तय कर लिया जाय और ड्यूटी लगा दी जाय । लेकिन राज्य सरकार ने स्टे किया था, नगरपालिका हाइकोर्ट में चली गयी यह बात लेकर कि राज्य सरकार को स्टे देने का वैधानिक अधिकार नहीं है । रिट एडमिट हुई और राज्य सरकार ने जो आदेश दिये थे उन पर रोक लगा दी गयी । ऐसी स्थिति थी कि या तो जो ऑक्ट्रोय लगाया गया था वह रहने दिया जाय····

श्री उपाध्यक्ष : हाइकोर्ट में पेन्डिग है इसलिये इस पर विवेचन न किया जाय ।

श्री रामनारायण चौधरी : उस पर मेरी राय जाहिर नहीं करूंगा लेकिन ऑक्ट्रोय के बारे में जो बात उठाई गयी है उसका शंका का निवारण करना आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष : नगरपालिका के नाम का संकेत माननीय सदस्य ने नहीं किया था ।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां के पार्लियामेन्ट के सदस्य, विधान सभा के सदस्य और व्यापार मंडल के सदस्य उनसे बात करके उनका जो रिप्रेजेन्टेशन था उस पर मुनासिब समझा कि जो नोटिफिकेशन ऑक्ट्रोय लगाने का जारी किया है उसको वापिस ले लिया जाय और सब ही पक्षों की बात करके कम्प्रोमाइज फार्मूला तय करके ऑक्ट्रोय लगाया जाय ।

राज्य सरकार की मंशा यही रही है कि वह किसी नगरपालिका के हित के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहती । राज्य सरकार चाहती है कि नगरपालिका साधन बढाये और राज्य सरकार उसको मदद दे । माननीय सदस्य ने जिसके बारे में जिक्र किया है उसके बारे में भी वह ही है । शीघ्र ही कम्प्रामाइज फार्मूला लाकर शीघ्र ही नये आदेश जारी किये जावेंगे ।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी राय जाहिर की ····

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस पर नहीं ।

Page No 76

(76)

श्री रामनारायण चौधरी : जनरल ओपिनियन दी, ऐसा कानून आना चाहिये कि जिसमें पचास साल तक भी तरमीम न हो। माननीय सदस्य स्वयं विधि विधान कानून के पंडित हैं, ज्ञाता हैं। उनसे इस विषय में अधिक न कहते हुए यही कहूंगा कि आज की बदलती हुई डायनेमिक सोसाइटी के अन्दर, आपका काम केवल कानून बनाना है उसकी व्याख्या करना नहीं है। जैसे जैसे व्याख्या होती है, उसमें संशोधन आने चाहिये आप उसको रोक नहीं सकते।

कोटा नगरपालिका सम्बन्धी विधेयक पर आज विचार होने से पहले ही कल मैंने विधि विभाग, नगरपालिका, कोटा के प्रशासक और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों से बात की थी। मैंने पूछा था कि इसको लाने के बाद नगरपालिका क्या इमदाद दे सकेगी। क्या स्थिति है? जिन अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं बदस्तूर चल रहे हैं। अदालतों में उपस्थित होंगे, अपना पक्ष रहे, कानूनी राय लेकर जो रिलीफ मिल सकता था वह सीक किया। मुझे बताया गया कि वे सब चेष्टायें कीं। उसके बावजूद भी कानून के जानकारों का यह मानना है कि दोनों अर्थ हो सकते हैं, कोर्ट में चालान हुए केस खत्म भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यह रिलीफ देने वाला मैंजर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें भी शंका रख रहे हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कि अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं, उस पर विचार किया जाय।

अभी सदन ने कृपापूर्वक माना है। वे अमेन्डमेन्ट जो कोटा नगरपालिका के हित में थे माननीय सदस्यों के विचार और आकांक्षाओं को आघात पहुंचाने वाले अमेन्डमेन्ट नहीं थे।

कानून की व्याख्या में मैं नहीं पड़ना चाहता। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आप कोर्ट में जाते हैं। एक डिविजन बेंच में जाते हैं या फुल में जाते हैं। पक्ष और विपक्ष वालों को सुना जाता है। गुमानमलजी साहब हाइकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आपके सामने बिराजमान हैं। आपने बात कही। वहां भी फैसले होते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि दो इधर और तीन उधर होते हैं। इस तरह से फैसले होते हैं। जिस मुल्क की इस तरह की लोक-तन्त्रीय पद्धति है, कानून की व्याख्या करने का अधिकार आपने अपने पास रखा है। जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय संविधान के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार आपको है और व्याख्या करने का अधिकार देश की अदालतों को है। जैसे 2 आवश्यकता होगी वैसे 2 कानून में परिवर्तन आवेंगे संशोधन होंगे, आलोचना आवेंगी। कोई सरकार यह आश्वासन नहीं दे सकती कि ऐसा नहीं होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : समझ में आ गया।

श्री रामनारायण चौधरी : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक का स्वागत किया है। लेकिन इसके संदर्भ में अपने अधिकार का दूसरी नगरपालिकाओं के बारे में प्रयोग करते हुए कहा। कुछ नगरपालिकाओं के लिये कहा। आपने एक नगरपालिका का नाम लिया। उसका मामला कई वर्षों से राजस्थान उच्च

(श्री रामनारायण चौधरी)

न्यायालय के पास चल रहा है और जिस कारण से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।

जहां अदालतों से स्थगन आदेश आ गये हैं कि अग्रिम कार्यवाही न हो, आप स्वयम् कानून के जानकार हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की बड़ी चिन्ता व्यक्त की है कि नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि नगरपालिकाओं के चुनाव हों और कई नगरपालिकायों के चुनाव करवाये भी गये हैं। अब तक 74 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये गये हैं और शेष नगरपालिकाओं के चुनाव भी सरकार शीघ्र ही करवाना चाहती है। परन्तु चुनावों से पहले कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, नगरपालिकाओं के सीमा सम्बन्धी मामले होते हैं, वहां के वार्ड होते हैं उनका विभाजन करना होता है और भी कई ऐसी बातें हैं जिनको चुनाव कराने से पहले अपनाना पड़ता है उसमें काफी समय लगता हैं। अब तक 50 वार्डों का विभाजन अन्तिमरूप से राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है और राज्य सरकार यह भी चाहती है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के अन्दर जो प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है, जहां पर प्रशासक काम कर रहे हैं और यह चाहती है उनमें जल्दी से जल्दी लोकतंत्रीय व्यवस्था कायम की जाय। चुनाव कब कराये जांय, यह मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि इस बारे में यह मामला मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो बजट सत्र है, इसके समाप्त होने से पूर्व ही मैं इस बारे में आपको सूचना दे सकूंगा कि राज्य सरकार इनके चुनाव कब कराना चाहती है। इस चालू सत्र के अन्दर ही यह सूचना मैं दे सकूंगा।

श्री मीठालाल : यह तो बताइये कि चुनाव कब हो जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा।

श्री मीठालाल : घोषणाओं पर विश्वास कौन करते हैं, आपकी ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रजा लोग तो भूखों मर रहे हैं और आपको चुनाव की लग रही है।

श्री दीपंकर : अकाल की वजह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और आप चुनाव की बात कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि चुनाव करायेंगे या नहीं। आप तो यह कह दीजिये कि 1975 में चुनाव हो जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि सभी माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने अपने मन की बातें और चुनाव सम्बन्धी बातें कहकर अपनी रखी हैं और उनके बारे में अपने विचार व्यक्त

(श्री रामनारायण चौधरी)

किये हैं मैं आपके मार्फत सदन से अनुरोध करता हूं कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर-पालिकाओं के चुनाव कब तक करा दोगे यह घोषणा आपने नहीं की। माननीय मन्त्रीजी घोषणा तो करें कि चुनाव कब तक हो जायेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, नहीं तो····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन चुनाव कब तक हो जायेंगे ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लेकिन जहां पर चुनाव हो चुके हैं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष, नगरपालिकाओं के चुनाव होने चाहिएं और जल्दी से जल्दी होने चाहियें। माननीय मंत्रीजी (श्री जनार्दनसिंह गहलोत की तरफ देखकर) वह वहां बैठे हैं और हम यहां पर बैठे हैं आप बीच में क्यों आते हैं।

श्री दीपंकर : तारीख के लिये समय मांगा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है मंत्रीजी कि इसमें आपका भी इन्टरेस्ट है, आप भी इसके पक्ष में होंगे कि चुनाव होने चाहिएं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि निश्चित माह, दिन या सन् की घोषणा करें निश्चितरूप से आपको भी इससे बल मिलेगा।

श्री दीपंकर : आगे की कार्यवाही चलने दीजिये।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975-श्री गिरधारी-लाल भार्गव।

परिनियत संकल्प

[परिनियत संकल्प : यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 1974 एवं दिनांक 12 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित क्रमशः राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं० 22 सन् 1974) एवं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं० 2 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर आप इस प्रकार से उपेक्षा करके नगर-पालिकाओं के चुनाव को टालना चाहते हैं तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। इस संकल्प को रखने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वाली बात मैंने इसलिए कही है कि सरकार ने इसके ओब्जेक्टिव तो बहुत बढ़िया रखे हैं लेकिन इसके सम्बन्ध में जो शक हैं वे निश्चित हैं और वे साफ नजर आते हैं। इसकी जो मंशा है वह साफ नजर नहीं आती है। इसमें सरकार की बदनीयती नजर आ रही है। उन्होंने जगह जगह जिलाधीशों को अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, अर्बन एम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में उनको चेयरमैन बना रखा है परन्तु यह व्यवस्था अस्थायीरूप से की गई थी, आपके पास ऐसी कौनसी समस्या आ गई कि अभी तक कलेक्टर वहां चेयरमैन का काम कर रहे हैं उनके पास दोहरा काम है, जिले का काम अलग है, जनता से सम्पर्क अलग करना पड़ता है, लाइट का काम है, पानी का काम है ऐसे अनेकों काम उनके पास हैं उनको जनता की बात को भी सुनना पड़ता है अब वह इन कामों को करें या जिले का दौरा करें और ट्रस्टों का काम भी करें यह मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि ये दोनों काम उससे नहीं हो सकते। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अध्यादेश लावें कब तक आप कलेक्टर्स को यू. आइ. टा. का चेयरमैन बनाये रखना चाहते हैं। वह तो एक बहुत पुरानी व्यवस्था थी, जब इसमें पी. डब्ल्यू. डी. के आदमी होते थे और इन्जिनियर्स होते थे। कब तक इनमें कलेक्टर्स बैठे रहेंगे। एक प्रश्न तो मेरा यह है और दूसरा आपने जो लिखा है कि—

"The existing provisions under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act, No. 35 of 1959) for the constitution of an Urban Improvement Trust provides for six Trustees, excluding the Chairman. There is no provision for associating the local representative of the Assembly etc. in the working of the Trust."

यह लोकल रिप्रजेन्टेटिव से थोड़ा नुकसान हो रहा है। जहां पर 'एस' नहीं लगा हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : "एस' के मायने दूसरे भी हो जाते है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे शब्द नहीं बोलें, मैं भी अशोभनीय ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पर अपनी बात कहिये।

श्री मोठालाल : माननीय उपाध्यक्ष, आप गोटेवालाजी को और दीपंकरजी को समझा दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह प्रार्थना करने जा रहा हूं कि जैसे जयपुर शहर में 4 विधायक हैं और इसमें 'एस' शब्द का उपयोग होता तो मालूम होता कि यहां का भी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है और उसमें चारों विधायकों को लिया जायेगा वरना एक जो भी मर्जीदान होगा चाहे चार में से कोई भी हो वही लिया जायेगा और उसके बाद फिर वही होगा कि उसको ले लिया और हमको नहीं लिया। इसलिए मैं सब की वकालात

Page No 80

(80)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर रहा हूं। माननीय गोटेवाला और जनार्दनसिंहजी सब की वकालात कर रहा हूं। कोई मेरे अकेले की वकालात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरा यहां पर कहना है कि यह ट्रस्ट कब तक बनेगा और इसमें गैर-सरकारी सदस्यों का या किन का प्रतिनिधित्व होगा, कौन कौन विधायक होंगे, एक होगा या एक से अधिक होंगे या सब होंगे – इन सब का इसमें कोई जिक्र नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे फिर इसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों को लिया जाये या नहीं और फिर यही होगा कि जो मन्त्री मण्डल में नहीं लिया जायेगा उसको लिया जायेगा, कांग्रेस के लोग लिये जायेंगे और विरोधी पक्ष के सदस्यों को नहीं लिया जायेगा। यह मन्शा इसके द्वारा सरकार की है। कहने को यह कहा जाता है कि विपक्ष के लोगों को सहयोग देना चाहिए, हर काम में सहयोग देना चाहिए और इसके मूल आब्जेक्ट में भी यही बात कही गयी है कि हम चुने हुए नुमाइन्दों को नहीं रखते हैं तो।

The lack of such a provision sometime resulted in a delayed and unplanned improvement of the urban areas and in the absence of a local voice, fail to achieve the objectives setforth for its establishment.

इसमें आगे लिखा हुआ है :

Under the existing laws only two non-official could only be appointed by the Government as Trustees and this has been felt to be a very small number for the proper and apt working of the Trust.

इसमें कहा गया है कि यदि इस ट्रस्ट में लोकल रिप्रजेन्टेटिव या एम० एल० ए० को नहीं लिया जाता है तो विकास का काम अधूरा होगा, उसमें रुकावट पड़ेगी और इसलिए रुकावट को दूर करने के लिए लोकल रिप्रजेन्टेटिव्स का होना आवश्यक होगा। यह अब रिप्रजेन्टेटिव शब्द के लिए मैंने बात कही है क्योंकि वैसे तो नियमानुसार जिला परिषदें हैं उसमें जितने भी विधान सभा के सदस्य होंगे चाहे वह जनसंघ से हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी से हो या सोशलिस्ट पार्टी से हो या कांग्रेस पार्टी से ही वह ओटोमेटिकली मेम्बर हो जायेंगे ...

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज 2 में (सी) जो अमेन्ड करना चाहते हैं "Such member or other persons" है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास तो आर्डीनेन्स है। मैं तो उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री दीपंकर : इनके पास पूरे कागज नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप मुझे करेक्ट कर देंगे तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा और उस बात को मान लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं जैसे जिला परिषदों में सम्पूर्ण विधान सभा के सदस्य होते हैं तो शहरों में भी किसी भी पार्टी का आदमी हो,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहे विरोधी ही हो या कोई भी हो उसको लिया जाना आवश्यक है। तो यहां पर रिप्रजेन्टेटिव की जगह रिप्रजेन्टेटिव्स होना चाहिए। प्रतिनिधि की जगह प्रतिनिधियों हो जाता है तो जो मैं चाहता हूं वह हो जाता है।

दूसरे में यह है कि इसमें प्रमोशन देने वाली बात कही गयी है कि हम यू.आइ.टी. में जो लोग काम करते हैं उनको प्रमोशन नहीं दे पाते हैं इसलिए हम उनको प्रमोशन दे दें। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिए जो यू. आइ. टी. में काम कर रहे हैं उनको और इसमें एक बात और कही गयी है कि राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज में जो लोग हैं केवल उन्हीं को इधर उधर किया जाये कभी म्युनिसिपैलिटी में और कभी यू. आइ. टी. में। राज्य सरकार ने यह बात चाही है कि दूसरे विभागों में भी यदि कोई एक्सपर्ट है और हम उनको ट्रस्ट की सेवा में उपयुक्त समझते हैं और उनको यदि लेना चाहें तो उसके लिए राज्य सरकार ने इजाजत इस आर्डिनेन्स के जरिये चाही है। मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को प्रमोशन दिया जाये लेकिन मेरी जैसी जानकारी है कि जितने भी यू. आइ. टी. के सेक्रेटरी हैं आप चाहते हैं कि दूसरी सर्विसेस के आ जायें। दूसरे विभागों के एक्सपर्ट आयें तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जो जन-प्रतिनिधि हुए और यदि उनका सहयोग नहीं मिला तो फिर विकास नहीं होगा। इसलिए उसमें विपक्षियों का भी सहयोग मिले तो अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अक्सर उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा जाता है कि कोई मिनिस्टर हार गया उसको ट्रस्ट का चेयरमैन बना देते हैं, किसी को टिकट नहीं मिला उसको बना देते हैं या फिर हारे हुए कांग्रेसी नेता को वहां पर बैठा देंगे। जयपुर का तो इतिहास यही रहा है कि यू. आइ. टी. का चेयरमैन वही रहा है जो कि कांग्रेस का नेता हो। वह चाहे हारा हुआ हो या जिसको टिकट नहीं मिला हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्षियों का भी इसमें उचित सहयोग मिले तो मुझे आपत्ति नहीं है। जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता है मैं चाहूंगा कि मेरी शंकाओं का समाधान हो और जिस ढंग से अमेन्डमेन्ट्स लाये गये हैं मैं समझता हूं कि इस संकल्प को इस समय नामंजूर किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रोफेसर केदारनाथ

श्री केदारनाथ : मान्यवर जो मन्शा स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में है और जो राज-पत्र में अमेन्डमेन्ट्स लाया किये गये हैं तो हमने बड़ी तारीफ की कि मन्त्री महोदय जो कभी डेमोक्रेटिक थे...

कुछ माननीय सदस्य : अब नहीं है क्या ?

श्री केदारनाथ : अब भी है। लेकिन जो अमेन्डमेन्ट्स में मन्शा थी की लोकल इलेक्टेड बाडिस को नुमाइन्दगी मिले ताकि जितने भी ट्रस्ट नौकरशाही के नीचे हैं उनमें

(श्री केदारनाथ)

किसी न किसी तरह से राहत मिले और उनका वर्किंग स्मूथ हो। तो यह तारीफ के लायक है लेकिन जो अमेन्डमेन्ट्स में भाषा और स्प्रिट थी जब हम देखते हैं बिल में जो अमेन्डमेन्ट्स किये हैं वह स्प्रिट सारी की सारी गायब हो जाती है।

Of whom one shall be a person belonging to scheduled caste—

शिड्यूल्ड कास्ट को तो क्वालीफाइ कर दिया। इसमें लफ्ज यह हैं :

Such number of other persons, as may be determined by the State Government for each Trust, of whom one shall be a person belonging to scheduled tribe or scheduled caste, if no person of such caste or tribe is represented in the Trust by virtue of clause (a) or clause (b).

अगर यह है तो आपकी मन्शा पूरी रिफलेक्ट करती है। अब आपने यहां शिड्यूल्ड कास्ट को क्वालीफाइ कर दिया और लोकल रिप्रजेन्टेटिव है उनका नाम ही गायब कर दिया। "सच पर्सन" कोई भी हो सकता है। एम० एल० ए० भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है इसलिए जो शब्द इस्तेमाल किये है बिल में उनका री-प्रोडक्शन नहीं होता तो वह बिल अपनी वाइस को खो देता है। तो मेरा टेक्निकल ओब्जेक्शन है और इसमें प्रेक्टिकल ओब्जेक्शन है इस बात का कि अगर आपकी मंशा है कि हर एक विभाग का, हर क्षेत्र का एम. एल. ए. या एम. एल. एज. अगर ज्यादा हो तो उनमें कौन हो यह आपके हाथ में कि किनको आप सलेक्ट करें, अगर उनकी नुमाइन्दगी मिलती है तो जो आज का डेमोक्रेटिक सेट-अप आप इसमें लाना चाहते हैं तो आपको इस अमेंडमेंट को बदलना पड़ेगा और अगर बदल लेते हैं तो हम अपना संशोधन वापस ले सकते हैं।

दूसरा मान्यवर, मैं हमेशा इस मत का हूं कि आफिशियल चेयरमैन न हो ट्रस्ट में, कोरपोरेशन में या बोर्ड्स में चेयरमैन हमेशा नोन आफिशियल होना चाहिए। वह कौन हो वह आपके देखने की चीज है, अगर नोन आफिशियल चेयरमैन का अप्रोच, उसके काम करने का तरीका, उसका बिहेवियर उसके काम का समय, क्योंकि उसको समय मिलता नहीं है और वह काम कर नहीं पाता है। फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स में सारे के सारे बोर्ड्स, ट्रस्ट और कारपोरेशन्स को इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देकर आप कौन सा डेमोक्रेटिक कन्वेशन पैदा करना चाहते हैं, कौनसी डेमोक्रेटिक वेल्यूज पैदा करना चाहते हैं। जो आपकी घोषित नीति है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लागू किया जाय, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लागू हो और जितनी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली चेयरमैन नोन आफिशियल नहीं रखना चाहिए।

मान्यवर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का वर्किंग जिस तरह का है, हम आये दिन देखते हैं, रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि उनका सारा का सारा परफोर्मेंस ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन ठीक नहीं है, जो आपने उनको पावर्स दी

(श्री केदारनाथ)

है, जो अख्तियारात दिये हैं वह बहुत लम्बे चौड़े, टेढे मेढे, टीडियस हैं और जितने भी काम किए हैं वह चाहे बसाने के हों, बिना मकान के लोगों को बसाने के हों उनको ट्राइ नहीं किया है। उनको बसाने का कोई तरीका नहीं है। बीकानेर की एक मिशाल मैं आपको दूं मान्यवर, आप कभी जाओ बीकानेर में वहां पर कान्ताजी के नाम से कॉलोनी का नाम रखा गया है। बहिनजी यहां बैठी हैं यह उनके अपोजिशन की बात नहीं है लेकिन जिन्होंने बीकानेर के अन्दर आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, आजादी की लड़ाई में योगदान दिया जैसे रघुवरदयाल, मुक्ताप्रसाद और मघाराम ये लोग थे जिनके नाम से अगर इसका नाम रखा जाता, जो लोग इस भूमि में पैदा हुए और जिन्होंने राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के वक्त में उनके नाम से कॉलोनी होती तो मैं इसकी तारीफ करता अगर आपके, एम. एल. ए. के नाम से रूलिंग पावर में होने की वजह से उनके हाथ में होते हुए....

श्रीमती सुमित्रा : मर जायेंगे तो कौन नाम लेगा हमारा।

श्री केदारनाथ : यादगार बहुत बना देंगे।

श्री दीपंकर : यह तो आपके जन-प्रतिनिधि होने के नाते, कार्यकर्ता के नाते उनका नाम रखा है। अपनी तारीफ में नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ... (व्यवधान : ऑर्डर प्लीज)।

श्री केदारनाथ : मैं सिद्धान्त की बात कह रहा हूं, यह तो आपके पावर में है कि आप किसी के नाम से बना दें, आप किसी के नाम से बना दें, जो पैदा नहीं हुए उनके नाम से बना दें। ऐसे बीकानेर में कान्ताजी का काम अच्छा है, मैं उनकी पर्सनल इण्टीग्रिटि में बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं...

श्री दीपंकर : यह महिला वर्ष है इसमें महिलाओं पर तो कटाक्ष मत करो।

श्री केदारनाथ : और भी महिलाएं हुई है जिन्होंने काम किया है वहां पर और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। फ्रीडम फाइटर्स रही है, उनका नाम जोड़ सकते हैं। मैं कान्ताजी के बारे में नहीं कहता हूं लेकिन एक सिद्धान्त की बात कह रहा हूं क्योंकि यह निर्णय आपके सामने लिया गया है। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं—

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण श्रीमती कान्ता कथूरिया का स्पष्टीकरण

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह बिल्कुल गलत बात है। आप भी एम. एल. एज. हैं आप भी अपना नाम कहीं पर लिखवा लीजिए। एम. एल. ए. होने से ही नाम नहीं हो जाता है—

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : जो हिस्ट्री लिखी जा रही है उसमें मेरा नाम है, कॉलोनी में मेरा नाम नहीं हो लेकिन फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री में मेरा नाम है और मुझे इसका गर्व है। जो स्ट्रगल की हिस्ट्री है उसमें मेरा नाम है, आपका नाम नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अपना नाम आप नहीं लिखा जाता है। आपने स्ट्रगल में भाग लिया तो दूसरों ने नाम लिखा है, आपने खुद ने तो नहीं लिखा है। यह तो नाम लिखने वाले जानें कि उन्होंने क्यों नाम रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य का कहना है कि नाम तो इतिहास में लिखे जाते हैं, कुर्बानी करने से लिखे जाते हैं, खून से लिखे जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : हाण्डा साहब, आप भी माननीय सदस्य हैं आप भी क्यों नहीं एक गली का नाम अपने नाम से लिखा लेते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर में भी एक केदारकुंज है।

श्री केदारनाथ : मेरे नाम से तो तीर्थ भी बहुत हैं। मेरी कब्र पर नाम लिख देना यही बहुत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नाम तो बहुत से लिखे गए पर हटा दिए गए हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज... ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको तो कोई महिला भी पसन्द नहीं करती, आपका नाम कहां से होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : महिलाओं की पसन्द तो बद्रीप्रसादजी के जिम्मे है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य माननीय तो महज सिद्धांत के तौर पर यह बात कह रहे थे अगर उनको इससे नाराजगी है तो वह इसको वापस ले सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने अल्फाज वापस ले लें। यह तो सिद्धान्त की बात है कि आदमी इजहार करे। आप कोई भी नाम उसके साथ जोड़ सकते हैं, लाजपत नगर या और कोई लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: मेरा निवेदन है कि आपको पूरे फैक्ट्स मालूम नहीं हैं नहीं तो......

श्री केदारनाथ : बीकानेर में मैं पैदा हुआ, वहीं पर बड़ा हुआ हूं और वहीं पर खेला हूं और मुझे ही सारे फैक्ट्स मालूम नहीं है। बीकानेर में पैदा हुआ हूं और वहां पर हिन्दुस्तान का माना हुआ खिलाड़ी बना हूं और वहीं पर फ्रीडम फाइटर हुआ हूं और मुझे ही मालूम नहीं है सारे फैक्ट्स।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह जरूरी नहीं है कि बीकानेर में जो कुछ होता है वह सब आपको मालूम हो ही। मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि......

श्री गुमानमल लोढ़ा : अनटोल्ड स्टोरी मालूम नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जब यह मेरा नाम लिखा गया मैंने इसको बहुत अपोज किया था। इसके लिए चिट्ठी भी लिख कर भेजी है जो आज भी रिकार्ड में मिलेगी कि मेरे नाम से कॉलोनी मत रखिए।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

आप मेरा नाम मत रखिए कॉलोनी पर मुझे इससे तकलीफ होगी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरा नाम रख दिया। मैंने इसके लिए एक दो चिट्ठियां भी भेजी थीं जो रिकार्ड में मिलेंगी। अगर नहीं मिलें तो आप खुद देख सकते हैं। लेकिन मेरे विरोध के बावजूद उन्होंने मेरा नाम रखा है। इसलिए यह कहना कि मैंने अपने नाम से कॉलोनी का नाम रखवाया, यह नितान्त बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेसलैस है।

परिनियत संकल्प पर अग्रेतर विचार

केदारनाथ: मान्यवर, मेरी मंशा कतई पर्सनल रिफ्लेक्शन की नहीं थी··· —

श्री राजेन्द्र भारतीया : जयपुर में भी श्रीरामजी के नाम से कॉलोनी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे नाम से तो हिन्दुस्तान में बहुत कुछ हैं लेकिन अफसोस यह है कि इतिहास में मेरे नाम से तो बहुत हैं लेकिन वह मैं नहीं बहुत बड़े श्रीराम हैं। मेरे नाम से तो मंदिर भी सैकड़ों हैं पर वह मैं नहीं हूं।

श्री केदारनाथ : मैं स्पष्टतौर पर फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा पर्सनल एक्सपर्शन की कत्तई मंशा नहीं है और न मैं कोई पर्सनल मोटिव इम्प्यूट करना चाहता हूं, न कोई रिफ्लेक्शन करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपकी हाजरी में वहां पर मूव होता है प्रस्ताव। आपकी हाजरी में ही वहां पर मंघाराम का नाम रख दिया जावे या अम्बेडकर का नाम रख दिया जावे यह प्रस्ताव मूव होता है। लिए सिद्धांत के तौर पर कह रहा हूं कि अगर आपकी जगह मैं होता तो सबसे पहले·······

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह गलत है।

श्री केदारनाथ : यह फैक्ट है। इसको रिफ्लेक्शन में मत लीजिए, सिद्धांत के अलावा कोई बात नहीं है। हिस्ट्री इसमें कुछ और है वह आप भी जानती हैं। यह वह वक्त नहीं है जब मैं उस हिस्ट्री को पेश करूं इसके लिए यह वक्त नहीं है, न रिलेवेंसी है न इसका कोई सम्बन्ध है इसलिए जब वक्त आएगा तब यह बात कहूंगा। मैं सिद्धांत के तौर पर यह मानता हूं कि जो देश में डेमोक्रेटिक रिलेशन रूलिंग पार्टी पैदा करना चाहती है·······

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री केदारनाथ : उसमें अगर मैं यह कहूं कि यह मेरे नाम से हो जाय यह सिद्धांत की बात मैं नहीं मानता हूं।

मान्यवर, मौजूदा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और जो आपकी मंशा थी आर्डिनेंस में उस मंशा को खत्म कर दिया है आज के ब्यूरोक्रेट ने। इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूं कि लोकल एम. एल. एज. हों चेयरमैन नोन आफिशियल हों, जब हम इस बिल में देखते हैं तो वह मंशा गायब है। यह अप्रोच आपका डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है और जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का वर्किंग आप सुधारना चाहते हैं वह भी इससे नहीं सुधर सकता है इसलिए मेरा यह संशोधन है ताकि मौजूदा सेट-अप का एफिशियेंट वर्किंग हो सके।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका इसमें नहीं है। (देखकर) आप बोलिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा है शायद।

मेरा अर्ज करना यह है कि जैसा कि अभी माननीय सदस्य प्रोफेसर केदार ने कहा, मैंने उनकी तवज्जह इस तरफ दिलाई थी, इसमें लिखा है—

"Trust shall also consist of local M. L. A. or M. L. As and such other persons. "It says—"It was therefore felt desirable that the provisions for the constitution of the Trust may be amended in order to facilitate the representation of local representatives तो रिप्रजेन्टेटिव्ज ऑफ दी पीपल का है लेकिन जब इसका एमेंडमेंट हमने देखा तो मैंने यह कहा कि न 2 (सी) और (3) में प्रोवीजन है लोकल रिप्रजेन्टेटिव्ज ऑफ दी पीपल का तो इसका मतलब क्या है ? यह मैं समझने से कासिर रहा। इसलिए मैंने यह तवज्जह दिलाई थी आपकी ओर मैंने खुद ने यह सोचा कि रिप्रजेन्टेटिव्ज ऑफ दी पीपल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं तो वह तो नहीं आ सकते। तो यह कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट के रिप्रजेन्टेटिव्ज अकसर नहीं रहते हैं इसलिए इनको इन्कार्पोरेट किया जा रहा है और यह तो आया नहीं शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में प्रोवीजन। शिड्यूल्ड कास्ट के रिप्रजेन्टेटिव्ज कभी भी रह जाते हैं इसलिए उनको इन्कार्पोरेट करना चाहते हैं और इसलिए यह आर्डिनेन्स निकाला है। लेकिन जो उद्देश्य बताये गये हैं उनका आर्डिनेन्स के अन्दर मेल नहीं खाता है। इसलिए जब कोई आर्डिनेन्स निकालते हैं तो कम से कम यह मुलाहिजा फर्मा लिया करें कि आर्डिनेन्स के मुताबिक उसकी लेंग्वेज है, जो उद्देश्य हैं उनके मुताबिक लेंग्वेज लिखी गई है या उद्देश्य के अतिरिक्त कोई और चीज इन्कार्पोरेट की गई है। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री मण्डल या उस डिपार्टमेंट की क्या मंशा थी कि उसमें रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मंशा है तो लोकल रिप्रजेन्टेटिव्ज का मतलब इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज होता है। रिप्रजेन्टेशन का मतलब यह नहीं होता है कि हर आदमी रिप्रजेन्ट कर दे चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट का हो या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो या इधर उधर का हो। अगर अदर पर्सन है तो अदर पर्सन कभी भी रिप्रजेन्टेटिव ऑफ दी पीपल नहीं हो सकता है। यह सही है कि वह अपने आपको रिप्रजेन्ट करे या एक संगठन को रिप्रजेन्ट करता हो जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। अगर यह मतलब लेते हैं तो उसका उद्देश्य यह होता है तो वह उनके हितों को रिप्रजेन्ट करेगा। इसलिए मेरे खयाल में यह इतनी जल्दबाजी में निकाला जा रहा है कि उनके उद्देश्य उनकी लेंग्वेज से मेल नहीं खाता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आपका उद्देश्य यह था कि रिप्रजेन्टेटिव्ज ऑफ दी पीपल को इसमें लिया जाय तो मेरी यह गुजारिश है कि बहस मत करिये और इसमें इन्कार्पोरेट कर लीजिये इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ दी असेम्बली या इलेक्टेड मेम्बर

(श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली)

ग्रॉफ दी म्युनिसिपैलिटी जिसको रिप्रजेन्टेटिंग समझा जाता है जो कि रहने जरूरी हैं। इनको इन्कार्पोरेट करें बनो इसका मतलब पूरा होगा नहीं और आपने जो उद्देश्य रखे हैं उनकी पूर्ति होगी नहीं।

ग्रब थोड़ासा मुझे यह भी सुझाव रखना है कि हम यह निवेदन कर रहे थे कि ग्राप जो एमेंडमेंट ला रहे हैं वह इस किस्म का ग्रमेंडमेंट होगा नहीं जिससे हमें संतोष हो। जिस वक्त ग्रापने यहां पर जितने भी ट्रस्ट हैं उनको सुपरसीड किया था उस वक्त राज्य सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था कि हम जल्दी से जल्दी दूसरे ट्रस्ट्स कांस्टीट्यूट करेंगे जिनमें हम नॉन-ग्रॉफिशियल्स को चेयरमैन रखेंगे। ग्रनेक बार, एक बार नहीं, ग्रनेक बार मैंने इस सदन के समक्ष यह प्रश्न रखा है कि किसको आपने चेयरमैन बनाया है ? कलेक्टर साहब को। पहले जो कलेक्टर साहब थे ग्रौर अब जो कलेक्टर आये हैं उनकी दयानतदारी, ईमानदारी ग्रौर मेहनत में हमें कोई सन्देह नहीं हैं। ग्राप यह समझते हैं कि वह बड़े दयानतदार आदमी हैं। पहले वाले भी दयानतदार थे ग्रौर यह भी बहुत दयानतदार आदमी हैं लेकिन ग्राप कलेक्टर को क्यों समझते हैं कि उसके 9 सर होते है। 30 कमेटियों का चेयरमैन बना रखा है। वह ग्रगर एक एक कमेटी को ही बुलाता रहे तो उसके पास दूसरा काम करने का समय नहीं रहेगा। सिर्फ कमेटियों का ही काम इतना हैं। आप यह कहें कि हम ग्राइ० ए० एस० ग्राफिसर को ही रखना चाहते हैं तो फिर कलक्टर को क्यों रखते हैं ? ग्रापको ग्राइ० ए० एस० ग्रॉफिसर को ही रखना है तो ग्राप सिर्फ इसी काम के लिए रखें ताकि जो इन नगरों की सुविधाएं हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए वह पूरा समय दे सकें। ग्राप होल टाइम आदमी रखें ग्रगर ग्राप यह पसन्द नहीं करते हों कि नॉन-ग्रॉफिशियल ग्रादमी हो। ग्रगर ग्रॉफिशियल रखना चाहते हों तो ऐसा तो रखिये कि जो काम को अटेण्ड कर सके। वह काम को ग्रटेण्ड नहीं कर सकता है एक साथ। यहां पर पचासों दिक्कतें हैं। 16 कांस्टीटुएन्सीज हैं इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जयपुर का और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको दुनियां भर की पावर्स हैं। रिहेबिलिटेशन का काम है जो वह टेकल करता है, पुलिस का काम है तो वह टेकल करता रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है तो वह टेकल करता हैं, यू० ग्राइ० टी० का काम है तो वह टेकल करता है। वह ग्रपने ग्रापको मजबूर पाता है। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का काम दूसरे एडिशनल हैंड देते नहीं हैं ग्रौर जो दे रखे हैं उनके पास ग्रपना काम है। यह ऐसी चीजें थीं जिसकी वजह से निवेदन कर रहा था ग्रौर जो एमेंडमेंट लाया गया है वह ऐसा एमेंडमेंट नहीं था कि उसको ग्राप सदन के समक्ष नहीं ला सकते थे। न तो ग्रार्डिनेन्स के ग्राने के बाद आपने किसी को नोमिनेट किया है। . न तो शिड्यूल्ड कास्ट का है, न शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है। ग्रभी तक तो ग्राफिशियल ही काम चला रहे हैं। तो जो ग्रार्डिनेन्स की परम्परा है इसको समाप्त क्यों नहीं करना चाहते हैं, ग्रौर क्यों हर चीज (समय-समाप्ति सूचक घन्टी) ....ग्रार्डिनेन्स के द्वारा तय करना चाहते हैं ? मेरी जो आपत्ति थी वह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उसकी फेजोलॉजी पर थी, उसकी जवान पर आपत्ति थी और जो उसूलन मेरी आपत्ति है कि इस बीच में कोई बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला नहीं था उसको आर्डिनेन्स की शकल में लाने की कोशिश क्यों करते हैं ? मुझे यह जानकारी मिल जाय कि आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इन्कार्पोरेट कर लिया हो तो समझ में आता है। दूसरे महकमे से आप ले रहे हैं। कोई आफिशियल इस योग्य हों तो उसमें रेस्ट्रिक्शन्स की बात नहीं हो सकती है। तो यह पावर्स आपने लिये हैं यह मेरी समझ में नहीं आया है। इसलिए यह मैंने आपत्ति उठाई थी कि जो यह अध्यादेश निकाला है इस गवर्नर साहब के अध्यादेश को निरस्त किया जाय। इन्हीं आपत्तियों के अनुसार मैंने यह अपनी दलील दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमलजी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन के अन्दर राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एमेंडमेंट) आर्डिनेंस 1974 (आर्डिनेंस नं. 22 ऑफ 1974) और आर्डिनेंस नं. ऑफ 75 यह दो आर्डिनेंसेज इस समय यहां पर इस संकल्प के रूप में आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम बात तो यह अत्यन्त शोचनीय है कि बार बार इस सदन में आपत्तियां उठाने के बाद में और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश होने के बाद में भी राज्य सरकार अनवरत रूप से संविधान की धारा 213 का दुरुपयोग करती जा रही है, और राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) आर्डिनेंसेज दोनों इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि किसी भी प्रकार की अर्जेंसी या इमर्जेंसी, आवश्यकता या अत्यन्त आवश्यकता के नहीं होने के बावजूद आर्डिनेंसेज को रूटीन कोर्स के अंदर सारे तौरतरीके के ऊपर 213 धारा की भाषा को जैसे किसी ने समझा ही न हो ला रहे हैं। और लेजिस्लेटिव असेम्बली के लेजिस्लेटिव फंक्शन्स हैं, विधान सभा, विधान बनाने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए ही निर्मित की जाती है संविधान के अन्दर, लेकिन हमारे यहां पर जिस प्रकार से आर्डिनेंसेज निकलते हैं उससे ऐसा लगता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन का अब मकसद यह रह गया है कि आर्डिनेंस के रूप में लाकर फिर किसी भी आर्डिनेंस को प्रस्तावित कर दिया जाय, और उसके बाद में विधान सभा को यह कहा जाय कि यह तो हमने कर दिया, यह आर्डिनेंस हमने बना दिया, हमारा इसके इम्प्लीमेन्टेशन का काम प्रारम्भ हो चुका है, अब हमारी प्रेस्टिज का प्रश्न है इसलिए अब इस पर अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको पारित करें। यह फैट एकम्प्ली करके आर्डिनेंस निकालते हैं, उसके बाद बिल्स लाते हैं और किसी प्रकार की इमर्जेंसी होती है कि नहीं, मैं समझता हूं कि यह संविधान के अंदर संवैधानिक परम्परा की हत्या है, जनतंत्र के साथ में मखौल है, और विधान सभा के उत्तरदायित्व को एक चुनौती है। लेजिस्लेटिव असेम्बली इसका नाम है, वह मैं समझता हूं कि नाम चेंज करना चाहिए और एक्नालिजमेंट असेम्बली नाम रखना चाहिए। जो कुछ भी ले आये, वह एक्नालेज कर दिया। जो भी हो, आधा घंटा, एक घंटा में पारित कर दिया।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भले ही अप्रूवल असेम्बली नाम कर दीजिये। 32 आर्डिनेंस हैं। यह आर्डिनेंस 32–74 है। इसकी क्या आवश्यकता थी ? इसमें लिखा गया है—

Such number of other persons, as may be determined by the State Government for each Trust, of whom one shall be a person belonging to scheduled tribe or scheduled caste.....

अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसका विवेचन करेंगे तो देखेंगे, पहले जो प्रावधान था उसमें लिखा हुआ था—

'Other persons not less than two not exceeding four in number of whom one shall be a person belonging to a scheduled caste or scheduled tribe if no person of such caste or tribe is represented in the Trust....'

यह क्लॉज पहले था। अब इन्होंने आर्डिनेंस के द्वारा इंट्रोडक्शन किया वह, मैं समझता हूं, इसलिए किया है कि पहले जो प्रावधान था उसमें कुछ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स मेम्बर रहना आवश्यक था, अनिवार्य था। कुछ ऐसे सदस्यों को अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में नामीनेट करना था। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह कर दिया है कि जितने चाहें उतने कर सकते हैं:—other persons not less than two not exceeding four....

श्री उपाध्यक्ष : यानी सीलिंग खत्म कर दी। पहले सीलिंग थी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बिल्कुल सही है। पहले सीलिंग थी। अब सीलिंग को खत्म कर दिया है। यह आपने ठीक कहा है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में अपने आदमियों को चाहे जितने आदमियों को रख दें, इसके लिए राज्यपाल महोदय से साइन करवाये गये। यह जुलाई-अगस्त में विधान सभा हुई थी, उस समय दिमाग में नहीं आया। अब एक दम आ गया। सन् 1950 से यह चल रहा था। एक दो व्यक्तियों को कहीं रिहेबिलीटेट करने के लिए, उनको कहीं पर, मैं बहुत ही सीधी भाषा में कहूं, उनको कहीं पद देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, आर्डिनेंस का दुरुपयोग करें तो इससे ज्यादा कलंक की और कोई बात नहीं हो सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह ऑब्लाइज कहां हुये ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह तो मन्त्री महोदय बतायेंगे। कौन आगे लग रहे थे ? क्या हो रहा था ? यह सीलिंग हटाने की क्या जरूरत थी ? अगर चुनाव जीतकर एम. एल. ए. नहीं बन सकते हैं तो फलां सिंह को फलां कारपोरेशन का चेयरमैन बना दो। उनको कोई स्थान दे दीजिये। अब वह कहेंगे, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्दर रख सकते हैं। वह प्लाट काट-काट कर बांटते रहें। जिस प्रकार से आप चलायें, उसी प्रकार से वह करें और विधान सभा में कहें कि यह आर्डिनेन्स आ गया है। इसको पारित कीजिये। एक और बिल आर्डिनेंस

Page No 90

(90)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का आने वाला है। यद्यपि यह उन्होंने लिखा नहीं है। यह लिखा है, विधान सभा सेशन में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 20 आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता हो गई थी तो असेम्बली को बुलाने में कौन सी दिक्कत थी ? आपकी मैजोरिटी है। उसके बाद भी आपको असेम्बली का फंक्शन करना है। दस या पांच दिन के लिए ही विधान सभा बुला लेते ताकि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को उस पर विचार करने का मौका मिल जाता। अगर यह आर्डिनेंस का ही राज करना है तो इसको डिजोल्व कर दीजिये। एक समय में सब रख दीजिये। कैबिनेट रहेगी। वह चाहेगी, वैसा रहेगा। जैसा कि बंगला देश में प्रेजीडेंशियल शासन आ गया है। पहली मिनिस्टरी एक आप ले आइये। मन्त्री बना लीजिये। उसके बाद आप ऐसा कर लीजिये अब बताइये, साल भर में मिल रहे हैं। एक डेढ़ महीने या दो महीने के लिए साल भर में काम करते हैं। यह जनता के साथ अन्याय है। एक बात मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति दर्दनाक है। एक पाठशाला आप नहीं खोल सकते हैं। एक टीचर अपाइन्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 25 करोड़ का टैक्स लगाना पड़ा। दूसरी तरफ एम. एल. एज. साल भर में डेढ़ दो महीने के लिए आयें। कानूनों पर छाप लगाकर अंगूठा लगाकर चले जायें। तो मैं कहूंगा, जनतन्त्र के बारे में राजस्थान की जनता अब काफी समझती है। एक बात मैं और कह कर समाप्त करता हूं। आपने जो जस्टीफिकेशन दिया है, इसमें लिखा है। लेकिन यह बिल वह नहीं है। जो आर्डिनेंस है, उसमें कहां रुकावट है ? other persons not less than two not exceeding four"" उसको तो पहले ही अमेण्ड कर दिया था। 4 में से एक शिड्यूल कास्ट हो सकता है। वहां 'सी' क्लाज में रुकावट कहां है ? आप एम. एल. ए. को नामीनेट करें। मेरे साथी गंगानगर से आने वाले विधायक ने तो अच्छी तरह से इसको कहा है। यह जो नम्बर टू है, इसमें कहां रुकावट है। इसमें लेजिस्लेचर का आब्जेक्ट कुछ है और इनेक्टमेन्ट कुछ है। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि मन्त्री महोदय ने बनाया है। लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह बनाया है। अब यह मंशा का अभाव है या बुद्धि का अभाव है। हमें कुछ नहीं कहना है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एम. एल. ए. को 'मस्ट' रखना है।

"Atleast one or two will be from amongst the members of the Assembly."

यह जिस प्रकार का पहली क्लाज में atleast one or two would be member of the Assembly.

यह तो आपने किया नहीं है। क्योंकि सीलिंग हटाई है। आप असेम्बली मेम्बर्स को इनक्लूड करना चाहते हैं। आप करें। आप अपने चहेतों को काम करने वालों को, या आपके लिए कामर्शियल कोष पैदा करने वालों के मामले में जो राजनैतिक रूप से फन्ड देते हैं, उससे रख लें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिखा है--As may be determined by the State Government for each Trust of whom one shall be a person belonging to scheduled tribe or scheduled caste....

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अब कह दें, जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 51 मेम्बर होंगे, 51 में से चेयरमैन हो गया, दो मेम्बर म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य हो गये, एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का हो गया, बाकी जितने लोग हैं, उन्हें कहीं से भी, मण्डल कांग्रेस के सदस्य हों, कांग्रेस पार्टी के हों, कुछ भी हों उन सब को लाकर बिठा सकते हैं। यह गोशाला खोल दी है, किसी को ला कर बैठा सकते हैं। राजनैतिक रूप से वहां पर किसी प्रकार से नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए ला सकते हैं और एम. एल. एज. नाम लेकर आप उन्हें खुश करना चाहते हैं। एम. एल. एज. का नाम ले लिया तो एम. एल. एज. खुश हो जायेंगे····

श्री भानुकुमार शास्त्री : गोशाला नहीं पिंजरापोल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गोशाला, पिंजरापोल, अजायबघर जो चाहें वह कहें। मैं नहीं कह सकता। मुझे यह कहना है कि जिस प्रकार आर्डीनेन्स बना है, अमेंडमेंट आया है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस चल रहा है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता, लॉ डिपार्टमेंट में ब्लण्डर हो रहा है, या जो मंत्री महोदय को सलाह दी जाती है, उनके सलाहकार उनको गलत सलाह देते हैं। इट विल बी अमेंडमेंट बाई अनादर आर्डर। थोड़ा एक बेसिक लीगल प्रोसेस में थिंकिग रहता है, कभी एक लेकर आये, फिर दूसरा लेकर आये, फिर तीसरा अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट बिल लाये, उसमें अमेंडमेंट कर दिया। बिल और कानून के पीछे क्या हो रहा है कि पूछा, क्या हो रहा है। कहा, काम नहीं हुआ। तो एक अमेंडमेंट और कर दिया। फिर पूछा, क्या हुआ ? कहा, वह तो हुआ नहीं। तो फिर कह दिया। तो यह उचित नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज. को रखना है तो एम. एल. ए. शब्द रखिये एम.एल.ए. शब्द उसमें नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि एम. एल. एज. को रखकर बार्गेनिंग में मदद लें, इसको ऐसा अस्त्र बनायें यह उचित नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी में एम. एल. एज. का प्रावधान रखा। बहुत अच्छा किया, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान रखने के बाद जोधपुर जिला पूनमचन्द बिश्नोई का जिला है, उनको लाकर उदयपुर में रख दिया। गुण्डा एक्ट तो कल आयेगा लेकिन उसका एक्सपेरीमेंट पहले से शुरू हो गया। लूणी लाकर भेज दिया भीनमाल और फिर उदयपुर भेज दिया····

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान एक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान ही नहीं सारा विश्व एक है। यह कौनसा तरीका है कि जोधपुर के व्यक्ति को लाकर बाहर रख दिया ··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भारतीया जी आये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भारतीया जी आयें, स्वागत है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : योग्यतम व्यक्ति को भेजा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भारतीया जी या निर्मला जी के प्रति दुर्भावना नहीं है। जो परिस्थिति को जानते हैं, जो विद्यार्थियों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में रहते हैं, टीचरों में रहते हैं, आप सरदार-पुरा से आने वाले माननीय सदस्य को बनाते, किसी को बनाते । आप किसी एक को तो बनाते, जोधपुर जिले के कई व्यक्ति हैं, जोधपुर संभाग के कई व्यक्ति हैं । जोधपुर संभाग के व्यक्ति 33-34 व्यक्ति हैं, उनमें से आपको कोई उपयुक्त नहीं मिला, जो विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट में बैठ कर काम करता । यह राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण बात नहीं है, आपका कान्फीडेन्स क्रियेट करने वाली बात है । अब आप यू. आई. टी. में यह करने वाले हैं, तुम जाकर बैठ जाओ, तुम प्लाट दे देओ । जो डिप्टी मिनिस्टर नहीं बन जाय, उसको कहें, तुमने अच्छी परफोर्मेन्स की है, मिनिस्ट्री का एक्सपेन्शन होने वाला है, उसमें नहीं आये तो, कहें यू. आई. टी. में काम सम्भालो । कोई सीमा नहीं, हम चाहे किसी को बना सकते हैं । किसी को कह दें, नगर विकास न्यास में जाओ और पूरा का पूरा कोई शहर बसा देना, किसी को प्लाट दे देना । और लोग वहां जाने की उम्मीद करें । इसलिए यह जो आपने इसमें डिस्क्रिशन रखा है, यह उचित नहीं है । डिस्क्रिशन जहां होता है, वहां करप्शन, फेवरिटिज्म, नेपोटिज्म की बू आने लगती है । इसलिए इसमें अगर एम. एल. एज. को रखना है तो लिख दीजिये, मेम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ देट एरिया फिर भले ही दो दो आयें, तीन तीन आयें, चार चार आयें, कितने ही आय—उसमें चान्स नहीं होना चाहिए । जिसका चांस हो वह व्यक्ति जाये । लेकिन जहां चान्स देने का डिस्क्रिशन आपके हाथ में होगा, तो जहां डिस्क्रिशन होगा वहां करप्शन, फेवरिटिज्म नेपोटिज्म आयेगा । मेरा निवेदन करना यह है कि इसको आप इनकोरपोरेट कर दें । इन शब्दों के साथ सदन में अपने विचार रख कर मैं अपील करूंगा, आर्डिनेन्स की पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए माननीय सदस्य, चाहे उस ओर बैठे हुए हों, चाहे इस ओर बैठे हुए हों, वे थोड़ा सा इस पर भी विचार करें कि उनके लिए चान्स नहीं रह जाता है और जो परफोर्मेंस हुआ यूनिवर्सिटीज में, वही इसमें भी होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जातसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मालाराम । (अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री ।

श्री दीपंकर : हम काबिल आदमियों को चाहते हैं, राजनैतिक पार्टियों से मतलब नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मन्त्री की सीट वहां से वहां चली गई है क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अमेंडमेंट के रूप में, बिल के रूप में, आज आया है और पहले आर्डिनेन्स के रूप में यहां पर आया, मुझे इसके विषय में खेद के साथ कहना पड़ता है, माननीय मंत्री महोदय ने कोटा नगरपालिका क्षेत्र के विस्तार के बारे में बड़े जोर शोर से यहां कहा, जिसका सबने स्वागत किया, अगर आर्डिनेन्स से लागू नहीं करते तो हमें आर्थिक हानि हो जाती, चुंगी का पैसा नहीं आता, आर्थिक हानि हो जाती-इसलिए राज्यपाल महोदय के आर्डिनेन्स के माध्यम से लायें । मेरी समझ में नहीं आता, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का यह आर्डिनेन्स लाया गया, उसमें कौनसी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

आर्थिक हानि हो रही थी, या कौनसा घाटा हो रहा था, या क्या हो रहा था जो उन्होंने विधान सभा को फेस करने के बजाय आर्डिनेन्स के माध्यम से एक आदेश भेज दिया। मैं समझता हूं कि यह सत्ताधारी पक्ष, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, वह चाहता है, क्यों करवायें, विधान सभा में लाकर पास करवा लेंगे, इसलिए पहले आर्डिनेन्स से करवा दें, विधान सभा में देख लेंगे। विधान सभा के लिए यह नियम नहीं हो कि छः महीने समाप्त होने से पहले आवश्यक रूप से बुलानी है तो मैं समझता हूं कि यह बुलाते नहीं। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना—यह एक जनतांत्रिक पद्धति का जो आधार है, इसकी वेल्यूज हैं, उनका निर्माण करने के लिए, और परम्परा बनाने के लिए आपत्तिजनक है।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह व्यवस्था बनाई गई है, म्यूनिसिपल बोर्ड और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की, यह क्यों बनाई गई है? नगर का विकास करने के लिए शहरों में बोर्ड बनाये गये, वहां विकास की ओर ध्यान जा सके—इसलिए बोर्ड कान्स्टीट्यूट किये। क्या वजह है कि एक नगरपालिका की, दूसरी नगर विकास न्यास की और तीसरी संस्था हो हाउसिंग बोर्ड की। तीन संस्थायें बना कर एक नगर के तीन मालिक बना दिये। हाउसिंग बोर्ड इसलिए परेशान है कि उसके पास हाउस बनाने के जमीन नहीं है। यह जमीन यू. आई. टी. से लेंगे, और वह उसको नहीं देना चाहती क्योंकि जमीन कीमती है इसलिए दूसरे कामों में ले लेंगे। ऐसी परेशानी है कि हाउसिंग बोर्ड को जमीन नहीं मिलती, ट्रस्ट कोपरेट नहीं करता है। मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेशों में, जहां हाउसिंग बोर्ड बने हैं, वहां पर ट्रस्ट नहीं हैं। लेकिन यहां है। फिर राजनैतिक विचारधारा और राजनैतिक कन्सीडरेशन रख कर यहां विचार किया जाता है, जो अमेंडमेंट करें उसमें इतनी गुंजाइश हो, कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकें। मैं समझता हूं कि जो बड़े यू. आई. टी. का अनुभव है, उससे राज्य सरकार शिक्षा लेती तो अमेंडमेंट दूसरे ढंग से आता, इसको डेमोक्रेटाइज करते। लेकिन इसको जनतंत्र के रूप में न लाकर ऐसा बनाया जा रहा है, जिसमें यह बोर्ड सारा का सारा राज्य सरकार के द्वारा नामिनेटेड हो, जिसे चाहें उसे रखें, जैसा चाहें वैसा करें। और आज अनुभव आया है वह कैसा आया है। मैंने सदन में पहले कहा था, आज विशेष कहना चाहता हूं क्योंकि बिल हमारे सामने आया है। मैं उदयपुर नगर विकास न्यास का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो धारायें बनी हैं, उसके अनुसार आप कान्स्टीट्यूट करेंगे तो कैसा विकास होगा, इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहां एक अपने व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया और जो बोर्ड कान्स्टीट्यूट किया, जैसा यह है, जो आर्डिनेन्स लाये हैं, इसी आधार पर अपने अपने लोगों से वह कान्स्टीट्यूट कर दिया, विरोधियों को रखने की इच्छा नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि जिस गिरधारीलाल शर्मा को आपने चेयरमैन बनाया, मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि उन्होंने, हमारे मंत्री महोदय सदन में नहीं है, हीरालाल देवपुरा, जो एक माननीय मंत्री है, उन्होंने प्लाट लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाईस हजार से ज्यादा का वह होगा, और उसके पास सारे प्लाट दो दो, तीन तीन हजार में एलाट कर दिये।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

एक ही रात के अन्दर सब एलॉट हो गए बड़े बड़े आदमियों को, आइ.ए.एस. अधिकारियों को, सिटी मजिस्ट्रेट को हो गए और जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के उस समय के एग्जिक्यूटिव आफिसर थे वह कर गए। मैंने मंत्रीजी से कहा कि उन्होंने मकान बना लिए और मैंने यह भी कहा था कि कम से कम उन अधिकारियों से पैसा लें जो मार्केट रेट पर लेते हैं। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि पैसा वसूल करेंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस कमेटी के सदस्य कौन बने ? ऐसा लगता है कि सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी एक तरह से कांग्रेस कमेटी थी। सारे पदाधिकारी कांग्रेस के, जिला कमेटी के सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक उस कमेटी के सदस्य, दूसरा कोई नहीं। या तो इस एक्ट के अन्दर ही आप कर दें सब कांग्रेस के ही सदस्य होंगे। परिणाम यह हुआ कि सब लोगों ने मिलकर लेलिया आपने अभी जो घोषणा की थी कि हम गरीबों को पट्टे बांटेंगे, गरीबों को आवास सुविधा देंगे, वह पूरी नहीं हुई। उदयपुर में सारे लोगों ने मिलकर हमारे यहां एक क्षेत्र है जिसमें आदिवासी, बनवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते है उनके नाम पर वहां के ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष थे पहले, अब नहीं है, हीरालालजी आचार्य, शास्त्रीजी उनके लीगल एडवाइजर थे, सबने मिलकर क्या किया ? 69 प्लाट्स के लिए गरीबों के नाम से समिति बनाई, समिति फर्जी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, सबसे पैसे ले लिए क्योंकि चेयरमैन उनसे मिला हुआ है, प्लाट्स के एलाटमेंट के आदेश ले लिए और रजिस्ट्रार के यहां जाकर गरीबों को बताया कि आपको प्लाट्स दिलाए जा रहे हैं, चलकर अंगूठा लगाओ, वह प्लाट्स बेचने का अंगूठा था। जो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 200) रु. में नीमच के पास वाली जमीन आदिवासियों को दे दी वह 4-4 हजार में बेची गई। आदिवासी आज भी 1975 में बिना किसी मकान के किसी जमीन के रह रहे हैं। कलक्टर को शिकायत की, मंत्रीजी को शिकायत की, पहले मंत्री महोदय ने कहा कि मैं एक्शन लूंगा। सेक्रेटरी से शिकायत की क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट्स और सर्विसेज का ढांचा इस टाइप का है कि इन पर कोई चैक नहीं। आपने मूलतः यह विचार नहीं किया कि नगर का विकास कैसे करेंगे, मेरे पास सूचा है कि किस किस को प्लाट्स मिले किसको नहीं मिले।

एक माननीय सदस्य : आपने लिया या नहीं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं जब एलाटमेंट कमेटी में था तो भी नहीं लिया। लेकिन यह केवल उदयपुर में ही नहीं। जयपुर को भी लिया जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण जयपुर का देता हूं, वह यह कि मैं मानता हूं कि हमारे मंत्रीजी जिस तबके के मंत्री बने हैं और आज तक मेरी मान्यता रही है कि मंत्री कभी सेक्रेटरी के आदेशों को लांघ कर अपने आदेश नहीं देते लेकिन आज मेरी धारणा बनी कि मंत्रीजी, सचिव पर वर्चस्व रखते हैं वह गलत आदेश दे दें तो उसको लांघ सकते हैं, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं, वह लाल फीताशाही के चुंगल में नहीं हैं। हमारे यहां जयपुर में छोटासा मंडावा हाऊसिंग ब्लॉक था जिसका सबडिविजन करके उन्होंने अपने आवासीय प्लाट्स बनाए। वे प्लाट्स संसार-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

चन्द्र रोड पर हैं। उसके लिए चीफ टाउन प्लानर ने रिपोर्ट दे दी कि :

I have examined the complete case and I am of the view that no commercial use may be permitted on the floor as it is on the main road which leads to the residential colony.

उसके बाद आदेश दे दिए गए नगर परिषद की ओर से कि यह छोटा है, कुछ लोगों ने वहां गोडाउन्स बना दिए हैं जो राजनैतिक प्रभाव रखते हैं उन्होंने दुरुपयोग किया है उसको चैक करने के लिए वापस डाइरेक्टर से आदेश हुए कि वहां नहीं जाने दिया जाए। इन सब आदेशों के बावजूद टाउन प्लानर ने 29-1-74 को डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज को लिखा है कि केसेज कम्पाऊंड हो रहे हैं, आप चैक करें कहीं कर्मशियल एरिया न बन जाए क्योंकि वहां छोटा रास्ता है 30 फीट चौड़ा उसमें ट्रकें चलती हैं। कुछ दिन पहले वहां एक्सीडेंट हो गया बच्चा मर गया। इसलिए उन्होंने लिखा कि वहां कामर्शियल सेंटर न बनाया जाए, गोदामों की इजाजत न दी जाए लेकिन वहां रहने वाले शायद खुश थे कि कार्मशियल सेन्टर बन गया तो उनके लिए अच्छा होगा लेकिन आम जनता का हित कहां है ? उसको कौन सोचेगा कई काम्पलीकेशन्स हैं। एक दिन हमारे मंत्रीजी ने आदेश दे दिया, मैं इनके साहब की बात कहूंगा वह कभी ऐसा साहस नहीं करते लेकिन इसमें दुस्साहस किया है, आदेश निकाला कि नई मंडावा स्कीम यू.आई.टी. नगर परिषद द्वारा व्यवसायिक कार्यों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। जिसको टाउन प्लानर स्वीकृत नहीं करें, डाइरेक्टर नहीं करे, सचिव या उपसचिव नहीं करे और जब पहले प्लान एप्रूव किया गया उस समय भी समाचार मिला कि वहां के प्रभावशाली व्यक्ति भीमसिंहजी हैं जो पहले मंत्री थे उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए मंत्री महोदय से निवेदन किया हो और उनके प्रभाव पर ऐसे आदेश निकाले जायं यह है यू.आई.टी. की हालत। उदयपुर में कांग्रेस जिला समिति पदाधिकारियों ने छोटे बच्चों के नाम, पत्नि मां बाप के नाम प्लाट्स ले रखे हैं, वहां के एग्जीक्यूटिव आफीसर ने पत्नि के नाम भाई के नाम ले लिए, एग्जीक्यूटिव आफीसर ने स्वयं 5 प्लाट्स ले लिए और यहां पर सारे का सारा प्रशासन चुपचाप बैठा रहे और मंत्रिमंडल कुछ न करे तो बेसीकली यह सोचना पड़ेगा कि हम कहां साहस दिखा रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारे यहां तो एक ऐसे बच्चे को प्लाट मिला था जो पैदा भी नहीं हुआ था और बच्ची हुई तो उसके नाम बदलना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रगतिशील हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमें बेसीकली विचार करना चाहिए। एक शहर के दो बाप नहीं हो सकते एक नगर परिषद और दूसरा यू.आई.टी.। दोनों ही हो मगर चुने हुए प्रतिनिधि उनमें हों, आप चुनाव करायें। जन प्रतिनिधि तो विकास का कार्य करें, ऐसा न करें कि अपने ही लोगों को रखें, मनमानी करें। नहीं तो विकास नहीं होगा

Page No 96

(96)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

और विकास के बजाय उसके परिणाम बुरे निकलेंगे इसलिए जो बिल जिस रूप में आया है इसे निरस्त किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर लाल।
(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।
(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।
(अनुपस्थित)

मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर (संशोधन) विधेयक, 1975 के सम्बन्ध में जो अध्यादेश 11 अक्टूबर, 1974 एवं दिनांक 12 जनवरी, 1975 को क्रमशः राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 22 सन् 1974) एवं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1975) को माननीय सदस्यों ने अस्वीकार करने के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उस संकल्प का विरोध करता हूं और उसके संबन्ध में माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अध्यादेश निकाले गये हैं उनके उद्देश्यों को देखने से स्पष्ट है कि वे उन हालतों के अन्दर जारी करना जरूरी था। मान्यवर, इसमें यह प्रावधान है कि "अन्य व्यक्ति जो संख्या में दो से कम और चार से अधिक न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा यदि खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के आधार पर ऐसी जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति का न्यास में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया हो।" यह राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 में प्रतिबन्ध था कि नोमिनेशन करते वक्त चार नोन-आफिशियल्स हो सकते थे उसके अन्दर अध्यक्ष भी शामिल था और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य अनिवार्य रूप से होता था, तो नोन-आफिशियल्स में राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं था कि उससे ज्यादा मनोनयन कर ले। तो एक ऐसी स्थिति कानून के तहत बनी हुई थी कि राजस्थान सरकार नगर विकास न्यास का संगठन करते वक्त उसके हाथ बंधे हुए थे कि इनसे अधिक नियुक्तियों का प्रतिनिधित्व हो जाय तो, और वह नोन-आफिशियल्स को दिया जाय तो वह नहीं दे सकती थी तो यह संशोधन आर्डिनेन्स के द्वारा लाया गया जिसके पीछे भावना स्पष्ट है कि नगर विकास न्यास के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिनकी रूचि नगर के विकास में हो, जिनको इस प्रकार का अनुभव हो, नगर के विकास में आवश्यक हो, इस प्रकार के लोगों को उसमें शामिल किया जाय और शामिल करके नगरों के विकास की गति को बढ़ाया जावे। यह उद्देश्य था इसके पीछे जो मैं समझता हूं कि एक उचित बात थी और नगर विकास न्यास और नगर विकास न्यास के निवासियों के हित में था।" दूसरा आर्डिनेन्स मान्यवर जो निकाला गया है वह है कि राजस्थान नगर विकास न्यास में जो हमारे प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारी लगे हुए हैं उनको राजस्थान सरकार नगर विकास न्यास में नियुक्त कर सकती थी लेकिन राज्य सरकार के लिये लाजिमी था

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि इस प्रकार की नियुक्तियां राजस्थान नगरपालिका सेवा के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन अधिकारियों में से ही राजस्थान सरकार को लाना था और फिर उनको नगर विकास न्यास में उनकी नियुक्ति करनी थी। यह एक ऐसा प्रावधान था कि राजस्थान नगरपालिका की जो सेवाएं हैं मान्यवर, उनकी जगह हमारे प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारी भी हमको लाना जरूरी था तो एक यह ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है इस मामले को लेकर कि राजस्थान सरकार इन अधिकारियों के अलावा दूसरे अधिकारियों को वहां नहीं ले सकती थी और नियुक्त नहीं कर सकती थी तो यह समावेश संशोधन करके किया गया कि राज्य सरकार इन अधिकारियों के अलावा भी यदि उचित समझेगी तो जिन लोगों की सेवाएं नगर विकास न्यास के लिये जरूरी हैं, चाहे वे तकनीकी हों, प्रशासनिक हों या और तरह की हों उनको भी इन सेवाओं में नगर विकास न्यासों में लिया जा सकता है। यही उद्देश्य था इसके अन्दर जिसके पीछे मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई अधिक बहस की भी आवश्यकता नहीं थी। इसमें राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा दिखलाई पड़ रही है उनके काम को बढ़ाना उनका विकास करना और नोन-आफिशियल्स को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, यही उद्देश्य था। मान्यवर, जो प्रस्तावित संशोधन है– "परन्तु यह और कि उक्त न्यास में प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर आफिसरों की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा या तो उक्त न्यास में पद धारण करने वाले उस स्टाफ में से जिनकी नामावली और कर्त्तव्य सरकार के किसी विभाग के पदों के तत्समान हों, जिनमें से समरूप पदों पर पदोन्नतियां की जाती हों अथवा राजस्थान नगरपालिका सेवा या राज्य सेवाओं में केडर्ड पद धारण करने वाले आफिसरों में से, की जा सकेगी और उन सेवाओं की पद संख्या, आवश्यकता हुई तो, तदनुसार बढ़ाई गई मानी जायेगी।" यह एक बहुत सीधा सादा संशोधन है और वह संशोधन इन वाक्यों का स्थान लेगा– "परन्तु यह और कि न्यास के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका सेवा के तत्समान काडरित अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे तथा उस सेवा की संख्या तदनुसार बढ़ा दी जायेगी।" इनके अलावा राज्य सरकार नियुक्त नहीं कर सकती थी। इसलिए यह समस्या सरकार के सामने आई और यह संशोधन लाया गया। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि राज्यपाल महोदय ने जो यह अध्यादेश जारी किया है उसको अस्वीकार किया जाय, मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस संकल्प को वापिस ले लें। नहीं लेने की स्थिति में आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको अस्वीकार किया जाये।

श्री गुमानमल लोढा : क्या आप एम. एल. ए. को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह सोचा गया था अध्यादेश निकालने के वक्त, उस वक्त सरकार यह मानकर चलती थी कि अध्यक्ष

(श्री रामनारायण चौधरी)

विकास न्यासों के जिलाधीश हैं वह नहीं हों और नोन-आफिशियल्स मेम्बर्स की संख्या बढ़ाई जाय और फिर बाद में राज्य सरकार ने इस विचार को आज भी, आगे भी इस पर पुनर्विचार करना उचित समझा और इस कारण से इसके बाद विकास न्यासों में कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकी। यह राज्य सरकार के विचाराधीन है कि क्या नगरपालिकाओं और नगर विकास न्यासों में अध्यक्ष का पद नोन-आफिशियल्स का हो या आफिशियल्स का हो, राज्य सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। इस निर्णय के बाद ही नियुक्तियां की जा सकेंगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स जिस ढंग से निकाला गया है उसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : बिल को आप नया ही मान लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 1974 एवं दिनांक 12 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित क्रमशः राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 22 सन् 1974) एवं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 2 सन् 1975) को अस्वीकार करता है ?

श्री केदारनाथ : हम इसको वापिस लेने की अनुमति चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : (श्री गिरधारी लाल भार्गव की ओर देखते हुए) आपका नम्बर तो आयगा नहीं बोलने के लिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं आयेगा यह मुझे मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री केदारनाथ : हम अपना संकल्प वापिस लेते हैं।

विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ प्रस्ताव।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिटी इम्प्रूवमेंट (अमेन्डमेंट) बिल, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव :

"राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहूंगा कि जिस यू. आई. टी. बोर्ड से यह गठन किया जा रहा है उस यू. आई. टी. से न तो कोई निहाल हुआ है और न ही होने वाला है। अभी माननीय मंत्रीजी ने, स्वयं ने, पिछली बार माना था कि यह बात सही है कि नगर विकास न्यास कोई लोगों को प्लाट नहीं दे सका। इसलिये कृषि भूमि लेकर मकान बनाये।

(4.02 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

यह बात आपने मान ली। मैं निवेदन करूंगा, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं; हजारों लाखों हैं; प्रातःकाल भी जिक्र किया, उन लोगों के लिये यू. आई. टी. ने प्लाट नहीं दिये। बड़ोदिया की बस्ती के लोगों ने सन् 1962 में रुपया जमा करा दिया। स्कीम भी ली गयी अलाटमेंट में। कोर्ट में जाकर यह कहा कि स्वर्गीय मुख्य मंत्रीजी की जो घोषणा है उसको स्वीकार ही नहीं करते तो मैं समझता हूं इससे बढ़कर खेद की बात और कौनसी होगी। कच्ची बस्तियों के लिये बिलकुल विश्वासघात है और स्वर्गीय मुख्य मंत्री की आत्मा के साथ भी विश्वासघात है। यू. आई. टी. ने तो कभी इन लोगों को निहाल नहीं किया। न ही प्लाट दिये। प्लाट दिये उसने अपने चहेते लोगों को। लोटरी सिस्टम की बात हुई। वह भी लागू नहीं हुआ।

तीसरी बात, राजस्थान के जितने भी मुख्य मंत्री हुए हैं, सभी ने कहा, सुखाड़िया जी ने, बरकत साहब ने भी कहा, कि सब ही पत्रकारों को भूखण्ड दिये जावेंगे। कुछ पत्रकारों को तो दे दिये गये उसके लिये तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से पत्रकार अभी भी ऐसे हैं जो किरायेदार के रूप में रह रहे हैं। आपने सदन के अन्दर घोषणा की थी इसलिये सदन की मर्यादा को रखते हुए और पिछले मुख्य मंत्रियों की घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये, स्वयं जोशीजी ने भी कहा है, जिनको भूखण्ड नहीं मिले हैं उनको भूखण्ड दिलाये जायं।

कई अधिकारियों को भी माहरी के मार्के वाली स्कीम में छोटे स्थान पर बड़े प्लाट दिये जावेंगे। रकम भी जमा करा दी। तीन चार वर्ष हो गये वह काम नहीं हो रहा है। सरकार ने एक बार गरीब लोगों को दो हजार रुपये में मकान बनाकर देने की स्कीम बनायी थी। श्मशान घाट के पास की जमीन में एक दो मकान बनाये भी। केरल के पैटर्न के आधार पर छोटे छोटे मकान बना कर दिल्ली और केरल में दिये गये उस योजना को भी यह यू. आई. टी. क्रियान्वित नहीं कर सकी। यह भी कहा गया था कि यह न्यास नई नई कोलोनीज में सड़कें बनाकर गटर लाइन डाल कर, नालियां बना कर, समुचित विकास करके उपनगरियां बसाकर नगर परिषद् को हैंड ओवर करेगी। बेनी पार्क को ही ले लीजिये पानी मर रहा है आदर्श नगर में भी मिक्सड योजना है। जहां जहां पर यू. आई. टी. का एरिया आता है, यू. आई. टी. ने एक भी योजना को जहां उसको कम्पलीट करके नगर पालिका को सौंपनी चाहिये थी, वह नहीं सौंपी। ट्यूब लाइट वह ठीक करे, सीवेज लाइन वह ठीक करे, सब काम वह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करे तो म्युनिसिपेलिटी कहां से यह कर सकती है ? यू. आई. टी. ने नियम पूर्वक कार्य करके नहीं दिये ।

नगर विकास न्यास लाखों रुपया जमीन बेच कर कमाता है । उस कमाई में से जब कि म्युनिसिपेलिटी बाहर वाले क्षेत्र में भी नल लगाती है, लाइट लगाती है, सफाई की व्यवस्था रखती है, नगर विकास न्यास को जमीन के बेचान की रकम में से नगरपालिका को हिस्सा देना चाहिये जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती, लेकिन वह हिस्सा भी नगर विकास न्यास की ओर से उसको नहीं मिला है । कुछ फीसदी रकम की इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये थी । यह नियम बना हुआ है कि यू. आई. टी. मनमाने ढंग से जमीन एक्वायर नहीं करेगी । किसी की करेगी तो प्रिपब्लिकेशन होगा । जो लोग बैठे हुए हैं पहले यू. आई. टी. योजना बनायेगी, बैठे हुए लोगों के प्लाट्स को एडजस्ट किया जायेगा । यू.आई. टी. एक्वायर करने से पहले बैठे हुए लोगों को प्राथमिकता के तौर पर पहले प्लाट देगी जयपुर की यू. आई. टी. ने देने की कोई व्यवस्था नहीं की । योजना बना दी । नागपुर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब किसी नगर के मास्टर प्लान की स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक नगर विकास न्यास जमीन एक्वायर नहीं करेगा । इसके विपरीत यह की यू. आई. टी. मनमाने ढंग से जमीन एक्वायर कर रहा है । आपने कहा कि जयपुर विकास न्यास में 25 बस्तियों की जमीन को एक्वायर करने की स्कीम चल रही है । जयपुर का मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो जाता एक्वायर करने की कार्यवाही यू. आई. टी. को नहीं करनी चाहिए । मेम्बर साहब के यहां पर जयपुर के नक्शे बिछाये गये, कहां पर सब्जी मंडी होगी, कहां पर बाजार होंगे, कहां बाई-पास होंगे । क्या चीज कहां करेंगे, कहां नहीं करेंगे । चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में जयपुर शहर का दुबारा मास्टर प्लान बनाने के लिए को-ओपरेटिव समितियां हैं, 110 सहकारी गृह निर्माण समितियां हैं, 136 कच्ची बस्तियां हैं, दुबारा मास्टर प्लान बनाया जायगा और चीफ सक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी । दुबारा मास्टर प्लान पर विचार के लिए बिठायी गयी कमेटी को भंग कर दिया । आपकी सलाहकार एडवाइजरी कौंसिल भी बनाई थी मास्टर प्लान के बारे में । मेरे और मेरे साथियों के बारे में कह सकता हूं कि एक बार भी एडवाइजरी कौंसिल में नहीं बुलाया । अभी बुलाया तीन चार दिन पहले । विद्युत सम्बन्धी कमेटी की मीटिंग हुई । कहा गया कि महत्वपूर्ण निर्णय लिये जावेंगे और उनको क्रियान्वित किये जावेंगे । लेकिन मास्टर प्लान के बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई । कोओपरेटिव सोसाइटी की हो या और किसी की हो लाल कोठी के अन्दर बहुत कृषक हैं जिनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं और कई छोटे किसानों के खेत हैं लेकिन यह विचार करना कि यह छोटे किसानों के खेत हैं या बड़े किसानों के हैं सरकार ने उनकी जमीन के एक्वीजीशन के नोटिस दे दिये । गरीबों को तो नोटिस दे दिये और उनकी जमीन एक्वायर करने के लिए राज्य सरकार जा रही है लेकिन वहां पर दूसरे लोग बैठे हुए हैं जैसे कि जयपुर के फूड कमिश्नर भटनागर साहब हैं और उनके अलावा अन्य और आठ, दस लोग हैं उनकी जमीनों को एक्वायर नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किया जाये तो उनके मकान को लालकोठी में बचाते हुए लाइन वहां से निकाल दी गयी और गरीबों की भूमि को एक्वायर किया जायेगा। बड़े बड़े राजनेताओं के प्लाटों को एक्वायर नहीं किया जायेगा और गरीबों की जमीन को गरीब किसानों के खेतों को एक्वायर किया जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि जब तक मास्टर प्लान का अन्तिम प्रारूप तैयार होकर उस पर राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक आप गरीब किसानों को भूमि को अवाप्त मत करो और अगर एक्वायर करने की कार्यवाही चलेगी तो लोग दुखी होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1961 में आपने लोगों को एक्वीजीशन के नोटिसेज दिये हैं और आज 75 हो गया है। आप उस भूमि को एक्वायर करेंगे तो सन् 1961 की रेट पर उनको देंगे जबकि जमीन की कीमत दस गुना बढ़ गयी है। तो आप भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही न करें और यदि आप भूमि को अवाप्त भी करते हैं तो उनको सन् 75 के आधार पर मुआवजा दीजिए। आप सन् 61 के समय का जो मुआवजा दे रहे हैं तो गरीब किसानों के साथ दोहरा अन्याय हो रहा है एक तो एक्वीजीशन का और दूसरे मुआवजे का।

सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालात यह है कि लालकोठी वाली स्कीम को आप देखें तो आपको याद होगा कि आपने वहां पर बुलडोजर फिरवाये और वह भी आपने राजनैतिक भेद-भाव के आधार पर फिरवाये कि यहां तो फिर जाये और आगे की तरफ से रह जाये। आपने वहां पर जिस प्रकार का सीन क्रियेट किया जैसे हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, हिन्दुस्तान पाकिस्तान का घमासान युद्ध हो रहा हो। टेंकर्स वहां पर खड़े हुए हैं और निर्ममता के आधार पर आपने वहां पर मकान तोड़ दिये। जब आपने सदन में भी कहा, पिछली बार राजस्व मन्त्री जी ने भी कहा कि भूमि का कनवर्शन होगा और हम लोगों के मकान नहीं तोड़ेंगे। मैं समझता हूं कि उसके बावजूद भी मकानों को तोड़ा गया है। जब आपकी कृषि भूमि को परिवर्तित करने वाले अधिकारी भूमि को आबादी में परिवर्तित कर देते हैं और नक्शे निकाल देते हैं तो आपकी तथाकथित यू. आई. टी. है उसके द्वारा गरीबों के नक्शे पास नहीं किये जाते हैं और भूमि रूपान्तरण में परिवर्तित होने के बाद भी नक्शे पास नहीं किये जाते हैं तो उसका परिणाम यह है कि वह लोग दुखी हैं, लोगों को पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इससे बढ़कर खेद की क्या बात होगी। मकानों में आपने बिजली के कनेक्शन दे दिये खेतों में आपने बिजली के कनेक्शन दे दिये तो फिर पानी का कनेक्शन भी आपको देना चाहिए। वह भी नहीं, तो जिसकी भूमि परिवर्तित हो गयी और आपके अधिकारी ने बदल दी तो यू. आई.टी. को बदलने में क्या एतराज है? और आपने स्वयं ने माना कि यू.आई.टी. ने प्लाट नहीं दिये जिन्होंने छोटे मकान बनाये, खिड़की रखी, अनधिकृत निर्माण किया और फिर राज्य सरकार अनधिकृत निर्माण के लिए भी कनेक्शन नहीं दे रही है। जिनको मकान की आवश्यकता है, छाया की आवश्यकता है तो कहीं से कुए से पानी लायेगा, पड़ोस से पानी लायेगा, तालाब से पानी लायेगा। मकान तो बनायेगा ही। मकान तो बनेगा और अब आपको तोड़ने देंगे नहीं

(१०५)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लेकिन आज लोगों का कष्ट बढ़ता जा रहा है उस ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों के कष्टों का निवारण कीजिए।

सभापति महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की दुधारी व्यवस्था है नगरपालिकायें बनें और नगर विकास न्यास भी बना रहे और फिर हाउसिंग बोर्ड और हो गया और फिर उसके बाद रिहेबीलीटेशन डिपार्टमेन्ट और हो गया। जयपुर नगर तो एक है और इसमें नगर परिषद, नगर विकास न्यास, रिहेबीलीटेशन डिपार्टमेन्ट और हाउसिंग बोर्ड और अब आप जयपुर नगर के लिए एक व्यवस्था अधिकरण की और करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यू. आई. टी. का काम समाप्त। माननीय मन्त्री महोदय उस अधिकरण के चेयरमैन होंगे और कांग्रेस के हारे हुए लोग अधिकरण के मेम्बर होंगे और विरोधी पक्ष को तो आप उसमें कोई प्रतिनिधित्व देने वाले हैं नहीं। आप कहते हैं कि विरोधियों का सहयोग चाहिए लेकिन मैं समझता हूं आपको तो उस समय सहयोग चाहिए जिस समय मुल्क पर आपत्ति आ जाये और उस समय एक नेता वाले सिद्धान्त की बात आप करते हैं और तुरन्त उसके बाद चुनाव करा लेंगे और फिर कहेंगे कि युद्ध हमने जीत लिया....

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमको भी बोलना है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर नगर के अन्दर जो पांच पांच बातों की व्यवस्था है नगर परिषद, नगर विकास न्यास, रहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट, हाउसिंग बोर्ड और उसके बाद अधिकरण – इन सब व्यवस्थाओं के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नगर परिषदें हैं और नगर विकास न्यास हैं मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के नाते जब आप और छोटे छोटे काम करते हैं खेद का विषय है कि राजस्थान में एक भी स्थान पर नगर निगम नहीं है। इसलिए मैं, सभापति महोदय आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि न तो नगर परिषद के कानून में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है और यू. आई. टी. के मेम्बर होंगे 6-6 होंगे, शिड्यूल्ड कास्ट के होंगे – इसके करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मेरी मांग है कि चार, चार प्रकार की व्यवस्था है इससे लोग बहुत दुखी हैं।

आप आज आदर्श नगर चले जाइये यू. आई. टी. को कहते हैं तो कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी का काम है और म्युनिसिलिटी को कहते है तो वह कहते हैं कि यू. आई. टी. का काम है और फिर कभी कह देते हैं कि हाउसिंग बोर्ड का काम है और कभी कह देते हैं कि रिहेबीलीटेशन डिपार्टमेन्ट का काम है। आदर्शनगर नहीं बल्कि गन्दा नाला नगर है। हर विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने के अलावा कोई काम नहीं करता है। वह कहते हैं कि हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटी को देते हैं उनसे करायें। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे नगरों में जहां यू. आई. टी. है, नगर परिषदें हैं उनको मिला कर और चारों विभागों को हटा कर आप राजस्थान में नगर निगम बनाने का विधेयक इसी सत्र में लायें और जयपुर शहर के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह चारों प्रकार की व्यवस्था नगर परिषद, नगर विकास न्यास,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हाउसिंग बोर्ड, रिहेबीलीटेशन डिपार्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और नगर निगम बना दीजिए जिसमें बिजली की व्यवस्था उसके हाथ में आजायेगी, पानी की व्यवस्था इसमें आ जायेगी और सारी प्रकार की व्यवस्थायें उसके हाथ में आ जायेगी अन्य प्रकार की जो संस्थाये हैं जैसे रंगमंच है जो कि बिलकुल जीर्णक्षीण पड़ा है वह भी नगर निगम के हाथ में आ जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां पर नगर निगम की स्थापना करें और इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करें।

श्री सभापति : श्री दीपंकर

श्री दीपंकर (लाडनू): सभापति महोदय, बिल दो बातों को लेकर हमारे सामने है। उसका उद्देश्य मंत्री महोदय ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और मै समझता हूं कि कोई भ्रम की बात अब नहीं रहनी चाहिए हाउस के सामने कि कोई ऐसी विवाद की बात उन्होंने नहीं रखी है कि जिसके ऊपर हम विभिन्न मत जाहिर करते रहें।

एक तो नगर सुधार विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि इसमें जो भी सेवायें आज तक केवल नगर पालिकाओं से ही ली जाती रही हैं और वहां पर वैसे ही स्टाफ की कमी रहती है, ट्रेनिंग की कमी रहती है और वहां से आदमी अगर इधर ले लिये जायें तो वहां कहां से भरे जायें, यह एक समस्या है और दूसरे नगर-पालिकाओं का दायरा बहुत छोटा है और उनके कामकाज कुछ कम नहीं और नगर सुधार न्यास बहुत बड़ी आबादी को बहुत ही खुशनुमा तरीके से बसाता है, उसमें क्या सुधार किया जाये यह सोचने का सवाल खड़ा होता है तो लाजिमी बात है कि हमारे पास अच्छे इन्जीनियर्स चाहिए, हमारे पास अच्छे सलाहकार चाहिए, अच्छे मकानों के डिजाइन बनाने वाले भी चाहिए और उसके साथ साथ हमें इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कुछ इस तरीके से जन प्रतिनिधि भी चाहिए जो सही मायने में जिनका दिमाग निर्माण की तरफ लगा हुआ हो। जो रचनात्मक प्रवृत्ति के लोग हों तो इसलिए यह एक जरूरी बात है। इन सब कमियों को पूरा करने की वजह से यह हमारे सामने बिल आया है और दो बातें इसमें रखी हैं वह बिल्कुल सही है। कुछ शंकायें यह हैं कि इसमें केवल आज तक जन प्रतिनिधियों में कुछ एक ही पार्टी के लोग नामजद होते रहे हैं। होते रहें होंगे अगर इस पार्टी को ज्यादा अनुभव है तो उस पार्टी के हाई कोर्ट के जज भी बने है और बहुत से इस तरह के अधिकरण है उनमें भी सदस्य बने हैं और ज्यादातर मैं समझता हूं कि जन प्रतिनिधियों के बारे में जनता ने यह सोचा कि ये जनता के हित में है, एक ही पार्टी के बहुत अच्छे हैं तो वह बहुमत के साथ इस सदन में भी आ गए हैं। तो इसके लिए कोई शंका करने की जरूरत नहीं है

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दीपंकर साहब, आप भार्गव साहब की एबसेंस का फायदा उठा रहें हैं, उठाओ।

श्री दीपंकर : आप उनके आने पर निवेदन कर देना। मेरा निवेदन करने

(श्री दीपंकर)

का मतलब यह है कि यह शंका करना केवल किसी एक पार्टी विशेष के कार्यकर्त्ताओं के इंटरेस्ट में यह बिल है यह कतई मकसद नहीं है, यही मेरे निवेदन करने का मतलब है।

पहले जब कि जन प्रतिनिधियों की संख्या सीमित थी तो यह एक बहुत ही स्वाभाविक बात है कि अगर कुछ लायक आदमी पहले ध्यान में नहीं आये और बाद में आजावें सरकार की निगाह में तो उनकी सेवायें ली जानी चाहिए और हमारे यहां पर जगह न हो कानून के अन्दर और केवल चार ही आदमी ले सकें तो इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हों, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी हों और जो अनुभवी जन प्रतिनिधि हों, चाहे सरकारी अधिकारी हों जो बिल्कुल एक तरह से सेवा निवृत्त हो चुके हों तो उनकी सेवायें, उनके अनुभव का लाभ उठा सकें तो इसलिए यह एक ऐसी संस्था है जिसे एक तरह से स्वायत्तशासी संस्था मानना चाहिए और इस संस्था के लिए अगर हम यह विरोध करें कि एक जगह पर नगर परिषद भी है, और वहां पर इस तरह से नगर न्यास भी है यह सब तीन चार बोडी क्यों हैं, मैं समझता हूं कि हमें खुले दिमाग से यह विचार करना चाहिए कि हाऊसिंग बोर्ड का फंक्शन क्या है। हाउसिंग बोर्ड एक ही काम करता है, जमीन लेता है और उसमें सस्ता किस्म के मकान, बड़े मकान, छोटे मकान, दो तीन किस्म के मकान बना कर जिस तरह से किश्तों में देता है, नम्बर से लाटरी निकाल कर देता है जो लाग ऐसे हैं जिनके पास कि जमीन नहीं है बसने के लिए, ऐसे लोगों को देता है, तो उसका इससे क्या लेना देना। कोई झगड़ा नहीं है। वह एक अलग काम है और उस काम में नगर न्यास को सहयोग करना चाहिए भूमि उनको दिलाने में या और भी जिस तरह से भूमिहीन लोगों को मकान देने में मदद की आवश्यकता है उसमें मदद करनी चाहिए।

अब रह जाता है नगरपरिषद। नगरपरिषद पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका एक सेपरेट एक्ट है जिसमें उनकी जिम्मेदारी है। इस नगर के अन्दर बसने वाले जितने व्यक्ति हैं उनकी कुछ बीमारियों के बारे में व्यवस्था करें, उनकी सफाई के बारे में व्यवस्था करे, उनके ड्रेनेज की व्यवस्था करे, बहुत तरह की जिम्मेदारी हैं जो एक्ट के अन्दर निहित हैं। उस एक्ट की डिटेल्स में, मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। उनका इससे कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए हमें कोई भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि नगर परिषद कोई ऐसी चीज है जो आपस में झगड़ेगी नगर न्यास से या हाउसिंग बोर्ड से। हाउसिंग बोर्ड ऐसी बोडी है जिससे झगड़ा हो जायगा नगर न्यास का या नगर परिषद से और अब जो और बनने जा रहो है प्रधिकरण तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि कई स्टेटों में ऐसी व्यवस्था है, हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज हैं जो इण्डीविजुअल कोई भी रजिस्टर्ड करवा सकता है और जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड भूखण्ड लेता है और फिर कोआपरेटिव सोसायटीज को परमानेन्टली बेचता है। महाराष्ट्र में हमने देखा है यह व्यवस्था है, बम्बई में यह है, बड़े बड़े शहरों

(श्री दीपंकर)

में भी अलग अलग काम करते हैं। न वहां कोआपरेटिव से झगड़ा होता है न नगर न्यास से झगड़ा होता है और न वहां के हाउसिंग बोर्ड से झगड़ा होता है। तो इसलिये यह सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। किसी तरीके से अगर हम यह समझें कि आपस में इस तरह की व्यवस्था होने से कोई प्रथा कायम हो जायगी, दो तरह की, तीन तरह की व्यवस्था हो जायगी तो उससे कोई नुक्सान हो जायगा, इस तरह का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जन प्रतिनिधि जिस जगह जाते हैं उनके कामों से जरूर जनता को जानकारी मिलती है। अगर उनकी योग्यता में कोई फर्क है, अगर उनकी नियत में फर्क है तो जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। पहले जो विधान सभा में चेहरे थे आज विधान सभा में उनके कितने चेहरे रहे हैं और कितने नए आ गए, यही इसका नमूना है। चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहें नगरपरिषद हो, चाहे कहीं पर भी हो जनता खूब समझने लगी है, चाहे पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, कौन किसका हित करने वाला है, कौन कैसा पर्टीक्यूलर दृष्टिकोण लेकर चलने वाला है, किसकी निर्माण की भावना है, कौन राष्ट्रीय विचारों का है, कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, कौन इस संकीर्ण दायरे में रह कर रिश्तेदारों का भला करता है, कौन ऐसे आदमी हैं जनता उनको खूब समझती है। जिस तरह से माननीय सदस्य गफ्फार अली साहब ने फरमाया कि उससे पहले किस तरह से प्लाट अलाट हो गए, यह सारी बातें सामने आती हैं लोगों के और जो अच्छे लोग हैं उनके कार्य भी सरकार के नोटिस में नहीं आते हों, यह मैं नहीं मानता हूं। सरकार सब कुछ जानती है, नोटिस भी लेती है तो समय पड़ने पर कौन भला है और कौन बुरा करने वाला है उसके अनुसार कार्यवाही भी करती है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इसमें अगर जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा एक प्रजातांत्रिक तरीका है, ज्यादा सुविधाजनक तरीका है, ज्यादा लोगों के सहयोग लेने की बात है, ज्यादा लोगों का सहयोग मिले, ज्यादा जानकार लोगों की राय मिले, ज्यादा ऐसे व्यक्तियों की जो निर्माण के बारे में जानते हों उनकी राय मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहां के नगर न्यास ज्यादा सफल रहेंगे। जितना सीमित दायरा रखते हैं और उस सीमित दायरे में काम करते हैं तो जितना बिस्तृत दायरा होगा, जितनी विस्तृत कमेटी होगी उतने ही विस्तृत दिमाग और विचार और विचारधारा और अनुभव का लाभ मिलेगा। इसलिए अच्छा होगा कि जहां लाखों की तादाद में नगर हैं उनकी कमेटियां बड़ी बनायी जांय। यह कोई बात हुई कि दस ग्यारह और 15 की कमेटी बैठा दी, इससे क्या होने वाला है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अच्छी कालोनी बनायें, अच्छी सड़कें बनायें, अच्छी नालियां बनायें, अच्छे भवन बनायें, अच्छी लोगों को सुविधायें दें और इस पर हर तरह से विचार कर सकें, इसके लिए यह बहुत अच्छा मौका है। दो तीन किस्म की प्रक्रिया रखी गई है यह चाहे नगर परिषद हो, चाहे

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

नगर न्यास हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री दीपंकर)

तो इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हाउसिंग बोर्ड के बारे में मैं निवेदन करूं कि मैं एक बार हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में बैठा था तो राष्ट्रपति महोदय का पत्र सुना रहे थे, एक वहां के अधिकारी पढ़ रहे थे कि राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने कम आय वाले लोगों के लिए किस तरह के अच्छे मकानात बनाए और योजना बना कर गांधी कुटीर के नाम से योजना बना दी है। इस तरह से प्रशंसा हो, लोग किस तरह से दिमाग लगाते हैं और उनकी प्रशंसा होती है, इन योजनाओं को हम देखें नहीं और महज केवल आलोचना के लिए आलोचना करें तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण, सरकार जो तरीके सामने लेकर आई है, जो इरादा लेकर सामने आई है उस इरादे से अगर हमें फायदा होने वाला है तो हमें स्वागत करना चाहिए। इतना बात और निवेदन करूंगा कि इस तरह से दूसरे जितने नगर हैं अगर उसके बारे में इस तरह से होता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए और महज केवल बुराई करने के नाम पर बुराई करते जायें यह कोई अच्छी बात नहीं मानी जा सकती, न यह कोई डेमोक्रेटिक तरीका है, न कोई डेमोक्रेटिक वे है।

एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि आज जो केवल सरकारी अधिकारियों के जिम्मे है यह आपके नगर न्यास आपने उनको सौंपे हैं यह दरअसल में एक कारण सरकार के सामने जरूर रहा होगा जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया कि कुछ प्लाट देने में कुछ लोगों ने गड़बड़ की या और कोई कारण रहे होंगे जिनकी वजह से सरकारी अधिकारियों के हाथ में दिए होंगे लेकिन जैसे ही यह बिल पास हो जाता है जन प्रतिनिधियों के हाथ में पूर्णतया नगर न्यासों को दे देना चाहिए। चैयरमैन जो हैं वह बिल्कुल चुने हुए होने चाहिए। इसमें यह भी है कि जन-प्रतिनिधियों और टेक्निकल आदमियों की मिली-जुली कमेटी जहां पर बैठती है तो आपको जन-प्रतिनिधियों का विश्वास करना पड़ता है। जन-प्रतिनिधि कमेटी के सोचे हुए निश्चय हैं उनकी क्रियान्विति के लिए वह जितना काम कर सकते हैं उतना काम करने का वक्त न तो सरकारी अधिकारियों के पास है चाहे वह कलेक्टर हो। वे भी इतना अधिक काम करते हैं। मैं उनकी नियत पर शक नहीं करता हूं। मैं यह मान कर चलता हूं कि निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि कितनी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए कलेक्टर महोदय कितना कितना वक्त निकालते हैं, और दूसरे सरकारी मंत्री महोदय और एम. एल. एज. जितना सम्पर्क कर पाते हैं वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अन्दर यह विश्वास करना चाहिए। अगर हम इसको भंग करते हैं तो दुबारा गठन भी करें। (समय समाप्ति-सूचक घंटी) उनका गठन जन-प्रतिनिधियों के साथ में करना चाहिए और दूसरा जो सहयोग लेने का प्रावधान है विभागों से उनकी स्वीकृति होनी चाहिए। इसको नहीं करते हैं तो मनमाने आदमियों को भेज दिया जायगा। म्युनिसिपैलिटी के पास आदमी नहीं तो दूसरे विभाग से आदमी लोन पर आ सकते हैं। तो बहुत सी दूसरी

(श्री दीपंकर)

जगह से ऐसे लोग अगर लिये जायेंगे तो सब को मान्य होना चाहिए और इसके लिए विचार किया जाय, कोई शिकायत की जाय कि किसी पार्टी विशेष के आदमी को ले लिया जाय और महज यह कहा जाय कि अमुक पार्टी का राज्य है तो उनको ले लिया। अगर आप पार्टी राज्य मानते हैं तो पार्टी जो मेजोरिटी में होगी वह जनता के हित में जन-प्रतिनिधियों के लिए जन हित में सोचेगा। इसलिए जिस तरह की समस्या है उसको करना पड़ेगा। इसलिए आप करें तो आपकी मर्जी है। वह बात होनी चाहिए। अनधिकृत केवल एक लोकतान्त्रिक तरीका लाने के लिए आप कर देते हैं तो हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा और अन्त में हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि दोनों संशोधनों सहित इस विधेयक को, जो कि बहुत अच्छा है, पारित किया जाना चाहिए, और मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव किया था, मैं उस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

मैं निवेदन करता हूं कि मैं इनका समर्थन करता हूं और यह दोनों बिल जो रखे हैं वह बिल्कुल समय के अनुकूल हैं और बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से रखे हैं। मैं समझता हूं कि वह यह कहते हैं कि हमारा यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि सारी जगहों पर एम. एल. एज. ही जन-प्रतिनिधि के रूप में आयें। दूसरे भी जन-प्रतिनिधि हैं। मैं कहता हूं कि एम. एल. ए. सबसे बड़ा जन-प्रतिनिधि है तो आगे के कार्यक्रम की बात हो जायगी। हम कहें कि किसी म्युनिसिपैलिटी में, किसी नगर परिषद् में, किसी जिला परिषद् में अथवा किसी और में बैठ जायेगा, नगर विकास न्यास में जाकर बैठ जायगा। फिर भी आप यह चाहते हैं कि कुछ ऐसे रखें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसमें यह मानकर चलता हूं कि हमारे अलावा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जिन्होंने तमाम लाइफ समाज की सेवा की है, जिन्होंने अपना सारा समय किन्हीं शिक्षण संस्थाओं को दिया है, तमाम समय सेवा में दिया है, ऐसे व्यक्तियों को मौका दें। केवल अपने ही व्यक्तियों को ले जाकर बैठायें यह हमारा दायरा नहीं है। अन्त में मैं इसका समर्थन करता हुआ मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार का यह उदार दृष्टिकोण है कि दोनों संशोधनों सहित इस विधेयक को हमारे सामने लाई है।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को मैंने जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए निवेदन किया था। इस संबंध में आज सारा विवाद चल रहा है। उस संबंध में, मैं केवल मात्र इतनासा निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह मानकर चलता हूं कि जिस समय यहां असेम्बली में तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने इस प्रकार का एक बिल पेश किया था उस समय मैंने निवेदन किया था कि इसमें विधायकों को रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए तो आज इस बात के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आर्डिनेन्स के जरिये जो यह बिल को लेकर आये हैं उसमें इस बात को कहा है जन-प्रतिनिधियों को स्थान देना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उसके साथ में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विशुद्ध रूप से जयपुर शहर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के जिलाधीश महोदय लगभग 36 कमेटियों के चेयरमैन हैं। उनके लिए सारा काम करने का समय नहीं है। इम्प्रूवमेंट के बारे में अकेला जयपुर शहर इतना बड़ा शहर है कि जहां पर इम्प्रूवमेंट की, विकास की यदि हम कल्पना करते हैं कि अधिकारियों की मारफत सारे काम को करवायें तो निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पायेंगे। नरोरा में 13 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया। उसमें 5 सूत्री कार्यक्रम शहरों के लिए हैं। शहरों में कच्ची बस्तियों की समस्या है, शहरों में वितरण-व्यवस्था की समस्या है। इन सारे कामों के लिए 13 सूत्रों में से 5 सूत्र शहरों के लिए दिए गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी ब्यूरोक्रेसी मैं यह नहीं मानकर चलता हूं कि खराब है। इनमें से अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मैं इतना निश्चित रूप से मानकर चलता हूं कि हमारे संविधान के अन्दर जनता के लिए मुख्य तीन बातें—रोटी, कपड़ा और मकान की बात तय की है तथा चिकित्सा आदि की सुविधाओं के लिए कहा है। इसके लिए 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया है उसमें मकान की सुविधा की बात है। सारे शहरों के अन्दर, राजस्थान में जितने शहर हैं आपके आंकड़ों के अनुसार उनमें 30 हजार झुग्गी झोंपड़ी वाले रहते हैं। उन 30 हजार में से जयपुर शहर के अन्दर 10 हजार झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं। मैं हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं कि नगर विकास न्यास ने कुछ नहीं किया है। मैं उनसे यह विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि जो कुछ हुआ है उसकी तारीफ करना चाहिए। आज आप यहां बैठकर कह सकते हो कि कोई मकान नहीं बना और केवल मात्र प्रदर्शन कर दिया तो 3 हजार मकानों का केवलमात्र प्रदर्शन है ? मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि वह जाकर देखें हसनपुराके एरिया को। यह बात सही है कि जतना 15 वर्षों के अन्दर नगर विकास न्यास को काम करना चाहिए था निश्चितरूप से नगर विकास न्यास उस कार्यक्रम में असफल रहा है। मैं समझता हूं कि वह केवलमात्र यह कह कर रह जायं तो गलत है। आज एक व्यक्ति है वह व्यक्ति सारे कार्यक्रम को पूरा करने में असमर्थ है, यह हमारे सामने प्रश्न है। आज जयपुर शहर के अन्दर जो स्थिति है वह यह है कि लगभग 18 हजार एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं बोर्ड के सामने। 10 हजार एप्लीकेशन्स जयपुर विकास न्यास के पास है। सरकार ने एक फैसला किया और उस एक फैसले से उन 10 हजार एप्लीकेशन्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लोगों ने बड़ी तकलीफें उठाई थीं दो-दो, तीन-तीन दिन तक इधर-उधर दौड़कर सारा वेरीफाई कराने में। सरकार ने 1971 में माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की और उस घोषणा के बारे में हलफनामे दिये गये। जयपुर शहर में चार हजार के करीब उस घोषणा के आधार पर पट्टे दिये जा चुके हैं और उन सारी बस्तियों के अन्दर जहां पर जन-प्रतिनिधि सारा काम निर्माण की दृष्टि से करवाना चाहते है मकानों का काम चल रहा है। माननीय सदस्य को देखकर प्रसन्नता होगी कि हम इस प्रकार का कार्य कर रहे है जिससे उस गरीब को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जिस गरीब के लिए कम से कम उस गरीब की सुविधा के लिए वह वर्क कर रहे हैं और सारी सुविधाएं उस गरीब को दी हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास की जहां बातें कहना चाहते हैं, जहां जन-प्रतिनिधियों को इन्क्लूड करने की बात कहना चाहते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज में वह जो रिपजेन्टेटिव होता है जनता का जहां तक उसका क्षेत्र होता है नगर विकास न्यास का। जिला परिषद् में जिस प्रकार से एम० पी० और एम० एल० ए० ऑटोमेटिकली मेम्बर हो जाते हैं उसी प्रकार से नगर विकास न्यास में लोकल एम०पी०, एम०एल०ए० को वहां का मेम्बर मानना चाहिए। जिस एम०एल० ए० का वहां पर क्षेत्र पड़ता है उसी एम० एल०ए० को उसमें इन्क्लूड किया जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए चाहे वह किसी दल को रिप्रेजेन्ट करने वाला हो, नगर विकास न्यास में उसको निश्चित रूप से नोमीनेट किया जाना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से विचार करके चलें। पिछले 15 वर्षों में जो स्थितियां घटी हैं और जिसकी वजह से सारी परेशानियां हुई हैं।

जयपुर में 2,900 भूखण्ड आवंटित किये हैं। हम गरीबी को दूर करने के लिए लड़ना चाहते हैं। जिस की झोंपड़ी पर फूस नहीं था उनको पक्के मकान रहने के लिए बनाकर दिए हैं। 4 हजार मकान बनाये हैं। बस्तियां बसी हैं। जयपुर में जो काम हुआ है, वह स्थायी हुआ है। आप फैलने लगते है, सोचते नहीं है। बड़ोदिया बस्ती······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों को प्लाट का पैसा नहीं दिया गया है। उनके ब्याज तक को मारा जा रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सही है कि बड़ोदिया बस्ती के लोगों ने पैसा जमा कराया है। वहां के 72 आदमियों को परशुराम बाड़े में अपने हाथ से भूखण्ड देकर आये हैं। 210 भूखण्ड आवण्टित हो चुके हैं। उस दिन भी पट्टे बांटने गये थे। वहां कुछ प्रदर्शन हुआ है। वह तो किरायेदार और मकान मालिकों का चलता है। मैं चौधरी साहब से कहता हूं, आप सारे शहर को डवलप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगा, चांदमारी का इलाका पड़ा हुआ है। अगर भूखण्ड वहां पर आवंटित किए जायं तो 8 हजार भूखण्ड आवंटित हो सकते हैं। यह स्थान झोटवाड़ा और अम्बाबाड़ी के बीच में है। इसके लिए कलेक्टर ने कमेटी भी बिठाई है। मिलिट्री के आफिसर्स से बात भी कर चुके हैं। आज जयपुर शहर की 47 लाख की आबादी हो गई है। जयपुर शहर में गांवों से आदमी आते हैं। शहर में रोटी रोजी के सवाल के हल के लिए आते हैं। जहां तक झुग्गी झोंपड़ियों का सवाल मैं समझ पाया हूं, वह रोटी और रोजी के सवाल के लिए आते हैं जो गांवों के लोग हैं। उनके मकानों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, हमें 21 अगस्त की लक्ष्मण रेखा को भी बढ़ाना है। मैं तो यह भी कहूंगा जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे हैं। उनको हमें रेग्युलेराइज करना होगा। उनको हम पक्के मकान बनाकर दें। वैसे यह दी राजस्थान फाइनेंस हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से जो सारा काम हुआ है, उसकी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मैं सराहना करता हूं। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। मैं यह भी अनुभव करता रहा हूं। किसी प्रकार से काम हो। एक बात मैं और कहूंगा। जयपुर विकास अधिकरण बनाये जाने के बारे में कैसे होगा। आपके यू. आई. टी के इन्जीनियर और जयपुर म्युनिसिपैलिटी के रिप्रेजेण्टेटिव है, यह मिलकर देख सकते हैं। नल के लिए पक्की सड़क तोड़ी जाती है। आप शहर के लिए कारपोरेशन बनायें। आपने बहुत अच्छा काम किया है कच्ची बस्तियों में। म्युनिसिपल को देखते हुए बाहर के सारे नक्शे बन गए हैं। सड़क और नालियां बनाई हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छे ढ़ंग से काम किया गया है। लेकिन जितने रुपये लेकर सारे इस काम को यूटिलाइज करना चाहिए था, वह काम उस रूप में पूरा नहीं कर पाये हैं। जितना बन गया है, उसके लिए ही वेलकम टू यू। एक और निवेदन करूं, जयपुर में फॉरेन से भी टूरिस्ट आते हैं। जलमहल के पास गन्दगी आती है। तीन वर्ष से प्लाण्ट लगाने की बात है। आप उसका उपयोग नहीं करवाते हैं। सारा शहर सड़ता है। 30 लाख के बजाय आपको 80 लाख रुपये में अगर आप उस जमीन को नीलाम करेंगे तो आपको रुपये मिल जायेंगे जो पब्लिक को दी गई है उसको निकाल करके। चेयरमैन आप ऐसे आदमी को बनायें जिससे कि काम हो। ब्यूरोक्रेटिक लोगों को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि इनका दृष्टिकोण दूसरे ढंग का होता है। इनको तो हिन्दुस्तान पर राज करना था। उस जमाने का दृष्टिकोण है। हमारी पार्टी ने घोषणा की है। जहां तक सम्भव होगा, हम देश के प्रत्येक परिवार को रहने के लिए मकान हासिल करायेंगे। यह हमको बड़ी मजबूती से देखना होगा। हम किस प्रकार से काम करते हैं। जो ड्रेनेज और गटर लाइन का सवाल है। जितनी गलत व्यवस्था है, अगर योजनाबद्ध कार्य नहीं किया तो 45 लाख की आबादी है। जिस प्रकार की गन्दगी के वातावरण में रहना पड़ रहा है वह वैसी ही स्थितियां रहेंगी। एक और निवेदन करूंगा, हमारे यहां कुमावतों के स्कूल के पीछे, कुमावतों की बस्ती है। उनको यू. आई. टी. ने तो 3 रुपये लेकर पट्टे कर दिए। अभी मुख्य मन्त्री जी वहां पर टेलीफोन केन्द्र का उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहां लोगों ने उनको रोका और कहा कि आपने तो हमको 3 रु० लेकर पट्टे कर दिये। लेकिन जो कृषि अधिकारी हैं, वह 30 रु. मांगते हैं। वह 30 रु. आबादी में परिवर्तित करने के मांगते हैं। एक जगह तो आप इस प्रकार से भूखण्ड देते हैं और एक जगह सैकड़ों वर्षों से आबाद हुये लोगों को यह कहें। यह बात हमारे साथ मेल नहीं खाती है। इस प्रकार से तो नरोरा में जो कार्यक्रम दिया गया है, उसके अनुसार हम नहीं चल पायेंगे। मैंने जिन प्रतिनिधियों, एम, एल. एज. और एम. पीज. के बारे में निवेदन किया है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी हैं यह मैं मानता हूं कि म्युनिसिपैलिटी का क्षेत्र है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि आप किसी अधिकारी को इग्लैण्ड, टाउन प्लानिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से और लौटने पर वह लगा दिया जाता है और जगह पर। जो अधिकारी ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है तो उसका उपयोग होना चाहिए।

श्री झाबरमल सूएड़ा : आपके खिलाफ कोई नोट लिखना है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे खिलाफ कोई नोट नहीं है।

मेरा निवेदन है कि 4 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए भेजे जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर ट्रेनिंग के लिए किसको भेजा जाये ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर शहर ही ट्रेनिंग के लिए काफी हो सकता है। इससे बढ़िया कोई और टाउन प्लानिंग है नहीं। लेकिन आप शहर रखते जा रहे हैं। शहर के बारे में इस दृष्टिकोण से आप विचार करना चाहते हैं, आप झोंपड़ी में जन्मे हैं, आपको आभास है। मेरे साथ सभाओं में गये हैं। आपने कहा भी है, जो करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है। मैं एक्जीक्यूशन की बात पर जोर देता हूं। आपके चेम्बर में मीटिंग हुई, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव्ज मौजूद थे, हमने तय किया कि, जयपुर नगर परिषद्, नगर विकास न्यास की परिधि में 31 दिसम्बर 1974 तक रहने के लिए पट्टे वितरित कर देंगे। आपके चेम्बर में यह तय हुआ। मैंने बराबर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। मुझे खेद है कि यह बात वहीं सीमित है कागजों में, वह आगे नहीं बढ़ पायी। इसलिए मैं कहता हूं, पार्टी के मेम्बर की बात है, हमारी पार्टी कमिटेड है। इस बात के साथ मैं कहता हूं कि सारी बात एक्जीक्यूट हो जाय। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 31 दिसम्बर, 1973 तक सारी बिजली और पानी की व्यवस्था कर देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि वह सारी व्यवस्था हुई। भार्गव साहब, तस्वीर के काले रूप को पेश करते रहते हैं, इस तरह की बात करते रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर दूं। आपके क्षेत्र में हो गया होगा, इसलिए वाहवाही कर रहे हैं, और तीन क्षेत्र हैं वहां विकास नहीं हुआ है। जयपुर शहर का मैंने चित्रण रखा है, बिना यह जिक्र किये कि इसमें काला है सफेद है—यह मैं नहीं जानता। मैंने जयपुर की कठिनाइयां रखी हैं। आप भी रख दें। आप और मैं, दोनों एक हैं इस प्रश्न पर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने कार्यक्रम तय करके दिया था, 31 दिसम्बर 1973 तक सारे मोहल्लों में बिजली पानी की व्यवस्था कर दी जायगी। मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं; मुझे मेरे क्षेत्र की जानकारी है। मैं दूसरे के क्षेत्र में टांग पटेलाई नहीं करता। मेरी आदत नहीं है, हवामहल के बारे में बात कहूं। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं, 98 पर्सेन्ट इलाके के अन्दर वह सारी बात खत्म हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था, मेरे कहने का सेंस था, वह केवल मेरा यह था, उन सारे कमिटेड लोगों को इसमें लगायें। अभी गुमानमल साहब, जो जोधपुर से पधारे हैं, ने कहा था, पार्टी के मेम्बर को कर देंगे। जनता ने पार्टी को सत्ता सौंपी है, जनता को हमने लक्ष्य तय करके दिया है, चुनाव घोषणा पत्र, उसको एक्जीक्यूट कर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री जी कहते हैं, उनको मैंने कहा है कि हमको, इन कमीटेड लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी डालनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और आपकी और हमारी मिल कर जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो कहते हैं कि सारे देश के हर परिवार के रहने के लिए मकान की व्यवस्था करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है करने की और हमें जो कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम उठायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सारे ब्यूरोक्रेट्स पर डिपेन्ड नहीं करें। 1959 में समाज कल्याण विभाग द्वारा रुपया दिया गया, स्वायत्त शासन संस्थाओं का, परिषदों को दिया, नगर परिषद को दिया और नगर विकास न्यास को दिया। लेकिन मुझे खेद है कि भंगी कष्ट मुक्ति का जो पैसा था, मैं बार बार कहता हूं, आपको कहा है, समाज कल्याण मंत्री को कहा है कि आज तक उस रुपये का उपयोग नहीं हुआ। उस वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए मकान बनाकर देने की बात कहते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाये हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, आपने महरबानी करके जो इस प्रकार के जन प्रतिनिधि हैं उनको इन्क्लूड किया है, तो चेयरमैन भी आप कमिटेड बनाइये, जिसके दिमाग में यह लक्ष्य हों, उसको चेयरमैन बनाना चाहिए.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्री गोटेवाला को बनाया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गोटेवाला को मत बनाइये चेयरमैन।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमारे एरिया में इनको बना दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी तरफ से तो सिफारिश डिस्क्वालिफिकेशन मानी जायगी। आप चुप रहें तो ज्यादा अच्छी बात होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय के साथ घूमते रहेंगे, काम कराते रहेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी भी मंत्री महोदय के साथ रहता हूं, मेरा सौभाग्य है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर हैं।

श्री गोपाल जोशी : आप कह रहे हैं, गोटेवाला को चेअरमैन बनाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि इन्हें दूसरी चीजों से वंचित रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं, यह चेअरमेन नहीं बनेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह बात निवेदन करके, दुबारा यह कह करके कि यहां पर विकास अधिकरण की बात नहीं करके यहां महरबानी करके कोर्पोरेशन स्थापित करने की बात कहें, कम से कम राजस्थान के अन्दर। मैं निवेदन करता हूं, जो आठ शहर छांटे जाने वाले थे, जिनको सहायता मिलनी थी ताकि कच्ची बस्ती के विकास कार्यक्रम वहां चले, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में एक भी शहर ऐसा नहीं था जो तमाम आवश्यकतायें फुलफिल करता हो, जो वह चाहते हैं कोर्पोरेशन बना कर, मान लीजिये, भारत सरकार से शहर के विकास के लिए रुपया ले सकते हैं, ड्रेनेज की सारी व्यवस्था के लिए एस. आई. सी. से रुपया ले सकते हैं, हजारों आदमियों के लिए मकान बनाने के लिए,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जैसे राज कमेटी की सिफारिश थी और दो ढ़ाई हजार का नमूना दिया गया— वह बनाने का काम कर सकते हैं तो वह बढ़िया काम होगा, अलग अलग चार पांच ऑथोरिटी बनाने की बात बन्द करके महरबानी करके कार्पोरेशन बनाने की व्यवस्था करें।

श्री जयनारायण : सभापति महोदय, आज का बिजनेस पूरा नहीं हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 और राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक 1975–दोनों विधेयक पारित होने तक सदन की अवधि बढ़ा दी जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, अभी विस्तारपूर्वक, यह जो तजवीज है, जो मेरी तरफ से भी है, इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, उसके बारे में बहस के दौरान में में कुछ आर्डिनेन्स के तहत जो कमियां थीं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और कुछ और सुझाव मन्त्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह मेरी मान्यता है कि मन्त्री महोदय इस शहर के विकास में काफी दिलचस्पी लेते हैं, इस बात की भी कोशिश करते हैं कि जो कच्ची बस्तियां हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वह उठे, न सिर्फ बातों में बल्कि अमली तौर पर भी वह कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, वह यह आती है कि काम बहुत हैं और उसको उठाने वाले कम हैं। कम का मतलब यह है कि वैसे स्टाफ में कोई कमी नहीं है लेकिन जितनी दिलचस्पी वे लें, उसके अनुसार उनके जितने मातहत और सबोर्डिनेट्स हैं वह भी उतनी दिलचस्पी ले सकें, उतना समय दे सकें, तो शहर का विकास हो सकता है। जैसा आरम्भ में निवेदन किया था और आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं कि नगर विकास न्यास के चेअरमैन का पद है, जब से यू. आई. टी. को खत्म किया गया है, सब जगह नगर विकास न्यास को खत्म किया गया है, उस वक्त से कलेक्टर को चेअरमैन बनाया गया। यहां भी कलेक्टर चेअरमैन है। उस सबको दोहराने की जरूरत नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं छः लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में कलेक्टर अलग होना चाहिए, यह मेरी भावना नहीं है बल्कि कुछ कलेक्टर साहब को अहसास है, यह तो इतना बड़ा शहर है, गांवों को मिला कर इतनी आबादी है, इतनी एक शहर में आबादी है, जिसका काम सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग कलेक्टर होना चाहिए. कलेक्टर रह जाय अलग, क्योंकि इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत फरियाज हैं उन्हें अन्जाम देना पड़ता है, वहां नगर विकास न्यास का बोझ उसके सिर पर है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को बदलें और मेरी मान्यता यह है कि आप उसको बदलना चाहते हैं, मुझसे भी कई बार आपने कहा कि होल टाइम चेयरमैन होना चाहिए। नान आफीशियल

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चेयरमैन हो वह तबदीली करें, लेकिन जब तक वह तबदीली न हो और आप मौजूदा ढांचे पर चलना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ऐसा चेयरमैन नियुक्त करें कि जो सिर्फ इस बात को सम्भाल सके । मैं एक मसला सदन के सामने रखना चाहता हूं । भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री बी. वी. गिरी ने कच्ची बस्तियों को पट्टे दिए थे, आज तक उन कच्ची बस्तियों का विकास नहीं हो सका, वे झगड़े में पड़ी हुई हैं और मकान बनाना तो दरकिनार रहा, लेकिन बहुत सी बस्तियों को परमानेन्ट पट्टे नहीं मिले । जो हमारे शहर के प्रतिनिधि हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन कच्ची बस्तियों के पट्टे मिल सकें उनके काम में सहायता देकर जल्दी से जल्दी उनको बसाने की कोशिश करें और ऐसी कठिनाई पैदा न करें कि जिससे उनके लिए दिक्कत उत्पन्न हों ।

मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूं । सबसे पहला सुझाव मैं रचनात्मक रूप से आपके समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि कलेक्टर साहब के बजाए किसी और अधिकारी को रखने के बाद, जिन कच्ची बस्तियों के पट्टे मिल चुके हैं, जिनको राष्ट्रपति अपने हाथों से पट्टे देकर गए हैं उनको बसाने की फौरन चेष्टा करनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की बाधायें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात है, आपने एक सिद्धान्त बनाया और फैसला लिया हमारे स्वर्गीय बरकत साहब ने कि 21 अगस्त, 1971 को जो लोग काबिज थे उनका जहां पर कब्जा है, वह बहाल रखा जाएगा, पर उसके अन्दर भी आपके अधिकारियों द्वारा बड़े घोटाले किए गए । बहुत सी बस्तियां सर्वे में नहीं आईं और आज तक वह कठिनाइयों में पड़ा हुआ है । मेरी मान्यता अब दूसरे किस्म की है, आपने 5–6 लाख पट्टे गांव के लोगों में बांटे और इस आधार पर बांटे कि रहने की कोई जगह नहीं है । जो आधार आप गांवों के लिए कायम करते हैं तो कोई कारण नहीं कि उस आधार को शहर के के लिए भी कायम न करें । जो बुनियादी नीतियों में चेन्ज आ रही है और जिस तरह से हम पिछड़े हुए लोगों को सहायता देना चाहते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि जिनके पास मकान नहीं हैं चाहे वह किसी वर्ग से संबद्ध हों उनको मकान मिलने चाहिए । हमारे छोटे कर्मचारी और जुडीशियल अधिकारी आज ऐसी स्थिति में हैं कि किराए के मकानों में रहते हैं और मेरा खुद का अनुभव है कि वे अधिकारी जब अदालतों में बैठते है तो मकान मालिक जमदूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है । अब उस जुडीशियल अधिकारी की दिमागी परेशानी को देखें जो फैसला देना चाहता है और देता है, कोई दबाव नहीं मानता है लेकिन फैसला इनसानी कमजोरी किसी समय भी किसी को मजबूर कर दें तो वह जुडीशियल अधिकारी दोषी नहीं बल्कि वे लोग दोषी हैं जो उनको रिहाइशी मकान नहीं दे सकते । हमारा यह फर्ज होना चाहिए कि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनको मकान मिले । जिन लोगों के पास सम्पति ज्यादा है उनसे छीनी जाए । आज लाखों रुपए की इमारतें और मन्दिर ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है और आप उन पर नजर नहीं डालते । आज लाखों रुपए की सम्पति ट्रस्ट के नाम से बन गई, आतिश

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

का बड़ा एरिया है, महाराजा ने ट्रस्ट क्रीएट किया, जमीन के कानून लागू होने से पहले। वह सब पैसा इसी शक्ल में जाता है जैसा आपने अभी देखा 15-20 करोड़ रुपए का सोना आज महारानी गायत्री देवी के महल से या कहीं किसी जगह से निकाला गया। तो एक तरफ लोग सड़कों पर और गलियों में फिर रहे हैं, मर रहे हैं, सर छिपाने को जगह नहीं है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का सोना कुछ हाथों में जा रहा है। यही एक जो परिवार है महाराजा महारानी का उस की दौलत का ठिकाना नहीं। आप रामबाग को देखें, आतिश की दुकानों को देखें। आप का कानून इन लोगों पर हाथ डालने से घबराता क्यों है? आप हिम्मत और हौसले से समाजवाद की ओर क्यों नहीं बढ़ना चाहते? दरअसल हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उनका समर्थन करते हैं उनको सहायता देते हैं। सबसे बड़ा काम आप यह करें कि जिनको घर नहीं हैं उनको घर दिलाये। कर्मचारियों के लिए कालोनीज बनायें। मैं नहीं कहता कि उनको प्लाट्स दें, इस परम्परा को छोड़िये और बैठकर तय करें कि थोड़ी सी जमीन में 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत बनाकर उस में आप गरीब कर्मचारियों को सर छिपाने की जगह दें। अपने मिल मजदूरों के लिए कालोनियां बनवायें। शिडूल्ड कास्ट्स के लिए भी ऐसे मकान बनाये जो चौड़ाई में न फैले बल्कि ऊंचाई में फैलें। यह यू. आई. टी. का काम है। अगर यू. आई. टी. यह काम नहीं करती तो फिर उसका मतलब यह है कि वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। हमने तय किया कि 125 गज कम से कम हर आदमी को मिलनी चाहिए। अगर वह नहीं है तो आपको गम्भीरता से फैसला करना चाहिए कि हम उनके लिए मकान बनायेंगे जो उनको आसान किश्तों में देंगे और उन मकानों का उनको मालिक बनायेंगे। जिसको रहना होगा रहेगा जिसको नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। लेकिन यह काम यू.आई. टीज. का है। आज जयपुर में ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े शहरों में 10-10 और 20-20 मंजिल की इमारतें मौजूद हैं तो आप इस तरह की योजना बनायें ताकि वे लोग जिनको हम वल्नरेबुल सेक्शन मानते हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वह बसे। सिर्फ वही लोग जो शिड्यूल्ड कास्ट्स से ताल्लुक रखते हैं वे ही पिछड़े हुए नहीं हैं। पिछड़े हुए वर्ग का क्राइटेरियन उनकी माली हालत से होना चाहिये। यह सही है कि हम शिड्यूल्ड-कास्ट्स और ट्राइब्स व बैकवार्ड क्लासेस को पूरी सहायता दें। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और जो पैसे की दृष्टि से इस किस्म की जिन्दगी बसर कर रहे हैं कि उनके रहने के लिए कोई चीज नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मैं या कोई भी जो सुझाव देते हैं उन सुझावों को लागू होने में कानूनी अड़चनें पैदा होती हैं। भण्डारी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात थी उस बारे में कई बार चर्चा हुई लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वह क्या चीज है और किस तरह से लागू की जायेगी। हमने सजेस्ट किया कि आज जो अनधिकृत एन्क्रोचमेंट्स हैं, उनको आप तुड़वा नहीं सकते लेकिन आपके भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गईं। हमारे इलाके में 50 प्रतिशत मकान

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अनधिकृत हैं । तोपखाना हजूरी सबसे ज्यादा गन्दा इलाका है । मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि पक्के मकान तोड़ते नहीं तो रिश्वत खोरी का रास्ता छोड़िये, छोटे अधिकारी एन्क्रोच करते हैं उसको समाप्त करिये, रेगुलेराइज कीजिये । वे भी गरीब लोग हैं । 4)6)8) रुपये लेकर आप उनको दीजिये ताकि चौकड़ी का विकास हो सके । नगर विकास न्यास के मन्त्री, सेक्रेट्री, डाईरेक्टर हैं उनके बारे में इसका कन्सर्न है । हम लोग कुछ रचनात्मक तजवीज आपके सामने रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं तो बहरहाल ठण्डे दिल से उस पर गौर करना चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 31 अगस्त, 1973 की बात आपने रखी है, उसको समाप्त करिये ।

एक बात और गुजारिश करूंगा । राजस्व मन्त्री जी अभी नहीं है । ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने ले रखी हैं अपने कब्जे में । मेरी समझ में नहीं आता है कि 27 वर्ष के बाद रिफ्यूजीज कहें, शरणार्थी कहें, 27 साल के बाद शरणार्थी कहना इससे अधिक बेवकूफी की बात और नहीं हो सकती है । कहां से शरणार्थी हो गये ? वे यहां के मुकामी हालात के लोगों से अच्छी हालत में हैं । उनके लिये जमीन रखते हैं । छोटी सी बस्ती है, आदर्श नगर में एक गड्डा है और उसमें भी छः सात वर्ष से लोग बसे हुए हैं । उनको नोटिस दिये गये हैं । 1800) 1800) रु० किराये के दो वरना मकान तोड़े जावेंगे । मंत्री जी से गुजारिश की, यह क्या हाल है । उनको हटाना चाहेंगे तो वे कहां जावेंगे ? उनको आप बसाते तब भी समझ में आने वाली बात होती । आपने तय किया कि उस जमीन को ऑक्शन करेंगे । फरोख्त करेंगे, कीमत होगी वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी गरीब शरणार्थी को देते तो मेरी समझ में आने वाली बात होती । मैं यह देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कीमत लगायेगा वह शरणार्थी उसको पायेगा । यह कहां की बुद्धिमानी है ? एक तरफ जो बसे हुए लोग हैं उनको हटाया जाय, उसको ऑक्शन करके कुछ लोग दौलतमन्द हैं, जिनके पास दौलत है उनको सहूलियतें दें, यह कतई उचित नहीं है । यह कहां की दानाई है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्रीजी को रजामन्द कर सकते हैं, उस जमीन को नीलाम करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करें । उचित समझते हैं तो पहले उनको बसाने की कोशिश करें । सर्वे इसलिए नहीं हुआ कि यह सेटलमेन्ट में आती है । यू० आई० टी० सात साल के किरायेदार मानकर उनसे किराया वसूल करना चाहती है । इस तरह की बातों को रोकना मन्त्रि मण्डल का काम है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उसका पैसा देना है तो यू. आई. टी. वाले क्या उसको पैसा अदा करते हैं, खुद क्यों नहीं खरीदते । आप एक्वायर करते हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट इतनी मोहताज नहीं हैं । यदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार महसूस करती है तो जरूर दीजिये । लेकिन गरीबों को मुसीबत में डालकर उनको पैसा मत दीजिये । मैं चाहूंगा कि गौर से तय करें जो जमीन खाली पड़ी है और बहुत से लोगों के पास है, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस शहर में जमीन नहीं है, जमीन है, और ली जा सकती है । किसकी जमीन है और कैसे ली जा सकती है यह राज्य सरकार अच्छी तरह से जानती है । उसको बहुत अधिकार मिले हुए

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हैं। यह जरूरी नहीं है कि मार्केट वेल्यू कायम की जाय। आप उचित समझें वह दीजिये। बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं।

मेरा यह निवेदन है कि जो चीज आप कर सकते हैं, वह आपको करना चाहिये। समाजवाद की बात कहना और समाजवाद का काम नहीं करना ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। रोटी खाने को मिले, कपड़ा पहिनने को मिले, सिर छिपाने को झोंपड़ी मिले। यह न मिले और समाजवाद की बात करें वह समाजवाद की बात आपकी थोथी है। ऐसी जमीनें है जरूर आप उनको कब्जे में लीजिये। ऐसी जमीनें जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के पास हैं, गरीब शरणार्थियों को बसाने के लिए है तो उनको तुरन्त लीजिए बसाइये। जो बसे हुए हैं उनको मत उजाड़िये गरीब लोग उन पर बसे हुए हैं।

यह भी निवेदन करूंगा कि आपको तजुर्बा करना चाहिये कि राजस्थान में बड़े-बड़े शहर हैं, महकमों में आपस में कोआर्डिनेसन नहीं है। जैसा अभी एक भाई ने बताया, सड़क बनाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे महकमे वाले तोड़ते है। वजह क्या है। महकमों में कोओडिनेशन नहीं है। जैसे सड़क बनानी है, टेलीफोन की लाइन डालनी है तो डाल दें और भी जरूरी काम करने हों वे कर दें, वे दिक्कतें आगे जाकर पैदा न हों जो कि आज हो रही हैं।

चार पांच शहर हैं बड़े उनमें कोर्पोरेशन बनाइये। ज्यादा शक्ति उनको दीजिये। दो तरफा चीजें चली आ रही है उनको समाप्त कीजिये।

मुझे यह जानकारी है कि म्युनिसिपल कौंसिल के अन्दर जो बैठे हुए मेम्बर हैं उनमें से दो सौ रुपया चार सौ रुपया, सो डेढ सौ रुपये में जमीनें बेची है। आमेर के रास्ते में डेल्टा सा बना हुआ है, म्युनिसिपल कौंसिल ने अपने और अपने अजीज के नाम पर लेकर थोड़े से पैसे इकट्ठे होकर शो रूम बना लिया। आमेर के रास्ते में हैं, ट्राईन्गुलर सा बना हुआ है। मकानात बने हुए हैं। मैने कहा कि इनको तोड़ते क्यों नहीं ? कहा कि स्टे आर्डर है म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ हमें आज्ञा दें, हम तोड़ते हैं पब्लिक एक्शन में। दमनचक्र आपका चले, फौज और पुलिस लेकर आजाय। मैने सवाल रखी है। कितनी ऐसी जमीनें हैं जो बेची गई हैं और कितने ऐसे कौंसिलर्स हैं जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उनकी इन्क्वायरी होवे। वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में चला गया तो उसका गुड़ गोबर कर देगा। इन्क्वायरी करने वाले इस किस्म के नहीं चाहिये कि इन कौंसिलर्स के जैसे चुने हुए नुमाइन्दे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात डेमोक्रेसी के लिये और अधिक नहीं हो सकती। जयपुर के इतिहास में उनका नाम तो लिखा जाय कि बीस हजार की जमीन सौ रुपये में खरीद ली। डाइरेक्टर साहब को कहें उनको झिझक है कि शायद इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक बड़े लोगों से हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि आप मेहरबानी करके वह मामले लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त के सुपुर्द करके निष्पक्ष इन्क्वायरी करवाइये ताकि मेम्बरों के कारनामे सामने आये और उनकी बातें अखबारों में भी साया होकर जनता को इसका पता लग सके। लेकिन आपको इसमें भी हिचकिचाहट है, आप

Page No 118

(118)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ऐसा भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनमें से कोई श्री रामजी के रिश्तेदार हैं, कोई गफ्फारअली के रिश्तेदार हैं, कोई मिनिस्टर साहब के हैं और कोई ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने किसी को प्लाट नहीं दिलवाया ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है मेरा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने तो मिसाल बताई है, एक मिसाल के तौर पर आपका नाम लिया है।

श्री श्री राम गोटेवाला : मत लिया कीजिये मेरा नाम मिसाल के तौर पर भी, बड़ा पवित्र है मेरा नाम।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो सवाल यह है कि इस प्रकार से कोई इन्क्वायरी की जाकर उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई जिससे उनकी गल्तियों का पता लग सकता। हमको यह विश्वास दिलाया गया था कि ऐसे क्रिमिनल दुरुपयोग जो लोग करते हैं, जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार से नाजायज तौर पर जो जमीनें हड़प कर बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ कोई किसी तरह के कदम उठाये गये। दिक्कत यह है कि आप किसी तरह का सही कदम इस दिशा में उठाना ही नहीं चाहते क्योंकि आपके इन्टरेस्ट उनमें फंसे हुए हैं। मेरा संक्षेप में इसलिए निवेदन करना यह है कि जल्द से जल्द उनके तबादले कराइये, रिओरिन्टेशन करिये और 21 अगस्त को जो अवस्था थी उनको बचाया जाय, यह छोड़िये। और जल्दी से जल्दी ऐसे मकानों के निर्माण की बात करिये जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाया जा सकता है। बहुत से बेचारे पेन्शन-याफ्ता लोग हैं, उनकी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, उनकी भी समस्या हैं। आपके और बहुत से किरायेदार हैं, मैं तो यह कहता हूं कि यू. आई. टी. और म्युनिसिपल्टीज के भी किरायेदार हैं। इसलिए उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिये भी मकान का इन्तजाम करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव रखे हैं वे इस गरज से नहीं रखे हैं कि मैं कोई जवाब तलब करना चाहता हूं या और कोई बात है, ऐसा नहीं है परन्तु आखिर में, हम चाहते हैं कि माननीय मन्त्री जी को इसमें अपनी पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए और कम से कम जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं जयपुर शहर में हैं उनको भी भूमि बांटने का एक क्रश प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और उनके इस काम में हम मदद देने के लिये तैयार हैं और उसके मुतवातिर तय कीजिये कि वह होता है या नहीं हो सकता है। इस बात में, मैं अफसरशाही को दोषी ठहराऊं, या मन्त्री महोदय को दोषी ठहराऊं या अपने आपको या और किसी को, मैं किसी को भी किसी तरह से दोषी ठहराना नहीं चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि हमको इस दिशा में कुछ और अधिक दिलचस्पी लेकर काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय क्योंकि जितनी कठिनाइयां मैंने रखी हैं वह सरक्यूलेट कर दी जाती तो अब तक लिखित में हमारे पास सुझाव भी आ जाते।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में काफी टेक्निकल बहस इस सदन में हो चुकी है और मन्त्री महोदय इस बात पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पायेंगे कि 12 जनवरी, 1975 को इतनी जल्दी ग्रोडिनेन्स लागू करने की क्या ग्रावश्यकता महसूस हुई। क्या चार मेम्बरों की जगह ज्यादा मेम्बरों का एक्सटेन्शन करने के लिए ही कोई उनके सामने इतनी बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई कि उनको 12 जनवरी, 1975 का ग्राडिनेन्स लाना पड़ा। ऐसी कौनसी ग्राफत ग्राने जा रही थी कि ग्राडिनेन्स लाने की ग्रौर जनतन्त्र के बढ़ते हुए खतरे को देखकर उसको बचाने के लिये उनको ग्रार्डिनेन्स लाना पड़ा और सदन के सदस्यों के सामने सदन में बैठकर जनतन्त्र के लिये कोई बड़ा खतरा पैदा हो रहा हो तो क्या ऐसी हालत में उनको यह ग्राडिनेन्स निकालना पड़ा। बहुत ही मामूली-मामूली बातों को लेकर मैं समझता हूं ग्राडिनेन्स लाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए ग्रौर वह कोई ग्रच्छी मिसाल भी पैदा नहीं करता ग्रौर न ग्रच्छा वातावरण ही पैदा करता, ग्रौर न ग्रच्छी श्रद्धा ही सरकार के प्रति जनता के हृदय में पैदा होती है। इस सदन के लिये, इस पावन सदन के लिये भी कोई ग्रच्छी बात नहीं है कि छोटी-छोटी बातों के लिये हम उस पर विचार करें ग्रौर समय जाया करें। लेकिन, सभापति महोदय, एक चीज तो सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट है कि ग्रर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो ग्राज प्रतिनिधि हैं, ग्रौर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उनके करेक्टर में, उनकी बेसिक थिंकिंग में, उनकी वेल्यूज में एक बहुत बड़े चेन्ज की जरूरत है। चाहे तो उसको ग्रध्यक्ष कहें, या कलेक्टर कहें या पब्लिक का रिप्रजेन्टेटिव कहें लेकिन बेसिक वेल्यूज में उनके थिंकिंग में ग्रौर उनकी नीतियों में चाहे वह नगरपरिषद हो, ग्रर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो ग्रौर चाहे नगरपालिकाएं हों चेन्ज होना जरूरी है। ग्राज जो मुख्य चीज मुझे लगती है ग्रौर सबसे बेसिक नीड जो हमारी कन्ट्री की है कि इन्सान को सर छुपाने के लिये जगह मिले, उसको हम जगह दें क्योंकि इसमें इस सारे आर्गनाइजेशन का ताल्लुक है इसलिए इसमें बेसिक चेंज थिंकिंग में करने की ग्रावश्यकता है, लाने की ग्रावश्यकता है ग्रौर मैं समझता हूं कि सारी जिम्मेदारी इन ब्यूरोक्रेट्स की ही है, यह बात तो मैं भी नहीं मानता लेकिन ग्राज यह एक तकनीकी, मैकेनिकल शब्द हो गया है कि कानून के मुताबिक खण्ड और धाराएं ग्रौर उपधाराएं हैं उनके मुताबिक ही काम करेंगे। ब्यूरोक्रेटस ग्रोनेस्ट भी होते हैं, मैंने ऐसे भी कई आफिसर्स देखे हैं जो बहुत ग्रानेस्ट हैं, मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि वे ग्रॉनेस्ट हैं ग्रौर ग्रॉनेस्टली काम करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली ह्यूमनटेरियन वेल्यूज को नहीं देख कर चलते। लेकिन मैं दोनों दृष्टिकोणों को लेकर चलता हूं, दोनों दृष्टिकोणों से देखता हूं। उसमें मेरी निंदा की भावना कतई नहीं होती। बहुत ग्रॉनेस्ट ग्राफिसर्स भी हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं लेकिन उनकी बेसिक ग्रप्रोच गलत है। सभापति महोदय, ग्रर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस् के मामले बहुत गम्भीर हो गये है। एक ग्रोर ग्रापने गांवों के ग्रन्दर यह घोषणा की है कि हमने पांच लाख पट्टे हरिजनों को बांट दिये और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दूसरी तरफ जोधपुर में मुख्य मंत्रीजी की चर्चा है कि शहरों में भी हरिजनों और पिछड़े लोगों को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बाकायदा रिहायश के लिये स्थान, रहने के लिए जगह देंगे और बहुत पुराने लोग जो छोटे-छोटे मकानों में कई सालों से रहते चले आ रहे हैं और जिन्होंने मकान बना रखे हैं उनको आप रेगूलराइज करेंगे। ये घोषणायें बेसिक घोषणायें हैं और स्वतन्त्रता के ठीक बाद ही जिस काम को पूरा करना था, जो काम हमको करने थे उनमें, उनके अन्दर हमको एक बेसिक प्रिंसिपल मिला है। जयपुर में कई तथ्य हमारे सामने देखने में आये हैं। बड़े-बड़े भू-खण्डों के ऊपर कई लोग कब्जा जमाये बैठे हैं, उन्होंने कई जमीनों पर कब्जा कर रखा है, कई जमीनें कोआपरेटिव सोसायटीज के पास हैं उनके कन्वर्शन्स नहीं हुए, कई कोआपरेटिव सोसायटीज बोगस हैं। कई जगह मकान बने हुए हैं लेकिन उनका जस्टिफिकेशन है क्योंकि वहां वे लोग बीस बीस साल से, पांच साल से, दस साल से पड़े हुए हैं और यह भी स्थिति है कि दूसरी तरफ एक कोकाकोला फैक्ट्री है जो मुश्किल से आधा बीघा जमीन में लगी हुई है परन्तु उसने दस बीघा जमीन दबा रखी है, इसका क्या फायदा है। क्या उसको दूसरी कोई और फैक्टरियां उसमें लगानी है, या कोई और कारखाना खोलना चाहती है। नहीं तो इसमें सैंकड़ों लोगों को बसाया जा सकता है। इसके अलावा आज तो चाहे कुछ लोग हैं, पुराने सामन्ती लाग हैं कोई उनियारा के ठाकुर साहब हैं, कोई डिग्गी के ठाकुर हैं उनके पास भी भूखण्डों की कमी नहीं है, सैंकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने दबा रखी है। महाराजा जयपुर के पास भी आप देखें तो जयपुर के अन्दर भी कम भूखण्ड नहीं है। तो कौनसी आपकी इन्सटीट्यूशन है जो इनसे जमीन लेकर इनके ऊपर मकान बनायेगी? और फिर कितने प्लाट्स पड़े हैं जिनके ऊपर पिछले 30 सालों से कोई निर्माण नहीं हुआ। सभापति महोदय, मुझे याद है मिर्जा इस्माइल के समय में जिन प्लाट्स की कीमत 10 पैसे प्रति गज थी वह आज 500 और 700 रुपया प्रति गज हो चुकी है। याने 10 हजार गुना कीमत इन्क्रीज हो गयी। प्लाट का आधा हिस्सा बेचते हैं और आधे हिस्से में तीन-चार मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। यहां पर सालों से प्लाट खाली पड़े हैं और आप उनको मजबूर कीजिए कि वहां पर लोग बिल्डिंग बनवायें। प्लाट को ट्रान्जेक्शन में आगे बेचकर उन्हीं को प्रोफिटिंग होता चला आ रहा है तो आपको कुछ दृढ़ सैद्धांतिक एप्रोच लेनी पड़ेगी। आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिन वैल्यूज की आप घोषणायें करते रहे हैं और जिनकी आड़ लेकर पार्लियामेंट के अन्दर आपने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की थीं उसका 10 परसेन्ट जस्टिफिकेशन तो आपको इस कन्ट्री को देना ही पड़ेगा। आपको अपने रास्ते को बदलना होगा जो कि पूरी तरह कैपेटिलिस्ट पाथ है।

मैं गंगानगर का ही प्रश्न लेता हूं। यह गंगानगर नहीं है गंदानगर है। वहां पर मामूली से कमरे का किराया 500 रुपया है। इलेक्शन कोई भी लड़ता है, वहां पर यू. आई. टी, बने अभी चार, पांच महीने हो गये लेकिन उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। चारों तरफ से शहर घुटा हुआ है। वही सन् 1928 का महाराजा गंगासिंह जी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का गंगानगर ही, उतनी ही सीमायें हैं उसकी थोड़ी सी वृद्धि हुई है। थोड़ा सा डवलपमेंट एक दो बस्ती में हुआ है बाकी वही का वही घुटा हुआ है जिसको कि मैं गंगानगर कहता हूं। वहां पर उमराव कम्पनी है जो कि देश में दो सौ परिवारों में से गिनी जाती है उसके पास 500 बीघा जमीन है। बहुत बड़े सेठ लच्छीरामजी हैं, विष्णु नर्सरी बहुत बड़े सेठ हैं, लालबाड़ी है उनका माल्टा सारे देश में जाता है और करोड़ों रुपयों के मालिक हैं। उनकी भूमि की सीमा नहीं। महाराजा करणीसिंहजी लिये बैठे हैं 25 मुरब्बा और कोई अन्त नहीं है। एक नहीं अनेक सेठ हैं और उनकी जमीनों पर कोई दृष्टि नहीं डालना चाहता है। एक रोडवेज का डिपो बनाने के लिए या रोडवेज का वर्कशाप बनाने के लिए गंगानगर में जमीन नहीं मिलती। बसों के एंजिन खत्म हो गए इसलिए कि गंगानगर की रेत पड़ती रहती है। कोई प्लाट उपलब्ध नहीं है। आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसका दृष्टिकोण यह है कि जो आधा मुरब्बा है उसको ले लो। शहर की शकल ऊंट के थूकने की तरह हो जाये। आपकी सरकार कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती है। आखिर क्या रियायतें हैं इन सेठों से, करोड़पतियों से, सामन्तों, राजा और महाराजाओं से। क्या दिक्कतें हैं? आप गरीबों को झोंपड़ी नहीं देना चाहते हैं। आप केवल नारा ही देना चाहते हैं लेकिन सिर छिपाने के लिए जगह नहीं देना चाहते हैं। सारी की सारी प्रतिक्रियावादी नीति आपके नेताओं के कारण पैदा हुई और असन्तोष पैदा हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के कारण असन्तोष दोनों को छोड़कर आज आपको और हमारे सैंकड़ों नौजवानों के द्वारा इस देश के मजदूरों और किसानों के द्वारा प्रजातन्त्र के ऊपर हमला करवा रहे हैं। केवल मजाक की बात नहीं है मंत्री महोदय आज आप वह काम्पर्लासेंसी वह लापरवाही आज की ग्रोइंग सिचुएशन के अन्दर नेशनल और इन्टर नेशनल सिचुएशन के अन्दर मदद करे। लेकिन जब यह स्थितियां है तब उन स्थितियों को एक्सप्लाइट करने की पोजीशन क्रियेट होती है। उसकी जिम्मेदारी राज्य करने वाले लोगों पर है।

सभापति महोदय, बीकानेर में एक शिवबाड़ी गांव है जिसकी आबादी 500 हैं और 750 बीघा के अन्दर शिवबाड़ी ने अपने एक्सटेन्शन की मांग रखी और किसी की भी इजाजत नहीं ली। वहां के सरपंच ने 10 पैसे और 15 पैसे प्रति गज के अन्दर जो कि एक्चुअली उतनी कास्ट की नहीं थी ले ली और उसके बराबर ही व्यास नगर बना हुआ है जहां 10 रुपये गज से 15 रुपये गज की कीमत पर जमीन है। पट्टे काट दिये हजारों की तादाद में अधिकारियों को और सेठों को। वहां के डिप्टी डवलपमेंट कमिश्नर ने बाकायदा रिपोर्ट की मिस्टर सिंघवी ने और उसने सारे करप्शन और सारा कुछ पाइन्ट आउट किया और खुद राज्य सरकार ने अगस्त, 1971 के आदेशों के अनुसार शिवबाड़ी की सारी पापुलेशन को बिलकुल रोक दिया और कह दिया कि इल्लीगल है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा जादू का डंडा है या कौनसी मिरेकल या कौनसी स्पेशल पावर्स वहां के एस. डी. ओ. को प्राप्त हो गयी जो कि एस.डी.ओ. ने जनवरी, 1971 को रेगुलराइज कर दी। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत बड़ा स्केण्डल है। करोड़ों रुपयों का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्कैण्डल है। मैं तो कहता हूं कि किसी को पता लग जाता तो इसमें किसी तरह से भी प्रशंसा की बात नहीं हो सकती कि इतना बड़ा स्कैण्डल हुआ है। इस स्कैण्डल को तो एक्सपोज किया जाना चाहिए। 5 करोड़ रुपये का स्कैण्डल किया है। मैं चाहूंगा कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी हो। अगर इन्क्वायरी होती है तो मेरे ख्याल से इसमें कम से कम 3 करोड़ रुपये का स्कैण्डल मिलेगा। चाहे उसका नाम कान्ताजी के नाम पर रखें या आदरणीय नेता गोयल जी के नाम पर रखें या सुभाष के नाम पर रखें अगर उस कालोनी का नाम रखा जायेगा तो उसके साथ इनका नाम भी कलंकित होगा। माननीय मंत्री महोदय एक मजबूत आदमी हैं। आप सारे राजनैतिक प्रेशर्स को अवाइड कीजिए माननीय मंत्री महोदय आप भी जानते हैं कि आप पर कितना बड़ा प्रेशर है जो आपको कुछ करने के लिए रोक रहा है उस कालोनी के इन्वेस्टीगेशन को। आप इसको पचास दफा सोचते हैं लेकिन वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि उस कालोनी के स्कैण्डल से लोग किस तरह से प्रेशराइज हो रहे हैं।

श्री बिरदाराम : सरपंच ने शिवबाड़ी में दिये हैं वह ठीक दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : हरिजनों को नहीं दूसरों को मिले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा है माननीय सदस्य आप बात समझ लें....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह जमीन करीब पांच सौ परिवारों की शिवबाड़ी में है और 708 बीघा जमीन, माननीय सदस्य आप ध्यान से सुन लीजिये फिर आप पीछे से कुर्ता मत खेंचियेगा, 708 बीघा जमीन पांच सौ हरिजनों के लिए, उनके परिवारों के नाम से मांगी गई। अब एक एक बीघा डेढ बीघा के करीब होती है। दरअसल हरिजनों को तो कोई बसाया ही नहीं गया। अगर वहां डेढ बीघा में हरिजनों को फिट कर देते तो बड़ी प्रसन्नता की बात थी। वह तो फिट हो गए सारे के सारे अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सेठ और बड़े 2 नेता। दस पैसे प्रति गज के हिसाब से दिए गए हैं। उसी के पास में व्यास नगर था जहां पर दस रुपये, पन्द्रह रुपये प्रति गज में प्लाट दिए गए हैं, बिल्कुल सड़क के किनारे व्यास नगर है और दूसरी तरफ यही सो काल्ड कान्ता कालोनी सो काल्ड इसलिए कहता हूं कि वे नाराज न हो जायं, वहां पर यह हालत है। यह इतना बड़ा डिफरेन्स है दोनों की प्राईसेज के अन्दर। तो अगर आप माननीय मंत्रीजी मजबूत आदमी हैं तो आप इसको प्रूव कीजिए तो इसमें करोड़ों रुपयों का स्कैन्डल मिलेगा। मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करता हूं कि चाहे कोटा का मामला हो, अभी कोटा का जब मामला आया मैं उस समय हाऊस में उपस्थित नहीं था, भरतराम और चरतरामजी ने यहां, हैवी केमिकल्स वालों ने इसी आपकी बाउण्ड्री इधर या उधर के एक्सचेंज में करोड़ों रुपयों की एक्साईज ड्यूटी, चूंगी टैक्स की चोरी की। सारा का सारा स्कैंडल पिछले सत्र में मैंने सारी की सारी परिस्थितियां यहां रखी थी और आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कोटा के प्लाट्स का मामला देखिए, इन्वेस्टीगेशन कीजिये कितना घोटाला है। प्लाट वेकेंट पड़े हैं। कोटा इंडस्ट्रियल टाऊन डवलप हो रहा है, यहां बड़ी 2 इंडस्ट्रीज डवलप हो रही हैं और बढ़ी हुई वेल्यूज में कोटा के प्लाट, जिनकी कोई वेल्यू नहीं थी और खुद महाराजा कोटा के सैकड़ों प्लाट वहां पर खड़े हुए हैं। कहीं पर दो पेड़, कहीं पर चार पेड़ लगा रखे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वहां पर बड़े 2 राजनेताओं के प्लाट पड़े हैं। आबू हिल्स को लीजिए। मामूली सी नगरपरिषद् उसको एग्जामिन कर लीजिए। नक्की झील के चारों तरफ किन 2 लोगों ने वैल्यूएबल प्लॉट लिए हैं। कुल मिलाकर नगर न्यास हो या नगर निगम हो आज आपको एक ऐसा आर्गेनाईजेशन इवाल्व करना पड़ेगा जिसमें कि बेसिक वेल्यूज हों, जो बेसिक वेल्यूज हैं वह डिफेंड हों। और आपको इस तरह का सेट-अप बनाना पड़ेगा। आज समय और समाज आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। जिस तीव्र गति से आज अन्तर्राष्ट्रीय फील्ड में घटना क्रम चल रहा है जिस तीव्र गति से आपके चारों तरफ ज्वाला धधक रही है। आज के गरीब आपको छोड़ने वाले नहीं है, उनके हृदय में आपको विश्वास पैदा करना होगा और जिस प्रकार से सी. आई. ए. और साम्राज्यवादी ताकतें चारों तरफ षड्यंत्र चला रही हैं उससे आप नहीं बच सकते। पाकिस्तान को किस तरह से आर्म्ड किया जा रहा है, जिस तेजी से घटना क्रम बदलता चला जा रहा है, वर्ल्ड इकोनोमी जिस तरह से तहस नहस हो रही है, सोशलिस्टिक कण्ट्री में जिस तरह की स्टेबल प्राईसेज रही हैं, जिस तरह की उनकी इकोनोमी रही है और उसके मुकाबले में इन केपेटलिस्टिक कन्ट्रीज में इन्फ्लेशन बढा है, प्राईज क्राईसिस सारे कैपेटलिस्टिक वर्ल्ड में आया है, इसलिए इन्टरनेशनल कन्डीशन्स हैं; सारा इकोनोमिक क्राईसिस बोटलनेक हो चुका है। 18 करोड़ 75 लाख लोग हाईली एजूकेटेड स्पेसिफिकली अनएम्पलायड हैं। आपके हिन्दुस्तान के मुकाबले कितने परसेंट हैं। इसलिए वार वैल्ट क्रियेट करना चाहिए और अपने समर्थकों को आपसे भी ज्यादा प्रगतिशील नारा देकर आज वह बाजार के अन्दर उतराना चाहते हैं। आपके अन्दर भी ऐसे लोग मौजूद हैं बहुत से जो इस बात की घोषणा करते हैं। आज इन्दिरा गांधी को नेता नहीं मानते, आज उसके अगेंस्ट में ओपन रिवाल्ट कर रहे है। इस प्रकार के लोगों का आपको सफाया करना होगा। इसलिए अगर आप वेल्यू पर स्टेंड करते हैं तो इन प्रश्नों को टाल नहीं सकते। चाहे वह जयपुर की कच्ची बस्तियों का मसला हो, चाहे कोटा की नगर परिषद् का मामला हो और चाहे वह गंगानगर का मामला हो आपको वार फूटिंग पर स्टेंड लेकर तय करना पड़ेगा और इस सारे ओर्गेनाईजेशन के अन्दर बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं यू. आई. टी. के अन्दर सारे एम. एल. एज. को कोरपोरेट करते? आखिर एम. एल.एज. को जवाब देना पड़ता है। चाहे वह जनसंघ का एम. एल. ए हो, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी का एम.एल ए. हो चाहे आपका एम. एल. ए. हो लेकिन गली और मोहल्ले में कहीं जाय आखिर वह अपनी कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में एक स्टेंड लेता है। इसका परसपेक्टिव पोलिटिकल रिपरकशन्स क्या होता है यह दूर की बात है। इसलिए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए फोरन इसको कोरपोरेट करें और फिर ब्यूरोक्रेसी का माइन्ड भी रीबिल्ट करना पड़ेगा। उस की थिंकिंग रीग्रोरियेंट कीजिये। इस ऑर्गनाईजेशन से चलने वाला नहीं है। यह इग्यून है, मेन बैटरी हैं, डायनुमा है आपके प्रिंसिपल्स, आपके स्टैंड, आपकी थ्योरी, यह डिटरमाइन हो, क्लियर थिंकिंग हो। इन सब चीजों को सामने लेकर चलेंगे तो ही कुछ सोलूशन है नहीं तो इसका कोई सोलूशन नहीं है।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, जिस बिल पर विचार किया जा रहा है वह अपने आप में तो बहुत महत्वपूर्ण बिल इस कारण से नहीं है कि इसके द्वारा केवल राज्य सरकार अपने अधिकार पर जो सीमा लगी है, पहले केवल चार नोन आफिशियल सदस्यों को ही अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्दर मनोनीत कर सकती थी अब इस बिल के द्वारा उन्होंने अपने पास भी यह अधिकार लेने की तैयारी की है कि जहां तक विधान सभा के लेजिस्लेशन का सवाल है उसमें कोई रोक नहीं होगी। जितने भी मेम्बर राज्य सरकार निर्णय लेकर किसी भी नगर न्यास में रख सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस बिल को इस दृष्टि से मैं अनावश्यक बिल समझता हूं और इतना ही नहीं बल्कि मैं यह भी समझता हूं कि यह राज सत्ता के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए इस सीलिंग को हटा करके असीमित अधिकार लेने की कुचेष्टा है, कुत्सित प्रयास है। अभी पहले विचार चल रहा था संकल्प के ऊपर तो जयपुर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या सत्तारूढ दल के कार्यकर्ताओं को या उनके चहेतों को रखा जाय, इसकी उन्होंने प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि हम कमिटेड लोग हैं और हमारा राज्य है, हम राज्य करते हैं इस कारण से····

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जनता ने अधिकार सौंपा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम राज्य कर रहे हैं तो यह लूट करने का अधिकार भी जनता ने राज्य करते समय हमको दिया है, आप रोक नहीं सकते और इस लूट के अन्दर बांट के आधार पर कौन सा प्लाट किसको दिया जाय, किस प्रकार से बंटवारा किया जावे इसके लिए हम कमिटेड लोगों को ऐसे स्थानों पर नहीं रखा गया तो जनता में क्या हम सड़कों पर काम करेंगे। यहां पर उनका कहना भी ठीक है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य यह निवेदन है कि हमने सड़कों पर ही काम किया है और झाड़ू भी लगाई हैं और आगे भी लगा लेंगे।

(व्यवधान—शोरगुल—अश्रव्य)

माननीय सभापति महोदय, इतनी बात जरूर निवेदन कर दूं कि जहां तक गुमानमलजी लोढ़ा के दल का सवाल है उनका दल जब पावर में आया तो पुलिस के सिपाहियों की भर्ती में केवल आर. एस. एस. के लोगों को ही भर्ती कर लिया और हम चुनौती के साथ में कहते हैं कि कम से कम जयपुर शहर में 26 वर्ष के अन्दर

Page No 125

(125)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कांग्रेस मैन के नाम पर एक व्यक्ति को भर्ती नहीं किया गया है। जो आप वातावरण बना रहे हैं लूट की बात करते हैं तो अगर आप इसको साबित कर दें तो जो कुछ आप कहें हम मान लें।

श्री केदारनाथ : आपको एल.डी.सी. और चपरासी की बात करने की जरूरत ही क्या है जब कि सब को अफसर बना दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, यह तो सर्व विदित और सर्व मान्य है कि कांग्रेस के द्वारा कितनी लूट इस देश में की जा रही है और हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने हमारे सारे क्षेत्र के अन्दर विकास कर दिया और गरीबी मिट गई....

श्री मूलचन्द सामरिया : लूट पर आ रहे हैं क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पूछ रहा हूं यह मेरे से कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप से इसलिए कह रहे हैं कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जितना डिस्टर्ब करना चाहें करें और सवाल पूछना चाहते हैं पूछें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हर सवाल का जवाब देना जानता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हर सवाल का जवाब आपके पास में है यही बहुत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मैं अवश्य कहूंगा कि आज जितनी, जिस प्रकार से भी हो, जितने घृणित और घिनौने ढंग से कांग्रेस के राजनेताओं ने राजस्थान के अन्दर आबादी की जमीन को, कृषि की जमीन को, आबादी की लैण्ड को और कृषि की लैण्ड का ग्रेब किया है। मेरे खयाल से जो बैस्ट एरियाज हैं, बैस्ट लैण्ड हैं, फारेस्ट हैं, माइन्स हैं सब जगह आपने किया है। मैं आपको जोधपुर का उदाहरण दूं वहां पर यू. आई. टी. में आपके सदस्य होते हैं नाम नहीं बताना चाहता, उन्होंने शास्त्री नगर में पूरा का पूरा सेक्टर राजनेताओं को और अफसरों के लिए एलाट किया। जहां पर कुआ था वहां पर उस समय जमीन उसके आसपास 15-20 और 30 रुपये पर बिकी वहां पर आपके सारे के सारे राजनेता और सरकार के अफसर 1 और 2 रुपये पर सारे के सारे शास्त्री नगर का एक सैक्टर बांटकर खा गये। उदयपुर, कोटा, बीकानेर कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर आपने जनता की तो बात करते हैं, किसी एक गरीब आदमी को बसाने के लिए जमीन बांटी हो, यह मैं पूछना चाहता हूं। मैं अभी गया शाहबाद, और शाहबाद के अन्दर सहरियों को जमीन दी गई है और यह कहकर दी गई है कि यह गांधी जी की सेन्टीनरी का वर्ष है इसलिए हम पट्टे दे रहे हैं। शाहबाद के अन्दर जब मैं वहां पर पहुंचा तो हमने देखा कि सहरियों के पास में जमीन नहीं है। वहां की पंचायत समिति के प्रधान जो हैं उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली और कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्दर सहरियों के नाम लिख दिये, और सहरिये जो बेचारे भील होते हैं, गरीब होते है, अधकचरे होते हैं, जिनको

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक टाइम रोटी नहीं मिलती है, उन्होंने वहां चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमें दुख है कि यह सारे के सारे नाम तो हमारे हैं लेकिन 4 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई, हमें जमीन कोई मिली नहीं, जमीन हमारे पास में कोई नहीं है। शाहबाद की जमीन इतनी उपजाऊ जमीन है कि चारों तरफ लहलहाते हुए खेत हैं और जहां धान पैदा होता है, बहुत अच्छी इरिगेशन है. उस सारी इरिगेशन पर और जमीन पर पंचायत समिति के प्रधान बैठे हुए हैं या पंजाब से आये हुए सरदार बैठे हुए हैं जिन्होंने वहां पर किलाबन्दी कर रखी है। एक आदमी के पास 30 हजार बीघा और 5 लाख की सहरियों की जमीन को वह दाबे हुए है। यह कांग्रेस के सारे के सारे नेताओं ने सारे राजस्थान के अन्दर कृषि भूमि और आबादी की भूमि को हड़प रखा है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम 8–9 नेता तो यहां पर बैठे हुए हैं जोधपुर से आये हुए एक का नाम तो बतायें कि उसने ले रखी हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे के सारे की बात नहीं है वह झूठ है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जोधपुर से आप परिचित हैं। 8–9 सदस्य वहां से इस सदन में बैठे हुए हैं।

(5.54 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ करें।

श्री मनोहर कोठारी : ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात तो नहीं करना चाहिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बात ऐसी करनी चाहिए कि जिसमें तथ्य हो। हो सकता है कि कभी किसी ने किया हो, लेकिन आप इन 8–9 में से एक तो बताइये?

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारे नहीं कहा है। सारा सेक्टर है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने कहा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 8, 9, 10 यहां पर बैठे हुए है उनमें से बताइये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं नाम दूंगा और लिस्ट दूंगा पूरी की पूरी कलेक्टर जो माथुर साहब थे वह हैं, वित्त मंत्री थे माथुर साहब, नाथूराम जी के नाम पर जमीन है, और एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं के नाम पर जमीन है। पूरी लिस्ट यहां सदन में दे दूंगा। पूरे का पूरा एक सेक्टर शास्त्री नगर में राजनेताओं के नाम से और सरकारी अधिकारियों के नाम से हैं। वह कलेक्टर वहां पर थे उन्होंने ले ली। कलेक्टर ने अपने नाम से ली है।

श्री गोपाल जोशी : बीकानेर का आपने कहा है तो वहां की भी लिस्ट आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक–दो तो बता दें।

श्री गोपाल जोशी : आपने एब्सोल्यूट बात कही है तो एब्सोल्यूटनेस को क्लियर करना पड़ेगा। एक भी नहीं बचा है इसका तो यह मतलब है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने नहीं कहा कि एक भी नहीं बचा। प्रोसीडिंग्स को देख लें। यह शब्द मैंने नहीं कहा।

श्री गोपाल जोशी : जो बीकानेर के सदस्य यहां पर हैं उनके नाम हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोढ़ा जी ने भी नहीं कहा था कि कालोनी का नामकरण किया था उसके बारे में कहा था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसके बाद में वह सदस्य बोले हैं जबकि आप नहीं थे।

श्री गोपाल जोशी : कांग्रेस के सबके सब नेताओं के लिए आपने एब्सोल्यूट वे में कहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एब्सोल्यूट नहीं कहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : बीकानेर का रसगुल्ला तो आप दबाये बैठे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि हर व्यक्ति के लिए कहा गया है तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के लिए नहीं कहा है। यदि ऐसा भ्रम हो गया हो तो उसे दूर कर लें।

मेरी तो यह अर्ज है कि आप स्वयं इस बात को अपने दिल में जानते हैं। पूरे के पूरे शाहबाद क्षेत्र का एक सप्ताह पहले निरीक्षण किया था। मैं कह सकता हूं। मेरे साथ में कांग्रेस के विधायक भी थे 6–7। उन्होंने स्वयं ने इस बात को महसूस किया है कि इस सारे क्षेत्र के अन्दर जमीन का जो एलाटमेंट हुआ है सहरियों के नाम पर जो कि गरीब भील हैं उनमें 80 परसेंट लोगों के पास में जमीन नहीं है। वह जमीन तो सरदार स्वर्णसिंह आये हुए बैठे हैं पंजाब से या जमनालाल या दूसरे नाम के प्रधान थे शाहबाद के या इस प्रकार के वहां पर सरपंच हैं कहीं के कोई प्रधान हैं उनके पास में है। आपको शायद सुनकर मैं समझता हूं आश्चर्य की तो बात है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं··

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जानते नहीं है। आप से राय चाहते हैं कि कोई तरकीब ऐसी बता दें कि बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके बुढ़ापे का खयाल रखिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विश्नोईजी साहब आपके बारे में आरोप नहीं लगाया है। आपने सबका कहा है इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आपको भ्रम हो गया है तो इसको दूर कर दें। ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है कि कांग्रेस में सारे के सारे भ्रष्ट होते हैं और जनसंघ में सब ईमानदार हैं। सब जगह सभी प्रकार के व्यक्ति मिल सकते हैं। मोटे तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर, कांग्रेस के शासन के द्वारा, आबादी की जमीन कांग्रेस के आदमियों के द्वारा ग्रेब हो रही है। आपने स्वयं ने इस सदन में आरोप लगाया है। आप स्वयं परिचित हैं इसलिए मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कहना कि कमिटेड लोगों को ऐसे ट्रस्ट में इसलिए मेम्बर रख दिया जाय ताकि पार्टी की विचारधारा का वह प्रतिनिधित्व कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सका हूं कि चाहे किसी भी प्रकार का कांग्रेस का सदस्य रहा हो, कार्यकर्ता रहा हो, उनके चहेते हों, उनके व्यक्ति हों उनको उसमें रख दिया जाय जिसमें कि जमीन के एलाटमेंट का प्रश्न है वह उनके हाथों में सौंप दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह फिर अपनी पार्टी को एक स्टेटुटरी बॉडी बनायें और जो कमिटेड हैं और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं उनके साथ में बैठकर डिस्ट्रिब्यूशन कर लें तो जनता के पास लाने का कोई कारण नहीं है। मेरा निवेदन यह करना है कि आपने यह बात कही है कि 98 पर्सेन्ट अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को हल कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पानी और बिजली के बारे में कहा है। आप दुबारा करेक्ट कर लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपको यह पता ही नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो क्लेम प्रधान मंत्री भी करती है कि हमने गरीबी हटा दी है। आपने विकास कर दिया है, यह क्लेम कितना है। जोधपुर शहर में भूतपूर्व महाराजा के समय, गिरदी कोट जाने वाली सड़क, 1947-48 से पहले ही, पूनमचन्द जी, मदेरणा जी और गहलोत जी जानते हैं। वह स्कीम उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद हो गया। आजाद होकर इतनी लम्बी छलांग लगाली हैं। चीन, हिन्दुस्तान, अमेरिका इम्पारटेण्ट बिग पावर्स में आ गये। जापान जैसा छोटा सा देश जो सारा का सारा ध्वंस हो गया था। जापान और जर्मनी फिर बन गये हैं। लेकिन हमारे शहर में 1948 से पहले बनी स्कीम, सड़क का एक छोटा सा टुकड़ा जो पौन माइल या एक माइल का होगा, वह सड़क का छोटा सा टुकड़ा यह भ्रष्ट सरकार पूरा नहीं कर सकी है। उस ओवर ब्रिज स्कीम को पूरा नहीं कर सकी। आप बात करते हैं कि हमने यह कर दिया है। वह कर दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने कार्य करा लिये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके अनुसार आपका होगा। आपका कोई लाइसेंस होगा। आपका नहीं तो आपके किसी एम. पी. के साथ में होगा। आपने पट्टों के अन्दर क्या किया है। जो लुहारों की, गाडोलिया लुहारों की कालोनी बनाई वह आज 90% वहां नहीं रहते हैं। उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं किया गया। वह मकान बेच बेच कर चले गये हैं। आज वहां पर नर्क जैसा दृश्य हो रहा है। पाखाना और पेशाब पड़ा रहता है। किसी प्रकार की रोशनी नहीं है। गच्छीपुरा स्थान है। जब पानी बरसता है, तो वहां हर साल झोपड़े बनते हैं और बिगड़ते हैं। आप यह कहते हैं कि हमने विकास कर दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका जो सही चेहरा हो, वह जनता के सामने लेकर आइये। हमें राज मिला है, वोट मिले हैं—गरीबी हटाने के लिए मिला है। आप जनता की बात कह कर जनता का शोषण क्यों करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चाहते हैं। आज यही हुआ है। उन नंगे भूखे लोगों को उन इन्सानों को जयप्रकाश नारायण ने सारे देश को जगाया है। आपने क्या वास्तव में गरीबी को मिटा दिया? विकास कर दिया? राजस्थान के अन्दर 7.7 लोग भूख से मर जाते हैं। आप कहते है कि हमने 90% विकास कर दिया। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह भ्रष्टाचार का फलड गेट है। यह राजस्थान का फलडगेट है, वाटर गेट नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

आपका निर्णय हुआ, शिड्यूल कास्ट जो हैं, जो एम. एल. एज. हैं, उनको लेने के लिए कर रहे हैं। यह तो बिल के आब्जेक्ट में कुछ लिखा है और जहां पर सेक्शन बनाई हैं, वह विपरीत है। उनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। आप सेक्शन तो बनाते हैं, इसका मतलब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जिस भावना से आप यह चाहते हैं कि जनता का योजना-बद्ध विकास किया जाये। जनता को राहत दी जाये। वह ध्वनि इससे नहीं निकलती है। आप केवल अपने विकास का फलडगेट खोलना चाहते हैं। अगर सही तौर से इण्टरप्रिटेशन करना है तो सही तौर से जनता में प्रचार कीजिये ताकि जो आब्जेक्ट आपने रखे है, उनको इन्कारपोरेट कर सकें।

आसन की ओर से घोषणा
विधेयकों का क्रम

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति की 20 वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिश के अनुसार कल दि. 27 फरवरी, 1975 को निम्नांकित विधेयक विचारार्थ एवं पारणार्थ रखे हुए हैं:—

1. राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975

2. राजस्थान विक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1975

3. राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975

4. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975

5. राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975

कुछ दलों के नेताओं ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि उपरोक्त कार्यक्रम अधिक है जिसके कारण सदन को अधिक समय तक बैठना पड़ सकता है अतः इसमें परिवर्तन किया जाये।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुरोध पर विचार किया है और माननीय सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 (जो कल लिया जाने वाला था) को 28 फरवरी, 1975 की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। यह विधेयक 28 फरवरी, 1975 को लिये जाने वाले विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकों से पूर्व क्रम संख्या एक पर लिया जायेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री। (अनुपस्थित)

श्री मालाराम। (अनुपस्थित)

श्री अजीत सिंह। (अनुपस्थित)

श्री मनोहर लाल। (अनुपस्थित)

Page No 130

(130)

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव :

"राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)" ।]

प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक 15 अक्टूबर, 74 और 75 का अध्यादेश दोनों को मिलाकर बनाया गया है। परन्तु जिस भावना से अक्टूबर के महीने में यह अध्यादेश जारी किया गया है। वह जो सूत्र आब्जेक्ट्स दिये गये हैं, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें चेयरमैन के बारे में कहा गया है। चेयरमैन आफिसियल हो या नान आफिसियल इसके बारे में पुनः विचार हो रहा है मैं इसमें यह कहूंगा कि चेयरमैन आफिसियल भी हो सकता है, परन्तु पहले जो नान-आफिसियल चेयरमैन थे, जिसका कार्य शुद्ध नहीं था, उसके पैटर्न का, उसी नमूने का फिर चेयरमैन लाया जायेगा तो मैं कहता हूं कि उसके बजाय तो आफिसियल पार्ट टाईम चेयरमैन अच्छा है। जब से यह अफवाह फैली है मेरे शहर में कि नान-आफिसियल चेअरमैन बनाने की घोषणा होगी तो चार सुपर एम.एल.ए. मैं सुपर एम.एल.ए इसलिए कहता हूं कि वह एम.एल.ए. से अधिक भाग दौड़ करते हैं और मंत्री जी के नजदीक रहते है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव: श्री श्रीराम जैसे।

श्री अमृतलाल गहलोत : उनकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। फिर मसला वहीं का वहीं रह गया। मूल बात मुझे यह कहनी है कि राज्य सरकार को बड़ी शांति से काम लेना पड़ेगा, डेडीकेटेड, आनेस्ट और फुर्सत वाले चेयरमैन आते हैं तो बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। यह सोचने का दृष्टिकोण हो कि वह व्यक्ति ऐसा हो। यह न किया और पालिटिकल इन्फ्लूएन्स वाले व्यक्ति को बैठा दिया गया तो मैं कहता हूं कि नान आफिसियल से तो आफिसियल चेयरमेन अच्छा है, यू.आई.टी. का जिम्मा उस पर छोड़ दे। मुझे जितना अनुभव है इसका उतना शायद किसी का न हो, मैं भुक्तभोगी हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री जी को भी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री तो यू. आई. टी. के हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : शहरों की समस्या गांवों से भिन्न है। गांवों में आपने 5 लाख 86 भूखण्डों को आवंटन कर दिये लेकिन शहरों में 5 हजार को भी आवंटन करें तो आपको जोर पड़ेगा। हमारे शहरों में जमीन की कमी है और लैंड ग्रेबर ने बुरी तरह कब्जा कर लिया है। आपके नियम, उपनियम और आपके एक्ट में कोई ऐसा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

डेटरेन्ट पनिशमेंट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कृषि की जमीन के बिना सब डिवीजन एप्रूव कराये मकान बना ले तो उसे सजा मिल सकती है। जयपुर शहर में कब्जों का बहुत जोर है। मेरे शहर में इससे कम है। अब वहां भी यह भयानक रूप धारण कर रहा है। जयपुर की जनसंख्या राशनकार्ड की अधिक जनसंख्या को डिडक्ट करें तो आठ लाख के आस पास पहुंच चुकी है। मेरे शहर में पांच लाख राशन कार्ड हैं, चार लाख की जनसंख्या है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है इसलिए लोग बाहर से आते हैं। राजस्थान के शहरों की जनसंख्या की प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी कोटा, गंगानगर को छोड़कर वहां ज्यादा होगी 5 पर्सेंट है। जीवन की पांच मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। भोजन की हालत तो आजादी के बाद में ठीक हो रही है, शिक्षा की व्यवस्था भी बढ़ी है और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बढ़ी है। मैं अर्ज कर दूं, आजादी के पश्चात् तेईस चौबीस वर्ष की प्लान्ड इकानामी के बावजूद हमारा मोर्चा जिस प्वाइन्ट पर है वह रोजगार और आवास 1947 में जितने व्यक्ति बेकार थे, उससे अब कहीं ज्यादा व्यक्ति बेकार हैं। 1947 में जितने बेमकान, बेघर थे, मकानों की हालत भी उस समय से खराब हालत है। हर वर्ष की जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति नहीं हो रही है और बैकलाग बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है, यह बहुत गहरी है। एक कमरा दस बाई दस का यदि बनायें, कोई भी स्पेसिफिकेशन ले आयें, दो हजार रुपये एक कमरे के लिए चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने इस पर विचार किया कि कितना पैसा इस लिए चाहिए तो सबको सिंगल रूम मकान बना कर देने के लिए पचास हजार करोड़ रुपया चाहिए जबकि पांचवा प्लान पांच हजार करोड़ का है। नगरों की समस्या विकट हो चुकी है। जितना बड़ा नगर होगा उनमें आप तीन चार चीजें पायेंगे जितना बड़ा शहर होगा, उतनी ही अधिक गन्दी बस्ती होगी, उसमें उतने ही ऊंचाई के मकान होंगे, इनकी ऊंची से ऊंची कीमत होगी और उतना ही ज्यादा किराया होगा। 8-8-72 को जयपुर के अन्दर जमीन नीलाम हुई, एक हजार रुपये वर्ग गज के हिसाब से वह गई। यह समस्या नगरों में है। बम्बई में नोरीमन पाइन्ट के पास जमीन बारह हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गई, वह भी लीज पर गई। जितनी महंगी जमीन होगी उतना ही ज्यादा मंजिल वाला मकान होगा, नहीं तो जमीन का क्या ब्याज हो सकता है, क्या रिटर्न हो सकता है। मेरे शहर में तीन चार सौ रु. प्रति वर्ग गज जमीन तक कीमत जा चुकी है। गन्दी बस्तियों का नाम लीजिये, तो दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी नाम है, मद्रास में चेरियल नाम है और बम्बई में झोंपड़ी पाटने गन्दी बस्ती है। यह गन्दगी के नरक हैं। मेरे ख्याल से जिस व्यक्ति ने देखा होगा ठीक है, आप में से बहुतों ने देखी हो, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीबों के हित में हमारी केन्द्रीय सरकार ने जो सात, न्यूनतम आवश्यकता के लिए कार्यक्रम बनाया है, उसमें गन्दी बस्तियों के निवारण के लिये भी कार्यक्रम रखा गया है। दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश की योजना का समय निकल गया, और वार्षिक आवंटन हुआ 54 लाख रुपये, जब कि 80 करोड़ की योजना थी। 30 करोड़ की योजना में 54 लाख रखा है।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

7 पर्सेन्ट। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है, 30 लाख इस साल रखे हैं 30 लाख ,105 करोड़ की योजना में से। 3 पर्सेन्ट। 7 पर्सेन्ट के बजाय 3 पर्सेन्ट रख दिया गया है। मेरे शहर में गन्दी बस्तियों का कार्यक्रम बना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री इस विभाग के हैं, उन्होंने 45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी, उसमें से 15 लाख हमें दिये हैं। हमने काम शुरू कर दिया, कान्ट्रेक्ट और एग्रीमेंट हो गये। अगली साल 30 लाख हमें नहीं देंगे तो उस योजना को खत्म कर देंगे और कान्ट्रेक्टर्स का क्लेम बन जायेगा। यह उम्मीद नहीं थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसे काम के अन्दर कटौती करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह परिस्थिति शहरों की बड़ी विकट है। हम जो नगर विकास न्यास बनाने जा रहे हैं, ट्रस्ट कान्स्टीट्यूट होने जा रहा है, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसा कि मेरे शहर से आने वाले, जोधपुर के विधायक ने कहा है, इसमें जब इन्टेन्शन यह है, आब्जेक्ट यह है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एम. एल. ए. को लिया जायेगा तो क्यों नहीं रख देते हैं, जिसके एरिया में यू. आई. टी. का एरिया रहता है, वह सब एम.एल. ए. और एम.पी. उसमें लिये जायेंगे, चाहे वह किसी पार्टी का हो यह न्यायोचित बात है, यदि पार्टीसिपेशन चाहते हैं। मैं आज हूं, कल नहीं हूं। कल दूसरा हो सकता है। आब्जेक्ट्स में दिखा रहे हैं इसमें ब्राड बेस दिया जा रहा है, लेकिन सेक्शन में उसका नाम निशान नहीं है, तो दोनों के बीच में संगति नहीं है। संगति नहीं हो तो इस ढंग के विधेयक को ठीक नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, जमीन की समस्या दिन पर दिन उलझती जायेगी। आगे आने वाले वर्षों में हम, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन भी दे सकें तो बहुत बड़ा कार्यक्रम आज ही सोचना पड़ेगा। सारा लैंड, जो मास्टर प्लान के क्षेत्र में आ रहा है, उस सबको फ्रीज करना पड़ेगा सारी जमीन को एक्वायर करना पड़ेगा और प्राइवेट एलाटमेंट और सब डिवीजन को बन्द करना पड़ेगा। इस तरीके से कार्यक्रम को प्लान नहीं किया गया, तो मैं निवेदन कर दूं, यह समस्या इतनी विकट हो जायगी कि भविष्य में जिसका निराकरण असम्भव हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त में दो रुपये प्रति वर्ग गज में गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को जमीन दी जाती है, जिसकी आमदनी 100 रुपये से कम हो। मंहगाई का जो स्तर है, उसमें सौ रुपये से कम वाले बहुत कम परिवार होंगे। दो रुपये के बजाय में डवलपमेंट चार्जेज का ऐसा मूल्य है कि बीस रुपये प्रति वर्ग गज आता है। इस घाटे को नगर विकास न्यास वो दूसरे प्लाट बेच कर पूरा करना पड़ेगा अगर ऊंचे भाव पर नहीं बिके और म्यूचुअल सब्सीडाइज नहीं का तो गरीबों को प्लाट नहीं मिल सकते। मैं निवेदन करूंगा गरीब आदमियों को प्लाट देने के लिए सब्सीडाइज नहीं करें तो कम लैंड को डवलप करके उन लोगों को छोटे प्लाट बना कर दिये जायं। ऐसी कालोनी बनाई जायं सारे शहरों में प्लाट आउट सेल पर नहीं दिये जा सकें, लीज पर नहीं दिये जा सकें, रेटें पर दिये जायं शहरों में। मेरे शहर में फुट पाथ पर पर सोने की प्राबलम नहीं है, लेकिन नाजायज कब्जे हो रहे हैं। उनको वहां से उठा कर फेंक दिया जाता है, लेकिन

(श्री अमृतलाल गहलोत)

उनके लिए आल्टरनेटिव जमीन कहां है। इसके लिए ट्रान्जिट कैम्प बनाये जायं और नगर की कठिनाई को देखते हुए उसमें आवास की सुविधायें नार्मल किराये पर होनी चाहिए, पांच रुपये महीने में। कहता हूं कि आवास देने की बिल्डिंग भले ही नहीं हो। परन्तु कोई सिर छिपाने के लिए भी कम जमीन दे सकें जिस पर बेघर लोग अपना सिर छिपा सकते हैं। इस तरह का कार्यक्रम कहीं बनाया गया तो बड़े शहरों में अतिक्रमण, एन्क्रोचमेंट की समस्या है वह दिन पर दिन बढ़ती जायगी और उसको भविष्य में कन्ट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए गरीब से गरीब तबके के लिए कम से कम इतने प्लाट्स बनाए जायं कि जो यहां पर अतिक्रमण करने वाले हैं उनको हटायें। उनसे कहिए कि कहां जाना है तो वहां भेज दो। आज हमारे पास ऐसी जमीन नहीं है। रातोंरात बुलडोजर भेज सकते हैं, आर. ए. सी. को भेज सकते हैं लेकिन आल्टरनेटिव जगह कहां है? कल्याणकारी राज में हम बड़े अमीर लोगों के विकास की बात करते हैं लेकिन एक स्तर करना पड़ेगा कि राशन सबको मिलेगा हर राशन कार्ड का। हम यह कह सकते हैं कि फलां जगह 5 हजार प्लाट्स तैयार किए हैं, वे बेचे नहीं जायेंगे, किराए पर मिलेंगे, रहना है तो वहां रहिए। हमारे शहर में जरूर 700-800 प्लाट्स की जमीन रखी है लेकिन लोगों ने वहां भी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इस दिशा में भी सोचने का कार्यक्रम होना चाहिए।

इस समय जो अनुसूचित जाति और जन जाति के भूमिहीन किसान बड़े शहरों में आते हैं, अकाल के समय में मेरे शहर में 20-30 मजदूर पत्थरों पर काम करते हैं उसमें से 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं। क्रैश प्रोग्राम आपने जो लागू किया, 5,18,317 परिवारों को प्लाट्स दिए, वहां पत्थर के मजदूरों के लिए एक कालोनी भी नहीं है। लगभग 25 परसेंट उनकी संख्या है। शहरों में प्लाटों की समस्या है अतः इस बारे में सरकार निश्चित करे। अतः जो नई यू. आई. टीज. बनाने जा रहे हैं आपको कानून को यदि और सख्त करना पड़े, जमीनों को फ्रीज करना पड़े सख्त सजायें देनी पड़े जो सब डिवीजन करते हैं, फर्जी पट्टे निकाल देते हैं राजाओं के जमाने के और जिस तरह से खेती की जमीन पर मकान बना लेते हैं सबको रोकने के लिए डिटरेंट पनिशमेंट के तौर पर ड्रेस्टिक एक्शन लिया जाए नहीं तो जमीन नहीं मिलेगी न आप आवास दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भावरमल

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल। (अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल। (अनुपस्थित)

श्री केशरीमल। (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह। (अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मलाकुमारी। (अनुपस्थित)

श्री रतीराम। (अनुपस्थित)

मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने

(श्री रामनारायण चौधरी)

हेतु जो दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनके पक्ष में और विपक्ष में जो विचार जाहिर किए उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। शहरों का योजनाबद्ध विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का भी योजनाबद्ध विकास हो, इन दोनों के लिए सरकार वचनबद्ध है और कटिबद्ध है। शहरों के विकास के लिए जहां जमीन पर अधिक दबाव है, आवासीय भूखंड अधिक मात्रा में हैं वहां के निवासियों को रहने के लिए जरूरत महसूस होती है और जो विकसित कस्बे हैं, मंडियों की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से, उन कस्बों और शहरों में राज्य सरकार ने नगर विकास न्यासों की स्थापना कर रखी है। इन नगरों का योजनाबद्ध विकास हो, इसमें नगर विकास न्यासों की महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका है। इस भूमिका को और इस आयोजन को नगर विकास न्यास भली-भांति से कर सकें और जो प्रोग्राम उनके सामने हैं, जो आवासीय भूखण्डों के लिए कस्बों में रहने वाले निवासियों को कठिनाइयां हो रही हैं कस्बों के विकास के संबंध में, उनको ठीक प्रकार से, प्रभावशाली ढंग से कर सकें इसके लिए हम विकास न्यासों को मजबूत बनाना चाहते थे और उनका पुनर्गठन करके एक नई दिशा इनको देना चाहते थे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, यह संशोधन मुख्य रूप से लाया गया था। यह भी सोचा गया था कि जब कि इन विकास न्यासों में या कोई भी न्यास हो, कोई भी निगम हो, जब तक नान-आफीशियल रिप्रेजेंटेशन कहां नहीं हो तो जो मूर्तरूप यह देना चाहते हैं उसमें कठिनाइयां पैदा होती हैं और जनता को भावनाओं के अनुरूप ये संस्थाएं काम नहीं कर सकती हैं। तो नान-आफीशियल रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाने के लिए इस संशोधन को लाया गया।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि जो पहले से कानून है उसमें काफी व्यवस्था है कि 4 नान-आफिशियल सदस्यों का नामीनेशन राज्य सरकार द्वारा हो सकता है, फिर क्या आवश्यकता थी कि यह संशोधन राज्य सरकार को लाना पड़ा? मैं इनका ध्यान राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1950 की धारा 9, कान्स-टीट्यूशन आफ ट्रस्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"The trust shall consist of-

(c) other persons not less than two and not exceeding four in number, one of whom shall be a person belonging to scheduled caste or tribe, if no person of such caste or tribunal is represented in the Trust by virtue of part (a) or (b)"

इसी के आगे सब-क्लाज 6 की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं:

"(6) Of the person referred to in clause (c) of sub-section (1) atleast one shall be a person in the service of the State Government."

इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4 जो सदस्यों के नामीनेशन का प्रश्न है उसमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का अधिकारी हो और पीछे से दो बचते हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : शिड्यूल्ड कास्ट्स का नान आफीशियल हो सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां। वह मैंडेटरी है उनको छोड़कर। अब तक जो व्यवस्था रही है उसके अन्दर चेयरमैन जहां नान ऑफीशियल रहा है वहां कलेक्टर और एक्सीएन पी. डब्ल्यू. डी. दो सदस्य निश्चित रूप से रहे हैं। जिस समय यह कानून 1959 में बना था, इन 16 सालों में समाज के रहनसहन में, विकास में भारी परिवर्तन हुआ है। जिस समय सोचा गया था कि पी.डब्ल्यू.डी. के एग्जाक्यूटिव इन्जीनियर वहां पर टेक्नीकल एडवाइस के लिए जरूरी है तो अब 16 साल बाद यह महसूस किया जाने लगा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी. एच. ई. डी. का भी कम महत्व नहीं है। और आर. एस. ई. बी. का काम है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, जो हमारे कस्बों का, प्रदेश का, शहरों के योजनाबद्ध विकास में प्लानिंग में जिसकी मुख्य, महत्वपूर्ण भूमिका है उन सब को ध्यान में लेते हैं तो राज्य सरकार के पास विकास न्यास में नोमिनेट करने का अधिकार है और संख्या बढ़ती है उसके डिस्क्रेशन पर है, वह अपने आप हो जाती है। और फिर आज के युग में, डेमोक्रेटिक युग में, हम नोन आफिशियल रिप्रेजेन्टेशन, विकास को महत्व देना चाहते हैं तो यह जरूरी हो गया है कि जब पुनर्गठन हो तो वह पूरा हो और इस प्रकार से ये संस्थायें सक्षम बनें, जो चुनौतियां हैं, जो प्रोग्राम यू. आई. टीज. के सामने हैं, उनको इफेक्टिव रूप से मूर्तरूप दे सकें इसलिये सोचा गया कि गैर सरकारी प्रतिनिधित्व को विकास न्यास में बढ़ाया जाय, यह काफी नहीं है और इस क्लाज के रहते हुए प्रतिबन्ध था, प्रतिबन्ध के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिये यह संशोधन लाया गया और कोई बात इसके पीछे नहीं थी। कस्बों के सुनियोजित विकास को ध्यान में रख कर यह संशोधन लाया गया है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर जितने नगर विकास न्यास हैं, वे एक जैसे नहीं हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, यहां की भी यू० आई० टी० है। अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, गंगानगर ये महत्वपूर्ण हमारे विकास न्यास हैं। फिर छोटे कस्बों में गंगापुर, हिन्डौन चित्तौड़, यहां पर भी विकास न्यास हैं। गंगापुर, हिन्डौन का जहां मनोनयन का प्रश्न आता है वहां पर देखा जा सकता है कि जो मैंने नाम पर्सन्स इन स्टेट सर्विस के गिनाये, उनमें से किसी को छोड़ा जा सकता है परन्तु जयपुर जैसे शहर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, इनके पी० डब्ल्यू० डी०, पब्लिक हेल्थ इन्जीनियरिंग आर० एस० ई० बी० और टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, इनको भी इस प्रकार से कोओर्डिनेट किया जाय, एसोसियेट किया जाय, यह प्रश्न भी राज्य सरकार के सामने था, तो उन सब का सोच कर, उन को ध्यान में रख कर यह संशोधन लाया गया है, जो मैं समझता हूं, बहुत उपयुक्त है और उचित सब दृष्टियों से था।

मान्यवर, अभी माननीय सदयों ने शहरों में योजनाबद्ध विकास शहरों में बढ़ते

(श्री रामनारायण चौधरी)

हुए आवासीय भूखण्डों की बात की थी। जोधपुर से आने वाले माननीय श्री गुमान मल जी, माननीय श्री गहलोत जी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसको दोहराया। मान्यवर, आपको मालूम है, सदन भलीभांति परिचित है कि अभी हमारे प्रदेश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जन जाति और एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हमारे प्रदेश में थे, उन लोगों को, जितने हमारे प्रदेश में थे उनको 26 जनवरी तक हमने पांच लाख सैंतालीस हजार आवासीय भूखण्ड आवंटित किये हैं। मै यह मानता हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्र की ही समस्या नहीं है किन्तु कस्बों के अन्दर यह और भी व्यापक और गम्भीर रूप लिये हुए हैं। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो नरोरा सम्मेलन के सन्दर्भ में कहा था तब उन्होंने शहरों के आवासीय समस्या को सुलझाने के लिए इसी प्रकार का एक अभियान चलाने की उन्होंने घोषणा की थी। राज्य सरकार चाहती है कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ कुछ वर्ग के लोगों को जो आवासीय भूखण्ड दिये गये हैं, वहीं यह समस्या नहीं थी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी परिवार काफी संख्या में लोग हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को छोड़ने के बाद बचते हैं, उनको भी यह समस्या है। उनको छोड़ नहीं सकते। उनकी ओर भी ध्यान देना होगा और राज्य सरकार उस ओर जागरूक हैं। उस समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार कार्यक्रम बनायेगी।

कस्बों के अन्दर, विशेषतौर से बड़े कस्बे हैं वहां पर और छोटे कस्बे हैं वहां पर भी यानी उन सब ही कस्बों में आवासीय भूखण्ड की समस्या है। राजस्थान बनने से पहले जो लोग जहां पर बसे हुए थे उन ही स्थानों पर उनके परिवार बसे हुए थे, वे काफी बढ़े हैं और इन वर्षों में जो भूमि उन नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को को मिली थी सरकार की ओर से, वहां पर कोई योजना और कार्यक्रम नहीं चलाया गया जिससे उनको और जमीन दी गयी हो या उन्होंने दूसरे तरीके से एक्वीजिशन के रूप में ली हो, यह समस्या है। इस समस्या को राज्य सरकार सुलझाना चाहती है। इस समस्या को सुलझाने के लिये प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम बनाया जावेगा।

मान्यवर, दूसरा जो संशोधन प्रस्ताव है वह संशोधन बहुत ही मामूली है। किसी माननीय सदस्य ने उस सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। मैं समझता हूं मुझे भी उस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं महसूस करता हूं, मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में उठायी हैं, एक बात यह कही मान्यवर, कि नोन ऑफिशियल चेयरमैन विकास न्यास के हों। राज्य सरकार इस बात को भी महसूस कर रही है कि अब इस समय हमारे विकास न्यासों के अध्यक्ष जिलाधीश हैं, कलेक्टर्स हैं। मान्यवर, जिलों के कलेक्टर्स के पास और विशेषतौर पर बड़े शहरों के, जयपुर अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, के पास काफी काम हैं, अनेक कमेटियां हैं जिनको उनको अटेन्ड करना पड़ता है, दूसरे प्रोग्राम भी हैं, उनको निपटाने का भी उन को समय पूरा मिलना कठिन हो रहा है। यह बात सही है कि जब तक नगर विकास

(श्री रामनारायण चौधरी)

न्यासों के अध्यक्ष, चाहे ओफिशियल हों या नोन ओफिशियल हों, पूरे समय के लिये न हों तब तक जो उद्देश्य है, विकास न्यासों के जो प्रोग्राम हैं, उनके पास जो कार्यक्रम है, योजनायें हैं, उस कार्य-क्रम को वे आगे नहीं बढ़ा सकते। जो पार्ट-टाइम हैं चाहे आफिशियल हों चाहे नोन-आफिशियल हों उनसे वह काम सम्भव प्रतीत नहीं होता है इसलिए यह बात तो राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकार कर ली थी कि पार्ट-टाइम विकास न्यासों के अध्यक्ष नहीं रह सकेंगे, वे कोई भी हों पूरे समय के लिए ही रखे जायेंगे। लेकिन प्रारम्भ में यह सोचा गया था कि जिलों के कलेक्टर विकास न्यासों के अध्यक्ष सभी दृष्टियों से उपयुक्त रहेंगे इससे जितने भी दूसरे और विभाग है, सरकारी अधिकारी है और विभाग हैं और लोकल नोन-आफिशियल्स हैं, इनका को-आर्डिनेशन जिलाधीश के मार्फत उपयुक्त बैठेगा। पहले यह भी सोचा गया कि जिलाधीशों के अलावा कोई दूसरे आफिशियल्स चेयरमैन हों इसमें भी आखिर में यह विचार ने बल पकड़ा कि नोन-आफिशियल्स गैरसरकारी विकास न्यासों के अध्यक्ष रहें इस पर भी विचार किया जाना चाहिए और यह मामला राज्य सरकार के, मान्यवर, विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही हमारे नगर विकास न्यासों का पुनर्गठन होकर जो प्रोग्राम हम देना चाहते हैं जो प्रोग्राम हमारे सामने है उसको व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने किया है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उन प्रस्तावों को कृपापूर्वक वापिस लेलें, नहीं लेने की स्थिति में मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार एवं पारण

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति को इस विधेयक को सुपुर्द करने के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन में विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक, 1975

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

परिनियत संकल्प

["यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं० 3 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विधेयक, है इसके लिये मैंने प्रारम्भ में सुबह भी कहा था, उस समय ले लिया जाता तो सदन की जो इस समय दशा है, मैं समझता हूं बहुत गम्भीर दशा है और यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस सदन को भी महत्वपूर्ण कहा जाय तो मैं गलत नहीं हूंगा। यहां पर पंचायतों के चुनाव को अकाल का बहाना बता कर और फिर लिखा है "इन अपरिवर्तनीय कारणों से राज्य सरकार ने इन निकायों के आम निर्वाचनों को, उनकी विद्यमान अवधि 31 दिसम्बर, 1977 तक अथवा यदि आवश्यकता ऐसा अनुज्ञात करे ऐसी किसी पूर्ववर्ती तारीख, जो राज्य सरकार नियत करे, तक बढ़ा कर मुल्तबी करने का विनिश्चय किया है?" अकाल का बहाना, बीच में चुनावों का बहाना और फिर उसके बाद 31 दिसम्बर 1977 तक के लिये चुनाव स्थगित किये गये। तो मैं समझता हूं कि हम लोग चुनकर आये थे मार्च, 1972 में। अब चुनाव यदि फरवरी में होने चाहिए तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि केवल एक महीने का अन्तर रखा है। यानि हमारे जीवन काल के पहले पहले एक बार घोषणा करना चाहेंगे तो कर देंगे वरना हम तो गये और आने वाले सोचेंगे कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे दूसरी मिनिस्ट्री आयेगी और वह फिर अपने दृष्टिकोण से सोचेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने चुनावों को टाल दिया है और वह चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है और इसीलिये गांवों में जो पंच और सरपंच हैं वह कहते हैं कि सरकार ढीली-ढाली है, सरकार हमको हटा ही नहीं सकती। इसलिए हम तो राजा हैं, हमारा कहना मानना पड़ेगा हमको कोई हटाने वाला नहीं है। यह बातें कहते फिर रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, ढीलीढाली है, हमको नहीं हटा सकती। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो तीन साल की अवधि बढाई गई है वह अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। 6 महीने की अवधि बढ़ा देते, वर्ष भर की बढ़ा देते, कमांड तो रहता, इससे तो कमांड भी विधान सभा ने अपने हाथ से निकाल दी। राजस्थान में 700

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पंचायतें हैं, 232 पंचायत समितियां हैं और 26 जिला परिषदें हैं। इन सबका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमन्त्री महोदय ने इस सदन में कहा था कि अब मैं पंचायतों का समय बढ़ाने के लिये सदन में उपस्थित नहीं होऊंगा। आप इसको विनोद में टालना चाहें परन्तु यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है अब उसके बाद गोया मुख्य मन्त्रीजी विद्यमान हैं, मुंह नहीं दिखाऊंगा, अब बड़े प्रेम से दिखा रहे हैं। दिनांक 18-2-75 को जब मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था तो उस समय मुख्यमन्त्रीजी ने कहा था कि शीघ्र ही विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करके निर्णय लेंगे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एकदम 31 दिसम्बर, 1977 तक का समय बढ़ा देने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? 6 महीने का बढ़ा दीजिये, बाद में फिर आपको विधान सभा बुलानी ही पड़ेगी, फिर विचार कर लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि 6 महीने का समय बढ़ाना अलोकतांत्रिक है पर आपने तो तीन साल का समय बढ़ाकर बपौती कायम कर ली, यह मैं ठीक नहीं समझता हूं। स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने भी आश्वासन दिया था, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का आश्वासन भी सदन में दिया हुआ है। आज क्या होगा। याने एक भी बात हमारी मन्जूर होती नहीं है और मन्जूर हो जाती है तो कुछ नहीं होता। फिर विधान सभा को चलाने का क्या लाभ है ? यहां सदन में कोई बात कही जाये और उसका पालन नहीं हो तो मैं समझता हूं कि विधान सभा के 184 सदस्यों का दूसरे रूप में अपमान है, घोर अपमान है और मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि एक कमेटी बनी। मेरे ही नामराशि श्री गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में और उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी और उसने कहा कि यह अन्तरिम रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट की इन्तजार मत करना और चुनाव जल्दी कराना। अब टू टायर या थ्री टायर सिस्टम होगा वह अलग बात है और उस कमेटी ने कई लोगों से क्वेश्चन्स पूछे। वह कमेटी एम०पी० से मिली, एम०एल०ए० से मिली और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान भर का दौरा किया। कमेटी गुजरात गयी महाराष्ट्र गयी और बम्बई गई और न जाने कहां कहां गयी। मैं समझता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट लाखों रुपया खर्च करके बनी और इन्टरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदारजी उस कमेटी के सदस्य थे और जो अब स्वायत्त शासन संस्थाओं के मिनिस्टर साहब रामनारायण जी हैं वह भी मेम्बर थे। मैं समझता हूं कि स्वयं रामनारायण जी ने कहा था और इनके दस्तखत हैं कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिए, टाले नहीं जाने चाहिए। आज मैं समझता हूं कि वह मंत्री हो गए और आपने जो बात कही तो अपनी कही हुई बात से भी पीछे हटे और पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ जाये इससे ज्यादा अशोभनीय बात लोकतंत्र में हो नहीं सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतें, पंचायत समितियां और न्याय पंचायतें कईयों के प्रधान, कईयों के प्रमुख और कईयों के सरपंचों के चुनाव ही नहीं हुए और कईयों

Page No 140

(१४०)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में चुनाव हो भी गये थे तो आज स्थान रिक्त पड़े हैं। कई लोग जो पंच और सरपंच थे वह आज एम०एल०ए० हो गए हैं और वह कहते हैं कि हम विधायक हो गए इसलिए मीटिंग बुलाकर क्या करेंगे। वह मीटिंग ही नहीं बुलाते और यदि मीटिंग बुलाते भी हैं तो कोरम पूरा नहीं होता उन मीटिंगों में और रिक्त स्थान पड़े हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में यह कहेंगे कि 3 वर्षों का समय बढ़ा देने के बाद फिर चुनाव करायेंगे। यदि हम यह कार्यकाल बढ़ाते हैं तो उसकी भी व्यवस्था यहां पर करनी पड़ेगी। हालत यह है कि न्याय पंचायतों में कोरम पूरा नहीं होता और कोरम के अभाव में ही फैसला करते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं तो फैसला चैलेन्ज होता है। यह लोकतंत्र का मखौल है और मजाक है और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने नागौर में पंचायती राज्य का दीपक जलाया था और स्वायत्त शासन के नाम पर देशभर में राजस्थान में पहले पहल पंचायतों की स्थापना की थी। अब वह कहां है ? स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू की आत्मा इस राजस्थान सरकार को कोस रही है।

यहां पर नरोरा की बात करते हैं और कहते हैं कि हम मकान देंगे, भूमि देंगे और दूसरी जरूरी चीजों की व्यवस्था करेंगे। यह आपकी घोषणा नहीं है बल्कि भारत के संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उसमें निर्दिष्ट सारी बातें हैं। जो सरकार इन सब बातों पर चलेगी वह अच्छी सरकार है और जो सरकार यह काम नहीं करेगी वह सरकार फेल हो जायेगी, गिर जायेगी। वैसे गिरने वाली है आगामी चुनाव में। तो यह घोषणा कोई नरोरा वाली नहीं है बल्कि संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स है उसमें कही गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनावों की अनिश्चितता के कारण नेताओं का विश्वास विकास कार्यों से उठ गया है और जनता का विश्वास भी जो 12 वर्ष पहले लीडर चुनकर भेजा था उनके ऊपर से उठ गया है। आज कांग्रेस के लोग सोचते है कि जो पंचायतों में लोग हैं इन्हीं को वहीं रहने दो ताकि हमारी वहां पर दादागिरी जमी रहेगी तो आगामी चुनावों में यह हमारे स्तम्भ के रूप में काम करेंगे और कांग्रेस का फिर से बहुमत आ जायेगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का बहुमत नहीं आने वाला है....

श्री दीपंकर : आयेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं आयेगी।

श्री दीपंकर : निश्चित आयेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए मैं आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि पंचायतों का इस प्रकार से कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाये और जैसा कि रामनारायण जी ने कहा था इनके चुनाव शीघ्र कराये जायें...—

श्री दीपंकर : आपको पंचायतों से क्या लेना देना है ? जयपुर का क्या लेना देना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो गाय के बछड़े हैं और यह बहुत मोटे हो गए हैं इनको खूब दूध पिलाओ । यह तो केवल नाममात्र का विरोध करते हैं । अखबार में प्रचार करने के लिए विरोध करते हैं और इनकी सीट भी उधर ही होनी चाहिये और आपके साथ बैठने चाहिये ।

श्री दीपंकर : यह हमारे साथ बैठे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो तीन वर्ष का समय अध्यादेश के मार्फत किया है यह बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक और अप्रजातांत्रिक है और राजस्थान की जनता के साथ घोर विश्वासघात है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इससे राजस्थान की साख देश भर में गिरेगी इसलिए मैं इसको अस्वीकार किये जाने के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, श्री रामनारायण जी जो कि अब मौजूदा मंत्री हैं पंचायती राज्य के यह हमारी हाई पावर कमेटी के मेम्बर थे और इन्टरिम रिपोर्ट आई है उसमें पाइलट करने का सबसे पहले इनका नाम था । जब श्री रामनारायण जी मन्त्री मण्डल के सदस्य बने तो इनको जोश था । पंचायती राज के लिए और फिर नई ताजगी और नई गर्मी के साथ आये तो इन्होंने घोषणा कर दी कि पंचायतों के इलेक्शन होंगे । इन्होंने नहीं सोचा कि फेमिन आ जायेगा और फिर जनरल इलेक्शन आ जायेंगे । यह सारी सरकमस्टान्सेज जो सामने आ रही है, ऐसी इन्होंने घोषणा तो कर दी अब खास चीज यह है कि हमारी दिल्ली की सरकार इस लोकसभा के इलेक्शन से पहले कभी भी डिवीजन कायम नहीं करना चाहती थी । यह स्नैप पोल की तैयारी थी और अब वह तो आगे बढ़ गये न जाने कैसे । इसलिए तीन साल और आगे बढ़ा दिये पंचायतों के चुनाव इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि आज न हमारे में विश्वास है और न एम. एल. ए. और एम. पी. में विश्वास है । अकाल तो है, फैक्ट है और वह सितम्बर तक रहेगा और उसके बाद में अक्टूबर में चुनाव करा दिये जायें क्योंकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे लेकिन आपकी मन्शा यह है कि गांवों में वोट मिल जायें और कोई डिवीजन नहीं हो और नाराजगी पैदा नहीं हो, यह हम समझते हैं । स्पष्ट आप कह दें । हम भी मान लेते । अब पोजीशन मान्यवर यह है कि आपने जो हाउस साइट्स दी हैं वह पंचायतों से ले ली अच्छा किया है । आपने न तो पंचायतों को ताकत दी और न अधिकार दिया । मैं तो यह सोचता था कि जो हाई पावर कमेटी की सिफारिश है सारी आप मान लें । मैं तो यह आशा किये बैठा था कि यह पंचायतों के चुनावों की तारीख डिक्लेयर करेंगे लेकिन न जाने इन्होंने क्या सोचा । इसलिए ज्यादा न कहते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से तीन साल की टर्म बढ़ाना और चुनावों को स्थगित करना यह सारे पंचायती राज को समाप्त करना है । यही मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं । मैं भी सोचता हूं कि आश्वासन पूरा नहीं करना एक हद

(श्री केदारनाथ)

तक डेमोक्रेसी में गलत है। अब एश्योरेन्स दे दो कि अक्टूबर, नवम्बर में चुनाव हो जायेंगे, स्नेप पोल हो या नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश जारी हुआ उसके बारे में, मैंने इसका विरोध किया उसका आधार है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जम्हूरियत का सबसे बड़ा उसूल है कि जो लोग चुन कर आवें अगर जनता उनसे नाखुश हो तो जनता उनको वापिस बुला सके। हिन्दुस्तान में यह नहीं है लेकिन हमारी पार्टी की मान्यता यह है कि वोटर को यह हक होना चाहिये कि जिसको चुन कर भेजे उसको वापिस बुलाने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए और चुनाव ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : जयप्रकाश जी के साथ आ रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चुनाव के बारे में हमारी पार्टी ने जो फैसले लिए हैं उसमें हमने यह तजवीज रखी है कि प्रपोर्शनेट रिप्रेजण्टेशन होना चाहिए और उनको वापिस बुलाने की तब्दीली होनी चाहिए। यह दो बेसिक मुद्दे हैं जिनके बारे में हमने कुछ कहा है। अब सवाल यह है कि भाई जनसंघ वाले जो कहते हैं तो उनका हाल तो यह मैं अर्ज किया चाहता हूं कि हमारे नेशनल पोयेट ने कहा है :

न बोरिया ही मयसर हुआ बिछाने को,
हमेशा ख्वाब ही देखा किये छपरखट का।

यह तो हुकूमत का ख्वाब ही देखते रहेंगे और बेचारे खत्म हो जायेंगे और उन्होंने हाल ही में पीपुल्स कैंडीडेट की बात कही है और यह बात कह कर अपनी मौत के वारण्ट पर दस्तखत कर दिए हैं और जनसंघ की हैसियत से तो खत्म होंगे ही, पीपुल्स कैंडीडेट कौन जीत कर आता है और कौन हारता है यह तो बाद की बात है।......

श्री गुमानमल लोढ़ा : खत्म तो हो जायेंगे लेकिन आपकी तरह झुकेंगे नहीं, कांग्रेस के साथ जायेंगे नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : और हम तो हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां के एक एक कोने में हैं और ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कांग्रेस को मारने वाले खुद ही कब्र में दफन हो गए....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप भी वहीं चले जायेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : गालिब ने कहा है वह मिसरा कि 'न बोरिया भी मयसर हुआ बिछाने को और हमेशा ख्वाब ही देखा किये छप्परखट का'। तो ये भी ख्वाब देखते देखते ही खत्म हो जायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर एक मिसरा आप भी सुन लें।

हम गुजर जायेंगे तो क्या
राहत तो रह जावेगी
काम आ जावेगी सड़क
जितनी भी बन पावेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो आप मालूम नहीं किस से सुन आए मेरी समझ में नहीं आता। एक बड़े शायर के इस तरह के शेर कहते हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है। यह कोई बात नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपका जो कुछ भी नजरिया हो उससे भी मैं मुतकिल नहीं हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप भी सुन लें– गुल गये गुलशन गए गुल धतुरे रह गए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री गुमानमल लोढ़ा : "जब से सुना कि मरने का नाम जिन्दगी है सर पर कफन लपेटे कातिल को ढूंढता हूं।"

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह कौन से कातिल की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो अपनी खुदकुशी का रास्ता चुन लिया है और खुद खत्म होना चाहते हैं। हम तो जनता के साथ हैं और जनसंघ और स्वतंत्रपार्टी कोई चीज है नहीं और बी. एल. डी. कुछ है नहीं। और अब तो यह ख्वामख्वाह छेड़खानी करते हैं और बिला वजह परेशान होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता इस चीज को कहने से क्या फायदा है। मैं निवेदन किया चाहता हूं सैद्धान्तिक रूप से अगर आप डेमोक्रेसी की परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं और इसका आदर करना चाहते हैं तो आपको वखतन-फ-वक्तन यह चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि यह दलील कि हमारे यहां इस साल कहर पड़ गया तो राजस्थान तो ऐसा सूबा है कि जिसमें किसी न किसी हिस्से में हर साल कहर पड़ता ही है और यह साईकिल तौर पर कहर लाजमी हैं। एक साल के बाद एक साल, या दो साल के बाद एक साल इस तरह से कहर पड़ता ही है। अगर आप इसको मुस्तिकल मानते हैं तो फिर यह पंचायतों का किस्सा खत्म कीजिए। एक कानून यह बना दीजिए, चूंकि राजस्थान में कहर पड़ता रहता है, कहर के दौरान में चुनाव हो नहीं सकते इसलिए पंचायतों को खत्म किया जाता है। पंचायत एक्ट को रीपिल कर दें। अगर आप यह परम्परा कायम रखना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह का जो अध्यादेश लाते हैं या बिल लाते हैं तो उससे क्या हो रहा है? आज जितने भी पंच हैं, मेरा कुछ पंचों का खुद का तजुर्बा है वह खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार के मूल बन गए हैं। निवाई के सरपंच के बारे में मैं अर्ज किया चाहता हूं कि उसने दो दो सौ, ढाई ढाई सौ रुपये गज की जमीन को सौ सौ रुपये में बेच दिया। कुए हजार रुपये में वेच दिए। पी. डब्ल्यू. डी. की जमीन पर एनक्रोचमेंट करा दिया। तो आज वरिष्ठ सरपंच मौजूद हैं लेकिन चूंकि आपकी तरफ से उनको पूरा एतमाद है, कोई शिकायत हो तो उसकी जांच की कोई मशीनरी कायम नहीं कर रखी है। जैसा कि म्युनिसिपल कौंसिलर, वरिष्ठ कौंसिलर थे उन्होंने आपकी मेहरबानियों से किया इसी तरह से इन सरपंचों का हाल है। जिस तरह से मनमाने ढंग से लोगों को लूट रहे हैं, वहां की जनता हैरान और परेशान है और यह भी वरिष्ठ

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सरपंच जिनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लें, लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि जैसा अभी भार्गव साहब ने फरमाया था कि आप सरपंचों को कायम रख रहे हैं इसलिए कि आप उनके मार्फत चुनाव में जीत कर आयेंगे, आपका यह मकसद भी पूरा नहीं हो सकेगा इसलिए कि वह पंच और सरपंच इतने बदनाम हो चुके हैं कि अगर आप उनका सहारा लेंगे तो तुम भी डूबोगे तो मैं समझता हूं कि आप यह जो आर्डिनेंस लाए और उसके बाद यह बिल ला रहे हैं तो क्या आपका मकसद यह है कि जो आटोनोमी और जो डेमोक्रेसी और जो रिप्रजण्टेशन आपने गांव वालों को देने का निश्चय किया था और आपने दिया था क्या आप उसको वापिस लेना चाहते हैं। क्या आप उनको यह अधिकार देना नहीं चाहते कि वह अपने हुकूक इस्तेमाल करें और गलत लोग जो भी हों उनको न चुनें और वरिष्ठ पंच और सरपंचों को हटा दें। तो आपने इन गांव वालों पर नादिरशाह जैसे लोगों को लाकर बिठा दिया है जो उनको रातदिन लूटते हैं। वे उनकी मुखालफत भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर मुखालफत करेंगे तो मियाद बढ़ती जाती है। आज गांव का आदमी अपने पंच, और सरपंच के खिलाफ बहुत जज्बात रखता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता इसलिए कि उसको संरक्षण मिला हुआ है राज्य सरकार का। मैं इस बिल को अगर काला कानून नाम दूं तो वही उचित होगा और मैं नहीं चाहता था कि चौधरी साहब इस बिल को यहां इण्ट्रड्यूज करें और पायलेट करें। अगर किसी और को पायलेट करने के लिए दे देते तो अच्छा था। उनके कैरियर के ऊपर, उनकी डेमोक्रेटिक परम्पराओं के ऊपर यह बदनुमा दाग है जो दुर्भाग्यवश वह अपने पर लगाना चाहते हैं। मैं यह चाहूंगा और यह चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता यदि आप इस बिल को पायलेट नहीं करते और यहां कोई और इसे पायलेट करते। अब यह बदनामी आपने अपने पर ओढ ली है तो मैं यह चाहूंगा कि इस बिल पर इसरार न कर इसको वापिस लें या कम से कम यह आश्वासन दें कि यह तीन साल का समय बढाया है वह बात नहीं है, यह तो हम साल भर में कर देंगे। आप मियाद बढाइये लेकिन इसकी कोई सीमा होनी चाहिए और हर मामले पर यहां पर आश्वासन देते हैं तो उसका पालन करना चाहिए। यहां पर आश्वासन देकर कोई सीमा मुकर्रर करते हैं और उसके बाद तोड़ देते हैं तो यह जो तरीका अपना रखा है राज्य सरकार ने यह मेरी नजर में कोई उचित तरीका नहीं है। आप मेरे जो इस साइड पर दोस्त बैठे हुए हैं उनसे तो घबराइये मत। इनकी तो न्यूसेन्स है, वेल्यू है जो कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाने वाली है। जो जरूरत की चीज है उसको अपनाकर करें। इस तरह करते रहेंगे तो वह खामोश हो जायेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) जो चिराग रखो है उसकी तरफ भागते रहते हैं। आप अपने सिद्धान्तों के मुद्दों पर अमल करें। मैं निवेदन करूंगा, पूरे कांग्रेस के जितने भी ट्रेजरी बेन्चेज पर लोग बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे अपने दिलों को टटोलें, और अपने दिमाग पर जोर दें और यह सोचने की कोशिश करें कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह सही है

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

दा गलत है। अगर वह सही है, मैं समझता हूं कि मौजूदा बिल के बारे में आपके दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है। आप डेमोक्रेसी के हामी नहीं है और अधिनायकवाद या और इस किस्म के इन्तजाम है उनके हामी हैं। आपके दिमाग में इस तरह से यह चल रहा है और 12 साल से यह चल रहा हैं तो आपके दिमाग में जम्हूरियत और इस परम्परा पर आपको विश्वास नहीं रहा है। इन शब्दों के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो दिये गये हैं वजूहात आर्डिनेन्स के वह गलत हैं, निराधार हैं। उनको खत्म करना चाहिए, और मैं यह कम से कम निरस्त करने के हक में हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ठंडे दिल से गौर फर्मायें और फिर इसको तय कीजिये कि आया यह सही कदम है या गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष, मुझ से पर्व वक्ता ने जो कुछ फरमाया है वह बिल्कुल ठीक है। उसमें से एक तो यह मजबूर है.......

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गफ्फार और हाण्डा के बात करने पर) आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ग्रान ए पाइंट आफ इन्फर्मेशन। यह लिस्ट जो आपकी टेबल पर ले डाउन है गलत मालूम पड़ती है, क्योंकि गफ्फार साहब के बाद मेरा नाम है देखिये नीचे और उसके बाद श्री मनोहरलाल और फिर श्री मूलचन्द है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आसन ने व्यवस्था दी है।

श्री केदारनाथ : यह राइट एसर्ट करने का सवाल है कि किस तरह से विजिलेंट हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके करेक्शन के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष I am always subject to correction.

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है कि जिस पंचायती राज के लिए देश के सबसे बड़े नेता पंडितजी ने शुरुआत की, और जिस पंचायती राज की शुरुआत भारत में सबसे पहले राजस्थान में हुई, दुर्भाग्य है कि आज उसका खात्मा राजस्थान में हो रहा है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि जनतंत्र को अगर आप सही रूप से परिभाषित करें तो क्या जनतन्त्र का मतलब इतना ही रह गया है कि पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव एक ऐसी समय पर कराये जायं और उसके बाद जनतन्त्र की इतिश्री समझी जाय। मैं यह समझता हूं कि जनतन्त्र का मूल आधार है कि जनता के लोगों से सीधा सम्पर्क हो। जनता का हर जनता के काम आने वाली चीज से सीधा सम्पर्क हो और जो ग्राम राज की कल्पना है उसमें किस रूप में सुधार करने की आवश्यकता है उसके लिए पंचायती राज था, लेकिन सरकार आज मैं समझता हूं जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने

146

(श्री मूलचंद डागा)

यह फरमाया कि क्लासिफिकेशन आफ वोट्स हैं उसमें वोट को डिफाइन नहीं करना चाहती है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार इन पंचायतों के द्वारा ग्रामीण जनता में जो जागृति की लहर और राजनैतिक चेतना पैदा हुई है उससे घबराती है, और यह समझती है कि पंचायतों के चुनाव के द्वारा ग्रामों के लोग जनतान्त्रिक पद्धति में ट्रेण्ड हो गये हैं, और उनमें राजनैतिक जागृति आ गई है तो झूठे नारे लगाकर और झूठे भुलावे में रखकर धोखा दें तो नहीं टिक सकेंगे, और वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि विलेजेज में हर मामले में उनकी उपेक्षा की जाती है, चाहे वह चीनी के वितरण का मामला हो या खाद्य पदार्थों के वितरण का। उसी तरह से जितने टैक्स लगते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सीधे तरीके से लेवी के रूप में अथवा कैश क्राप्स पर टैक्स के रूप में वह उन पर हैं। उनके साथ में इतनी ज्यादती करने के बाद भी जो पैसा उनसे वसूल किया जाता है वह उनको नहीं दिया जाता है और उसके मुकाबले में शहरों में दिया जाता है। उसी तरह से क्या कारण है कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनावों में 12 साल का गैप नहीं रखा जाता है जब कि ग्राम पंचायतों में यह गैप आप रख सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह सरकार अच्छी तरह जानती है शहर के लोग संगठित होकर हर चीज की मांग कर सकते हैं। वह काफी अच्छे तरीके से संघर्ष कर सकते हैं और सरकार को तंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार यह भी जानती है कि ढाणी, ढाणी में एक एक घर में बिखरा हुआ है और वह अपनी वाजिब मांग को भी नहीं मनवा सकता है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जनतन्त्र में पंचायतों के चुनाव कराना वाजिब नहीं है? क्या जनतन्त्र का मखौल नहीं है? क्या यह उन लोगों को जनतान्त्रिक अधिकारों से वंचित रखना नहीं है? क्या कारण है कि 12 साल तक जिन लोगों को दो या तीन साल में मतदान करने का है उनके लिए इस अध्यादेश के द्वारा जनतन्त्र से वंचित रखा जाता है। मैं समझता हूं कि जो आज पंच और सरपंच हैं उनकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर्स कायम कर दे तो उनमें और पंच और सरपंचों में क्या फर्क रहेगा? हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हों कि जिनकी व्यक्तिगत तरीके से किसी से रंजिश अथवा प्रेम नहीं हो, लेकिन आप जानते हैं कि हर पंचायत में पंच और सरपंच से लेकर प्रधान और प्रमुख तक अपने राजनैतिक हक को अच्छी तरह समझते हैं तो उनके समर्थ कहीं, उनके कुछ विरोधी हों, और लगातार आप एक साल नहीं, तीन साल नहीं, 6 साल नहीं, 9 साल नहीं 12 तक उनका जायज और नाजायज तरीके से शोषण करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, पंचायतों के पास और अधिकार जो थे वह कम हो गये, विकास वहां पर नहीं होता है लेकिन वहां पर वितरण का काम सरपंच के हाथ में होता है और वह यह करता है कि अपने ग्रुप के 25 आदमियों को दे देता है, 25 आदमी किस स्तर के और किस हैसियत के हैं आदमी है यह नहीं देखता है लेकिन अपने लोगों को दिलाता है, उसके लिए आप उनको छूट दे रहे हैं। जिन चीजों की कमी है और जिनका ग्राम स्तर पर सरपंच वितरण करता है तो

(श्री मूलचंद सामरिया)

उसके विरोधी लोग इन चीजों से वंचित रह जाते हैं, और उनका शोषण किया जाता है। इस तरह से क्या आप जनतन्त्र का गला नहीं घोट रहे हैं? क्या आप जनतन्त्र के हत्यारे नहीं हैं?

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी पंचायती राज कमेटी के सदस्य थे तो आपने निष्पक्ष तरीके से यह कहा कि चुनाव होने चाहिए, और चुनाव होने चाहिए तो उसकी पूर्ति करने आज आपके पास पावर्स हैं तो मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि कौनसा जनतन्त्र है आपके सामने।

तो मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि जो वाजिब बात कहते हैं, वह कर नहीं सकते हैं। वह कौन सी मजबूरी आपके सामने आ गई है। अकाल तो हर दूसरे साल ही पड़ता है। अकाल तो यह कांग्रेस सरकार जब तक रहेगी, पड़ते ही रहेंगे। क्योंकि अकाल और कांग्रेस, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। इस अकाल के माध्यम से तो आप यह कीजिये कि आज जो सरपंच हैं, वह यह लिख कर दें कि उसका लड़का ही सरपंच बने और जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य है, वह अपने ही लोगों के लिए पद सुरक्षित कर दें। तीन साल के लिए चुनावों को आपने तानाशाही तरीके से टाल दिया है। आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। फिर आप उनके लिए अमेण्डमेण्ट एक्ट में लाकर कर लेंगे, चुनाव होंगे नहीं। आप अपने कार्यकाल में चुनाव करायेंगे नहीं। आप भी उस वक्त तक होंगे नहीं। जो होगा वह कर लेगा। आज सैंकड़ों पंचायत के सरपंच मर गए हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। चुनाव सरकार कराती नहीं है। कई जगह उप सरपंच काम कर रहे हैं। दो दो साल तक मीटिंग नहीं बुलाते हैं। आपने खामाख्वाह पंचायत के नियम रख छोड़े हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा, आप इसको वापिस ले लें। आप घोषणा करें कि हम पंचायत राज की अर्थी निकालते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस और आर्डिनेंस के बाद बिल। जब से सदन चला है, यही क्रम चल रहा है। मैं समझता हूं कि यह बिल जो आज माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, यह पंचायत राज का बारहवां या तेरहवां संशोधन घोषित करता है। खेद की बात यह है कि यह जो पिण्डदान हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है....

एक माननीय सदस्य : पिण्डदान के लिए भार्गव साहब तैयार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो तैयार हैं।

श्री लूणाराम : आप भी पिण्डदान में विश्वास रखते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो पंचायत राज का बहुत बड़ा स्मारक है। जो मेहता कमेटी के साथ रहा। जो हैदराबाद की कान्फ्रेंस में शामिल हुआ। जो गिरधारीलाल कमेटी में रहा। उस व्यक्ति के द्वारा हो

Page No 148

(१४८)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रहा है। पंचायत राज मन्त्री ने बड़ी गम्भीरता और जिम्मेदारी से घोषणा की थी कि अगर पंचायत राज चुनाव नहीं हुवे तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। सदन में रहूंगा नहीं।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य - नहीं, नहीं। ऐसा नहीं कहा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। यह मुख्यमंत्री राज चलाते हैं। जो कह कर चुनाव नहीं करवाते हैं। जो कहते थे कि मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : मैं दुबारा बहस करने के लिए नहीं आऊंगा। यह कहा है।

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी उत्तर दे दिया जायेगा।

(व्यवधान—शोरगुल—अध्यक्ष)

लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे पंचो को बुलाया गया है। मुख्यमन्त्री ने दो रोज तक बात की। अन्तरिम रिपोर्ट पर बात की। जिला परिषद के लोगों से 3 टायर सिस्टम कैसे चलाया जाये इसके बारे में बात की। पंचायत समितियों का क्या स्वरूप हो, तीन दिन तक विरोधी पार्टियों से बातचीत की है। फिर यह किस धोखे से हो गया है। एक साथ सारे विरोधी पक्ष के लोगों के साथ डिस्कस किया था। यह कहा था कि पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमन्त्री रहने का अधिकार नहीं है। आपने एक सिद्धान्त एस्टेब्लिश किया है। आपने ढिंढोरा पीटा है। आपने दुनिया को यह कहा है कि हम डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे। 1959 के अन्दर नागौर में इसकी घोषणा की है। उसके बाद यह गाड़ी कैसे अटक गई। 77 तक के लिए अटक गई। पावर को ऊंचे से नीचे तक पहुंचाने की बातें सारी की सारी खोखली हैं। आज सारा भारतवर्ष आपका इन्तजार कर रहा है। आप कह रहे है कि अकाल पड़ता है। 8 वर्षों से अकाल है। राजस्थान सरकार की यही नीतियां रहीं तो अकाल कभी नहीं जायेगा। यह अकाल तो आपकी नीतियों के कारण हैं। राजस्थान नहर आप बनाना नहीं चाहते है। आपकी नीतियों के फलस्वरूप अकाल हमेशा पड़ेंगे। अकाल तो श्मशान के अन्दर आपके साथ जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं। 72 में अकाल नहीं था? 67 में अकाल नहीं था? आपने 62-63 में पंचायतों के चुनाव करवाये। उस समय गम्भीरतम अकाल था। आपने सारे पीरियड में 500 करोड़ रुपया खर्च किये। अकाल के कारण पंचायतों के चुनाव नहीं रुक सके हैं। असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव नहीं रुक सके हैं। कोओपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव नहीं रुक सके हैं। आपकी 145 की मैजोरिटी है। ब्रूटल मैजोरिटी है। मैजोरिटी आपकी कहां नहीं है। आंध्रा में आपकी मैजोरिटी है। अहमदाबाद में सबसे बड़ी मैजोरिटी है। यह सब खोखली हो गई है। जिस मैजोरिटी में दृढ़ता से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बात करने की हिम्मत नहीं है। आपकी टोटल मैजोरिटी आज क्या कर रही है। जो डिसेन्ट्रेलाइजेशन था, प्रजातन्त्र था, उसको खत्म करने से आपका मुंह दागी हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई कारण नहीं है। आपको बराबर इस बात का गर्व है। इस सिकुड़े हुवे अपोजीशन की तरफ आप व्यंग करते है। मजाक करते हैं। आपने भूखण्डों के अलाटमेंट किये हैं। आपने नरोरा और रावत भाटा में इसके लिए निश्चय किया है। सारे राजस्थान में आपने कैंप लगाकर बांटे हैं। फिर इसके अन्दर आपमें ढिलाई क्यों आ रही है। इसलिए कि आपके अन्दर खुद के अन्दर विश्वास कतई नहीं है। आपके खुद के अंदर धारणा नहीं है। आप खुद के अंदर बंटे हुए हैं। आपके खुद के अंदर वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष बंटे हुवे है। यह इस बात को दिशा निर्देश है, इण्डीकेटर है कि आप लड़खड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के घोषणा करने के बाद भी चुनाव नहीं होते हैं। आप ब्रुटल मैजोरिटी में है। आप यह बिल लायेंगे और पास करायेंगे लेकिन मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, जनता जगह जगह आपसे यह पूछेगी। आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री मूलचन्द सामरिया : 77 के बाद रहेंगे ? झूठ मूठ बात बनाते है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज है या नहीं और पंचायती राज के मिनिस्टर हैं-यह तो मुझे नहीं लगता····

श्री प्रद्युम्नसिंह : अच्छा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पंचायती राज नहीं है तो मंत्री किस विभाग के हैं। जिस पंचायती राज को समाप्त कर दिया, पंचायतों के चुनाव होते नहीं, तालाब में पानी नहीं है, कीड़े पड़ गये हैं उन्हें कोई निकालना नहीं चाहता, एक बार चुनाव में निर्वाचित होकर जो बैठ गये, बैठे है, चिपक महादेव होकर बैठ गए हैं बैठ गए सो बैठ गए अब भगवान ही उनको ले जाय तो दूसरी बात है, नहीं तो प्रतिज्ञा इन्होने ले रखी है कि हम तो नहीं हटायेंगे। मुझे ताज्जुब यह होता है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस डेमोक्रेटिक सेट अप के लिए आश्वासन दिये गये हैं उन आश्वासनों की क्या कीमत है। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री बड़े जोर से, गम्भीर होकर, बड़ी बुलन्द आवाज के साथ सदन को विश्वास में लेने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वह उनकी कौनसी जबान है और जिस जवान से कहा था, अगर मैं पंचायतों का चुनाव नहीं करा लेता तो मैं चुनाव की अवधि बढ़ाने के लिए इस सदन के सामने नहीं आऊंगा···

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात कही।

श्री मूलचन्द सामरिया : अक्षरशः पालन करा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह नहीं आये, चौधरी साहब आ गये। सरकार वही है, इसमें अन्तर नहीं पड़ता, चौधरी साहब आते हैं या जोशी जी आते हैं, कांग्रेस सरकार हैं। मुर्दे को कंधा देने के लिए नीचे कौन खड़ा है, वह सवाल नहीं है, मुर्दे को कन्धा जरूर दे रहे हैं····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम शरीक हो रहे हैं जनाजे में– यह अफसोस की बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : परिस्थिति बदलती रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : चुनाव की पद्धति से पंचायतों के चुनाव न करवाना-मैं समझता हूं, आगे आने वाली पीढ़ी जब इतिहास लिखेगी तब यह लिखेगी-जहां पंचायतों का श्री गणेश हुआ था, उसी पंचायती राज की अन्त्येष्ठी उन्होंने अपने जीवन काल में ही कर दी। अपने द्वारा लगाये हुए पौधे की अन्त्येष्ठी उन्होंने कर दी। आपको चुनाव करवा देने चाहिए, आप किस बात से डरते हैं ? आपके यहां पर अकाल स्थायी बन गया है और अकाल के साथ अकाल मन्त्री का पद भी स्थाई बन गया है। आप इस अकाल मंत्री के पद को तो हटायें। मेरे ख्याल में राजस्थान में अकाल रहेगा और अकाल मंत्री भी रहेंगे। मैं अधिक कहना नहीं चाहता। आप सब लोग तय करके ही आये हैं, प्रस्ताव पास करना है, प्रस्ताव पास हो जायगा····

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमारे सहयोग की आवश्यकता है, हम सहयोग दे देंगे, आपका बहुमत है। लेकिन मैं बात कहूंगा, यह मन की भावना है कि आप कम से कम पंचायतों के चुनाव करवायें, नहीं तो पंचायती राज के झगड़े को खत्म करें। पंचायती राज नहीं है–यह घोषणा कर दें। चुनाव नहीं हों और पंचायती राज रहे यह कहां की बिडम्बना है। मैं अधिक न कहते हुए इस बिल····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बिल नहीं है अभी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका घोर विरोध करता हूं और संकल्प के माध्यम से चाहता हूं कि इसको निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमान मल लोढ़ा।

श्री चेतराम : आप भी इतना ही टाइम लेना।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, शव यात्रा, शोक समारोह के अन्दर श्रद्धांजलि अर्पित के लिए····

श्री चेतराम : आप हंस रहे हैं श्रद्धांजलि के नाम पर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पंचायती राज की अकाल मृत्यु के ऊपर आपने अवसर दिया है। मैं भी श्रद्धांजलि के दो सुमन यहां अर्पित कर दूं, केवल पंचायती राज के लिए नहीं बल्कि, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के महान प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ··

श्री केदारनाथ : कन्डोलेंस मीटिंग हो रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 1963-64 में मरे, लेकिन पंचायती राज की मृत्यु पर उनकी वास्तविक मृत्यु हुई है, इसलिए हमें कन्डोलेंस पे करना है···

श्री दीपंकर : हल्का शब्द क्यों बोल रहे हैं, कि मरे, स्वर्गवासी तो कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जहां मौत हो गई तो दीपक जलेगा।

श्री दीपंकर : आपका ऐसा समय आयेगा तब भी हम स्वर्गवासी कहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दीपक आपकी छाती पर जलेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरी ऐसी मान्यता है, वास्तव में प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1964 में वैसे पार्थिव रूप के अन्दर शरीर चला गया, लेकिन उनके सिद्धान्त, उनके उसूल, उनको दफनाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। उनकी वास्तविक मृत्यु अब हुई है, आज के राजस्थान के अन्दर। उन्होंने पंचायती राज को लेकर जिन स्वप्नों को साकार करने की कल्पना की थी, उनको आज यहां दफनाया जा रहा है। वास्तविक मृत्यु उनकी आज हो रही है, उनके उसूलों को दफनाया जा रहा है। इसलिए इस शोक सभा में, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ···

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह शोक सभा नहीं है।

श्री दीपंकर : आप भी स्वर्गीय हो गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्वर्गीय पंचायती राज हुआ और उसूल हुए जिनके लिए पंचायती राज बना था। मुझे दया आती है हमारे पंचायत मंत्री पर, दया इसलिए आती है, इन्होंने अपने हाथों से गिरधारी लाल व्यास कमेटी के अन्दर स्पष्ट रूप से इस बात को कहा, अन्तरिम रिपोर्ट के अन्दर दोनों बार कि कोई भी हो, कुछ भी हो····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत होशियार हैं, आज आये नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रिपोर्ट पूरी बनी नहीं, लेकिन जनता का विश्वास पंचायती राज में से हटता जा रहा है, इसलिए अन्तरिम रिपोर्ट के रूप में यह भेज रहे हैं, आप चुनाव करवा दीजिये। मुझे दया इसलिए आती है, बड़ी चतुराई से काम लिया मुख्य मंत्री जी ने, चतुर नहीं होते तो मुख्य मंत्री भी नहीं बनते, उन्होंने यह घोषणा की थी, माननीय हरिदेव जी ने, मैं कम से कम चुनाव की अवधि बढ़वाने के लिए आपके सामने नहीं आऊंगा। अब माननीय मंत्री जी को दयनीय बना दिया, पंचायत मंत्री को बली का बकरा बना कर यहां खड़ा कर दिया···

श्री दीपंकर : बली का बकरा नहीं है। आप जवाब सुनना, तब आपको मालूम होगा, शोक सभा है या और है, आपके सामने नतीजा आ जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी शोक सभा नहीं कह रहा हूं। आप हौसला रखें।

श्री दीपंकर : आप पंचायती राज की व्यवस्था के लिए शोक सभा कह रहे हैं, यह शोक सभा नहीं है। इस पर जो बोलेंगे, उनके लिए कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : इनके माइण्ड का स्क्रू ढीला है।

श्री दीपंकर : मेरा बहुत ढीला है, आप स्क्रू डालें।

Page No 152

(152)

श्री केदारनाथ : इस पर दीपंकर भी बोलेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्क्रू मेरे यहां मिलता है ।

श्री दीपंकर : आपके यहां मिलता है । आप हवा महल में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गोपालजी के रास्ते में खड़े खड़े क्या खा रहे थे ?

श्री दीपंकर : गोपाल जी के रास्ते का आपको मालूम होगा ।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, आगरे में दो सुन्दर स्थान हैं– एक स्मारक है, जो मुमताज महल के प्रेम के कारण से बनाया गया, दूसरा एक ऐसा स्थान है, जहां पर हमारे अतीव बुद्धि के तथा हर समय वैचारिक क्रांति जिनके दिमाग में चलती रहे, ऐसे वैचारिक हैं, विचारोन्मुख और आगे बढ़ने वाले विचारों का जिनमें विरोधाभास है– ऐसे लोग हैं– लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को इस सदन से एक प्रस्ताव पारित करके आगरा के हास्पिटल में भेज दें तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर वैचारिक क्रांति भी आ जायगी । मैं निवेदन कर रहा था, वहां से प्रधान मंत्री बनकर आ जायेंगे । आप चिन्ता मत करिये, आप वहां जायेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जायेंगे और आपकाइलाज होकर भी आप आ जायेंगे....

श्री दीपंकर : आप वहां जाकर आये हैं, आपका इलाज वहां हुआ है ।

श्री गुमानमल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था, आश्चर्य की बात है, दुनियां में सब जगह बदलाव हो गया, देखिये भारतवर्ष में राष्ट्रपति तीन बदले हैं, 1964 से अब तक, उस समय जाकिर हुसैन साहब थे, उनके बाद राष्ट्रपति गिरि आ गये और उनके बाद अब अहमद आ गये । प्रधानमंत्री भी तीन बदल गये, पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गये, स्वर्गीय हो गये, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आये और उनके बाद प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी हैं । हमारे राजस्थान के अंदर भी राज्यपाल तीन पलट गये, उस समय राज्यपाल सम्पूर्णानन्द जी थे, वे चले गये । उनके पश्चात हुकमसिंह आये और फिर जोगेन्द्रसिंह साहब आये । लेकिन हमारे पंच, सरपंच, प्रधान नहीं बदलते हैं । प्रधानमंत्री तो क्या हमारे यहां मुख्यमंत्री भी तीन पलट गये, उस समय सुखाड़ियाजी थे । फिर बरकतुल्ला आये और उनके बाद हरिदेवजी आ गये । मुख्यमंत्री भी तीन पलट गये । और अध्यक्ष भी तीन पलट गये । उस समय रामनिवासजी थे, फिर निरंजननाथजी आये और उनके बाद अब हमारे माननीय रामकिशोर जी व्यास विराजमान हो गये । सदस्य भी बहुत पलट गये, इतना ही नहीं, दुनिया के अन्दर अमरीका में निक्सन चले गये, उससे पहले केनेडी चले गये, जानसन चले गये और अब फोर्ड आ गये रूस के अन्दर भी कई चले गये, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्थान है जहां कोई अमर बकरा बना हुआ है यदि है तो वह राजस्थान में सरपंच, प्रधान आदि हैं । जैसे गोटेवाला होना चाहते हैं वैसा अमर बकरा । दुनियां में कई शासन पलट गये लेकिन हमारे पंच, सरपंच वहीं के वहीं विराजमान हैं । अब कल्पना कीजिए । यदि रिप्रेजन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में है, संविधान में प्रावधान है कि भारत में बहुत अकाल है, युद्ध की स्थिति

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बन गई है, तो चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। खेतसिंह यदि मंत्री नहीं बनते तो उनका अपग्रेडिंग हो जाता, सहदेव जी हैं, रामकिशनजी है जिला प्रमुख, यह व्यक्तिगत बात नहीं है। यह कांग्रेस सरकार के निर्णय के कारण है और राम नारायणजी के द्वारा खुदकशी का कारण है। व्यास कमेटी की रिपोर्ट स्वयं लिखकर स्वयं फाड़ दी। उनके हृदय में शंका होती होगी कि कहां लाकर मुख्य मंत्री ने अपनी चतुराई से एम्बेरेसिंग पोजीशन में डाल दिया लेकिन यदि मान लिया जाये कि विधान सभा और लोक सभा सदस्यों के लिए यही प्रावधान किया जाए तो अमेंडमेंड इन्ट्रोड्यूस किया जाये कि अकाल पड़ता है, 5 साल के बाद और चुनाव स्थगित होंगे तो विश्व के लोग क्या कहेंगे यह डेमोक्रेसी कहां रही ? फिर तो डेमोक्रसी को इतना गाड दिया है कि ऊपर नहीं आ सकती। 1963 से लेकर 1978 तक चुनाव नहीं। 1978 में चुनाव करायेंगे। निठल्लेपन की हद होनी चाहिए। आप बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करवालें, मेजें थपथपवा दें, अपनी खुदकशी पर गाना भी गायेंगे जो सरपंच, पंच हैं गांवों में, खुशीयां मनायेंगे लेकिन हम आखिर क्या करने जा रहे हैं ? क्या यह जनतंत्र की मूलभूत आस्था पर प्रहार नहीं है ? पंचायत मंत्री अब भी इसमें सोचें।

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा सदन में कि मैं विरोधी दल के लोगों से बात करके इस बारे में शीघ्र निर्णय लूंगा। उनके कहने का कोई अर्थ नहीं रहा। हेस्ट में बिल पास करवाकर उसके बाद में सदन में चुनाव की घोषणा करने का क्या अर्थ है ? मैं कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से भी इस कारण निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी जनतंत्र में थोड़ी आस्था रह गई है तो एक बार कम से कम जो हमारा विकल्प है उसको करवायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहर सिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज जन विरोधी अध्यादेश को अस्वीकार करने हेतु जो संकल्प रखा है, मैं उसके पक्ष में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। भारत की आजादी के बाद काफी गंभीर चिंतन के बाद डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन एक्ट बनकर राजस्थान में पंचायती ढांचे का निर्माण हुआ। सारे देश की नजर राजस्थान के इस प्रगतिशील कानून की तरफ लगी हुई थी। लेकिन पंचायती ढांचे के निर्माण के थोड़े वर्ष बाद में ही हम इस ढांचे को बिल्कुल खतम करना चाहते हैं। पंचायतों की अवधि बढ़ाने के लिए तीन कारण बताए गए हैं उनके अन्दर कोई तथ्य नहीं है। एक तरफ कहा गया है कि अकाल से त्रस्त होकर लोग बाहर निकल गए, उसके बाद संसद के चुनाव आने वाले हैं उसके पश्चात विधान सभा के चुनाव आयेंगे, जिनमें राज्य कर्मचारियों की शक्ति और खर्चा लगेगा, ऐसी हालत में पंचायतों के चुनाव नहीं करवा सकते, उनकी अवधि इसलिए बढ़ाई जा रही है। क्या वास्तव में यही कारण हैं जिनसे पंचायतों की अवधि बढ़ाई जा रही है ? मैं समझता हूं कि यह वास्तविकता नहीं है। अकाल का जहां तक मसला है, यह राजस्थान

(श्री मोहरसिंह)

(7.45 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

के कांग्रेसी शासन की मेहरबानी चली आ रही है। यह सरकार का फर्ज होता है कि वोटर्स को बाहर न जाने दिया होता, उसके लिए इंतजाम करना चाहिए, और भी तो करोड़ों रुपये खर्च होते हैं तो उनको रोकने के लिए राहत कार्य खोले जा सकते थे। यह कोई कारण नहीं है जिसके लिए पंचायतों की अवधि बढ़ाई जाए। कारण कुछ और है। मेरी दृष्टि से वह कारण है कि जनता का जिस तरह से प्रबल विरोध कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, सभापति महोदय, इस प्रबल विरोध के भी कुछ कारण है। जनता का सरकार के मुकाबले में विरोध बढ़ता जाता है और सरकार ताकत के साथ उस विरोध को दबाना चाहती है। ऑटोक्रेसी बढ़ रही है उसका ही एक नतीजा पंचायत चुनाव न कराना है। क्योंकि जनता का प्रबल विरोध बढ़ता जा रहा है उसका कारण है कांग्रेस सरकार की गलत नीतियां। बराबर 26 वर्ष से जो नीतियां देश में पनपती जा रही है वे पूंजीवाद की पोषक हैं, गरीबों की विरोधी हैं।

हमें बताया जा रहा है कि राजस्थान में इस प्रकार का प्रोग्रेसिव कानून बना रहे हैं, आगे कुछ करने जा रहे हैं लेकिन पीछे का जो इतिहास है, वह इस बात का द्योतक है कि सारे देश में जिस तरह से पूंजीवाद बढ़ रहा है, हमारे भी वेस्टेड इन्टरेस्ट्स को बढ़ाने की नीति रही है, उसके परिणामस्वरूप ज्यादा से ज्यादा भुखमरी फैली है, बेरोजगारी फैली है, महंगाई फैली है, किसान भी दुखी, मजदूर की भी यही हालत है, कर्मचारी के पास 20 तारीख के बाद पैसा खतम हो जाता है। इस कारण जनता के अन्दर आक्रोश है, हमारी गलत नीतियों, वेस्टेड इन्टरेस्ट्स की वजह से देश में इकानामिक क्राइसिज आई हुई है जनता की समस्यायें बढ़ी हैं। जन आक्रोश दबाने के लिए सरकार की नीतियां बिल्कुल फासिस्ट बनती जा रही हैं। खाली पंचायती चुनावों में ही नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक जो पार्लियामेंटरी सिस्टम है उसके अन्दर फासिज्म आ रहा है। अध्यादेशों द्वारा राज चलाना, 6–6 महीने तक विधान सभा न बुलाया जाना, इस बात का द्योतक है कि हम फासिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह हमारा जो रास्ता है वह गलती की तरफ है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट जो हमने बनाया था, वही उसका सबसे पहला शिकार होता जा रहा है। इस प्रकार हम पंचायती राज को खत्म करने पर तुले हुए हैं। पंचायती राज में जिसके चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं, सबसे पहला बुनियादी सवाल रखा था कि तीन वर्ष बाद में सरपंच को बदलेंगे, चुनाव करके अधिकार देंगे, जिसको जनता नहीं चाहेगी उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन यह बुनियादी चीज है। हमारा अधिकार था वह भी छीना जा रहा है। इससे भी सन्तोष नहीं किया और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में पंचायती राज के ढांचे की कब्र खोदी जा रही है। यह बड़ा मजाक डेमोक्रेसी के साथ किया जा रहा है। जनता की छाती पर जम करके पंच और सरपंच बैठे हुए हैं, अहंकार की प्रवृत्ति में लिप्त होकर जनता पर निरंकुशवादी तरीके से उनकी छाती पर जमे बैठे हैं। मुख्य मंत्रीजी

(श्री मोहरसिंह)

के पास शिकायतें आयीं हैं। गबन किये हैं लोगों ने। कुए खोदने के लिये गये पैसे में गबन किया, तकावी में गबन किया। जनता का पैसा खा गया। गबन और स्वच्छन्दता की शिकायतें हैं, फूट डालने और जनता को लड़ाने की उनकी शिकायतें हैं। ये पंच और सरपंच जनता की छाती पर जमे बैठे हैं। राजाओं के जमाने की वही निरंकुश प्रवृत्ति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस अध्यादेश को मैं जन विरोधी मानता हूं। जनता के हकूकों पर कुठाराघात मानता हूं। फासिज्म के रास्ते पर देश को मोड़ने का एक कदम मानते हुए, मैं इसको जन विरोधी कदम मानता हूं और जो संकल्प रखा गया है उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, मैं गुजारिश करूंगा, वह यह है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह कमिट किया था हाउस में कि एक्स्टेन्सन नहीं दूंगा। आज इस बिल को पास न किया जाय। इसको यहीं पर छोड़ कर उनको हाउस के अन्दर जबाब देना चाहिये कि वे इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेसी का इस प्रकार से हनन हो रहा है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री सभापति : मंत्रीजी को सुनिये, आप कह चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी से जो कुछ कहलवाना चाहते हैं वह कहें। मैं यह समझता हूं कि उनकी यह जिम्मेदारी है, जिस चीफ मिनिस्टर ने यह वादा किया था वह आज भी मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि मैं यहां नहीं आऊंगा यदि चुनाव नहीं कराये तो फिर वे किस हैसियत से आना चाहते हैं ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सभापति : जो कहना था वह आपने कह दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, वे कहां हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप प्रजातन्त्र की बात करते हैं।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम मुख्य मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(7.55 सांय)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : हम जाते हैं।

श्री खेतसिंह : आप जाइये ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम सुनना नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नेताओं से बात करके चुनाव की घोषणा करने के लिये कहा था मुख्य मंत्रीजी ने यहां सदन में यह भी कहा था कि मैं इस सदन में नहीं आऊंगा""

श्री दीपंकर : मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा था ।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह ऐसा मसला है कि मुख्य मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी जब वे पंचायत मंत्री थे । वे आज भी इस सरकार के हैड हैं । रामनारायण जी जो इस बिल को पायलेट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर से, उनकी कार्यक्षमता से, हम प्रभावित हैं । लेकिन जिस प्रकार से इस बिल को पास कराया जा रहा है वह डेमोक्रेटिक तरीके का नहीं है जनतन्त्र के प्रतिकूल है, जनतन्त्र विरोधी है और डेमोक्रेसी का मर्डर ही नहीं कर रहे हैं, मैं यह कहूंगा कि डेमोक्रेसी को बुचर कर रहे हैं । टाइलिंग मासेज के खिलाफ है अतः हम इसके विरोध स्वरूप वाक-आउट करते हैं ।

(समाजवादी व भाकपा के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री गुमानमल लोढ़ा : गिरधारीलाल व्यास कमेटी में रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट से मुकर करके उसके पीछे जाना चाहते हैं, वे स्वयं कमिटेड हैं, मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी । सदन में आये नहीं और सदन को फेस करने का साहस नहीं है यह जनतंत्र का खून किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्यों नहीं आते यहां सदन में मुख्य मन्त्रीजी ? क्यों नहीं कहते कि मैंने कहा था ? लेकिन मैं नहीं चाहता । फेस करने की ताकत नहीं ।

(व्यवधान)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप भी बैठिये । आप भी बैठिये । मैं आपको मौका दूंगा । मैं, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हाउस के डेकोरम का खयाल रखें । मैंने जनसंघ के माननीय नेता महोदय को बोलने का अवसर दिया था । प्रजातन्त्र में विश्वास है तो सदन में डेकोरम का खयाल रखना पड़ेगा; दूसरों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए ।

श्री खेतसिंह : दिन भर उनको सुनते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जो बात कही जा रही है उसके लिये उनको मौका दिया जाना चाहिये । सदन में व्यवस्था कायम रखने के लिये सहयोग दें ।

श्री दीपंकर : उनके""

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : उनका स्क्रू ढीला है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जब वे पंचायत मन्त्रीजी थे, मुख्य मन्त्रीजी के नाते भी दो दिन पहले यह कहा था कि विरोधी पक्ष के लोगों से बात करके पंचायतों के विषय में निर्णय लूंगा । यह जो उनकी घोषणा थी, आज इस बिल को पारित करवाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी घोषणा को नकारते हैं । बिल के पारित होने पर कोई महत्व नहीं । या तो मुख्य मन्त्रीजी यहां पर आते, आये नहीं तो आज इसको पोस्टपोन करना चाहिये था और मन्त्री महोदय, हठ करते हैं और इसको आज ही पारित करवाना चाहते हैं, पोस्टपोन करना नहीं चाहते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो कहा था विरोधी पक्ष को केवल भुलावे में डालना था और केवल समय टालना था, वह टालु मिक्सचर देकर सदन को गुमराह किया है, जनता को गुमराह किया है ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था । सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक्सटेंशन आफ टर्म पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन्स, उसमें स्पष्ट है :

"Not with standing any thing contained in the relevant law, the term of a Panchayat, Panchayat Samiti and a Zila Parishad, as constituted under that law and as existing immediately before the commencement of this act, shall extend and shall be deemed to have been extended to 31st day of December, 1977 or to such earlier date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint."

तो जैसा कि माननीय सदस्य जोधपुर से आने वाले निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उनसे कहा था कि वे प्रतिपक्ष के सदस्यों से बातचीत करेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष जी यह चुनाव 1977 तक बढ़ाने का इसमें राज्य सरकार को अधिकार है लेकिन 1977 से पहले भी चुनाव कराये जा सकते हैं । तो माननीय नेता महोदय, जो जनसंघ के हैं वह कह रहे थे कि मुख्य मन्त्रीजी ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया तो यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार पहले भी यह चुनाव करा सकती है और उस पर किसी तरह की रोक नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसी स्थिति है तो यह जो आर्डिनेन्स के रूप में लेकर आये हैं जैसा कि दो दिन पहले माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था और अभी कोई आर्डिनेन्स लैप्स होता नहीं है और आपको कोई जल्दी भी नहीं है । यह आर्डिनेन्स कायम रहेगा और तब तक एक दो दिन में मुख्य मन्त्री जी आ जायेंगे और बातचीत हो जायेगी और उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो हम इस आर्डिनेन्स को एक्ट के रूप में पारित करवा लेंगे । हम आपसे इतना सा कोआपरेशन चाहते हैं ।.....

श्री खेतसिंह : एक भी उदाहरण दो जहां आपने हमको कोआपरेट किया हो ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके सारे लेजिस्लेशन का हमने स्वागत किया है। राजाओं की भूमि अवाप्ति का स्वागत किया है, सीलिंग कानून का स्वागत किया है।

श्री खेतसिंह : वह तो हमारा बहुमत था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने को-आपरेशन किया है तो आप एक और बात बताओ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय का भाषण केवल औपचारिकता को निभाने के लिए है और उसी के नाते हम उनका भाषण यहां पर सुनें इसमें हम किसी प्रकार का तथ्य नहीं समझते। हमारा निश्चित मत है कि राजस्थान की कांग्रेस निश्चित रूप से पंचायती राज्य और प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहती है और जनतन्त्रीय पद्धत्ति को फेल करना चाहते हैं और मुख्य मन्त्रीजी अपनी बात से मुकर गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप विधान सभा भंग करने की बात कहते हैं तो उस समय आप प्रजातांत्रिक तरीके को भूल जाते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं स्पष्ट रूप से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह औपचारिक भाषण सुनने का हममें किसी प्रकार का धीरज नहीं रह गया है। आज हमारे जाने के बाद कांग्रेस की शोक-सभा हो रही है और अन्त्येष्टी क्रिया हो रही है और सरकार का किसी प्रकार से जनाजा निकल रहा है तो हम यहां से वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री दीपंकर : यह जनाजा जनसंघ का निकल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय,

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी भार्गव, श्री रामकिशन आदि ने सदन के सामने यह संकल्प प्रस्तुत किया है :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 3 1975) को अस्वीकार करता है।"

इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों ने जो शंकायें व्यक्त की हैं उनके बारे में, मैं अपने विचार आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो हमारा विधेयक है, अध्यादेश है उसको उन्होंने पढ़ने की चेष्टा नहीं की है। इसमें सेक्शन 2 में लिखा है :

2. पंचायती राज संस्थाओं की अवधि बढ़ाना : सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस विधि के अधीन यथा गठित तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व यथा विद्यमान किसी पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की अवधि 31 दिसम्बर, 1977 तक या ऐसी किसी पूर्ववर्ती तारीख तक, जैसा राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत

(श्री रामनारायण चौधरी)

करें, बढ़ाई जावेगी और बढ़ाई गई समझी जायेगी।

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो 1977 से पहले भी यदि परिस्थितियां अनुकूल हों करवाने की स्थिति में हो तो चुनाव पहले भी कराये जा सकते हैं। मान्यवर, प्रतिवर्ष आर्डिनेन्सेज लाये जायें, अमेण्डमेंट्स लाये जायें इसके बजाय उचित समझा गया कि हालात को देखते हुए, जो परिस्थितियां हमारे सामने और देश के सामने हैं उन परिस्थितियों को मद्दे-नजर रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था हो जाये ताकि रोजाना संशोधन न लाने पड़े इसलिए जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि इस वर्ष अकाल की स्थिति के कारण हम इन जनवरी और फरवरी के महीनों के अन्दर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थे। अब मान्यवर जुलाई, अगस्त, और सितम्बर बरसात का मौसम आने के कारण हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं रह सकते हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। राजस्थान का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है कि बरसात के दिनों में एक गांव से दूसरे गांव में नहीं पहुंचा जा सकता है। या तो चुनाव दिसम्बर जनवरी में हो सकते हैं और गर्मियों में मई और जून में तो इस वर्ष अकाल की वजह से नहीं हो सकते और वैसे भी मई और जून ऐसे महीने हैं कि इतनी भयंकर आंधी चलती है कि राजस्थान का आधा हिस्सा बीकानेर और जोधपुर डिवीजन यह दो डिवीजन ऐसे हैं कि जहां पानी तक नहीं मिलता और दूसरे आंधी की वजह से रेलवे तक बन्द हो जाती है इसलिए ये महीने किसी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकते। फिर दिसम्बर या जनवरी में लोक सभा के चुनाव ड्यू हो जाते हैं और उस समय के अन्दर चुनाव होना किसी भी सूरत में सम्भव नहीं है। उसके बाद अगला एक वर्ष आता है उसमें विधान सभा के चुनाव सामने आ जाते हैं। इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी यदि राज्य सरकार के सामने अनुकूल परिस्थितियां पैदा हों तो चुनाव पहले भी कराये जा सकते हैं और इसके लिए कहीं भी कोई रुकावट नहीं है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को काले कानून की संज्ञा दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह चले गये हैं लेकिन फिर भी मैं बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जन प्रतिनिधियों की अवधि बढ़ाना और वह भी जन प्रतिनिधि लोग जो विधान सभा में चुनकर आये हैं वह उसके लिए कोई कानून बनायें और उनके द्वारा अवधि बढ़े तो किसी प्रकार से उसे काले कानून की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अंग्रेजों के जमाने का काला कानून का नाम आज भी हमारे मस्तिष्क में गूंज रहा है। वह कहते हुए भूल गए कि इस कानून के बनने में जिस विधान सभा के, जिस संस्था से और जिस बाडी के आप स्वयं सदस्य हैं वह जो कानून बनाती हैं वह किस सूरत में काला कानून हो सकता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा

(श्री उपाध्यक्ष)

दिनांक 18 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश, सं. 3 सन् 1975) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री दीपंकर : बोलूंगा।

श्री खेतसिंह : अब तो कृपा करो।

श्री दीपंकर : दो मिनिट बोलूंगा साहब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो मना नहीं कर सकता।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का समय—....

श्री उपाध्यक्ष : कंसीडरेशन के लिए मूव नहीं किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव

[जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव]

"राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का समय बढ़ाने का यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं और जो परिस्थितियां इस विधेयक को लाने में अंकित की गई हैं वह एक काल्पनिक नहीं है, वह हकीकत को लिये हुए हैं। इसलिए यह लाजिमी बात है कि हमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, हमारे यहां की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए यह समय बढ़ाना पड़ रहा है।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जनमत जानने को प्रचारित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं क्या ?

श्री दीपंकर : जी हां। जनमत जानने के लिए जो प्रसारित करने का मेरा प्रस्ताव था उस पर बोल रहा हूं। तो जो यह मैंने प्रस्ताव किया है कि राजस्थान में आपत्ति नहीं है, बहुत से गांव खाली हो चुके हैं, न वहां मिनख रहे हैं न पशु रहे हैं, गांव के

(श्री दीपंकर)

गांव, ढाणी की ढाणी खाली हो चुकी हैं ऐसी स्थिति में अगर चुनाव कराये जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग थे जो गांवों के अन्दर अशक्त अवस्था में पड़े हैं उनको ही मत देने का अधिकार होता और जो सशक्त व्यक्ति हैं जिनको मत देने का अधिकार मिला हुआ है वे अपने मत का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में यह चुनाव कराने के लिए समय बढ़ाने का जो बिल रखा गया है वह एक उचित कदम है। इसलिए मैं और अधिक कुछ नहीं कहता हुआ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां कहा जा रहा है कि पंचों और सरपंचों का समय काफी हो चुका है परन्तु पंच और सरपंच यह मानें कि ऐसे समय वे चुने गये ऐसे समय में खूंटी रोपी गई, ऐसा समय मिला कि अब वह हट नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह सही है कि बहुतों का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो पंचायतें काम कर रही हैं उन पंचायतों में सारे के सारे व्यक्ति खराब ही काम कर रहे हों ऐसी बात नहीं है। सरपंच नहीं उप-सरपंच काम कर रहे हैं, पंचायतें काम कर रहीं हैं। सरकार ने जरूर इसमें पंचायतों से हाथ खींचा है। जो अधिकार पंचायतों को थे, जो अधिकार जो फण्ड उनको दिये जाते थे, जो फण्ड पंचायतों की मार्फत उनके डवलपमेंट के लिए मिलते थे, जो पंचायत समितियों को एक्सटेन्शन आफिसर मिलते थे वह उनसे विथड्रा कर लिए हैं। यह सरकार का कदम सराहनीय नहीं माना जा सकता है। आप यह जरूर कहते हैं कि नागौर में पण्डितजी ने जो ज्योति जलाई थी और यह पंचायती राज शुरू किया था और जिसकी ज्योत आज भी जल रही है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है वह रिपोर्ट दूसरे प्रान्तों में जिस तरह से पंचायती राज का विकास हुआ है, वहां के प्रान्तों के कार्य को देख कर कह सकते हैं कि हमने यहां जो कार्य प्रारम्भ किया उससे हम पिछड़ गए हैं। इसलिये जरूरी है कि हम अधिकार ज्यादा दें, हम एक्सटेन्शन आफिसर दें, जन प्रतिनिधियों को चुने हुए लोगों की शक्ति पर ज्यादा विश्वास करें और इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय पंचायत परिषद् की तरफ से इस साल 75 के अन्दर ही पंचायती राज का स्वर्णिम समय मनाने का अवसर निर्धारित किया गया है। तो राजस्थान में इसी विधान सभा के सत्र में हम सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों का सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, इस वक्त में जिनको भी शंका होगी कि दरअसल लोगों की इसमें रुचि है या अरुचि है या पंचायती राज से विश्वास उठ गया है या उनकी आस्था बढ़ी है, विश्वास है या नहीं यह साबित कर सकेगा। आशा है राज्य सरकार भी इसमें पूर्ण सहयोग करेगी और भारत सरकार ने भी तेरह हजार रुपया इस सम्मेलन को करने के लिए स्वीकृत किये हैं। मैं समझता हूं कि हम इसके द्वारा यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे पंचायती राज की नींव ज्यादा गहरी हो। मैं राज्य सरकार को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों को अधिकार दें, फण्ड दें और पंचायतों के जरिये ज्यादा से ज्यादा लोक हितकारी कार्य कराने की

(श्री दीपंकर)

चेष्टा करें। यह नहीं कहना चाहिये कि पंचायती राज प्रणाली में विश्वास उठ गया है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भाबरमल सूंडा।

श्री भाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी सारा सदन जाने को उतावला हो रहा है तो ऐसे समय जब कि न वे सुनने के मूड में हैं और न हमारा ही बोलने का विशेष मन है। लेकिन एक दो मिनट में, मैं अपनी बात कह देना चाहता हूं। यह ऐसा एक विषय है दरअसल जिसमें सबको अफसोस है परन्तु जो ट्रेजरी बैंचेज में बैठने वाले समय बढ़ाने का बारबार प्रस्ताव करते हैं तो वह सुप्रीम है। इन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि इतने अर्से तक पंचायतें बरकरार रहने से जो सामान्य जन जीवन है उनकी धारणा इन लोगों के प्रति क्या है। और वैसे भी मान्यवर, यह अपरेंट बहुमत है, यह रियल बहुमत नहीं है, क्योंकि जो जनता के वोट मिले हैं वह 50 प्रतिशत से कम है और उधर बहुत कम आदमी हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह दलील तो बहुत पुरानी हो गई सूंडा साहब।

श्री भाबरमल सूंडा : यह कोई वास्तव में बहुमत के आधार पर राज्य करने वाले नहीं हैं। आज जो पंचायतों का समय बढ़ाने की बात, चुनाव न करा कर समय बढाने की जो बात की जाती है वह वास्तव में गले उतरती नहीं है। उन्होंने नगरपालिकाओं के चुनाव कराये। जो छोटी नगरपालिकायें थीं मान्यवर, उनके चुनाव करा दिये लेकिन बड़ों का पता नहीं और बड़ी नगरपालिकाओं के चुनाव भी जब जरूरत समझेंगे अपनी सहूलियत के अनुसार करा देंगे। इन जिलों में भी चुनाव करा सकते थे जहां पर अकाल नहीं है। अलवर हमारा सरप्लस जिला है। इसी तरह से भरतपुर में भी ऐसी ही स्थिति है। चाहे कोटा को ले लें। अगर एक एक जिले के अन्दर चुनाव करवाते तो मेरे खयाल से सम्पूर्ण राज्य में एक एक बार सब जगह चुनाव हो गये होते और यह जो आक्रोश है राजस्थान के वह नहीं होता। आज हालत यह है कि चुने हुए प्रधानों में से पचास प्रतिशत स्थानों पर चुने हुए प्रधान नहीं है। कोई एम. एल. ए. बन गए, कोई मर गए, किसी को हटा दिया। इस तरह से पचास प्रतिशत पदों पर भी चुने हुए प्रधान नहीं हैं। ऐसी ही हालत सरपंचों की है और पंचायतों में जो स्थान पचास प्रतिशत रिक्त हो गए वह ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। हालत यह है कि चुने हुए सरपंचों में से भी कोई पचास प्रतिशत भी नहीं है। इन हालतों में जब पंचायतों को एकदम डिफीट कर दें और सरकार न यह कहने की स्थिति में है कि हम पंचायती राज में विश्वास नहीं करते और न यह कहने की स्थिति में है कि हम पंचायती राज जारी रखना चाहते हैं।

15 साल का समय आपने बढ़ा दिया। मगर दुनियां के किसी भी इतिहास में इतना लम्बा समय किसी इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव बोडी को मिला हो तो मैं मानने को तैयार हूं कि इस राजस्थान सरकार का डेमोक्रेसी में विश्वास है⋯⋯

श्री रामनारायण चौधरी : यू० पी० में 16 साल हो गये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उत्तर प्रदेश में 15 साल हो गये हैं चुनाव हुए ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी जानकारी के लिए नोट कर लें कि वह भारतवर्ष का सबसे बड़ा इलाका है ।

श्री झाबरमल सूरद्धा : मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि पंचायती राज की हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं जैसा कि दीपंकर जी कह रहे थे तो आप 25 साल का समय बढ़ा दें । आप एकाध एमेंडमेंट और ले आयें जिससे उनका काम ढंग से चले । सबसे पहले तो आर० ए० एस० आफिसर को पंचायत समितियों में रखा बी० डी० ओ० विथड्रा कर लिया तो विथड्रा करते ही उनके स्टेटस में फर्क आया । यह तो एक चीज आप फिर कर दे कि आर० ए० एस० आफिसर्स को दुबारा बी० डी० ओ० बनायें । आज जो तीन-चौथाई से सरपंच को हटाने का विधान है उसको आप बहुमत से वोट करा दें । फिर गांव वाले अपने हिसाब से चुनाव कराते रहेंगे और आपको प्रेस नहीं करेंगे कि आप चुनाव करायें । यह एमेंडमेंट्स ले आयें कि साधारण बहुमत से सरपंच हो सकता है, और पंचायत समितियों का स्टेटस बढ़ाने के लिए हम आर० ए० एस० को डेप्यूट करना चाहते हैं ।

मै, माननीय उपाध्यक्ष, से निवेदन करूंगा कि यह ऐसा विषय है कि कोआपरेटिव में 6 साल से अधिक नहीं रह सकता है । आज ऐसी कई फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनमें एक आदमी को अनुभव हो जाय तो उसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार नहीं चाहती है कि वह टिके और इस बात के लिए प्रयत्नशील रहती है कि चुनाव हों । एक तरफ तो इसमें आपने अपनी रिपोर्ट के अन्दर जाहिर किया है कि हम विलेज लीडरशिप को, रूरल लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कोआपरेटिव में जो लोग बैठे है उनको 6 साल से ज्यादा नहीं टिकने देना चाहते हैं । मेरा निश्चित मत है कि गांव के लोगों में फूट पैदा करने के लिए कि वह लड़े और उनका काम चलता रहे, लोग ग्रुपों में डिवाइड हो जायं डिवाइड भी पार्टी के हिसाब से नहीं लेकिन एक ही पार्टी में एक ग्रुप खेतसिंहजी के साथ है और दूसरा ग्रुप परसरामजी के साथ है इस तरह से करते हैं । इनका इतना ही मकसद है कि उनको लड़ाकर दोनों ग्रुपों को अपने हाथ में रखे और कभी 150 की की संख्या में और कभी 200 की संख्या में लोग उनके पास आते रहे । अगर फूट पैदा करने का मकसद नहीं था और पंचायतों को लीडरशिप देने का था तो चुनाव की अवधि जो बढ़ाई जा रही है वह न बढ़ाकर चुनाव उससे पहले ही कर दिये जाते । पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी यदि इन्दिराजी थोप दें तो यह कह सकते हैं कि चाहे अकाल हो इन्दिराजी के भय की वजह से चुनाव होंगे । सम्भावना हम लोगों को ऐसी लगती है कि 3 साल की मियाद बढ़ सकती है । यह बात कहना सही नहीं है कि अकाल उनके दिमाग में है अकाल हो दिमाग में नहीं है बहुत सी बातें है । इस बात से यह साफ जाहिर है कि यह रूरल लीडरशिप को आगे नहीं देना चाहते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति वालों को भी साथ में ले लूं ।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रघुनाथ विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

["राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।"]

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975, जो सदन के सामने रखा गया है। मैं यह चाहती हूं कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। पंचायती राज संस्थाओं की अवधि बढ़ाना वास्तव में युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाएं कायम की गई थी वह उद्देश्य आज धूमिल हो गया है।

एक तरह से हम यह कहें कि स्वस्थ प्रजातन्त्र के लिए चुनाव की प्रक्रिया और क्रम उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर के लिए रक्त-प्रवाह आवश्यक है। यदि किसी एक विशेष अंग में हम रक्त का प्रवाह रोक दें तो वह अंग निर्जीव हो जायेगा इसमें से दुर्गन्ध आने लगेगी। वही स्थिति आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं की है। इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से उनमें निष्क्रियता पैदा हो गई है। तो, मान्यवर, मैं यह कहना चाहती थी कि ऐसी स्थिति में पंचायतों के चुनावों को अकाल के आधार पर टालना एक तरह से युक्तिसंगत नहीं हो सकता अकाल तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। हर तीन वर्ष में दो वर्ष अकाल के होते हैं हम ऐसी स्थिति में अकाल का आधार मान करके इसको कब तक रोकते रहेंगे? इससे हम जनमत की अवहेलना कर रहे हैं, या मतदाताओं का तिरस्कार कर रहे हैं, उनकी मजाक कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से चुनाव नहीं कराये जा सकते लेकिन कम से कम इन सड़ी-गली संस्थाओं में जिनमें दुर्गन्ध आ रही थी उनको कम से कम समाप्त किया जा सकता था। उनके लिए प्रशासक नियुक्त किये जा सकते थे जैसे कि नगरपालिका के सम्बन्ध में किये थे। इन संस्थाओं का आफिस बहुत छोटा है। आज तो उनका आफिस जेब में होता है। सील जेब में रहती है और उस सील के द्वारा वह चहुंमुखी विकास का कार्यक्रम न होकर चारमुखी स्वार्थ का कार्यक्रम होता है वह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पंचायतों के बहुत से रिक्त स्थान हैं, प्रधान बहुत से मर गये हैं, सरपंच बहुत से मर गये है, जिला प्रमुख मर गये हैं, और किन्हीं ने यह स्थान किसी विशेष परिस्थितिया में छोड़ दिया है। उस रिक्त स्थानों पर वह व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनको जनता ने इस पद के लिये नहीं चुना था हमने उनको जबरदस्ती थोप रखा है तो क्या यह जनता के प्रति अन्याय नहीं है। पंचायती राज का उद्देश्य राजनैतिक चेतन जागृति करना था, परन्तु राजनैतिक चेतन जागृति करने के बनिस्पत हमने राजनैतिक आक्रोश जागृत कर दिया है जैसे कि नागरिक क्षेत्रों में युवा कांग्रेस देखने को मिलता

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा हैं। ग्रामीण युवक भी कुछ करना चाहते हैं उनकी भी कुछ आकांक्षायें होती हैं। चुनाव न होने से है। उनकी प्रवृतियों को चेनेलाइज करने का अगर कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो यह विस्फोट हो कर सारे के सारे कार्य को, हमारी व्यवस्था को विध्वंस कर सकती है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से पुरजोर प्रार्थना है, अत्यन्त विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि आज यदि हम ऐसा समय लें, जब कि खलिहानों में फसल आजाती है अप्रेल के बाद, ऐसी स्थिति में जब अकाल की विभीषिका थोड़ी कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में यदि हम किन्हीं विशेष स्थानों प्रर भी चुनाव की प्रक्रिया को अपनायें, जहां सरप्लस एरिया है, जहां अकाल की विभीषिका इतनी ज्यादा नहीं है, तो, मान्यवर, यह एक युक्तिसंगत कदम होगा।

इसलिए अधिकतर नहीं कहकर अन्त में यह कहना चाहती हूं कि ये प्रजातन्त्र की सड़ो-गली संस्थाएं है उनको चुनाव के माध्यम से पुर्नजीवन दे सकने में, और मंत्री महोदय जो है इसके बारे में सजग रहेंगे। यद्यपि इस बिल को पास कर देंगे, लेकिन यह देखें कि हमारी जो भावनाएं हैं क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि है और जन-भावना और जन-आक्रोश को व्यक्त करने का हमारा कर्त्तव्य है, और ऐसी स्थिति में मैं यही प्रार्थना करूंगी कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री रामनारायण चौधरी : जोर शोर से बोलिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इसके बारे में मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो इस बिल के साथ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स प्रसारित किये गये हैं, उनमें प्रकाश डाला गया है। जिनमें कारणों को बताने का प्रयास किया गया है। मन्त्री महोदय ने भी उन पर प्रकाश डाला है, मैं उनमें न जाकर जो सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है वह यह है कि राजस्थान सरकार को प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सिद्धान्त बुनियादी सिद्धान्त हैं। उनके अन्दर प्रजातन्त्र का सिद्धांत एक मूल सिद्धांत है। हमने इस सिद्धांत को हमेशा माना है और मानते रहेंगे। हमारा यह निश्चित मत है, और दृढ़ मत है। खास तौर से यह आरोप लगाया है। जनसंघ के नेता महोदय ने उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया हैं। चूंकि वह इस समय यहां पर मौजूद नहीं है। पर बोलने की आवश्यकता यह है कि उन्होंने जो आरोप रिकार्ड में कांग्रेस पर लगाये हैं, वह बिना उत्तर के न रह जाये। बिना उत्तर के न चले जायें। खासतौर से ऐसे लोग, ऐसे दल की तरफ से, जिनके आसपास अभी थोड़े समय पूर्व, उनके जो कार्य है, उनकी जो नीतियों है, उनसे साफतौर से यह जाहिर होता है कि उनका विश्वास जनतन्त्र में नहीं है। वह इस प्रकार के आरोप लगायें तो यह मेरी समझ में नहीं आता हैं। गुजरात विधान सभा में क्या हुआ ? जनता के द्वारा जो लोग चुने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जाकर चुनाव में जीत कर आये थे, उस विधान सभा को वह भंग कराते हैं जिन्होंने हिंसा के द्वारा इस प्रकार के कार्य किये हैं। ऐसे लोग प्रजातन्त्र की बात करें तो उनकी बुद्धि पर हंसी आती है और तरस खाने के सिवा और कुछ नहीं आता है। दूसरी बात बिहार के अन्दर आन्दोलन चलाकर, मांग करें कि विधान सभा को भंग किया जाये। अपने साथियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने इस्तीफे नहीं दिये हैं। 71-72 के चुनाव में आप हार चुके हैं। यहां होते तो जवाब देते, लेकिन चले गये हैं। ऐसे लोगों द्वारा यह आरोप लगाना कि कांग्रेस का जनतन्त्र में विश्वास नहीं है। जहां तक उनका कहना चुनावों के लिए है तो अगर ऐसा होता तो अभी 6 महीने पहले ही नगरपालिका के चुनाव कराये हैं। एक दो स्थानों को छोड़कर उनको कहीं बहुमत नहीं मिला है। शहरों में अकाल नहीं रहा हैं। शहरों में हम चुनाव कराने जा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी। वह निकट भविष्य में ही म्युनिसपैलटी के चुनाव कराने जा रहे हैं। शहरों और देहातों की परिस्थितियां भिन्न हैं। वहां से हजारों आदमी माईग्रेट होकर चले गये हैं, उनके लिए रोजगार की समस्या है। पानी की समस्या है। खासतौर से डेजर्ट इलाके के लोग हैं, वह गांवों को छोड़कर चले गये हैं। उनके अन्न की समस्या के लिए आप मांग क्यों नहीं लाये। उनके रोजगार के लिए कोई मांग लेकर क्यों नहीं आये। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कठिनाइयों से यह राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इस कारण से बात कर रहे हैं। यह तो उन्होंने कहा नहीं कि चुनावों को छोड़ो, पहले उनके खाने की व्यवस्था करो उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था करो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये। यह तो उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन एक करोड़ रुपया चुनाव पर फूंक दिया जाये जिससे उनकी गोटी लाल हो जाये। उनकी गोटी पक जाय। इस किस्म की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है। फसलें कटने लगी है। होली के बाद अप्रेल तक सत्र चलेगा। बरसात के दिनों में बरसात हो जाने से रास्ते भी खराब हो जाते हैं। आखिर चुनाव करायेंगे कब ? उनका कहना है कि प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। यहां जनाजा निकाला गया है। मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। जिन परिस्थितियों में यह आर्डिनेंस निकाला गया है, जिन परिस्थितियों में यह आर्डिनेंस लाया गया है वह ऐसी परिस्थितियों में लाना जरुरी था। अतः राज्य सरकार जो बिल लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : लूणाराम जी का भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीरघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह राठौर (अनुपस्थित)

श्री केसरीमल (अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह (अनुपस्थित)

यही नाम हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : लूणाराम जी का भी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पंचायतों के चुनावों की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में विधेयक लाया गया है, इसको जनमत जानने हेतु मेरा प्रस्ताव है। श्री उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के संचालकों में पंचायतों के प्रति उतनी ही श्रद्धा है। यह जनता और समाज दोनों से छिपी अब नहीं है। पर इसके प्रति लोगों में आज भी उतनी ही श्रद्धा है। आज सरकार के लिए भी पंचायत राज कितना आवश्यक है, यह भी अब सरकार की नीतियों के कारण छुपा हुआ नहीं है। आज पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जनमत जाग्रत हुआ है।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं। जनतन्त्र में हर सरकारी नीति की प्रतिक्रिया होती है। आज कहा जाता है कि अवधि बढ़ाने से पंचायती राज फेल हो जायेगा। आज जो यह कहा जा रहा है कि अवधि बढ़ाने का कारण उचित है या नहीं ? इन बातों में कतई सचाई नहीं है कि अवधि बढ़ाने से पंचायती राज्य गिर जायेगा मैं उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि सरकार ने चुनाव नहीं करवाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। पर गांवों में जाकर देखें तो पता चलेगा कि कितने मतदाता गांव छोड़कर अकाल में चले गये हैं। आखिर वह बिन मतदाताओं के द्वारा चुनाव करवाना चाहते है। वह गांव में है भी या नहीं। वहां जाकर देखें तो पता चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात सही नहीं है कि सरकार मियाद ज्यादा बढ़ा रही है, इस कारण पंचायती राज फेल हो रहा है। पंचायती राज फेल होने के कई कारण हैं, जिनका वर्णन न करते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि जो अधिकार उस समय 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज को सौंप दिये गये, उसके बाद पंचायती राज को ज्यादा अधिकार दिये हैं या उन्हीं अधिकारों का केन्द्रीकरण किया है यह देखें तो इससे जाहिर हो जायगा कि आज पंचायती राज के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है और किस कारण से पंचायती राज फेल हो रहा है। हां उनमें से एकीकारण अवधि बढ़ाने का भी हो सकता है।

मैं अधिक न कहते हुए चुनाव के संबंध में निवेदन करूंगा कि यह जो अवधि बढ़ाने का सवाल है, इसके साथ साथ यह देखें कि पंचायतों का कार्य रुके नहीं। वैसे इसके लिए सरकार ने एक सरक्यूलर निकाला था कि जो सरपंचों, उप सरपंच के पद रिक्त हों वहां उनमें से एक का चुनाव करा लिये जायं, वही स्थिति पंचायत समिति और जिला परिषदों की है। पर ऐसी मिसालें भी हैं जहां दो तिहाई पंच भी पंचायतों में नहीं रहे हैं, जिसके कारण से वैधानिक तरह से कार्य रुक जाता है। उदाहरण के रूप में भूमि विक्रय सदस्य का काम है वह दो तिहाई मत तक बिना नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से कई कार्यों में कोरम का मामला उपस्थित हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता से सीधे चुने हुए पंचों का चुनाव नहीं कराने का सवाल है, वास्तव में उनके चुनाव नहीं कराये जाते हैं लेकिन जहां इस प्रकार की

(श्री लूणाराम)

परिस्थिति पैदा हो गई, है, सरकार इसके लिए आर्डिनेन्स लाकर ऐसी व्यवस्था करे कि या तो एक दो पंच हैं उनके द्वारा किया हुआ काम सही माना जाय या फिर पंचों की पूर्ति की जाय। यही निवेदन करते हुए जो आप यह बिल लाये हैं इसका मैं स्वागत करता हूं और जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समर्थन भी कर रहे हैं और वापिस भी ले रहे हैं, दोनों काम साथ कर दिये। मेहरबानी की।

माननीय मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीपंकर, माननीय झाबर मल सूंडा, माननीय श्रीमती निर्मला सिंह, माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह और माननीय श्री लूणाराम जी ने इस राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु या प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए अपने विचार व्यक्त किये हैं। मान्यवर मैंने इससे पूर्व भी जो अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प प्रस्तुत किया था, उसके अन्दर मैंने निवेदन किया था, उसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि लोकतंत्रीय संस्थाओं में चुनाव की जो प्रक्रिया है वह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा लोकतंत्र में जीवन रहता है और लोकतंत्र जीवित रहता है, फलता-फूलता है-इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्रीय तरीके से निर्वाचित संस्थाओं, विधि विधान के द्वारा निर्मित संस्थाओं की विधि विधान के अनुसार ही अवधि बढ़ाई जाती है, तो उस बढ़ी हुई अवधि के बारे में यह कहना कि यह जनतंत्र की हत्या है या यह कहना कि यह कानून नहीं, काला कानून है-मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्यों की इस प्रकार की मनोवृत्तियां क्यों हैं। एक माननीय सदस्या ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, यह संस्थायें इतनी आउट आफ डेट, सड़ी गली हो गई हैं कि इन संस्थाओं की अवधि बढ़ाने के बजाय जिस प्रकार से नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं, उसी प्रकार इनमें प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त किये जायं। प्रशासक की नियुक्ति जनतंत्रीय संस्थाओं के स्वरूप को नष्ट करके प्रशासक के द्वारा प्रशासन चलाया जाना किसी भी सूरत के अन्दर जनतंत्रीय नहीं है, या किसी भी हालत के अन्दर सम्भव है-यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। राजस्थान में 232 पंचायत समितियां है और 26 जिला परिषद हैं और ग्राम पंचायतें हैं इनमें प्रशासक नियुक्त कर दें और प्रशासक के द्वारा पंचायतों को चला सकें-यह नामुमकिन और अव्यावहारिक बात है। यह बात ठीक है कि चुनाव 1965 में हुए थे और चुनाव की अवधि का काफी समय निकल गया, चुनाव नहीं हुए। फिर भी जो स्वरूप है, उनका जो करेक्टर है, जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं वह जनतंत्रीय है, लोकतंत्रीय पद्धति से निर्वाचित उनका गठन है। उस स्वरूप को दर गुजर नहीं कर सकते और फिर राजस्थान विधान सभा के द्वारा उनकी अवधि बढ़ाया जाना पूर्णत: एक जनतंत्रीय पद्धति है, जिसके द्वारा उसकी अवधि का विस्तारण आपके माध्यम से सदन के द्वारा हो रहा है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायती राज संस्थाओं की रजत जयन्ती मनाने का जिक्र किया है कि वह राजस्थान पंचायत परिषद के तत्वावधान में राजस्थान की समस्त ग्रामीण पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं और रजत जयन्ती मना रहे हैं। उनका यह कदम एक सराहनीय और प्रशंसनीय है। सरकार की ओर से उनको पूरा सहयोग दिया जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम भी बोल गये।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आपके माध्यम से जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने या प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने प्रस्तावों को वापिस लें, और वापिस नहीं लेने की स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री परसराम मदेरणा : (श्री झाबर मल सूंडा से) आप पहले नहीं बोल सकते, मूव होने के बाद बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : वह नींद भगाने के लिए बोल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 के खण्ड 2 लगायत 3 को स्वीकृत किया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी: मय स्पष्टीकरण। खण्ड 2 लगायत 3 मय स्पष्टीकरण।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 इन्क्लूड्स, मीन्स एण्ड इन्क्लूड्स।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक 1975 के खण्ड 2 व 3 को पारित किया, जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 पारित किये गये।

आप (श्री झाबरमल सूंडा) बोलना चाहते हैं, मैं अवसर दूंगा।

मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 के खण्ड 1 के उपखण्ड (3) में अभिव्यक्ति 1974' के स्थान पर अभिव्यक्ति 1975' प्रतिस्थापित की जाय- के लिए प्रस्ताव करता हूं।

यह 1974 गलती से छप गया है, इसलिए मेरा जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप फर्मा दें।

श्री झाबरमल सूंडा : आप पारित के लिए कहेंगे तब बोलूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह थर्ड रीडिंग के समय में। आप क्लाज पर बोल सकते हैं, क्लाज पर संशोधन है नहीं। पर्टीक्यूलर क्लाज को अपोज करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री झाबरमल सूंडा : पारण के वक्त कहना है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सिद्धान्त की बात कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 का खण्ड 1, अधिनियम का सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना स्वीकृत किया जाय।

(विराम)

श्री रामनारायण चौधरी : संशोधित।

श्री उपाध्यक्ष : मय संशोधन।

प्रश्न यह है, आर्डर प्लीज, राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 के खण्ड 1 के उप खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 का खण्ड 1, मय संशोधन व अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकृत किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, मय संशोधन, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक 1975 को पारित किया जाए।

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पारित नहीं किया जाए, इसके लिए कहना चाहता हूं। वह यह कि भारत में यह समझा गया था कि जब मुसलमान इस देश में आए वे जमकर बैठ गए, अंग्रेज आए जमकर बैठ गए, हिन्दुस्तान के लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि किसी का विरोध करके वापस उनको धकेल दें और स्वयं का शासन चला दें। यह धारणा पहले बनी हुई थी, आज वही परिस्थिति राजस्थान में है। ये लोग सोचते हैं कि हम

(श्री झाबरमल सूंडा)

इतने बड़े बहुमत में हैं और लगातार हमारा शासन चला आ रहा है और अपोजीशन क्षीण है और वह भी दुर्बलतम होती जा रही है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब भारत उठ खड़ा हुआ जिस समय सुभाष बोस ने पेरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी अपनी मिलिटरी खड़ी कर दी आजाद हिंद फौज के नाम से जिससे अंग्रेज हिल गए और अंत में उनको छोड़कर जाना पड़ा, वही परिस्थिति आज पंचायतों में शुरू हो सकती है। पड़ौस का भी प्रभाव पड़ता है। एक शुरूआत हुई कि पैरेलल स्वतन्त्रता दिवस माना जाए, पैरेलल गणतंत्र दिवस मनाया जाए। आप कहेंगे कि मैं जयप्रकाश जी के आन्दोलन से प्रभावित हूं। जब ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जिनमें परिवर्तन आवश्यक होता है। मुझे खतरा है कि यहां भी पैरलल पंचायतें खड़ी हो सकती हैं, केआस हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि यहां केआस फैले इतने लंबे समय से ऐसे प्रधान, ऐसे सरपंच मौजूद हैं जिनके खिलाफ गबन के, भ्रष्टाचार के, बड़े से बड़े आरोप लगे हुए हैं और जिनका चालान हो गया, सुनवाइयां हो रही हैं। आज परिस्थिति यह है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पदाधिकारियों को भी यह सरकार नहीं हटाना चाहती। मेरे सीकर जिले में ऐसे दो तीन सरपंच हैं जिनके खिलाफ 409 के कैसेज मुन्सिफ कोर्ट में चल रहे हैं, उनको सरकार सस्पेन्ड नहीं करती है तो लोगों के दिल में आता है कि सरकार की मन्शा नहीं है कि उस सरपंच को हटाया जाए। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला कि सरपंच और प्रधान प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का ट्रान्सफर करते हैं। कोई महीना खाली नहीं जाता होगा जिसमें प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का ट्रांसफर रोकने के लिए पंचायत मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता हो। यहां से ट्रांसफर आदेश जारी होते हैं, स्टे आर्डर्स इश्यू होते हैं। जब सरकार ने 40 दिन से कम अवधि में 5,40,000 पट्टे वितरित किए आवासीय भूखण्डों के जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग 98–99 प्रतिशत। जो काम पंचायतें 10 साल की अवधि में नहीं कर सकीं, सरकार ने 30 दिन की अवधि में पूरा कर दिया, तो स्वतः ही पंचायतों का औचित्य समाप्त हो गया। जो पंचायतें गरीबों को आवास नहीं दे सकी, तो हम कैसे मान लें कि पंचायतें अपने कार्य में सफल रही हैं ? एक प्रधान को, अध्यापक के ट्रांसफर के लिए सीकर के बाजार में एन्टीकरप्शन के सिपाहियों ने, एस. डी. ओ. ने गिरफ्तार किया, फैक्ट्स मौजूद हैं। या तो एन्टीकरप्शन विभाग बेकार है या फिर यह जो पंचायती राज संस्थाओं का महल है उसको बरकरार रखना है। सरपंच, प्रधान एन्टीकरप्शन के मामले में पकड़े जायं, 409 का मामला चालान हो, सरकार उनको हटा नहीं सके, सस्पेन्ड नहीं करे, फिर पंचायतों का मुख्य जो काम है लोगों को आराम देने के लिए; वह पूरा नहीं हुआ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो खतरा खड़ा हो गया है, यह पंचायती चुनावों से ही टाला जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि अवधि बढ़ाने का विधेयक पारित न किया जाए।

श्री रामलाल (बाड़ी): मेरा निवेदन है कि यदि किसी प्रधान या सरपंच की मृत्यु हो जाती है तो उसकी खाली जगह पर तो कम से कम चुनाव कराया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : फतेहपुरा और बसेरी से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिन सरपंचों और प्रधानों पर 409 या 420 या और कोई भी क्रिमिनल आफेंस इन्वालविंग मारल टरपीट्यूड चल रहे है, इस प्रकार के जो पदाधिकारी है, जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य सरकार के ध्यान में जो केसेज आए हैं उनके खिलाफ अदालतों में कार्यवाही का इन्तजार किया जा रहा है। जब तक अदालतों से निर्णय नहीं हो जाता तब तक कानूनी रूप से उनको हटाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए भी कई पदाधिकारी निलम्बित हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि सीकर जिले में ऐसा भी सरपंच है जिनके खिलाफ अदालत में नैतिक अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के मामले सरकार के ध्यान में लायेंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य ने पंचायत राज चुनाव न कराने के संबंध में पुनः अपनी बात दोहराई। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में माननीय सदस्यों की यह धारणा बन रही है कि बिल्कुल निष्क्रिय हैं या काम नहीं कर रही हैं या उनके पास काम नहीं है, यह बात नहीं है। एक बात जरूर है कि जो विधान सभा के सदस्य बन गए हैं और पंचायती राज संस्थाओं से थोड़ा दूर हुए हैं तो जो दिलचस्पी उनकी पहले पंचायती राज में थी, वह दिलचस्पी उनके अन्दर नहीं है, उनका दृष्टिकोण विपरीत हो गया है। पंचायती राज में दिलचस्पी घटी है ...

श्री उपाध्यक्ष : सभी के लिए लागू है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो माननीय सदस्य पहले पंचायती राज में सक्रिय थे जब तक वे प्रधान थे या प्रमुख थे तब तक उनकी दिलचस्पी थी। ज्योंही अपने पद से हटे, विधायक बने और पंचायत के पदाधिकारियों से किन्हीं बातों पर मतभेद होने की स्थिति मे इस प्रकार का दृष्टिकोण बना कि ये पंचायतें, पंचायत समितियां पूर्णतः बेकार हैं। यह दृष्टिकोण की बात है। यह यथार्थ में ही है। आज भी राजस्थान में पंचायती राज मजबूत है और काफी बड़ा प्रोग्राम आज भी उनके पास है। वे सजग हैं, कार्यशील हैं, किसी भी माननीय सदस्य के पास यह आधार नहीं है कहने का कि हमारी पंचायत समितियां, जिला परिषदें, शिथिल हो गई हैं। क्या उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं रहा है ? यह बात सही है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उस वक्त लोकल डेवलपमेंट वर्क्स, पीने के पानी के कुए, लोनिंग, ये सारे के सारे काम पंचायत समितियों के पास ही थे लेकिन अब उनका स्थान फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स ने ले लिया है, इसलिये पंचायत समितियों के पास वह काम नहीं रहा। पंचवर्षीय योजना में कटौती होने के कारण जितना धन मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। जो साधन पहले थे उतने राज्य सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि निष्क्रिय हो गई। जितना घर में सामान है, आटा दाल वगैरा, उससे ही तो काम चलाना पड़ेगा।

एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच, उप सरपंच दोनों के स्थान खाली हो गये हैं, राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि तुरन्त वहां पर उप सरपंच का चुनाव

(श्री रामनारायण चौधरी)

कराया जाय। जिन पंचायत समितियों में प्रधान और उप-प्रधान दोनों के स्थान रिक्त हो गये हैं तो वहां पर उप-प्रधान के चुनाव करायें। जिन पंचायतों और पंचायत समितियों के सदस्यों की संख्या कोरम से भी नीचे आ गयी है तो उनको भी राज्य सरकार देखेगी और विधि विधान के अनुसार उनकी संख्या करने की कोशिश की जावेगी।

अतः मैंने जो जो राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक, 1975 प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जाय यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक, 1975 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9.03 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 27 फरवरी 75 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट—1

समयाभाव के कारण सदन में लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में एक्सीडेन्ट्स के मामले

163. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर शहर में पिछले 5 वर्षों में किस-किस पुलिस स्टेशन पर कितने-कितने एक्सीडेंट के केसेज दर्ज हुए ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

2. क्या उक्त दर्ज केसेज में चालान पेश किये गये ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन व्यक्तियों के लाइसेन्स जब्त किये गये ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के जिन जिन पुलिस थानों पर पिछले 5 वर्षों में अर्थात् सन् 1970 से 1974 तक दुर्घटनाओं के कुल 1262 अभियोग पंजिबद्ध हुये हैं। तालिकायें सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उपरोक्त अवधि में पंजिबद्ध किये गये अभियोगों में से 904 का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिन जिन व्यक्तियों के लाइसेन्स जब्त किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर-भिवानी जाने वाली बसों के स्टोपेज में परिवर्तन

164. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर से देहली, चंडीगढ़, रोहतक, भिवानी जाने वाली साधारण व डीलक्स बसों के जुलाई, 1974 तक किस किस जगह पर कितनी कितनी देर के स्टोपेज थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त बसों के स्टोपेज में अब परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कोटपूतली में रोडवेज वर्कशाप के डिपो खोलने का निर्णय हो चुका है और टेन्डर भी आमन्त्रित कर लिए गए हैं ? यदि हां, तो उनका कार्य कब तक शुरु किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर, देहली, चण्डीगढ़, जयपुर, रोहतक, चण्डीगढ़ तथा अजमेर-भिवानी मार्ग की बसों के स्टॉपेज व उनके उन स्थानों पर रुकने के समय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। किन्तु आगरा कार्यालय व कार्यशाला का निर्माण कार्य इस क्षेत्र के अन्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण होने व निगम द्वारा अपने साधनों के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था करने पर प्रारंभ किया जावेगा।

जयपुर-चण्डीगढ़ वाया रोहतक

1	मनोहरपुर	5 मिनिट
2	शाहपुरा	10 मिनट
3	कोटपुतली	10 मिनट
4	वहरोड	10 मिनट
5	रिवाड़ी	20 मिनट

जयपुर-रोहतक

1	अचरोल	5 मिनट
2	चंदवाजी	5 मिनट
3	मनोहरपुर	5 मिनट
4	शाहपुरा	15 मिनट
5	कोटपुतली	15 मिनट
6	वहरोड	10 मिनट

जयपुर-देहली वाया चण्डीगढ़

1	शाहपुरा	5 मिनट
2	कोटपुतली	5 मिनट
3	बहरोड	10 मिनट

जयपुर-देहली वाया कोटपुतली
(सुपर डीलक्स)

1	कोटपुतली	2 मिनट
2	बहरोड	15 मिनट

अजमेर-भिवानी

1	अचरोल	2 मिनट
2	चंदवाजी	2 मिनट
3	मनोहरपुर	5 मिनट
4	शाहपुरा	10 मिनट
5	कोटपुतली	10 मिनट
6	नारनोल	5 मिनट
7	महेन्द्र गढ़	5 मिनट

घंटाघर ओवर ब्रिज सड़क का कार्य

165. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या नगर आयाजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जोधपुर नगर में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा निर्माण की जाने वाली घंटाघर ओवरब्रिज सड़क का कार्य कब से चालू किया गया ?

2. उपरोक्त सड़क पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

3. उपरोक्त सड़क के निर्माण पर इतना लंबा समय क्यों लग गया ?

4. उपरोक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

उत्तर

(1) उक्त सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 22-2-65 से प्रारम्भ किया गया।

(2) अब तक 21,74,840 रुपये (अंके इक्कीस लाख चोहत्तर हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र) व्यय किए जा चुके हैं।

(3) आवासीय मकानात की अवाप्ति में समय लग रहा है।

(नगर आयोजन मन्त्री)

(4) अवाप्ति कार्य पूर्ण हो जाने पर ही कार्य होना सम्भव है। अवाप्ति कार्य 1975 के अन्त तक समाप्त होने की सम्भावना है।

अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि

166. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य सरकार ने सितम्बर, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में विभिन्न विभागों में कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया और अब तक क्या व्यय किया गया ? जिलेवार विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

2. क्या राज्य सरकार ने इस सिद्धान्त और नीति का पालन किया कि जहां अकाल की अधिक गंभीरता और फैलाव है वहां अधिक व्यय किया जाय ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे हैं ?

3. क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सभी गांवों में अकाल है और वह भी राज्य के सभी जिलों के मुकाबले में उक्त जिले में भयंकर अकाल की स्थिति है परन्तु अकाल की गंभीरता को देखते हुए अपर्याप्त राशि व्यय की गई ? यदि हां, तो उक्त उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

4. क्या राज्य सरकार भविष्य में अकाल की अधिक गंभीरता और अधिक फैलाव को देखते हुए बाड़मेर जिले में अधिक व्यय करने का प्रावधान करेगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार फरवरी, 1975 से जुलाई 1975 तक अकाल राहत कार्यों में बाड़मेर जिले में कितने मजदूरों को रोजी दे सकेगी? प्रत्येक माह का अलग से विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा 1-9-74 से आज तक विभिन्न विभागों के माध्यम से अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य योजना मद से एवं सहायता मद से स्वीकृत किये गये हैं। उनका जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट पर दे दिया गया है। वास्तविक खर्च का पता वित्त वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न विभागों के लेखे आने पर ही लगेगा। इस अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सहायता मद से सड़कों के लिए 12 लाख रुपये एवं योजना मद से 355 लाख रुपये इस प्रकार कुल 447 लाख रुपये दिया गया है। इसी प्रकार सिंचाई कार्यों के लिए सहायता मद से 256.34 लाख रुपये एवं योजना मद से वृहत् सिंचाई कार्यों के लिये 724 लाख रुपये दिया गया है। इस प्रकार सिंचाई मद में 980.34 लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुका है। जिसमें 524 लाख रुपये राजस्थान नहर परियोजना को, 106 लाख माही को, 34 लाख जाखम को, 30 लाख सेढ़ी को, 25 लाख भेजा को व 5 लाख जेतपुरा को दिया गया है।

2. जी हां, राज्य सरकार द्वारा जो राशि राहत व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न अभावग्रस्त जिलों में व्यय की जा रही है उसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा गया है।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(3) जी हां, बिठूजा गांव के अलावा समस्त बाड़मेर जिला इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किया गया है। किसी जिले विशेष की उपेक्षा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्ध करने की आवश्यकता का जो अन्दाजा लगाया है उसको देखते हुए तथा उपलब्ध साधनों को देखते हुए राहत कार्य चालू किये गये हैं। सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार इस जिले के श्रमिकों को राजस्थान नहर परियोजना पर भी रोजगार दिया जा रहा है। तथा योजना के अन्तर्गत 6 सड़क कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

(4) भविष्य में राज्य सरकार वर्तमान निर्धारित नीति के अनुसार उपलब्ध साधनों के अनुरूप बाड़मेर जिले में व्यय करने की व्यवस्था करेगी। कुछ नये सड़क कार्यों पर भी काम प्रारम्भ करने का विचार किया जा रहा है।

इस जिले के लिए फरवरी मास में निर्धारित श्रमिक संख्या 15000 है। इसमें 10000 श्रमिक राजस्थान नहर क्षेत्र पर कार्य करेंगे एवं 5000 श्रमिकों को योजना के अन्तर्गत सड़कों पर लगाने का प्रावधान किया गया है।

मार्च से जुलाई तक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्रमिकों को लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

178

सम्वत् 2031 के स्वीकृत

नाम तहसील	डी.पी.ए.पी. सिचाई		लघु सिचाई कार्य		योजना सड़कें	
	कार्यों की सं.	राशि	कार्यों की सं.	राशि	कार्यों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. बांसवाड़ा	24	4.00	—	—	7	21.00
2. डूंगरपुर	13	5.00	—	—	5	14.00
3. पाली	11	4.00	4	1.00	5	17.50
4. जालोर	20	5.00	5	1.00	4	17.00
5. अजमेर	7	3.79	2	0.80	3	14.00
6. सिरोही	—	—	4	2.00	3	9.00
7. चित्तौडगढ़	—	—	18	3.75	6	31.00
8. भीलवाड़ा	—	—	—	—	4	16.00
9. उदयपुर	7	24.00	3	11.00	9	25.50
10. बाड़मेर	—	—	—	—	6	25.00
11. चुरु	—	—	—	—	5	19.00
12. गंगानगर	—	—	—	—	1	9.00
13. जयपुर	—	—	—	—	5	21.00
14. जैसलमेर	—	—	—	—	2	5.00
15. झुंझुनूं	—	—	—	—	5	19.00
16. जोधपुर	—	—	—	—	4	12.00
17. नागोर	—	—	—	—	2	15.00
18. सीकर	—	—	—	—	1	3.00
19. टोंक	—	—	—	—	1	7.00
20. भरतपुर	—	—	—	—	2	16.00
21. कोटा व बून्दी	—	—	—	—	1	5.00
22. अलवर	—	—	—	—	—	—
23. सवाई माधोपुर	—	—	—	—	—	—
योग	82	45.79	36	19.55	81	321.00

सहायता कार्य

मध्यम व वृहत सिंचाई कार्य		बाढ़ सिंचाई कार्य		बाढ़ सड़कें		अन्य सड़कें	
कार्यों की सं.	राशि	कार्यों की सं.	राशि	कार्यों की सं.	राशि	कार्यों की सं.	राशि
8	9	10	11	12	13	14	15
1	6.00	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	20	5.80	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	4.00	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3.00
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	35	10.23	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	5.00
—	—	—	—	4	5.00	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	9.00	—	—
—	—	4	0.50	3	4.00	—	—
—	—	42	26.60	—	—	—	—
—	—	6	6.00	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	5.00	—	—	—	—
—	—	28	15.73	—	—	—	—
2	10.00	156	69.86	10	18.00	2	8.00

Page No 180

180

दिनांक 1-9-74 से अब 25-2-75 तक विभिन्न जिलों में सहायता मद एवं योजना मद में सहायता निर्माण कार्यों के लिये दी गई राशि

(अंक लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला	सहायता मद से		योजना मद से		विवरण
		सड़क कार्य	सिंचाई कार्य	सड़क कार्य	सिंचाई कार्य	
1.	अजमेर	-	6.59	14.00	-	
2.	बांसवाड़ा	8.01	33.00	21.00	106.00	माही प्रोजेक्ट
3.	बाड़मेर	4.36	13.60	18.50	-	
4.	भरतपुर	-	-	17.00	-	
5.	बीकानेर	-	-	-	524.00	आर.सी.पी.
6.	भीलवाड़ा	3.00	10.50	16.00	30.00	जैतपुरा व मेजा
7.	चुरु	-	-	19.00	-	
8.	चित्तौड़गढ़	1.38	11.60	31.00	-	
9.	डूंगरपुर	16.36	21.00	14.00	-	
10.	गंगानगर	-	-	9.00	-	
11.	जयपुर	2.00	-	28.00	-	
12.	जैसलमेर	0.50	2.38	13.00	-	
13.	जालौर	6.00	21.02	23.50	-	
14.	जोधपुर	-	22.50	12.00	-	
15.	झालावाड़	10.00	0.50	-	-	
16.	झुंझुनू	-	-	24.00	-	
17.	कोटा	1.00	10.30	6.00	-	
18.	नागौर	-	-	25.00	-	
19.	पाली	10.00	29.50	17.50	-	
20.	सीकर	-	-	7.00	-	
21.	सिरोही	15.00	13.50	9.00	30.00	सेही
22.	टोंक	-	3.00	7.00	-	
23.	उदयपुर	14.39	57.35	25.50	34.00	आलम
	योग	92.00	256.34	365.00	724.00	

ब्यावर में स्क्रीन प्रिन्टिंग कार्य पर लगाये गये अध्यापक

167. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि विद्यालय वरिष्ठ उपनिरीक्षक ब्यावर ने सत्र 72-73 में कुछ अध्यापकों को ग्रीष्म अवकाश में स्क्रीन प्रिन्टिंग कार्य पर लगाया था ? यदि हां, तो कुल कितने अध्यापक स्क्रीन प्रिन्टिंग कार्य पर लगाये गये ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

2. क्या स्क्रीन प्रिंटिंग पर लगाये गये अध्यापकों को उपार्जित अवकाश दिया गया ? यदि हां, तो प्रत्येक अध्यापक को कुल कितनी राशि उपार्जित अवकाश की इस कार्य हेतु देनी पड़ी ?

3. स्क्रीन प्रिंटिंग हेतु सत्र 72-73 में कुल कितनी राशि की कच्ची सामग्री खरीदनी पड़ी ? इस कच्ची सामग्री को खरीदने हेतु राशि प्राप्त करने के स्रोत क्या थे तथा कहां कहां से कितनी राशि इस मद में प्राप्त हुई ? इस योजना के अन्तर्गत कुल कितना आर्थिक लाभ हुआ ?

4. स्क्रीन प्रिंटिंग का कार्य कब किस तिथि से चालू किया गया ? क्या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को चालू करने से पूर्व स्वीकृति जारी कर दी गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति किस दिनांक को दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल स्क्रीन प्रिंटिंग के लिये किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया गया। अविभक्त इकाई (Ungraded unit) से संबंधित सहायक सामग्री बनाने की कार्य गोष्ठी के लिये 30 अध्यापकों को लगाया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए नहीं वरन कार्यगोष्ठी के लिए लगाए गए अध्यापकों को नियमानुसार उपार्जित अवकाश दिया गया, कोई राशि नहीं दी गई।

(3) स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए नहीं वरन शिक्षण सामग्री की कार्यगोष्ठी के लिए 2359-51 पैसे की कच्ची सामग्री खरीदी गई जिसका बजट में प्रावधान था। यह योजना पूर्णतः शैक्षिक थी अतः आर्थिक लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

(4) उपरोक्त कार्यगोष्ठी 25-5-73 से प्रारम्भ की गई। यह विभागीय कार्यक्रम के अनुरूप थी जिसे जिला शैक्षिक योजना में रखा गया था और इस जिला योजना का अनुमोदन 30-12-72 को निदेशालय द्वारा कर दिया गया था।

सूची

ग्रीष्मावकाश 72-73 में अभिव्यक्त इकाई व शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित ग्रीष्मकालीन शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण कार्यगोष्ठी 73 में गये अध्यापकों की सूची:-

1. संगोष्ठिक—

1. श्री बन्शी सिंह, प्र० अ०, रा० प्रा० वि०, ओड़ानचौक, ब्यावर।
2. ,, सज्जन लाल, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, सराना।
3. ,, दयाराम, स० अ०, रा० प्रा० वि०, ओल्ड मेवाड़ी गेट, ब्यावर।
4. ,, सत्यनारायण, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, अशोकनगर, ब्यावर।
5. ,, जफर मोहम्मद, स० अ०, रा० प्रा० वि०, मोतीपुरा, ब्यावर।
6. ,, आनन्द सिंह भाटी, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, कोटड़ा।।
7. ,, सोहनसिंह, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, देवलियांकलां।
8. ,, फूलचन्द, स० अ०, रा० प्रा० वि०, बीचड़ली मोहल्ला, ब्यावर।
9. ,, शंकर लाल बुलन्द, स० अ०, रा० प्रा० वि०, ओड़ान चौक, ब्यावर।
10. ,, हीरालाल, स० अ०, रा० पटेल प्रा० वि०, ब्यावर।
11. ,, मिट्ठूलाल नायक, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, बड़ली।
12. ,, ओमप्रकाश वर्मा, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, बड़ली।
13. ,, हनुमान प्रसाद, स० अ०, रा० प्रा० वि०, बीचड़ली मोहल्ला, ब्यावर।
14. ,, नारायण दास, स० अ०, रा० प्रा० वि०, बीचड़ली मोहल्ला, ब्यावर।

2. मार्गदर्शक—

1. श्री लक्ष्मीनारायण आर्य, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, ब्यावर।
2. ,, भंवरलाल रांका, शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी, ब्यावर।
3. ,, पूनमचन्द, शारीरिक शिक्षक, ब्यावर।
4. ,, शिव प्रसाद, शैक्षिक सहायक, ब्यावर।

3. कार्यगोष्ठी में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले संगोष्ठिकों के विरुद्ध लगाये गये शिक्षक—

1. श्री मातादीन अरोड़ा, स० अ०, रा०मा०वि०, गगवाना
   (श्री जफर मो० के बजाय)।
2. ,, ओमप्रकाश सोनी, स० अ०, रा०प्रा०वि०, सूरजपोल गेट
   (श्री आनन्दसिंह भाटी के बजाय)

3. श्री ईश्वरदास, स० अ०, रा० प्रा० वि०, पुरानी मेवाड़ी गेट
(श्री मिठूलाल के बजाय)

4. ,, श्रीलाल गहलोत, स० अ०, रा० प्रा० वि०, डिग्गी मो०
(श्री ओमप्रकाश वर्मा के बजाय)

4. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के निर्देशानुसार लगाये गये सामान्य शिक्षक—

1. श्री गुमानसिंहराज, स० अ०, रा० उ० प्रा० वि०, अशोक नगर, ब्यावर।
2. ,, मदनलाल कमलावत, स० अ०, रा० पटेल प्रा० वि०, ब्यावर।
3. ,, रामपालसिंह, स० अ०, रा० प्रा० वि०, नृसिंहपुरा ब्यावर।
4. ,, रामेश्वर प्रसाद टांक, स०अ०, रा०प्रा० वि०, ओड़ानचौक, ब्यावर।
5. ,, यशपाल पाण्डे, स० अ०, रा० प्रा० वि०, चांगगेट, ब्यावर।
6. ,, रामलाल स० अ०, रा० प्रा० वि०, डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर।
7. ,, भंवरलाल वैष्णव, स० अ०, रा० प्रा० वि०, बीचड़ली मोहल्ला ब्यावर।
8. ,, अवतार सिंह, रा० मा० वि०, खरवा।
9. ,, घीसूलाल नवाल, स० अ०, रा० प्रा० वि०, नृसिंहपुरा, ब्यावर।
10. ,, पुखराज सांखला, स० अ०, रा० पटेल प्रा० वि०, ब्यावर।
11. ,, मोहम्मद युनिस, स० अ०, रा० पटेल प्रा० वि०, ब्यावर।
12. विलियम जार्जराम, स० अ०, रा० पटेल प्रा० वि०, ब्यावर।

Page No 184

(184)

राजस्थान नहर की मूल योजना में संशोधन हेतु सिफारिश

168. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री राजस्थान नहर परियोजना विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

राष्ट्रीय कृषि आयोग नई दिल्ली ने राजस्थान नहर की मूल योजना में कोई संशोधन हेतु सिफारिश की है ? अगर हां, तो वे क्या सिफारिशें हैं तथा राज्य सरकार उन सुझावों के सम्बन्ध में क्या राय रखती है ?

(स्थगित किया गया)

निगम की बसें

169. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. इस समय राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं ? इनमें कितनी बसें चालू हैं तथा कितनी बसें किन कारणों से खराब पड़ी हैं और इनको ठीक करवाने की दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

2. कितनी बसों की बॉडियां निगम ने प्राईवेट कम्पनियों से बनवाई हैं तथा कितनी केन्द्रीय कार्यशाला में तैयार की हैं ? प्राईवेट कम्पनियों से बॉडी बनवाने में निगम को क्रमशः डीलक्स व साधारण बसों के लिए कितनी कितनी राशि देनी पड़ती है तथा केन्द्रीय कार्यशाला में डीलक्स व साधारण बस की बॉडी बनाने में क्या लागत आई है ?

(स्थगित किया गया)

आयुर्वेद चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने का आधार

170. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि इस वर्ष कई आयुर्वेद चिकित्सालय क्रमोन्नत किए गए हैं ? अगर हां, तो कुल कितने एवं कहां कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें जिला जालोर के क्रमोन्नत चिकित्सालय को श्रेणीवार दर्शायें।

2. आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के क्या आधार हैं ? क्या उन आधारों के अनुसार ही चिकित्सालय क्रमोन्नत किये गए हैं।

3. क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के ग्राम केरिया, झाब एवं हाड़ेचा के आयुर्वेद चिकित्सालय का आधार अन्तर्गत होते हुए भी क्रमोन्नत नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों और अब कब तक क्रमोन्नत करना सरकार उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आयुर्वेद औषधालय को क्रमोन्नत करने का सामान्यतः आधार रोगी संख्या, जनसंख्या और भवन व्यवस्था आदि होता है। वर्ष 1974-75 में कोई औषधालय क्रमोन्नत नहीं किये गए।

(3) इस वर्ष बजट प्रावधान के अभाव में किसी भी औषधालय को क्रमोन्नत नहीं किया है। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर

(यातायात मंत्री)

उपरोक्त आधार को ध्यान में रखते हुए यथा संभव क्रमोन्नत करने पर विचार किया जावेगा ।

भोमपुरा माईनर का कार्य

171. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि एन० पी० में से जो भोमपुरा माईनर बनाने का निर्णय लिया गया था उसके अनुसार न तो अब तक खुदाई की गई है और ना ही पानी चालू हुआ है ?

2. यदि हां, तो अब तक खुदाई क्यों नहीं की गई और अब कब तक खुदाई प्रारम्भ करदी जावेगी ?

3. इस माईनर से सर्वे के अनुसार जिन मुरब्बों को पानी दिया जाना था वह कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) समस्त एन० पी० से भोमपुरा माईनर की बढोत्तरी का प्रस्ताव विचाराधीन है। अतएव अभी खुदाई करने का तथा पानी चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) मामला विचाराधीन है। अत: अभी निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

सहकारी निरीक्षकों की होम डिस्ट्रिक्ट्स में नियुक्ति

172. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सहकारी विभाग के निरीक्षकों को होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखने के आदेश जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या यह आदेश अभी भी प्रभावशील हैं ?

2 सहकारी विभाग के निरीक्षकों में से कौन कौन व्यक्ति होम डिस्ट्रिक्ट में कब से किस पद पर लगे हुए हैं ? विभिन्न संस्थाओं में डेपुटेशन पर भी जो सहकारी निरीक्षक होम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं उनके नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें ।

उत्तर

(1) जी हां। यह आदेश अब भी प्रभावशील हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राज. विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर डिवीजन के कारागृहों में सामान की सप्लाई

173. श्री कुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या बीकानेर डिविजन के कारागृहों में कैदियों को रोजमर्रा उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं खाद्य पदार्थों का ठेका दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो गत 1 जनवरी सन् 1972 से 31 दिसम्बर, 74 तक जिन ठेकेदारों को ठेका दिया उनके नाम तथा उनके द्वारा सप्लाई की गई

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मासिक सामग्री मय कीमत का विवरण अंकित करते हुए जेलवाइज सूची देने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में कैदियों के उपयोग हेतु दिया गया पूरा माल उनके उपयोग में नहीं लाया गया? यदि नहीं तो उनके लिए उपयोग में ली गई दवाइयों की पूर्ण सूची हर कारावास की सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। विवरण कारागृह एवं उप कारागृह के लिए अलग अलग तैयार किये गये हैं। उप कारागृहों में प्रति खुराक के हिसाब से ठेका दिया जाता है।

(2) जी नहीं। दवाइयां चिकित्सा विभाग से उपलब्ध होती हैं। इसका हिसाब कारागार पर नहीं रखा जाता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला झालावाड़ में ड्राइवरों एवं कन्डक्टर्स के विरुद्ध शिकायतें

174. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला झालावाड़ में बसों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद किन किन ड्राईवर कन्डक्टर्स आदि के खिलाफ शिकायतें कब, कब की गईं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त शिकायतों की जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं, तो क्यों?

3. क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बसों की हालत बहुत खराब है? समय पर कोई भी बस नहीं आती जाती है एवं यात्रियों के साथ कर्मचारियों का दुर्व्यवहार की शिकायतें आती रहती हैं?

4. क्या यह सही नहीं है कि यात्रियों को किराये से बचे पैसे कन्डक्टर्स आम तौर से नहीं देते?

5. क्या यह भी सही है कि झालावाड़ अकलेरा बस जो संध्या को जाती है टिकट नहीं बनाये जाते?

(स्थगित किया गया)

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति

175. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सरकार ने विधान सभा में 1974 के बजट अधिवेशन में प्रश्न संख्या 405 के उत्तर में यह सूचना दी थी कि तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति में बी. एड. व एस. टी. सी. पास उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है?

2. क्या शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग के उप शासन सचिव ने ता. 28-9-74 के पत्र संख्या एफ 8 (51) शिक्षा 2|74 द्वारा यह सूचना दी कि बी. एड. पास उम्मीदवारों को तृतीय श्रेणी में अध्यापकों की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है?

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

3. क्या उपरोक्त दोनों सूचनाएं एक दूसरे के खिलाफ हैं? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सूचना दी गई थी कि सरकार सभी उम्मीदवारों को नियमानुसार समान अवसर प्रदान करती है।

(2) जी, हां।

(3) वस्तुस्थिति इस प्रकार है :—

शिक्षा विभाग में प्रत्येक वर्ष जिलेवार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरने की प्रणाली यह है कि रिक्त पदों के 75 प्रतिशत पद पंचायत समितियों के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण से भरे जाते हैं। शेष पदों में से 25 प्रतिशत बी. एड. प्रशिक्षित अध्यापक एवं 75 प्रतिशत बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापकों से भरे जाते हैं। माह दिसम्बर 74 में शिक्षा अधिकारी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती के लिये प्रशिक्षित स्नातकों की संख्या 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी जाय तदनुसार आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

ग्राम आन्तरी में बांध की योजना

176. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि पंचायत समिति धोद (जिला सीकर) में हर्ष के पहाड़ के पास आन्तरी ग्राम के पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृष्टि से बांध बनाने का उपयुक्त स्थान है?

2. क्या सन् 1973-74 में सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग नीम-का-थाना ने अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे करके योजना लागू की थी? यदि हां, तो कितना कार्य करवाया गया? क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा बाद में इसको बन्द कर दिया गया जिससे यहां पानी गहरा होने से किसानों में काफी असन्तोष है?

3. क्या सरकार इस योजना का सर्वे करवा कर यहां बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी हां, इस कार्य पर सन् 1973-74 में अकाल राहत मद से 28,500) रुपये का कार्य कराया गया था। कार्य अकाल राहत कार्यों के बन्द होने पर बन्द करा दिया गया।

योजना के अन्तर्गत यह काम स्वीकृत नहीं होने से इस पर आगे कार्य नहीं कराया जा सका।

(3) धन की उपलब्धि पर इसको पूरा कराया जा सकेगा।

सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बूंदी

177. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. बूंदी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक किस श्रेणी में आता है तथा इस समय यह

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

कितनी राशि का बैंकिंग बिजनेस करता है ?

2. क्या जिस श्रेणी का यह बैंक है उसी श्रेणी का उसमें मौजुदा मैनेजर लगा हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ? और किस कारण से यह असमानता चल रही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं।

उत्तर

(1) विभागीय ऑडिट वर्गीकरण के अनुसार दी बून्दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० "सी" श्रेणी में आता है। इस समय यह 2,45,72,000) रुपये की राशि का बैंकिंग बिजनेस कर रहा है।

(2) श्रेणी के अनुसार मैनेजर नहीं लगाये जाते हैं। अतः असमानता का प्रश्न पैदा नहीं होता।

कन्या प्राथमिक शाला गढ़मोरा में अध्यापिकाओं के रिक्त स्थान

178. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कन्या प्राथमिक शाला, गढ़मोरा, तहसील नादौती, पंचायत समिति, बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) में काफी समय से (महिला) अध्यापिका न होने के कारण पंचायत समिति ने यह शाला बन्द करदी है ? यदि हां, तो क्या इससे कन्याओं का जीवन अंधकारपूर्ण नहीं हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसका क्या निराकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

कन्या प्राथमिक शाला गढ़मोरा बन्द नहीं की गई है लेकिन दिनांक 1-4-74 को श्रीमती राधाबाई अध्यापिका के यकायक निधन हो जाने से उक्त विद्यालय की बालिकाओं को नियमित रूप से अध्ययन हेतु इनकी व्यवस्था बालकों के प्राथमिक विद्यालय गढ़मोरा में कर दी गई थी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा सन्निकट थी। 74-75 के सत्र के शुरू होने के बाद भी कन्या शाला की बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था कुछ समय तक बालकों की शाला के साथ रही है, अब दिनांक 8-1-75 से उक्त कन्या शाला में अध्यापिका अलग से कार्य कर रही है और बालिकाओं का अध्ययन कन्या-शाला में चल रहा है।

चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की बैठकें

179. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान-मध्य प्रदेश अन्तर्राज्य नियंत्रण मण्डल, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक कब हुई ? इन बैठकों में क्या क्या निर्णय लिए गए ?

2. भाखड़ा विद्युत् व्यवस्था से राजस्थान विद्युत् व्यवस्था को सम्बद्ध कर दिये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिए ?

उत्तर

(1) राजस्थान-मध्यप्रदेश अन्तर्राज्य नियंत्रण (विद्युत् एवं सिंचाई) बोर्ड की अब तक कुल पांच बैठकें हुई हैं, जिनका

(विद्युत मन्त्री)

संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) माखड़ा विद्युत् व्यवस्था से राजस्थान अणु शक्ति विद्युत् केन्द्र का समानान्तर जोड़ केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय के निदेशानुसार 27-1-75 को कर दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण राज. विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सेन्ट एन्जेला हायर सैकेन्डरी स्कूल जयपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

180. श्री रामकिशन (भरतपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सेन्ट एन्जेला हायर सैकेन्डरी स्कूल (जयपुर) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामस्वरूप व श्री कालूराम की सेवाएं स्कूल प्रबन्धकों ने समाप्त कर दी थीं ।

2. क्या उपरोक्त कर्मचारियों की सेवाओं को बदस्तूर जारी रखने के लिए दिनांक 10-1-75 को राज्य सरकार ने स्टे जारी किया है ? अगर हां, तो क्या कर्मचारी स्कूल की सेवा में पुन: ले लिये गये है ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबन्धकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । ये आदेश 10-1-75 को जारी किये गए । इस पर विद्यालय द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

परिशिष्ट— 2

(अ. ता. प्र. सं. 74 की सूची)

सूची बाबत कुण्ड निर्माण कार्य जो पंचायत समिति के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उपयोग हेतु गत 10 वर्षों से निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है।

क्र.सं.	अनुदान जिसको दिया गया नाम	ग्राम	कार्य का नाम	अनुदान की राशि	भुगतान तिथि	लागत राशि	काबिज जो है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	८	9
1-	सरपंच ग्राम पंचायत झझू	छिनोलाई	कुण्ड	900)	5- 7-67	1800)	पंचायत	हरिजन
				720)	11- 9-69			कुण्ड
2-	झझू ग्राम पंचायत झझू	झझू	,,	1000)	22- 1-72	2000)	,,	,,
				800)	25- 9-72			
				200)	27- 2-73			
3-	,, ,, ,,	,,	,,	1000)	24- 2-73	1000)	,,	,,
4-	सरपंच ग्राम पंचायत नगरासर	नगरासर	,,	1320)	25-10-69	5000)	,,	,,
5-	,,	सेवड़ा	,,	1520)	25-10-69	5000)	,,	,,
6	,,	बीकमपुर चारणवाला	,,	10000)	7- 6-68	10000)	,,	,,

(अन्तिम किश्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	सरपंच ग्राम पंचायत खीन्दासर	खीन्दासर	,,	1000)	15-10-72	2000)	पंचायत	हरिजन कुंड
8	,, बीठनोक	बीठनोक	,,	1000)	31- 3-72			
				800)	30- 9-72	2000)	,,	,,
9	,,	बीठनोक गोविन्दसर	,,	1000)	30- 6-73	2000)	,,	,,
10	,,	कोलायत कोटड़ी	,,	1000)	27- 6-72	2000)	,,	,,
				1000)	30- 9-72			
11	श्री बन्नाराम	दियातरा	,,	500)	22- 9-72	500)	स्वयं	,,
12	श्री कुम्भाराम मेघवाल	दियातरा	,,	500)	,,	500)	,,	,,
13	,, मूलाराम ,,	बांगडसर	,,	500)	,,	500)	,,	,,
14	,, पूराराम ,,	बज्जू	,,	500)	,,	500)	,,	,,
15	,, सैताराम ,,	खीन्दासर	,,	500)	25- 9-72	500)	,,	,,
16	,, तोलाराम ,,	गुंदा	,,	500)	,,	500)	,,	,,
17	,, बुद्धाराम ,,	फूलासर	,,	500)	,,	500)	,,	,,
18	,, हरखाराम ,,	भीकंमपुर	,,	500)	26-9 -72	500)	,,	,,
19	,, खेताराम ,,	बेरा देदावतान	,,	500)	,,	500)	,,	,,
20	,, लादूराम ,,	सूरजड़ा	,,	500)	27-9 -72	500)	,,	,,
21	,, पूरणा राम ,,	,,	,,	500)	,,	500)	,,	,,
22	,, नरसी राम ,,	माणेका गांव	,,	500)	,,	500)	,,	,,
23	,, मोड़ाराम ,,	खारी	,,	500)	30-9 -72	500)	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	श्री चेतन राम	मेघवाल बीठनोक	,,	500)	30-9 -72	500)	स्वयं	हरिजन
25	,, हमीरा राम	,, झझू	,,	500)	,,	500)	,,	,,
26	,, सरता राम	,, मण्डाल	,,	500)	,,	500)	,,	,,
27	,, सतूराम	,, रणजीतपुरा	,,	500)	,,	500)	,,	,,
28	,, टीकूराम	,, भलूरी	,,	500)	,,	500)	,,	,,
29	,, नेनूराम	,, छीला	,,	500)	,,	500)	,,	,,
30	,, छगनलाल	,, मढ़	,,	500)	,,	500)	,,	,,
31	,, अमानाराम	,, कोटड़ी	,,	160)	,,	500)	,,	,,
32	,, बन्नाराम	,, नगरासर	,,	500)	2-5 -73	500)	,,	,,
33	,, मेघाराम	,, गुढा	,,	500)	4-5 -73	500)	,,	,,
34	,, घुड़ाराम	,, राणासर	,,	500)	,,	500)	,,	,,
35	,, मेघाराम	,, बीठनोक	,,	500)	8-5 -73	500)	,,	,,
36	,, नरसीराम	,, नयागांव	,,	500)	10-5 -73	500)	,,	,,
37	,, सांगाराम	,, चारणपाला	,,	500)	15-5 -73	500)	,,	,,
38	,, हीराराम	,, शेरूवाला	,,	500)	24-5 -73	500)	,,	,,
39	,, गोमन्दराम	,, खेन्दासर	,,	500)	,,	500)	,,	,,
40	,, पूरणाराम	,, चण्डा	,,	500)	19-6 -73	500)	,,	,,
41	,, डोलाराम	,, भलूरी	,,	500)	23-6 -73	500)	,,	,,

परिशिष्ट (३)

(अता. प्र. सं. 76 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

पंचायत समितियों में 31 मार्च, 1974 तक बकाया राशि का जिलेवार विवरण ;
(राशि लाखों में)

क्र० सं०	जिले का नाम	दिनांक 31-3-74 को बकाया राशि
1.	2.	3
1.	बूंदी	81-63
2.	झालावाड़	67-71
3.	टोंक	71-71
4.	बांसवाड़ा	69-79
5.	पाली	268-36
6.	सिरोही	79-14
7.	जैसलमेर	21-85
8.	बाड़मेर	61-15
9.	सीकर	76-98
10.	झुंझुनु	69-58
11.	डूंगरपुर	58-10
12.	बीकानेर	52-93
13.	अजमेर	161-42
14.	चूरू	32-91
15.	जालोर	106-65
16.	नागोर	95-34
17.	उदयपुर	101-51
18.	अलवर	52-30
19.	भरतपुर	125-96
20.	कोटा	102-19
21.	चित्तौड़गढ़	47-27
22.	भीलवाड़ा	108-77
23.	जयपुर	154-35
24.	जोधपुर	104-99
25.	गंगानगर	125-44
26.	सवाई माधोपुर	53-24
	योग :—	2,354-27

परिशिष्ट 'ख'

नगरपालिकाओं में 31 दिसम्बर, 1974 तक बकाया राशि का जिलेवार विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम		बकाया राशि
1	2		3
1.	अजमेर		387826-34
2.	जयपुर		1146529-21
3.	सीकर		112843-59
4.	बीकानेर		464670-88
5.	नागौर		291248-45
6.	भरतपुर		95543-04
7.	उदयपुर		127999-55
8.	चित्तौड़गढ़		163837-87
9.	गंगानगर		247743-69
10.	डूंगरपुर		69510-52
11.	जालौर		61510-52
12.	जोधपुर		361805-71
13.	भीलवाड़ा		201339-17
14.	सवाई माधोपुर		268404-91
15.	सिरोही		128379-63
16.	कोटा	(-)	7147-01
17.	बांसवाड़ा		77509-17
18.	झुंझुनु		103030-51
19.	बाड़मेर		20513-51
20.	पाली		9154-00
21.	अलवर		68568-90
22.	झालावाड़		41663-00
	योग :—		9712453-85

परिशिष्ट—4

(प्रता. प्र. सं. 77 का आरोप-पत्र)

आरोप पत्र विरुद्ध श्री विजयसिंह सरपंच ग्राम पंचायत गोहाना पंचायत समिति, जवाजा जिला अजमेर

आरोप नं० 1

श्री विजयसिंह जब से सरपंच बने तब से पंचायत की लगातार एक भी बैठक नहीं बुलाई। इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया।

आरोप नं० 2

सन् 1965 से अब तक की जो भी राशी मिली उसका कोई भी हिसाब नहीं रखा तथा न ही कोई भी रेकार्ड ही तैयार किया। इस प्रकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया।

आरोप नं० 3

ग्राम पंचायत को आवंटित 15 बीघा भूमि पर नया कुआ खोदने हेतु 2000) रु० पंचायत समिति से लिये उसका आपने न कुआ खोदा न ही कोई हिसाब ही रखा और न वापिस पंचायत समिति में ही अब तक राशि को जमा करवाया।

आरोप नं० 4

पाइलट प्रोजेक्ट मद में श्री हजारी पुत्र रूपा रायलाखेडा व पेमा पुत्र रूपा निवासी गोहाना को एक एक हजार रुपये स्वीकृत हुई। उसमें से इन्होंने उसे सिर्फ 600) रु० प्रत्येक को ही दिये। अन्य राशि को अपने पास रखी। अगर काश्तकार ने काम नहीं करवाया था तो वह राशि वापिस जमा करवानी चाहिए थी।

आरोप नं० 5

रामखेड़ा मनार रपट का कार्य पूर्ण नहीं किया व न ही इसके मजदूरों को भुगतान किया और इस प्रकार राशि को अपने पास रख कर घरेलू कार्य में लेकर दुरुपयोग किया।

आरोप नं० 6

पूर्व सूचना होने पर भी आज तक किसी भी पंचायत प्रसार अधिकारी को व ऑडिट विभाग को पंचायत का निरीक्षण नहीं करवाया।

आरोप नं० 7

इस कार्यालय में दिनांक 21-11-72, 18-1-73 तथा 2-2-73 को संबंधित रिकार्ड लेकर उपस्थित होने हेतु आपको पत्र भेजे गये। इन पत्रों को प्राप्त करने के बाद भी आप उपस्थित नहीं हुए व न ही उपस्थित नहीं होने का कारण बताते हुए कोई प्रार्थना-पत्र ही भेजा। इस प्रकार समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों की पालना न कर अपने कर्त्तव्य एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है।

परिशिष्ट

(मता. प्र. सं.

सम्बन्धित श्रमिक संगठनों द्वारा

क्र. सं.	श्रमिक संगठन	1966	1967	1968	1969
1.	जिंक स्मेलटर मजदूर संघ, देवारी (उदयपुर)	3948/-	6724/-	6226/-	12253/-
2.	उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ, उदयपुर	पंजीयन वर्ष 1969 में हुआ।			125/-
3.	सीमेन्ट माईन्स मजदूर संघ, उदयपुर	पंजीकरण वर्ष 1971 में हुआ है।			
4.	सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़	सूचना उपलब्ध नहीं है।		568/-	1776/-
5.	मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा	,,		13792/-	15406/-
6.	पेस्टो साइट मजदूर संघ, उदयपुर	पंजीकरण वर्ष 1966 में है।		1500/-	1252/-
7.	जवार माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं है।			

Page No 197

(197)

5

81 की सूची)

बताये गये खर्च की तालिका

1970	1971	1972	1973	1974
27430|-	22827|-	22819|-	सूचना उपलब्ध नहीं है।	रिटर्न प्राप्ति की अंतिम तिथि 30-4-76 है। अभी तक रिटर्न प्राप्त नहीं हुये हैं।
8229|-	9877|-	8079|-	,,	,,
	16302|-	23840|-	,,	,,
16288|-	8158|-	सूचना उपलब्ध नहीं है।	,,	,,
13453|-	सूचना उपलब्ध नहीं।	22514|-	38283|-	,,
1926|-	2562|-	1448|-	उपलब्ध नहीं है।	,
111234|-	सूचना उपलब्ध नहीं है।	59613|-	,,	

198

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 1975)

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
7	नीचे से 9	वाकिग्राई	वाकियात
10	नीचे से 6	दिलता	दिलाता
33	ऊपर से 9	जनार्दसिंह	जनार्दनसिंह
42	ऊपर से 5	योगेन्द्ररनाथ हांढ़ा	योगेन्द्रनाथ हांडा
67	ऊपर से 9	मीठालाल मूलचन्द	मीठालाल व मूलचन्द
140	ऊपर से 13	तान	तीन
155	नीचे से 6	श्री उपाध्यक्ष	श्री गिरधारीलाल भार्गव
169	नीचे से 1	-लिए	इसलिए
175	नीचे से 10	आर्डिनेंस नं० आफ	आर्डिनेंस नं० 2 आफ
177	नीचे से 6	ऐसो	ऐसे
197	ऊपर से 6	कोई	कई
208	नीचे से 10	रहो है	रहा है
213	नीचे से 6	जन-प्रनिनिधि	जन-प्रतिनिधि
216	ऊपर से 10	जतना	जितना
222	नीचे से 1	कर	करने
223	नीचे से 6	प्रद्यम्नसिंह	प्रद्युम्नसिंह
264	नीचे से 3	पाथ पर पर	पाथ पर
270	नीचे से 2	सदयों	सदस्यों
281	नीचे से 2	भ्रये	भाये
309	ऊपर से 4	गया	गये
314	नीचे से 2	उदाहृण	उदाहरण
330	नीचे से 6	जी नीतियों	जो नीतियां
334	ऊपर से 14	एकोकारण	एकीकरण
334	नीचे से 14	जिये	लिया
345	नीचे से 5	संख्या करने	संख्या भी निश्चित करने
349	नीचे से 9	बहराड़	बहरोड़
362	ऊपर से 4	मंत्री राजस्थान नहर परियोजना विभाग	राजस्थान नहर परियोजना मंत्री
369	नीचे से 1	श्रणी	श्रेणी
377	नीचे से 18	झुंझुनु	झुंझुनूं